अनुक्रम

क्र.सं.	खंड का नाम	पृष्ठ सं.
1.	**खंड-1 भारतीय प्रवासन के चरण एवं स्वरूप**	
	इकाई-1 प्राचीन एवं मध्यकाल	2-9
	इकाई-2 आधुनिक/औपनिवेशिक काल	10-17
	इकाई-3 उत्तर औपनिवेशिक काल (1950 से 1980)	-
	इकाई-4 उत्तर औपनिवेशिक काल (वैश्वीकरण के दौर – 1990 के बाद)	-
2.	**खंड-2 समुद्रपारीय भारतीय डायस्पोरा समुदाय**	
	इकाई-1 श्रीलंका	18-31
	इकाई-2 प्रशांत क्षेत्र - न्यूजीलैंड	32-43
	इकाई-3 कैरेबियन क्षेत्र – गुयाना और सूरीनाम	44-57
	इकाई-4 उत्तरी अमरीका, यूनाइटेड किंगडम	-
3.	**खंड-3 भारतीय डायस्पोरा का पहचान के लिए संघर्ष**	
	इकाई-1 महात्मा गांधी का समुद्रपारीय भारतीयों के मानवाधिकार के लिए संघर्ष में योगदान	58-70
	इकाई-2 दक्षिण अफ्रीका	71-83
	इकाई-3 मॉरीशस	84-102
	इकाई-4 फिजी	103-123
4.	**खंड-4 भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति: इतिहास व वर्तमान**	
	इकाई-1 स्वतंत्रतापूर्व: भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव की ऐतिहासिक यात्रा	124-133
	इकाई-2 स्वतंत्रता के आरंभिक दशक	134-141
	इकाई-3 वैश्वीकृत भारत	-
	इकाई-4 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और भारतीय डायस्पोरा	142-157

खंड-1 भारतीय प्रवासन के चरण एवं स्वरूप

इकाई -1 प्राचीन एवं मध्यकाल

इकाई की रूपरेखा

1.1.1. उद्देश्य
1.1.2. प्रस्तावना
1.1.3. डायस्पोरा का अर्थ
1.1.4. भारतीय समुद्रपारीय प्रवासन के चरण और स्वरूप
1.1.4.1. सिंधु एवं वैदिक काल
1.1.4.2. बौद्ध काल एवं मौर्य काल
1.1.4.3. मौर्योत्तर काल
1.1.4.4. हिंदू शासकों के समय
1.1.4.5. रोमा या जिप्सी डायस्पोरा
1.1.4.6. इस्लाम के आगमन के बाद
1.1.5. सारांश
1.1.6. बोध प्रश्न
1.1.7. उपयोगी एवं संदर्भ ग्रंथ सूची:

1.1.1. उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- भारतीय समुदायों का समुद्रपारीय प्रवासन एवं डायस्पोरा के बारे में जानकारी देना।
- भारतीय समुदायों का प्राचीन एवं मध्यकाल में समुद्रपारीय देशों में प्रवासन के चरणों की जानकारी देना।
- प्राचीन एवं मध्यकाल में भारतीय समुदायों का विदेश प्रवासन किन-किन रूपों में हुआ, से संबंधित जानकारी देना।

1.1.2. प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारतीय डायस्पोरा की उपस्थिति विश्व के लगभग सभी देशों में है। भारतवंशियों ने अपनी भाषा संस्कृति को अपने देश की क्षेत्रीय विविधता, उस आतिथ्य देशों की क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुसार बनाए रखा है। साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में भारतवंशियों की उपलब्धि भी सराहनीय है। तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में उठता है कि क्या सभी भारतीयों का विदेश प्रवासन एक समय हुआ और साथ ही उनका प्रवासन किन उद्देश्यों से किन-किन रूपों में हुआ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास प्रस्तुत इकाई में किया गया है।

1.1.3. डायस्पोरा का अर्थ

इतिहास के परिवर्तन और निरंतरता की अवधारणा को ध्यान में रखकर भारत से समुद्रपारीय देशों में प्रवासन को देखें तो पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता काल से लेकर आज तक यह जारी है। सिर्फ काल और वैश्विक परिघटनाओं के कारण भारतीय प्रवासन के स्वरूप बदलते गए। मानव प्रवासन से जुड़ी

महत्वपूर्ण परिघटना को 'डायस्पोरा' की अवधारणा के आधार पर समझा जा सकता है। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर डायस्पोरा पद को ग्रीक शब्दों *डिया (dia)* और *स्परिन (sperien)* के संयोजन से उत्पन्न माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिखरना और पुनः उत्पन्न होना। मौलिक रूप में इस पद का प्रयोग ईसा पूर्व 586 में बेबीलोनिया से यहूदी लोगों के निष्कासन और फ़िलिस्तीन के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में उनके बिखरे हुए समुदाय के भावनात्मक जुड़ाव को समझाने के लिए किया गया। भारतीय संदर्भ में भारत से समुद्रपारीय देशों के लिए प्रवासन से भारतीय डायस्पोरा का जन्म हुआ।

1.1.4. भारतीय समुद्रपारीय प्रवासन के चरण और स्वरूप

उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों और देशी-विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रा वृतांत के आधार पर भारतीयों के समुद्रपारीय प्रवासन के चरणों एवं स्वरूप को समझा जा सकता है।

1.1.4.1. सिंधु एवं वैदिक काल

सिंधुघाटी की सभ्यता और वैदिक ऋचाओं से विदेशी प्रवासन संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। उत्तरी अफगानिस्तान की लाजवर्ण मणि मोहनजोदड़ो में मिली है। विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेखों से भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तरी अफगानिस्तान सिंधु-सभ्यता के वितरण – क्षेत्र में नहीं आता, परंतु शोर्तुघई नामक स्थान पर ठेठ सिंधु-सभ्यता के मृदुभांड मिले हैं। यह संभव है कि उत्तरी अफगानिस्तान में कुछ सिंधु सभ्यता बस्तियाँ रहीं हों, क्योंकि उत्तरी अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि (लापिस लाजूली) तथा मध्य एशिया से टिन का आयात होता था। सिंधु घाटी के नगरों से फारस की बेलनाकार मोहर, फिरोजा, टिन मिले हैं। सिंधु घाटी के संपर्क इसके समकालीन सभ्यता सुमेरियाई मिस्र, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिया से भी रहे होंगें। मिस्र, सुमेरिया, असिरेरीया से भारतीय वस्तुओं के प्रारूप, नौका, नौकायन के यंत्र, भंडार गृह तथा हस्तशिल्प मिले हैं, जो भारत से निर्यात होते थे। उपरोक्त भौतिक व अभौतिक सांस्कृतिक तत्वों का आदान–प्रदान भारतीय प्रवासन के बिना संभव नहीं हुआ होगा। इनकी चर्चा यूनानी और रोम के लेखक भी करते हैं।

एशिया माइनर में बोगाज नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधिपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें मित्र वरुण, इंद्र और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम हैं। अफगानिस्तान में बहने वाली कुभा (काबुल), सुवास्तु (स्वात), क्रमु (कुर्रभ) तथा गोमल (गोमती) नदियों से आर्य जन परिचित थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों के वंशज एशिया माइनर में भी रहते थे। इसी प्रकार मिस्र में तेलू अल-अमनों में मिट्टी की कुछ तख्तियाँ मिली है, जिनपर बेबिलोनिया के कुछ शासकों के नाम खुदे हैं जो (नाम) ईरान और भारत के आर्य शासकों के नामों, जैसे हैं। मिस्र में मिट्टी की तख्ती पर शासकों के नाम खुदे हैं। जो भारत के राजाओं के नाम से मिलते हैं।

1.1.4.2. बौद्ध काल एवं मौर्य काल

इस काल में बौद्ध भिक्षु शांति और प्रेम का संदेश लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया (बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, मलय, इंडोनेशिया ...) गए। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं तथा अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बुद्ध का संदेश फ़ैलाने के लिए पड़ोसी देश - श्रीलंका भेजा। इन बौद्ध लोगों का श्रीलंका के तत्कालीन राजा तिस्स तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपने देश में स्वागत किया और अशोक की तरह शिलालेख लगाए गए। इस कारण भारत प्राचीन काल में भारतीय समुदाय के साथ–साथ ज्ञान-विज्ञान जैसे– चिकित्सा, रसायन, गणित इत्यादि की पहुँच विश्व के देशों तक पहुँचा सका। इसकी जानकारी चीनी यात्री

फा-हियान, हुआन सांग के यात्रा वृत्तांतों से मिलती है।बोधिरुची, बुद्धभद्र, बुद्धजीव, बुद्धशांत आदि ऐसे बौद्धधर्म प्रचारक थे, जो पाँचवी छठी शताब्दियों में चीन गए थे। कॉसमॉस के वृत्तांत से पता चलता है कि भारत-चीन व्यापार में सिंहलद्वीप (श्रीलंका) एक महत्वपूर्ण बिचौलिए का काम करता था। स्वंय फा-हियान एक व्यापारी जहाज़ पर चीन गया था।

1.1.4.3. मौर्योत्तर काल

इस काल में भारतीय प्रवासन का गहरा संबंध भारत के व्यापारिक रिश्ते से जुड़ा है जो ग्रीक-रोमन साम्राज्य के साथ था। ग्रीक-रोमन साम्राज्य के लोगों को 'यवन' कहा जाता था। इनके साक्ष्य- साहित्य, भाषा, लिपि, विश्वास पद्धति, आर्किटेक्चर, स्वशासन की प्रणाली (क्षत्रप व्यवस्था) आदि से मिलते हैं। रोमन साम्राज्य का जब मिस्र पर कब्जा हो गया तब एलेक्जेंड्रिया तथा क्लिपेट्रा जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल के रूप में उभरे जहाँ से भारत और रोम के बीच की व्यापारिक गतिविधियाँ चलती थी। रोमन, मिस्र तथा भू-मध्यसागर और भारत के बीच व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित प्रमुख स्थल तथा बंदरगाह निम्लिखित हैं - मुजरिस (कोच्ची), बेरिगाजा (सूरत), पूकर (कावेरीपट्टनम्), पुडुके (अरिकमेडू), कलिंगा, ताम्लुक (तामलिप्ति) इत्यादि थे। पाँचवी सदी का नौवहन मार्गदर्शिका पुस्तक 'पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी' उपरोक्त व्यापारों की चर्चा करता है। ग्रीक-मिस्र के साथ प्राचीन भारतीय व्यापार, भारतीय प्रवासन की चर्चा ग्रीक-रोमन के भुगोलवेत्ता, इतिहासकार, वैज्ञानिक, जैसे-स्ट्रैबो, प्लिनी (नेचुरल हिस्ट्री), टोलेमी भी करते हैं। प्राचीन तमिल ग्रंथ सिल्पादिकारम तथा संगम कविता में भी इन व्यापारों की चर्चा की गई है।

मध्य एशिया से वह व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, जिसे 'सिल्क मार्ग' कहा जाता था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का समस्त व्यापार अधिकतर इसी मार्ग से होता था। इस चीनी रेशम व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने मध्यस्थ के रूप में भाग लेना प्रारंभ किया। इन प्रदेशों से होकर जाने वाले व्यापार में अधिकतर उत्तर–पश्चिम के व्यापारी भाग लेते थे। पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के व्यापारी दक्षिण अरब, लाल सागर तथा ऐलेक्जेंड्रीया के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का काफी बड़ा भाग इन क्षेत्रों से होकर भी गुजरता था। रोमन साम्राज्य के एक सर्वशक्तिमान साम्राज्य के रूप में उदय होने से ई.पू. प्रथम शती से भारतीय व्यापार को काफी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इस साम्राज्य का पूर्वी भाग भारत में निर्मित विलासिता के समान का एक बड़ा ग्राहक बन गया। ईसवीं सन् की पहली शती में एक अनाम ग्रीक नाविक ने अपनी 'पेरिप्लस ऑफ़ दि एरिथ्रियन सी' नामक रचना में भारत द्वारा रोमन साम्राज्य को निर्यात किए जाने वाले समान का विवरण दिया है, जिसमें प्रमुख हैं मोती, हाथीदाँत, इत्यादि। भारतीय व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर रोमन व्यापारियों तक पहुँचाते थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी। रोमन साम्राज्य की मसालों की आवश्यकता केवल भारतीय सामग्री देने से ही पूर्ण नहीं होती थी, इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाने लगे। अपने निर्यात के प्रतिदान में रोम से भारत में अन्य समान के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में सोने–चाँदी के सिक्के आते थे। प्लिनी ने प्रतिवर्ष रोम से भारत में चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दु:ख प्रकट किया है। इससे पता चलता है की भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध काफी विकसित था। 'पेरिप्लस ऑफ़ दि एरिथ्रियन सी' में नौरा (कैन्ननौर), तोंडी (आधुनिक पोन्नानी), मुशिरी और नेल्सिंडा(कोट्टयम के निकट) पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह बताए गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार इन व्यापारिक नगरों में बड़ी संख्या में जहाज़ विद्यमान रहते थे, जिन पर काली मिर्च, अनेक प्रकार के मसाले लादे जाते थे। मसालों के अतिरिक्त उत्तम कोटि के हाथीदांत, मोती,

मसलन, रेशमी कपड़े पश्चिमी देशों को निर्यात किए जाते थे। भारत के बारीक़ सूती कपड़े, विश्व में प्रसिद्ध थे। कवियों ने रेशमी कपड़ों पर जटिल बेलबूटों के बुनने की भी चर्चा की है। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न, हीरे, पारदर्शी पत्थर (रत्न), नीलम, कर्पर (tortoise shell) भी निर्यात किए जाते थे। रोमन साम्राज्य तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापार का प्रमाण पुरातत्व–संबंधी स्रोतों से भी पुष्ट होता है। ऑगस्टस तथा टिवेरियस के मुहर और सोने और चाँदी के सिक्के तमिल प्रदेश के अनेक स्थलों पर प्राप्त हुए हैं। बहुमूल्य रत्न, विभिन्न प्रकार के केसर एवं सुगंधित पदार्थ, सुंदर वस्त्र आदि भारत से निर्यात किए जाते थे। हाल के भू-पुरातात्विक साक्ष्य जो नील नदी की डेल्टा/बेसिन में पाई गई है, से भारतीय प्रवासन की और व्यापारिक गतिविधियों की चर्चा मिलती है।

भारतीय व्यापारियों का प्रवासन प्राचीन सिल्कमार्ग का विस्तार चीन से लेकर मध्य एशिया तक था जो भारत से होकर गुजरता था। भारतीय शासक कनिष्क ने मध्य एशिया के काशगर, यारकंद, खोतान प्रांतों पर अपना आधिपत्य जमाया। चीन से मध्य एशिया तथा रोमन साम्राज्य को जाने वाले रेशम तथा अन्य विलासिता की वस्तु इसी 'रेशम मार्ग' से होकर जाती थी। इसी मार्ग पर भारत के इंडोग्रीक, कुषाण, शक शासक द्वारा विजय किया गया, जिससे भारतीय शासकों को मार्ग कर के रूप में सोना-चाँदी मिलने लगा तथा व्यापारियों का भी आना-जाना प्रारंभ हुआ। बाद के दिनों में इन्हीं व्यापारिक मार्गों से यूरोप तक चीन तथा प्राचीन भारत का तकनीकी ज्ञान, छापाखाना, विस्फोटक (गन पाउडर), दिशा सूचक यंत्र (कंपास) पहुँचा। इनकी जानकारी चीनी यात्री फा-हियान, हुआन सांग, मार्कोपोलो अपने यात्रा वृतांत में देते हैं। पूर्व मध्य काल में छोटे-छोटे भारतीय व्यापारिक समूह व्यापारिक उद्देश्यों से पूर्वी अफ्रीका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, थाईलैंड गए। इनमें प्रमुख है- दक्षिण भारत का नट्टूकुट्टी चेट्टियार, राजस्थान का बनिया, गुजरात का व्यापारिक समुदाय बोहरा, इस्माईल आदि।

1.1.4.4. हिंदू शासकों के समय

इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय हिंदू शासकों की अभिरूची के कारण सैनिक अभियान तथा व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ हुई। परिणामस्वरूप, भारतीय प्रवासन प्रारंभ हुआ, जिसने इस क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा को जन्म दिया। इस संदर्भ में बंगाल के पाल राजाओं का संपर्क इंडोनेशिया के शैलेंद्र राजा से, चोलों का सैनिक अभियान श्रीलंका तथा इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य तक हुआ। इसके कारण, भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों (बर्मा, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलय, इंडोनेशिया) में गए। भारत से बाहर वृहद हिंदू साम्राज्य इन दक्षिणपूर्व एशिया तक फैला। इस कारण इन देशों में भारत से धर्म प्रचारकों, व्यापारियों, कलाकारों, विद्वानों का प्रवासन संभव हुआ। इस काल में भारतवासी सुदूरपूर्व के द्वीपों के साथ व्यापार करने के लिए गए। उनमें से कुछ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए। कुछ अपनी पराक्रमी प्रवृत्ति के कारण गए। संभवत: ये उपनिवेश भारत की अतिरिक्त जनसंख्या के लिए नए स्थान भी थे। साहित्यिक प्रमाणों से प्रकट होता है कि व्यापार ने ही भारत और सुदूरपूर्व के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया था। समय के साथ-साथ वाणिज्य और व्यापारिक कार्यों के कारण राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो गए। भारतीय संस्कृति चंपा,जावा, सुमात्रा, लंका, बर्मा, स्याम, मलाया प्रायद्वीप, शैलेंद्र साम्राज्य, चीन, तिब्बत आदि में विकसित हो गई। चंपा में ब्राह्मणवादी हिंदु और बौद्ध धर्म दोनों ही थे। चंपा के भारतीय उपनिवेशों ने परंपरागत हिंदू ढंग का समाज स्थापित करने की चेष्टा की। सातवीं शताब्दी ई. के अभिलेख से ज्ञात होता है कि जावा में भारतीय संस्कृति प्रभावी थी। वहाँ एक हिंदू राज्य स्थापित था। शैलेंद्र साम्राज्य ने जावा को विजय किया था। जावा में ब्राह्मण धर्म व बौद्ध धर्म साथ-साथ प्रचलित हुए। मंदिरों में शिव लिंग, विष्णु, दुर्गा की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई। मंजुश्री और बुद्ध के पूर्व

जन्मों को बोरोबुदूर स्तूप की रेलिंग में अंकित किया गया है। बौद्ध अभिलेखों में नागरी लिपि प्रयुक्त की गई है। जावा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बोरोबुदूर का स्तूप है। यह लगभग 750 ई. में निर्मित हुआ था। सुमात्रा में चौथी शताब्दी ई. में हिंदू राज्य स्थापित किया गया था। इसी समय बोर्निया में भी हिंदू उपनिवेश स्थापित किया गया था, यहाँ ब्राह्मण समाज के प्रमुख अंग थे। बाली सुदूर पूर्व में एक मात्र हिंदू उपनिवेश है , जिसने अपनी संस्कृति को अब तक अक्षुण्ण रखा है। फूनान या कम्बूज में पाँचवी सदी ई. में हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी, यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय जाति प्रथा, शैव मत, बौद्ध मत का प्रचार-प्रसार हुआ। जय वर्मा तृतीय ने महान कम्बूज साम्राज्य की स्थापना की। इसे अंगकोर सभ्यता का संस्थापक भी कहा जाता है। रामायण, महाभारत की गाथाएँ जन-जन में प्रसारित हुई। कम्बूज की कला भारतीय थी, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'अंगकोरवाट' है। अंगकोरवाट का निर्माण राजा सूर्य वर्मा द्वितीय (1113-1145 ई.) ने कराया था। स्याम सातवीं शताब्दी ई. में भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया था। यहाँ सभी भारतीय नाम प्रचलित थे। बुद्ध, विष्णु, शिव की मूर्तियां प्रतिष्ठापित थीं। सामाजिक-धार्मिक परंपराएं भारतीयों के समान थीं। मलय प्रायद्वीप में भारतीय लोगों का आगमन चौथी-पांचवीं सदी ई. में हुआ, जिससे यह एक हिंदू संस्कृति से प्रभावित क्षेत्र बना। आठवीं सदी ई. में दक्षिण–पूर्वी एशिया के इतिहास की मुख्य घटना महान साम्राज्य का उत्थान है, जिसमें सुमात्रा, जावा, मलाया प्रायद्वीप आदि सम्मिलित थे। इस साम्राज्य के शासक शैलेंद्र वंश के थे। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध मत के अनुयायी थे। उन्होंने भारतीय बौद्धों की मदद से बौद्ध देवी 'तारा' का मंदिर बनवाया। 1025 ई. में राजेंद्र चोल ने शैलेंद्र साम्राज्य पर अपनी नौ-सेना से आक्रमण कर अधिकार कर लिया और वहाँ बड़ी संख्या में अपने लोगों को भेजकर लगभग एक शताब्दी तक शासन में रखा। लंका, बर्मा, चीन, तिब्बत, कोरिया, आदि बड़ी संख्या में भारतीय लोगों के प्रवासन के कारण ये देश भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के केंद्र बने जहाँ बौद्ध मत का तीव्र गति से प्रसार हुआ।

1.1.4.5. रोमा या जिप्सी डायस्पोरा

वर्तमान में रोमा या जिप्सी डायस्पोरा (करीब 10 मिलियन) एशिया, यूरोप तथा अमेरिका में हैं। इनके उत्पन्न होने से संबंधित सिद्धांत विवादित है। विद्वानों के बहुमत का कहना है कि ये भारत के उत्तर पश्चिम के मार्ग से अफ़गानिस्तान, पर्सिया और तुर्की होते हुए लगभग एक हजार वर्ष पहले व्यापारियों के एक समूह के रूप में यूरोप प्रवासित हुए। ये रोमानी समुदाय जहाँ भी गए वहाँ आज भी, अपनी प्राचीन बोली, कला, संस्कृति तथा जिस जगह गए वहाँ की भाषा-बोली के मिश्रित रूप को बोलते हैं। जिप्सी समुदाय में भारतीय समाज के समान ही जाति प्रथा, रीति-रिवाज, संस्कृति, भाषा के स्वरूप पाए जाते हैं। ये प्राचीन भारत की प्रथाओं का अनुकरण करते हैं।

1.1.4.6. इस्लाम के आगमन के बाद

मध्य एवं पश्चिम एशिया के मुस्लिम भारत पर आक्रमण कर धन तथा जन (कलाकार, इंजीनियर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार) को ले गए। अपने देश–राज्य के नव- निर्माण के लिए। तुर्क शासकों के आगमन ने अंतर्देशीय एवं विदेश व्यापार दोनों की उन्नति में योगदान दिया। सल्तनत कालीन शासकों में मुहम्मद बिन तुगलक ने व्यापार की उन्नति में विशेष अभिरुचि ली और विभिन्न शासकों के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान किया, ताकि विदेश व्यापार की प्रोन्नति में सुविधा हो। तुगलक काल तक दक्षिण में लाहौर से काबुल, मुल्तान से कंधार और खुरासान एवं मध्य एशिया के अतिरिक्त, पश्चिम एशिया के नगरों के साथ स्थल मार्ग से व्यापार होता था। मंगोल आक्रमण के कारण इसमें अवरोध

प्रस्तुत हुआ, परंतु इसी बीच गुजरात की विजय ने समुद्र मार्ग द्वारा विदेश व्यापार की संभावनाओं को और विकसित कर दिया। सिंध पर अरब आक्रमण के दिनों से ही देबल (आधुनिक कराची, पाकिस्तान के समीप बम्भोर) एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में रहा था।

इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों का संपर्क दक्षिण सिंध में लहरी बंदर तथा गुजरात में कैम्बे और सूरत प्रमुख बंदरगाह से था। यहाँ से ज़्हाज़ लाल सागर के क्षेत्र, होरमुज, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण में मालाबार तट तक जाते थे। मालाबार के तट पर स्थित कालीकट और कुइलौं की बंदरगाह सल्तनत के साथ व्यापार के अतिरिक्त मसालों के द्वीप और चीन एवं ईरान और अरब क्षेत्रों के व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण थी। समुद्र मार्ग से होने वाले व्यापार के संबंध में इब्न बतूता और पुर्तगाली यात्री बर्बोसा ने वर्णन किया है। आमतौर पर भारत से निर्यात होने वाली सामग्री में खाद्यान, कपड़े, बहुमूल्य रत्न, नील, मसाले, जड़ी-बूटियाँ, संदल की लकड़ी और लोहा उल्लेखनीय थे। व्यापारियों के अनेक वर्ग सक्रिय थे। मारवाड़ी, गुजरती और मुल्तानी व्यापारियों में हिंदू एवं जैन थे। मुस्लिम व्यापारियों में बोहरे और खुरासानी थे। विदेशी व्यापारियों में ईरानी और खुरासानी प्रमुख थे। इस प्रकार सल्तनत काल में ही एक विकसित नगरीय अर्थ-व्यवस्था की उत्पत्ति भारत में हो चुकी थी। मुग़ल काल में इसकी प्रगति और व्यापक रूप में संभव हुई।

भारतीय व्यापारियों ने अदन में अपने पैर भली भाँति जमा रखे थे। वहाँ से वे लाल सागर बंदरगाहों और पूर्व अफ्रीका के मसावा, मोगादिशू आदि बंदरगाहों के साथ व्यापार करते थे। इस काल में व्यापार अदन से खिसक कर यमन तट पर मोचा या मोखा में जा पहुँचा। ईरान में सफवियों और अरब, मिस्र तथा इराक में उसमानली तुर्कों ने सड़कों पर जो शांति स्थापित की थी वह उस क्षेत्र में भारतीय व्यापार को, जिसका मुख्य माल कपड़ा था, बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई। मसुलीपतनम् के व्यापारी दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों और द्वीपों के साथ तो व्यापार कर ही रहे थे, अब गोलकुंडा राज्य के, जिसका सफ़वियों से अच्छा संबंध था, इस प्रमुख बंदरगाह के व्यापारी पश्चिम एशियाई बंदरगाहों के साथ भी व्यापार करने लगे।

सत्रहवीं सदी को 'भारत के समुद्री व्यापार और साथ ही कपड़े के व्यापार का स्वर्णिम काल' कहा गया है। इस काल में भारतीय व्यापारी दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के पूर्वी तट पर सर्वत्र बसे हुए देखे जा सकते थे। उदाहरण के लिए, गुजरात के व्यापारी, खास तौर से शायद काठियावाड़ के बनी, सभी यमनी शहरों में बसे हुए थे और उस क्षेत्र के व्यापार पर उनका नियंत्रण था।
गुजराती व्यापारियों के एक छोटे-से समूह का अफ्रीकी तट के प्रमुख बंदरगाह मसोवा के व्यापार पर नियंत्रण था। इस्लामी दुनिया के बिलकुल मध्य में भारतीय आप्रवासियों की उपस्थिति इस बात का सूचक थी कि व्यापार पर धार्मिक पूर्वग्रहों का कोई अंकुश नहीं था। गुजराती बनिए ईरान के सभी तटवर्ती नगरों और साथ ही उसके अंदरूनी शहरों में भी बसे हुए थे। दक्षिण–पूर्व एशियाई बंदरगाहों में कलिंगों (या क्लिंगों अर्थात् ओड़िया और दक्षिण भारतीय हिंदू व्यापारियों) की स्थिति बहुत मज़बूत थी। एक कलिंग बेंट के बंदरगाह का शाहबंदर था और एक अन्य वहाँ के सुल्तान के जहाजी बेड़े का प्रभारी, वे लोग अकसर, मलय और सियाम की खाड़ी में भी सक्रिय थे।

इस काल में एशिया के देशों के बीच चलने वाले व्यापार के रंग-रूप में भी कोई बदलाव नहीं आया। भारत का निर्यात का मुख्य माल बेशक कपड़ा ही था। भारतीय कपड़ा अभिजात वर्ग की भी जरूरतें पूरी करता था और जनसाधारण की भी, जिनके लिए मोटे किस्म का कपड़ा गुजरात में बनता था और वहीं से निर्यात किया जाता था। भारत चावल, दालें, गेहूं, तेल, घी आदि खाद्य सामग्री का भी निर्यात करता था। दक्षिण-पूर्व एशियाई द्वीपों में इन वस्तुओं की बहुत मांग होती और साथ ही पश्चिम

एशिया के लिए हर्मुज और अदन में भी। बंगाल शक्कर और कच्चा रेशम निर्यात करता था और मलाबार हिंद महासागर के बाजारों के लिए काली मिर्च भेजता था। भारत के लिए भी इन वस्तुओं का तटीय व्यापार चलता था। कोरोमंडल के बंदरगाह नील और तंबाकू का निर्यात करते थे। नील का निर्यात गुजरात भी करता था।

1.1.5. सारांश

डायस्पोरा के साथ ही भारतीय डायस्पोरा का अध्ययन आधुनिक घटना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब मानव का प्रवासन वैश्विक स्तर पर बढ़ा तब इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी कारण भारतीय डायस्पोरा की वैश्विक उपस्थिति ने हमें उनके ऐतिहासिक काल तथा स्वरूपों के बारे में अध्ययन की ओर प्रेरित किया। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों (पुरातत्व, साहित्य, विदेशी यात्रा वृतांत) के आधार पर हम यह जान पाए कि भारतीय लोगों का समुद्र पार के देशों में प्रवासन सिंधु सभ्यता काल से ही प्रारंभ हो गया था। इस समय भारतीयों का विदेश प्रवासन अधिकांशतः व्यापारिक उद्देश्यों से मेसोपोटामिया, सुमेरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि समुद्रपारीय देशों में हुआ। वैदिक काल के देवताओं के नाम संबंधी साक्ष्य एशिया माईनर के बोगाजकोई अभिलेख में मिलना, भारतीयों के संपर्क को बताते हैं। बौद्ध काल और सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं का प्रवासन धर्म प्रचार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अफगानिस्तान, नेपाल तक हुआ। मौर्योत्तर काल में व्यापार की बेतहाशा वृद्धि से भारतीय व्यापारियों का प्रवासन रोमन, मिस्र तथा भू-मध्यसागर, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप और चीन तक हुआ, जिसकी चर्चा उस समय के इतिहासकार, भूगोलवेत्ता करते हैं। छोटे-छोटे भारतीय व्यापारिक समूह व्यापारिक उद्देश्यों से पूर्वी अफ्रीका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, थाईलैंड गए। इनमें प्रमुख है दक्षिण भारत का नट्टूकुट्टी चेट्टियार, राजस्थान का बनिया, गुजरात का व्यापारिक समुदाय बोहरा, इस्माईल। हिंदू शासकों–चोल, पाल के सैनिक अभियानों तथा दूसरो देशों पर आधिपत्य के कारण भारत से बाहर वृहद् हिंदू साम्राज्य इन दक्षिणपूर्व एशिया तक फैला। इस कारण इन देशों में भारत से धर्म प्रचारकों, व्यापारियों, कलाकारों, विद्वानों का प्रवासन संभव हुआ।

इस्लाम के आगमन और संपर्क के कारण भारतीयों का प्रवासन इस्लामिक देशों के लिए हुआ। तुर्क आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर धन तथा जन (कलाकार, इंजीनियर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार) को अपने मध्य एशिया के पुनर्निर्माण के लिए ले गए। बाद के दिनों में भारत में तुर्क शासन स्थापित होने के बाद भारतीय व्यापारियों का बड़ी संख्या में प्रवासन पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों के लिए हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय डायस्पोरा आज संसार में बड़ी संख्या में उपस्थित है उनका भारत से प्रवासन सिंधु सभ्यता काल से ही अलग- अलग स्वरूपों में होता रहा है।

1.1.6. बोध प्रश्न

1. 'डायस्पोरा' शब्द का अर्थ बताइए।
2. प्राचीन काल में भारतीय लोगों का समुद्रपारीय देशों में प्रवासन किन स्वरूपों में हुआ?
3. मौर्योत्तर काल में भारतीयों का प्रवासन किन-किन देशों में हुआ?
4. प्रमुख हिंदू शासक कौन थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशो में संपर्क स्थापित किए।
5. प्राचीन एवं मध्यकाल में भारतीयों का व्यापार पश्चिम एवं मध्य एशिया के देशों से किन-किन वस्तुओं का होता था?

6. प्राचीन एवं मध्यकाल में भारतीयों के समुद्रपारीय देशों में प्रवासनके प्रमुख चरणों को विस्तार से बताइए।
7. प्राचीन एवं मध्यकाल में भारतीयों का समुद्रपारीय देशों में प्रवासन किस रूप में हुआ?

1.1.7. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. झा, द्विजेंद्र नारायण (1980), प्राचीन भारत: एक रूपरेखा, नई दिल्ली, मनोहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ISSN 8173042160.
2. झा, द्विजेंद्र नारायण, श्रीमाली, कृष्ण मोहन (1981), प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली , हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.
3. चंद्र, सतीश (2000), मध्यकालीन भारत, नई दिल्ली , जवाहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ISSN 8173610673.
4. बृज वी. लाल, पीटर रीव्स एंड राजेश राय (संपा.) (2006). द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, सिंगापुर, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ISSN 9780824831642.
5. कोहेन, राबिन. (1997) ग्लोबल डायस्पोरा: एन इंट्रोडक्शन, वाशिंगटन : यूनिर्वसिटी ऑफ वाशिंग्टन प्रेस, ISBN 9780295976204.
6. जयराम, एन. (संपा.) (2004) ‘द इंडियन डायस्पोरा: डायनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन’. नई दिल्ली सेज पब्लिकेशंस, ISBN 0761932186
7. जोशी, आर; राय, राजीव आर. आदि. (2014), भारतीय डायस्पोरा: विविध आयाम. नई दिल्ली राजकमल प्रकाशन, ISBN 978-81-267-2611-0.

खंड-1 भारतीय प्रवासन के चरण एवं स्वरूप
इकाई - 2 आधुनिक / औपनिवेशिक काल

इकाई की रूपरेखा

1.2.1. उद्देश्य
1.2.2. प्रस्तावना
1.2.3. समुद्रपारीय प्रवासन की पृष्ठभूमि
1.2.4. समुद्रपारीय प्रवासन
1.2.4.1. सिद्ध दोष प्रवासन
1.2.4.2. अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था के तहत प्रवासन
1.2.4.3. कंगनी तथा मैस्त्री व्यवस्था के तहत प्रवासन
1.2.4.4. स्वतंत्र प्रवासन
1.2.4.5. दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार तंत्र के तहत प्रवासन
1.2.5. सारांश
1.2.6. बोध प्रश्न
1.2.7. संदर्भ ग्रंथ सूची

1.2.1. उद्देश्य

इस इकाई अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

- आधुनिक/औपनिवेशिक काल में भारत से होने वाले समुद्रपारीय प्रवासन की पृष्ठभूमि की जानकारी देना।
- औपनिवेशिक काल में भारतीय लोगों का समुद्रपारीय प्रवासन के स्वरूप को समझना।
- अनुबंधित श्रमिक प्रणाली के तहत भारतीय प्रवासन को समझना।
- कंगनी तथा मैस्त्री व्यवस्था के तहत भारतीय प्रवासन को समझना।
- भारतीय लोगों का समुद्रपारीय देशों के लिए स्वतंत्र प्रवासन को समझना।
- दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार तंत्र के तहत भारतीय प्रवासन के बारे में बताना।

1.2.2. प्रस्तावना

भारतीय डायस्पोरा उन प्रवासी भारतीय समुदायों से मिलकर बना है, जिन्होंने इतिहास के विभिन्न काल खंडों में क्रमिक रूप में अलग-अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत विश्व के अनेक स्थानों के लिए प्रस्थान किया। प्राचीन व्यापारिक और धार्मिक समूहों, औपनिवेशिक काल में सिद्धदोष, अनुबंधित श्रमिकों 'कुली', गिरमिटिया, कंगनी तथा मैस्त्री से लेकर स्वतंत्र भारत के 'प्रतिभा-पलायन' से जुड़े समूह और आधुनिक वैश्विक प्रबंधकों-तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विश्व के अधिकांश देशों में भारतीय संस्कृति अपने सजीव रूप में उपस्थित है। इन वैश्विक प्रवासी भारतीय समुदायों को भारतीय डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है।

प्रस्तुत अध्याय में भारत के आधुनिक काल/औपनिवेशिक काल में भारतीय लोगों के समुद्रपारीय देशों के लिए स्वभूमि (भारत) और वैश्विक स्तर की सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक–आर्थिक

पृष्ठभूमि की संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय लोग इस काल में सिद्ध दोषी, अनुबंधित श्रमिक, कंगनी-मैस्त्री, स्वतंत्र रूप और कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक तंत्र के अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेशों में कृषि, निर्माण, बाबूगिरी जैसे कार्यों के लिए ले जाए गए, इनके बारे में इस इकाई के तहत समझने की कोशिश की जाएगी। भारत के संदर्भ में भारत पर ब्रिटिशकाल काल (1764-1947 ई.) को औपनिवेशिक काल/आधुनिक काल कहा जाता है।

1.2.3. समुद्रपारीय प्रवासन की पृष्ठभूमि

इतिहास की परिवर्तन और निरंतरता की अवधारणा को अगर ध्यान में रखकर भारत से समुद्रपारीय देशों में प्रवासन को अगर देखें तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल से लेकर आज तक यह जारी है, सिर्फ काल और वैश्विक परिघटनाओं के कारण भारतीय प्रवासन के स्वरूप बदलते गए। भारत से औपनिवेशिक काल में हुए बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय समुद्रपारीय प्रवासन का गहरा संबंध आधुनिक यूरोप में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों और युगांतकारी घटनाओं से है। यूरोप में1400-1850 ई. की अवधि में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन जैसे- आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भौगोलिक खोज, वाणिज्य-व्यापार और अंततः पूँजीवादी व्यवस्था का उदय, सामंतवाद का पतन और राष्ट्रीय राज्य का उदय होता है। ज्ञान, कला और धर्म के क्षेत्र में पुर्नजागरण, वैज्ञानिक खोजें, प्रोटेस्टेंट का उदय और रोमन कैथोलिक धर्मं में सुधार, जिनकी वजह से वहाँ उत्पादन की फैक्ट्री पद्धति (विशेषतः इंग्लैंड में) चालू हो गई। उपरोक्त कारणों से उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई जिसे इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रांति (1750-1850) का नाम दिया। इस क्रांति ने फैक्ट्री में वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया तथा उत्पादित माल के लिए बाजार और कच्चे माल के लिए उपनिवेशों की स्थापना को प्रेरित किया। (द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, 2007)

1869 में स्वेज नहर के निमार्ण ने भूमध्यसागर तथा लाल-सागर को जोड़ा। इससे यूरोप से एशिया की दूरी कम हो गई। इसने भी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन को प्रेरित किया।

वैश्विक परिस्थिति के साथ–साथ घरेलू सामाजिक आर्थिक परिस्थिति ने भी भारतीयों के समुद्रपारीय प्रवासन को प्रोत्साहित किया। औपनिवेशिक काल में भारत पर लगाए गए कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीति तथा भू-राजस्व की नीतियों (स्थायी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था) ने भारतीय कृषकों के कमर तोड़ दिए। इस काल में भारत में खेती करना फायदेमंद नहीं रहा। इन आर्थिक नीतियों ने भारत में अकाल को प्रोत्साहित किया। ऐसी ही विषम आर्थिक परिस्थिति ने भारतीय किसानों को रोजी-रोटी की तलाश में प्रवासन के लिए मजबूर किया। इन आर्थिक कारणों के साथ ही भारत के समाज में फैले जातीय भेद भाव एवं जड़ता ने भी भारतीय समाज के निम्नजातीय लोगों को समुद्रपारीय प्रवासन के लिए प्रोत्साहित किया।

1.2.4. समुद्रपारीय प्रवासन

औपनिवेशिक काल में भारतीय लोगों का समुद्रपारीय प्रवासन कई रूपों में हुआ। उनमें प्रमुख थे :

1.2.4.1. सिद्ध दोष प्रवासन (Convict Migration)

सिद्ध दोष का अर्थ होता है - कानूनी रूप से जिनका दोष सिद्ध हो गया है। औपनिवेशिक शासन की शुरूआत में जहाँ-जहाँ औपनिवेशिक प्रशासन तथा उपनिवेश स्थापित करते गए, कुछ राजाओं तथा उनके समर्थकों को जो औपनिवेशिक प्रशासन का साथ नहीं देते थे, उन्हें किसी षड़यंत्र के तहत

औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत सजा देते थे। इन सजायाप्ता लोगों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक उपनिवेश के सिद्ध दोष को दूसरे उपनिवेश में भेज देते थे, जैसे- मलय के सिद्ध दोष को भारत, सिंगापुर के सिद्ध दोष को चीनी तथा हाँगकाँग, चीनी को भारत, बर्मा के सिद्ध दोष को श्रीलंका, भारत के सिद्धदोष को फिजी, मारिशस आदि। इसके अलावा औपनिवेशिक प्रशासन इन सिद्ध दोष वालों को काला पानी की सजा देते थे, जिसके तहत उन्हें अंडमान-निकोबार जैसे जगहों में भी भेजा गया।

1.2.4.2. अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था के तहत प्रवासन (Indentured Labour Migration)

इंडेंचर का अर्थ- लिखित अनुबंध के आधार पर निश्चित समय के लिए किसी मजदूर का मजदूरी में प्रवेश करना। मरिना कार्टर के शब्दों में – "अनुबंध प्रवासित वे व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने प्रवासन यात्रा के लिए कोई खर्च स्वयं वहन नहीं किया, परंतु किसी उपनिवेश में जाने और किसी निश्चित समय के लिए मजदूरी करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया।"

अनुबंधन एक विश्वस्तरीय प्रघटना थी, जिसका प्रारंभ 19 वीं शताब्दी में हुआ। इसका प्रारंभ मॉरीशस में ब्रिटिश लोगों द्वारा किया गया। इसे महान प्रयोग (ग्रेट एक्सपेरिमेंट) माना गया है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा गुलामी प्रथा की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक सत्ता के हित में मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों की पूर्ति को बनाए रखने के लिए इसे सफलता पूर्वक वर्षों तक चलाया गया। अनुबंध व्यवस्था के कारण भारत, चीन, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से विभिन्न श्रम-आयातकर्ता कॉलोनियों के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिक प्रवासन हुए। मारीशस इस प्रणाली में अग्रणी देश था, अन्य ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा डच कॉलोनियों द्वारा बाद में इस प्रणाली को अपनाया गया।

गन्ने की खेती सफलतापूर्वक करने तथा इसे लाभप्रद बनाए रखने के लिए सस्ते, बहुतायत तथा मेहनतकश श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैरिबियाई क्षेत्रों में बागान उपनिवेशों में गुलाम, श्रमिक उत्पादन प्रणाली की रीढ़ थे। 19 वीं शती में हिंद महासागर क्षेत्र में गन्ना उत्पादन अर्थव्यवस्था तथा समाज का आविर्भाव हुआ। ब्रिटिश बाजार में 1825 ई. में मारीशस चीनी पर कर का बोझ हटा लिए जाने से मारीशस चीनी उद्योग में तीव्र बढ़ोतरी होने लगी।

गुलामी प्रथा की समाप्ति के पीछे था यूरोपीय मानवाधिकारवादियों और आर्थिक तथा राजनैतिक दलों की सोच और समर्थन। इसी सिलसिले में स्लेव ट्रेड एक्ट की समाप्ति हेतु विधेयक 25-03-1807 को पारित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में 23-08-1833 को 'स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट' पास हुआ तथा 01-08-1834 को ब्रिटिश साम्राज्य में सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया। गुलामी प्रथा की समाप्ति फ्रांसिसी साम्राज्य में 1 जुलाई, 1848 ई. तथा डच साम्राज्य में 1 जुलाई, 1863 ई. को की गई। अनुबंध श्रमिक की नियुक्ति और उसकी अनुबंध (एग्रीमेंट) से संबंधित अन्य बातों के प्रावधान जैसे- भोजन, रहने, चिकित्सा, आने-जाने की व्यवस्था को **1837 के एक्ट 'इमिग्रेशन अध्यादेश'** में सम्मिलित किया गया। पर बाद के दिनों में वास्तविकता में ये कानूनी प्रावधान बहुत कठोर होते गए।

इस व्यवस्था के तहत निम्न बातों के कारण सजा भी दी जा सकती थी, जैसे-काम करने से मना करना या काम में लापरवाही बरतना, काम पर अनुपस्थित रहना, नियोक्ता के साथ अक्कड़पन, दुर्व्यवहार अनुबंध के समय (05 वर्ष) से पहले काम छोड़ने पर इत्यादि।

अनुबंध व्यवस्था के तहत श्रमिक नियुक्ति की प्रक्रिया- ब्रिटिश भारत सरकार ने अनुबंधित मजदूरों की नियुक्ति के लिए कलकत्ता के गार्डन रिच क्षेत्र और मद्रास में नियुक्ति डिपो बनाया तथा उत्प्रवासी प्रोटेक्टर (Protector of Emigrants) को प्रमुख बनाया गया। उत्प्रवासी प्रोटेक्टर द्वारा

उप-उत्प्रवासी के माध्यम से गाँव के स्तर पर अभिकर्ता को मजदूरों की खोज के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी जाती थी। इन लाइसेंसधारी अभिकर्ता को उत्तर भारत में अरकाटी (पुरुष), अरकाटीन (महिला) कहा जाता था। वहीं दक्षिण भारत में मजदूरों को नियुक्त करने वाले अभिकर्ता को कंगनी तथा मैस्त्री कहा जाता था। प्रत्येक मजदूर के लिए अरकाटी को 4 आना तथा मुख्य सिरदार को 1 रुपए मिलते थे। अरकाटी गाँव-गाँव में घूमकर कृषक मजदूरों को शब्जबाग दिखाकर, सपने दिखाकर, फुसलाकर तो कभी भारत की तत्कालीन ख़राब आर्थिक परिस्थिति का हवाला देकर सब-डिपो जो फ़ैजाबाद में थे तक लाता। सब डिपो में एकत्रित मजदूरों का चिकित्सीय परीक्षण जिला सिविल सर्जन द्वारा किया जाता था तथा प्रत्येक मजदूरों के जिला मजिस्ट्रेट के सामने एग्रीमेंट (अनुबंध) होता था, जिसमें काम की अवधि तथा मजदूरों को प्राप्त होने वाली सुविधायों की चर्चा होती थी। इस एग्रीमेंट के तहत जो श्रमिक नियुक्त किए गए वे गिरमिट कहलाए तथा इस मजदूरी की प्रथा को गिरमिटिया कहा गया। गिरमिट एग्रीमेंट का हिंदी-भोजपुरी अपभ्रंश है। अनुबंध श्रमिक व्यवस्था की शुरुआत 1834 ई. में हुई।

एग्रीमेंट के पश्चात् प्रवासियों के समूह को चालान/परवाना तथा विशिष्ट प्रमाण पत्र के साथ रेलवे के द्वारा कलकत्ता मुख्य डिपो (गार्डन रिच क्षेत्र) में लाया जाता था। कलकत्ता में इन मजदूरों को एक बड़े शेड में रखा जाता था जहाँ मजदूरों का पुनः परीक्षण किया जाता और फिर उत्प्रवासी प्रोटेक्टर के द्वारा प्रदान की गई 'इमिग्रेशन पास' के साथ पानी वाले जहाज के द्वारा उपनिवेशों जैसे- मॉरीशस, फिजी, गुयाना, अफ्रीका, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि के लिए प्रवासन होता था।

मुख्य ब्रिटिश उपनिवेश जहाँ भारतीयों का प्रवासन हुआ		
देश	**वर्ष**	**प्रवासन प्रवासितों की संख्या**
मॉरिशस	1834-1900	453,063
ब्रिटिश गुयाना	1838-1916	238,909
मलाया	1844-1916	250,000
ट्रिनीदाद	1845-1916	143,939
जमैका	1845-1913	36,412
ग्रेनेडा	1856-1885	3200
सेंट. लूसिया	1858-1895	4350
नेटल	1860-1911	152,184
सेंट. किट्ट्स	1860-1861	337
सेट. विन्सेंट्	1860-1880	2472
रयूनिउन	1861-1883	26,507
सूरीनाम	1873-1916	34,304
फिजी	1879-1916	60,965
इस्ट अफ्रीका	1896-1921	39,282
सेशेल्स	1904-1916	6315

Source : Brij V Lal, Girmitiyas: The origin of the Fiji Indians, 1983

1.2.4.3. कंगनी तथा मैस्त्री व्यवस्था के तहत प्रवासन

दक्षिण भारत में श्रमिक भर्ती हेतु कंगनी एवं मैस्त्री प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। कंगनी और मैस्त्री, तमिल भाषा के शब्द हैं। कंगनी का अर्थ है- मुखिया, फोरमेन, ओवरसीयर जबकि मैस्त्री का अर्थ पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर), प्रबंध देखने वाला। प्रारंभ में कंगनी व्यवस्था के तहत मजदूरों की नियुक्ति मलाया, सीलोन (श्रीलंका) के लिए जबकि मैस्त्री के द्वारा बर्मा में श्रमिक भर्ती हुई। दोनों व्यवस्था की अपनी विशिष्टता के बावजूद भी इन दोनों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। दोनों व्यवस्थाओं में 'माध्यम व्यक्ति नेटवर्क' (Middle men Network) की उपस्थिति पाई जाती है तथा औपनिवेशिक कॉलोनियों के बागानों में कार्य करने के लिए श्रमिक भर्ती हेतु ऋण संबंधों(Debt Relationship) को प्रयोग में लाया जाता है। कंगनी व्यवस्था में मजदूरों को अग्रिम ऋण उसके परिवार में भरण-पोषण के लिए दे दिया जाता था। इस ऋण की मध्यस्थता फोरमेन करता था। 1840 से 1942 ई. के मध्य कंगनी और मैस्त्री प्रणाली के अंतर्गत 17 लाख से ज्यादा व्यक्ति मलाया तथा सिंगापुर में कार्य करने के लिए भर्ती किए गए। इसी प्रकार बर्मा के लिए 16 लाख तथा सिलोन के लिए 10 लाख श्रमिक प्रवासित हुए।

कंगनी व्यवस्था के तहत नियुक्ति :- इस व्यवस्था के तहत प्रारंभ में सिलोन (श्रीलंका) के काफी, चाय बागानों में कार्य करने के लिए 1850 ई. में मजदूरों की नियुक्ति प्रारंभ हुई तथा मलाया हेतु इसे 1890 ई. से प्रयोग में लाया गया। इस प्रणाली में किसी भारतीय प्रवासी को सर्वप्रथम कंगनी के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा इस कंगनी के पर्यवेक्षण (supervision) में 25 से 30 मजदूरों का समूह होता था। अधिकांश बागानों में कंगनी प्रमुख ही प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच की मुख्य कड़ी बनाता था। इसी के अधीन लघु कंगनी होते थे। ये दल का नेतृत्व करते थे तथा प्रमुख के प्रति उत्तरदायी रहते थे। अधीनस्थ कंगनी को सीन्ना कंगनी (मलाया) तथा सिलारा कंगनी (सिलोन) के नाम से जाना जाता था, जिनका आशय 'लघु/उप' था। अधीनस्थ कंगनी बागानों में श्रमिक उत्पादकता के साथ-साथ सामान्यतया भारत से और श्रमिकों की भर्ती भी करते थे। सामान्य मजदूरों (विश्वसनीय तथा भरोसेमंद) में से भी कुछ को भर्ती के लिए भारत भेजा जाता था, ताकि वह वापस लौटने पर कंगनी की श्रेणी में शामिल हो सके।

इसके तहत मजदूर किसी गाँव, किसी रिश्तेदारी या जातीय समूह से जुड़े होते थे। मजदूर नियुक्ति करने वाले ठेकेदार को मजदूर नियुक्ति के एवज में कमीशन मिलता था। कंगनी को अपने गृह जिले से मजदूरों की भर्ती के लिए लाइसेंस प्राप्त होता था। कंगनी को प्रत्येक मजदूर की नियुक्ति पर 2 प्रतिशत कमीशन मिलता था, जिसे मुखिया मनीर कहते थे। मजदूरों की नियुक्ति के बाद मजदूरों के कार्य का 3-4 प्रतिशत प्रत्येक मजदूर के मुखिया को भी मिलता था जो मजदूर उस कंगनी के समूह में थे। इसे पेंस मनी कहते थे।

कंगनी प्रणाली के विविध स्वरूप यह सुनिश्चित करते थे कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुँच बनी रहे। सैद्धांतिक रूप से अनुबंध श्रमिक प्रणाली की तरह ही कंगनी व्यवस्था में भी लाइसेंस प्रदान किया जाता था।

मजदूरों के शोषण तथा कम मजदूरी की शिकायत के कारण 1938 ई. से मलाया और 1940 ई. में सिलोन के लिए मजदूर भरती की इस व्यवस्था को औपनिवेशिक भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया।

गैंग मैस्त्री के अंतर्गत 10 से 20 मजदूरों की टोली होती थी, जिसकी व्यवस्था गैंग मैस्त्री करता था इसके तहत निश्चित अग्रिम मजदूरी के साथ-साथ निश्चित समय के लिए मजदूरी करना होता था। कंगनी से अलग, इसमें मजदूर, एक नौकर की तरह कार्य करते थे। इसमें मैस्त्री को मजदूरों को हटाने तथा उनकी अग्रिम जो दी गई उसे वापस लेने एवं मजदूरों को उसके पुर्नवापसी का भी हक होता था। इसके तहत मजदूरों को बर्मा और मलेशिया ले जाया गया जहाँ वे कॉफी और रबर की खेती में लगाए गए। रबर की खेती के लिए स्थायी मजदूरों की आवश्यकता थी, इसीलिए इस व्यवस्था के तहत मजदूरों को ले जाया गया। बर्मा में इन मजदूरों को चावल की खेती में लगाया गया, क्योंकि पश्चिम में बर्मा की चावल की माँग अधिक थी।

मैस्त्री का उन्मूलन 1937 ई. में किया गया, क्योंकि बाद के दिनों में मजदूरों की संख्या में अवैध तरीके से कटौती की गई, मजदूरों की मुफ्त सेवा को आवश्यक बनाया गया था तथा रात और दिन के लिए समान वेतन दिया जाता था।

1.2.4.5. स्वतंत्र प्रवासन

18-19 वीं सदी में उपनिवेश की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासकों के द्वारा दूसरे औपनिवेशिक देशों के साथ युद्ध तथा उस पर कब्जे के लिए भारतीय लोगों को सैनिक के रूप में भर्ती किया गया तथा भारतीय सैनिक देश से बाहर युद्ध के लिए ले जाए गए और लड़ाई के बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो सैनिक जहाँ गए उन्होंने वहीं बसने का निर्णय किया। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश शासक मुख्य रूप से निम्न सैनिक अभियानों के लिए ले गए, जैसे- 1795 ई. में मलक्का में युद्ध के लिए, 1800-1901 में अंग्रेजों ने मिस्र पर आक्रमण के समय भारतीय सैनिकों की मदद ली, मिस्र अभियान में बचे सैनिक 1810 ई. में मॉरीशस पर विजय के लिए जाते हैं। युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद मॉरीशस में बसने का निर्णय लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज जब चलते थे समुद्रपार देशों के लिए, तब उस जहाज के लश्कर में कई भारतीय नाविक, नौकर, कर्मचारी सैनिक होते थे। ये सभी अलग-अलग देशों के अभियानों पर रहते थे। बाद में स्वतंत्र होकर वे बाहर ही बस गए। पूर्वी अफ्रीका, खाड़ी देशों (मस्कट, यमन), दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए व्यापारियों का प्रवासन होता रहा।

1.2.4.6. दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार तंत्र के तहत प्रवासन

यूरोपीय व्यापारियों के पहुँचने के पहले से ही भारतीय व्यापारिक समुदाय दक्षिण-पूर्ण एशिया में व्यापार के लिए जाने लगे थे, परंतु औपनिवेशिक परिस्थितियों के कारण 19वीं सदी के बाद इसमें तीव्र वृद्धि हुई। 1844-1931 ई. तक व्यापारी समुदायों का सिर्फ मलाया के लिए प्रवासन 643,000 था। इसी तरह के भारतीय व्यापारिक समुदायों का प्रवासन बर्मा तथा अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए हुआ।

इन प्रवासित व्यापारिक समुदायों में मुख्यत: नट्टूकोट्टी चेट्टियार, चुलिया, मराक्कायार, मप्पिला या मोपलाह (केरल), दाउदी बोहरा, खोजा, सिंधी, सिख, मारवाड़ी आदि थे। चेट्टियार व्यापारी 1830 ई. के आस-पास तमिलनाडु तथा केरल से प्रवासित होकर मलाया, बर्मा, श्याम, जावा और सुमात्रा तक गए। मुस्लिम व्यापारिक समुदाय दाउदी बोहरा सूरत से प्रवासित होकर बैंकाक गए। 19वीं सदी में सिंधी पहले सिंगापुर, बाद में पेनांग और मनीला में भी बसे। 1947 ई. में सिंधी प्रवासन बढ़ा जब भारत का विभाजन होकर सिंध प्रांत पाकिस्तान का अंग बना। 19वीं सदी में सिख समुदाय का प्रवासन पहले चौकीदार,

पहरेदार, पुलिसबल के रूप में दक्षिण-पूर्व एशिया में और बाद में व्यापारिक समूह, जैसे- वस्त्र व्यवसाय, स्पोर्ट सामग्री के व्यवसाय आदि से जुड़कर सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड में बस गए। इनके अलावा, छोटे व्यापारिक समूह के रूप में राजस्थान के मारवाड़ी तथा हिंदू 1850 ई. में आस-पास बर्मा प्रवासित हुए।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीय व्यापारियों के प्रवासन का संबंध 19वीं सदी में उभर रहे वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था से था। 19 वीं सदी में दक्षिण-पूर्ण एशिया में यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार के कारण उपयोगी वस्तुओं की व्यावसायिक माँग बढ़ी। इनमें निम्न वस्तुएँ शामिल थी- चावल, चाय, कॉफी और रबर इत्यादि। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार बढ़ने का एक कारण था भारत का 1857 ई. के विद्रोह के बाद की भारतीय परिस्थिति। 1857 ई. के बाद देशी रियासतों में व्यापार के मौके कम हो गए थे, इसलिए भी व्यापारिक वर्ग दक्षिण-पूर्व एशिया की तरफ मुड़े। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा नए व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए गए। गुजराती मुस्लिम व्यापारी तथा मेमन, खोजा, बोहरा दक्षिण-पूर्व में वस्त्र, घरेलु सामान, चावल और हीरे के व्यापार से जुड़े थे।

1.2.5. सारांश

ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि भारतीयों का समुद्रपारीय देशों में प्रवासन सैंधव सभ्यता के समय से ही हो रहा था। कभी यह प्रवासन व्यापारिक कारणों से तो कभी यह धार्मिक और सैन्य अभियानों के तहत हुआ। प्राचीन काल में भारतीयों का यह समुद्रपारीय प्रवासन ऐच्छिक एवं स्वतः स्फूर्त एवं स्वप्रेरित थे, जबकि भारत के आधुनिक/औपनिवेशिक काल में यह प्रवासन वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रेरित था। इन वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों में भारतीयों का प्रवासन या तो मजबूरी में या लालच के कारण हुआ, ऐसे समुद्रपारीय प्रवासन ने भारतीय मानसिकता को नकारात्मक रूप में प्रभावित किया, जिसके बारे में समुद्रपारीय भारवंशियों ने अपनी साहित्यिक कृतियों (अभिमन्यु अंनत–लाल पसीना, मुंशी रहमान खान-जीवन प्रकाश और तोता राम सनाढ्य ने 'फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष') में जिक्र किया है। जीवन की कठिन परिस्थियों के बावजूद भारवंशियों ने अपनी कठोर मेहनत और लगन से गंतव्य देशों में अपने को जीवन के सभी क्षेत्रों में ध्यानाकर्षित करने वाली उपलब्धि प्राप्त की है। इनके इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए अलग मंत्रालय बनाया और कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रारंभ किया है। भारत सरकार के इन्हीं महत्वपूर्ण गतिविधियों में 'प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के एक प्रवासी के रूप में भारत वापसी (1915) को 'प्रवासी भारतीय दिवस' (7-9 जनवरी) मनाया जाना प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर महत्वपूर्ण भारतवंशियों को 'प्रवासी भारतीय सम्मान' भी दिया जाना प्रारंभ किया गया।

1.2.6. बोध प्रश्न

1. औपनिवेशिक काल में भारत से होने वाले समुद्रपारीय प्रवासन की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की चर्चा
करें?

2. सिद्ध दोष प्रवासन से आप क्या समझते हैं?

3. अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था के तहत होने वाले भारतीय लोगों के प्रवासन के बारे में विस्तार से बताएँ?

4. स्वतंत्र प्रवासन के बारे में बताएँ?

5. दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार तंत्र के तहत प्रवासन की चर्चा कीजिए?

6. आधुनिक/ औपनिवेशिक काल में भारतीय लोगों का समुद्रपारीय प्रवासन के विविध स्वरूपों की विस्तार से

चर्चा कीजिए।

1.2.7. संदर्भ ग्रंथ सूची

2. बृज वी. लाल व अन्य (संपा.) (2007). द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क : ISBN 13:9780824831642. पृ.सं-44-65.

3. जोशी, रामशरण. राय, राजीव आर. आदि (संपा). (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम. राजकमल प्रकाशन : नई दिल्ली.

4. जयराम, एन. (संपा.). 2004. 'द इंडियन डायस्पोरा : डायनॉमिक्स ऑफ माइग्रेशन'. सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली : ISBN 0761932186. पृ.सं 18-22.

5. टिंकर, हग. (1974). अ न्यू सिस्टम ऑफ़ सेलेवरी : द एक्सपोर्ट ऑफ़ इंडियन लेबर ओवरसीज 1830-1920. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस : न्यूयार्क , ISBN 0192184105.

6. कोहेन, राबिन. 1997. ग्लोबल डायस्पोरा : एन इंट्रोडक्शन यूनिर्वसिटी ऑफ वाशिंग्टन प्रेस।

खंड-2 समुद्रपारीय भारतीय डायस्पोरा समुदाय

इकाई-1 : श्रीलंका

इकाई की रूपरेखा

2.1.1. उद्देश्य

2.1.2. प्रस्तावना

2.1.2.1. परिचय

2.1.2.2. श्रीलंका का प्रांतीय विभाजन

2.1.2.3. श्रीलंका की जनांकिकी प्रोफाइल, 2017

2.1.2.4. श्रीलंका का इतिहास

2.1.2.5. श्रीलंका में भारतीयों का प्रवेश और सांस्कृतिक गतिशीलता

2.1.2.6 श्रीलंका में भारतीयों की समस्या

2.1.3. सारांश

2.1.4. बोध प्रश्न

2.1.5. संदर्भ ग्रंथ सूची

2.1.1. उद्देश्य

1. श्रीलंका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2. श्रीलंका में भारतीय तमिलों के प्रवासन के इतिहास को समझना।
3. श्रीलंका में दक्षिण भारतीयों के प्रवासन के संदर्भ कंगनी-मैस्त्री प्रणाली को समझना।
4. श्रीलंका की राजनैतिक व्यवस्था एवं तमिल समस्या को जानना।
5. श्रीलंका भारतवंशीय तमिलों की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता को जानना।

2.1.2. प्रस्तावना

श्रीलंका भारत के दक्षिण छोर पर स्थित एक संप्रभु देश है। इस देश का भारत के साथ प्राचीन समय से सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका में भारतीयों का प्रवासन प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु के रूप में, चोल राजाओं के समय सैनिक अभियानों के रूप में और औपनिवेशिक समय में कहवा के उत्पादन के लिए कंगनी-मैस्त्री प्रणाली के तहत हुआ। आधुनिक समय में श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद यहाँ रह रहे भारतीयों के साथ भेद-भाव प्रारंभ हुए। इस भेदभाव ने गृहयुद्ध का शक्ल ले लिया। इस गृहयुद्ध का असर भारत पर भी महसूस किया गया। प्रस्तुत अध्ययन की इस इकाई में श्रीलंका में सदियों से बसे भारतवंशियों के विविध पहलुओं पर अध्ययन किया जाएगा।

2.1.2.1. परिचय

श्रीलंका (आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य) दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन (Ceylon) था, जिसे बदलकर लंका तथा 1979 में इसके नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द ‘श्री’ जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो (राजधानी) समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सांस्कृतिक आधारों पर

भारत के साथ यह द्वीप अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए इसका इतना महत्व रहा है कि द्वीप के इतिहास पर भारत के घटनाचक्र और इतिहास का गहरा प्रभाव पड़ा है। सामरिक महत्व की जगह होने से भारतीय महाद्वीप पर आक्रमण और अधिकार करने वाली किसी भी महत्वाकांक्षी शक्ति की गिद्ध-दृष्टि से यह द्वीप बढ़ नहीं पाया।

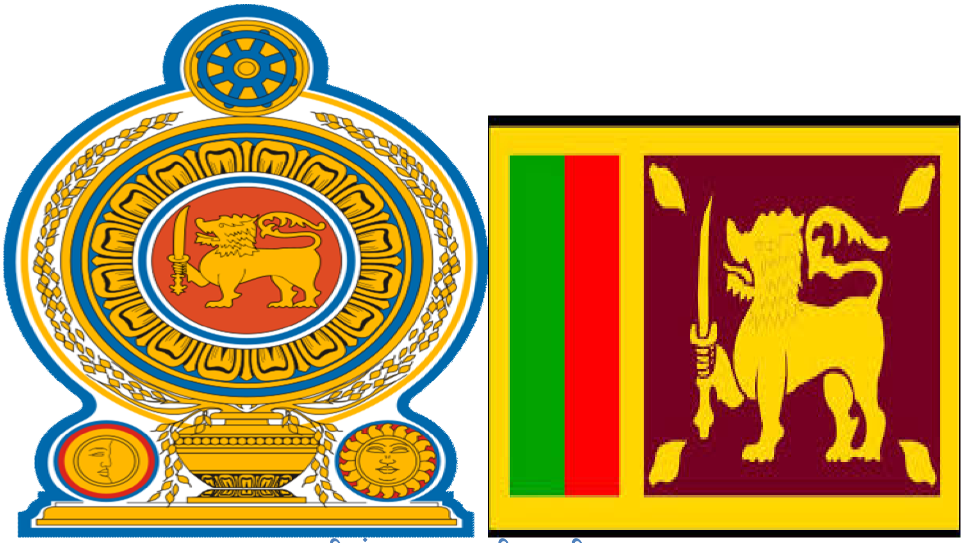

श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक

2.1.2.2. श्रीलंका का प्रांतीय विभाजन

प्रशासकीय रूप से श्रीलंका 9 प्रांतों में बँटा हुआ है। इन 9 प्रांतों में कुल 25 जिले हैं। इन जिलों के तहत मंडलीय सचिवालय आते हैं और इनके घटक इकाइयों को *ग्राम सेवक* कहते हैं।

क्रं.सं.	राज्य	राजधानी	जिले
1	केंद्रीय	कैंडी	कैंडी, मातले, नुवर एलिय
2	उत्तरी मध्य	अनुराधापुर	अनुराधापुर, पोलोन्नारूव
3	उत्तरी	जाफ़ना	जाफ़ना, किलिनोच्चि, मन्नार, वावुनिया, मुलैतिवु
4	पूर्वी	त्रिंकोमाली	अंपार, बट्टिकलोआ, त्रिंकोमाली
5	उत्तर पश्चिमी	कुरुनेगल	कुरुनेगल, पुत्तलम
6	दक्षिणी	गाल्ल	गाल्ल, हंबतोट, मातर
7	उबा	बदुल्ल	बदुल्ल, मोनरागल' मोनरागल, बदुल्ल
8	सबरगमुग	रतनपुर	केगल्ल, रतनपुर
9	पश्चिमी	कोलंम्बो	कोलंम्बो, गंपाहा, कलुतर

BASIC DEMOGRAPHIC DATA

	1901	1911	1946	1953	1963	1971	1981	2001
Lanka Tamils	c. 510,000 (14.3%)	528,024 (12.8%)	733,731 (11.0%)	844,703 (10.4%)	1,170,310 (11.1%)	1,415,567 (11.1%)	1,886,672 (12.7%)	736,484*
Indian Tamils	c. 441,000 (12.3%)	530,983 (12.9%)	780,589 (11.7%)	974,098 (12%)	1,122,850 (10.6%)	1,196,368 (9.4%)	818,656 (5.5%)	855,888 (5%)
Total population	3,565,984	4,106,350	6,652,339	8,097,895	10,590,060	12,711,143	14,864,750	16,864,544*

*Based on census reports from Ceylon/Sri Lanka. Note: *Due to the prevailing war, no complete census could be conducted in the northern province.*

2.1.2.3. श्रीलंका की जनांकिकी प्रोफाइल, 2017

जनसंख्या	22.235 million (July 2016)
नृजातीय जनसंख्या	सिंघली 74.9%, श्रीलंकन तमिल 11.2%, श्रीलंकन मूर्स 9.2%, भारतीय तमिल 4.2%, अन्य 0.5% (2012)
धार्मिक जनसंख्या	बौद्ध (करीब) 70.2%, हिंदू 12.6%, मुस्लिम 9.7%, रोमन कैथोलिक 6.1%, अन्य क्रिश्चियन 1.3%, अन्य 0.05% (2012)
भाषा	सिंहली (कार्यालय एवं राष्ट्रीय भाषा) 74%, तमिल (कार्यालय एवं राष्ट्रीय भाषा) 18%, अन्य 8%

स्रोत : CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक, जुलाई 9, 2017

2.1.2.4. श्रीलंका का इतिहास

भारतीय पौराणिक काव्यों में इस स्थान का वर्णन श्रीलंका के रूप में किया गया है। इतिहासकारों में इस बात की आम धारणा थी कि श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे, पर अभी ताजा खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा, गुजराती भाषा और सिंधी भाषा से जुड़ी है।

प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंहल वंश का शासन रहा है। समयसमय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी आक्रमण इस पर होता रहा है। तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजकुमार विजय और उसके 700 अनुयायी ई. पू. 543 में श्रीलंका में जहाज से उतरे थे। ये लोग 'सिंहल' कहलाते थे, क्योंकि पहले पहल 'सिंहल' की उपाधि धारण करने वाले राजा सिंहबाहु से इनका निकट संबंध था। (सिंह को मारने के कारण यह राजा 'सिंहल' कहलाया)। विजय श्रीलंका का पहला राजा था और उसने जिस राज्य की स्थापना की वह करीब 2358 वर्ष तक कायम रहा।

चोल वंश के सबसे शक्तिशालीराजा राजराजा (985-1014 ई.) तथा उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम (1012-1044 ई.) थे। उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस द्वीप के उत्तरी हिस्से को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। ये क़दम उसने इसलिए उठाया, क्योंकि वह दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। उन दिनों कोरोमंडल तट तथा मालाबार, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच होने वाले व्यापार के केंद्र थे।

सोलहवीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में अपना व्यापार स्थापित किया। यह देश चाय, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी सहित अन्य मसालों का निर्यातक बन गया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे-धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आस-पास के इलाकों में बना लिया। श्रीलंका के निवासियों में उनके प्रति घृणा घर कर गई। उन्होंने डच लोगों से मदद की अपील की। 1630 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हें मार गिराया, लेकिन इसका असर श्रीलंकाईयों पर भी हुआ और उन पर डचों ने और ज्यादा कर थोप दिया। 1660 तक अंग्रेजों का ध्यान भी इस पर गया। नीदरलैंड पर फ्रांस के अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को डर हुआ कि श्रीलंका के डच इलाकों पर फ्रांसिसी अधिकार हो जाएगा। तदुपरांत उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। 1800 ई. के आते-आते तटीय इलाकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1818 तक अंतिम राज्य कैंडी के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह संपूर्ण श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 4 फरवरी, 1948 ई. को देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली।

2.1.2.5. श्रीलंका में भारतीयों का प्रवेश और सांस्कृतिक गतिशीलता

यह देश एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक है। यहाँ के निवासियों में 74% सिंहली, 18% तमिल, 7% ईसाई तथा 1% अन्य मूल के हैं। श्रीलंका में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा की समस्या भारत और श्रीलंका के मध्य कटुता का मुख्य कारण था। भारत को यह समस्या ब्रिटिश शासन से विरासत के रूप में मिली थी। लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व ब्रिटिश पूँजीपतियों ने श्रीलंका के प्राचीन कांडीयन राजाओं के यहाँ चाय और रबड़ बगान उगाने का काम शुरू किया था। इन उद्योगों में काम करने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत से सस्ते मजदूरों का श्रीलंका में आयात किया और उन्हें वहीं बसा दिया ।

श्रीलंका में बसे तमिल लोग अपने पारंपरिक त्यौहारों और सांस्कृतिक गतिविध्यिों में संलग्न होते हैं। फ़सल कटाई के त्योहार पोंगल में जनवरी माह में किसान अपनी अच्छी फ़सल के लिए आभार

प्रकट करने हेतु पृथ्वी, सूर्य और पशुओं की पूजा करते हैं। 'चिथीराई' (Chithirai) भी एक लोकप्रिय त्योहार है। यह पांड्य राजकुमारी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के अलौकिक परिणय बंधन की स्मृति में मनाया जाता है। तमिल महीने 'आदि' के अठारहवें दिन नदियों के किनारे 'आदिपेरूकु' पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही नई फ़सल की बुवाई से संबंधित काम भी शुरू हो जाता है। नृत्य महोत्सव 'ममल्लापुरम' एक अद्भुत महोत्सव है। नृत्यकला के सर्वश्रेष्ठ और सुविख्यात कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम्, कुचीपुडी, कथकली और ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 'नाट्यांजलि' नृत्य महोत्सव में सृष्टि के आदि नर्तक भगवान नटराज को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

नवरात्र पर्व का शाब्दिक अर्थ 'नौ रात्रियाँ', जो विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रूपों में और अनोखे ढंग से मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति, धन और ज्ञान के लिए देवी 'शक्ति' को संतुष्टकरने के लिए मनाया जाता है। श्रीलंका का प्रकाश पर्व 'कार्तिगै दीपम्' भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घरों के बाहर मिट्टी के दीए जलाए जाते हैं और उल्लासपूर्वक पटाखे छोड़े जाते हैं।

थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका की जनसंख्या में 70.2% है। यह श्रीलंका द्वीप तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इस तरह के बुद्धघोष के रूप में प्रख्यात विद्वानों के उत्पादन और विशाल पाली के सिद्धांतों के संरक्षण में बौद्ध धर्म की शुरुआत के बाद बौद्ध छात्रवृत्ति और सीखने का एक केंद्र रहा है। अपने इतिहास में सिंहली राजाओं ने द्वीप के बौद्ध संस्थाओं के रखरखाव और पुनरुत्थान में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। श्रीलंका में 6,000 बौद्ध मठों / विहारों में लगभग 15,000 भिक्षुएवं भिक्षुणियाँ हैं।

www.ceylontoday.lk

CEYLON TODAY

SUNDAY 10 SEPTEMBER 2017

IGP PROMOTES 2,599 OFFICERS

35 WOMEN SERGEANTS IN GROUP

MONEY PRINTING EQUALS 1.02% OF GDP (Rs 120.4B)

CBSL PRINTS Rs 3.36B

INFLATION ACCELERATES BY 25%

READ FULL REPORT ON A2

KEEP COOL AND COMFORTABLE WITH ABANS MISTING FAN

PRODUCES WATER-COOLED MISTY AIR

Rs. 13,400

SIRASA BANGS PM'S SPEECH IN PARLIAMENT

CENTRAL EXPRESSWAY TENDER NOT SECOND TO BOND SCAM

STRIKING A BALANCE BETWEEN REVENUE AND BURDEN

ALOYSIUS ENTER, STAGE RIGHT

WELIKADA MASSACRE

EYEWITNESS PLEADS FOR PROTECTION

Unmatched Prices with Unbelievable Offers...

Singer Rice Cooker

வீரகேசரி

"VIRAKESARI" A NATIONALIST TAMIL DAILY.

1833 में जैसे विश्व में दास प्रथा को समाप्त किया गया, उसी प्रकार श्रीलंका में भी 'द कोलेब्रुक-कैमरोन सुधार' के तहत बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, परंतु वहाँ खेती विशेषत: कॉफ़ी उत्पादन के लिए श्रमिकों की कमी हो गई, क्योंकि वहाँ के स्थानीय सिंहली किसानों ने कॉफ़ी के उत्पादन से अपना हाथ मोड़ लिया। ऐसी परिस्थिति में श्रीलंकाई भौगोलिक वातावरण में कॉफ़ी के

उत्पादन, उसकी सफाई, पैकिंग आदि से संबंधित सभी कार्यों के लिए भारत के दक्षिणी राज्यों के प्रमुख क्षेत्रों यथा तन्नेवेल्ली, रामनद, दक्षिणी आर्कोट, मदुई, चिन्नापोली और पुदुकोट्टी से श्रमिकों की भर्ती की गई।

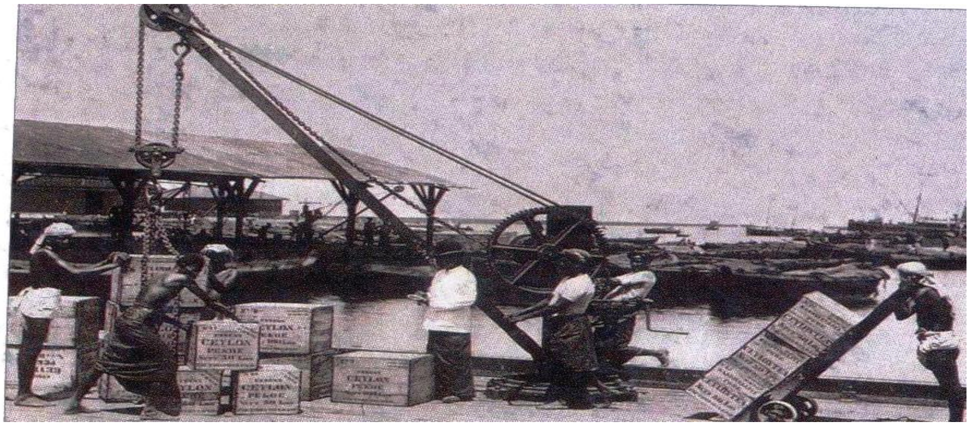

श्रीलंका में चाय की पैकेजिंग करते भारतीय श्रमिक

इन दक्षिणी राज्यों के श्रमिकों की नियुक्ति कंगनी और मैस्त्री व्यवस्था के तहत की गई। वहीं उत्तर भारत से ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे- मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका के लिए मुख्य रूप

कंगनी तथा मैस्त्री व्यवस्था- दक्षिण भारत में श्रमिक भर्ती हेतु कंगनी एवं मैस्त्री प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। कंगनी और मैस्त्री, तमिल भाषा के शब्द हैं। कंगनी का अर्थ है- मुखिया, फोरमेन, ओवरसीयर जबकि मैस्त्री का अर्थ पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर), प्रबंध देखने वाला। प्रारंभ में कंगनी व्यवस्था के तहत मजदूरों की नियुक्ति मलाया, **सीलोन (श्रीलंका)** के लिए जबकि मैस्त्री के द्वारा बर्मा में श्रमिक भर्ती हुई। दोनों व्यवस्था की अपनी विशिष्टता के बावजूद भी इन दोनों में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। दोनों व्यवस्थाओं में 'माध्यम व्यक्ति नेटवर्क' (Middle men Network) की उपस्थिति पाई जाती है तथा औपनिवेशिक कॉलोनियों के बागानों में कार्य करने के लिए श्रमिक भर्ती हेतु ऋण संबंधों(Debt Relationship) को प्रयोग में लाया जाता है। कंगनी व्यवस्था में मजदूरों को अग्रिम ऋण उसके परिवार में भरण-पोषण के लिए दे दिया जाता था। इस ऋण की मध्यस्थता फोरमेन करता था। 1840 से 1942 के मध्य कंगनी और मैस्त्री प्रणाली के अंतर्गत 17 लाख से ज्यादा व्यक्ति मलाया तथा सिंगापुर में कार्य करने के लिए भर्ती किए गए। इसी प्रकार बर्मा के लिए 16 लाख तथा सिलोन के लिए 10 लाख श्रमिक प्रवासित हुए।

इसके तहत मजदूर किसी गाँव, किसी रिश्तेदारी या जातीय समूह से जुड़े होते थे। मजदूर नियुक्ति करने वाले ठेकेदार को मजदूर नियुक्ति के एवज में कमीशन मिलता था। कंगनी को अपने गृह जिले से मजदूरों की भर्ती के लिए लाइसेंस प्राप्त होता था। कंगनी को प्रत्येक मजदूर की नियुक्ति पर 2 प्रतिशत कमीशन मिलता था, जिसे मुखिया मनीर कहते थे। मजदूरों की नियुक्ति के बाद मजदूरों के कुल मजदूरी का 3-4 प्रतिशत प्रत्येक मजदूर का हिस्सा भी मुखिया को मिलता था, जो मजदूर उस कंगनी के समूह में थे। इसे पेंस मनी कहते थे। मजदूरों के शोषण तथा कम मजदूरी की शिकायत के कारण 1938 से मलाया

और 1940 में सिलोन के लिए मजदूर भर्ती की इस व्यवस्था को औपनिवेशिक भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया।

मैस्त्री- यह मजदूरों की नियुक्ति में कंगनी के समान था, परंतु मजदूरों के बीच मैस्त्री के कई पदानुक्रम / स्तर थे जैसे- सोपान/अनुक्रम। ये अनुक्रम थे –

मजदूर ठेकेदार ----- मुख्य मैस्त्री ---- भारी मैस्त्री ----- गैंग मैस्त्री

गैंग मैस्त्री के अंतर्गत 10 से 20 मजदूरों की टोली होती थी, जिसकी व्यवस्था गैंग मैस्त्री करता था। इसके तहत निश्चित अग्रिम मजदूरी के साथ-साथ निश्चित समय के लिए मजदूरी करना होता था। कंगनी से अलग, इसमें मजदूर, एक नौकर की तरह कार्य करते थे। इसमें मैस्त्री को मजदूरों को हटाने तथा उनको जो अग्रिम दी गई एवं मजदूरों को उसके पुर्नवापसी का भी हक होता था।

इसके तहत मजदूरों को श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, मलाया ले जाया गया, जहाँ वे कॉफी, रबर की खेती में लगाए गए। रबर की खेती के लिए स्थायी मजदूरों की आवश्यकता थी, इसीलिए इस व्यवस्था के तहत मजदूरों को ले जाया गया। बर्मा में इन मजदूरों को चावल की खेती में लगाया गया, क्योंकि पश्चिम में बर्मा की चावल की माँग अधिक थी।

मैस्त्री का उन्मूलन 1937 में किया गया, क्योंकि बाद के दिनों में मजदूरों की संख्या में अवैध तरीके से कटौती की गई, मजदूरों की मुफ्त सेवा को आवश्यक बनाया गया था तथा रात और दिन के लिए समान वेतन दिया जाता था।

से गन्ने के उत्पादन, रेलवे और भवन निर्माण के लिए अनुबंधित श्रमिकों की व्यवस्था के तहत मजदूरों को पाँच वर्ष के अनुबंध पर ले जाया गया। परंतु दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे- मलय, जावा, इन्डोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में मजदूरों को कंगनी और मैस्त्री व्यवस्था के तहत ले जाया गया, परंतु यहाँ इन मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके लिए 1865 से पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए छोटी-छोटी टिन की खोली और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई। 1904 में 'सिलोन लेबर कमीशन' की स्थापना की गई। इस कमीशन का उद्देश्य था : कंगनी-मैस्त्री के तहत श्रीलंका गए भारतीय श्रमिकों की काम करने की जीवन परिस्थिति की जाँच करना। 1920 ई. में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत इन कंगनी-मैस्त्री श्रमिकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई।

2.1.2.6 श्रीलंका में भारतीयों की समस्या

कालांतर में श्रीलंका में भारतीय तमिल श्रमिकों के कारण भारतीयों की संख्या बढ़ गई। ब्रिटिश काल में इन भारतीय प्रवासियों को वही अधिकार प्राप्त थे जो श्रीलंका के निवासियों को थे, लेकिन 1948 ई. में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो वहाँ की सरकार ने यह अनुभव किया कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के श्रीलंका में रहने के कारण वहाँ के मूल निवासियों को पर्याप्त अवसर सुलभ नहीं हो पाएँगे। अत: उन्होंने अधिकांश भारतीयों को भारत वापस भेजने का निश्चय किया। श्रीलंका की संसद ने तुरंत कई अधिनियम बनाए जिसके आधार पर भारतीय मूल के लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया और उन्हें यह कहा गया कि श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वे इस बात का सबूत दें कि उनका जन्म श्रीलंका में हुआ है अथवा 1939 ई. से वे श्रीलंका में निवास कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका ने अपने 'नागरिक अधिनियम संख्या 18 (1948)' तथा 'भारतीय पाकिस्तानी निवासी (नागरिक) अधिनियम संख्या 3 (1949)' तथा संशोधित 'अधिनियम संख्या 37 (1950)' तथा 'अधिनियम संख्या

45 (1952)' द्वारा इन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। इसके अतिरिक्त, नागरिकता हेतु भी उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उनके माता-पिता या वे स्वयं श्रीलंका में जन्मे हैं तथा 1939 से लगातर श्रीलंका में रह रहे हैं (यादव, 2013 : 202)। इस स्थिति से इन 'तमिल भारतीयों' के लिए कई समस्याएँ खड़ी हो गई। श्रीलंका की सरकार का ध्येय यह था कि वह ऐसी व्यवस्था करे ताकि कम-से-कम भारतीयों को वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो और सभी अनागरिकों को श्रीलंका से हटाया जा सके।

तमिल लोग जिनका प्रमुख निवास स्थान दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य है, इस संघर्ष से परेशान होकर भारत में शरणार्थियों के रूप में आने लगे। स्वदेशी तमिल नस्ल के लोगों के ऊपर आए संकट और तमिल शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बाद 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका की तमिल समस्या को सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद भारत और श्रीलंका की सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें तमिल उग्रवादियों को शामिल नहीं किया गया। 1975 में वेलुपिल्लई प्रभाकरण द्वारा कई तमिल युवा जो श्रीलंका सरकार की नीतियों से क्षुब्ध थे और जो सरकार के तमिलों के प्रति नीति से उदासीन थे, प्रभाकरन ने ऐसे युवाओं का विश्वास जीत लिया और लिट्टे नामक (LTTE) नामक संस्था का गठन किया। 1980 के दशक के आरंभ में श्रीलंका की तमिल जनता के एक हिस्से ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए लिट्टे के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष आरंभ कर दिया। यह तमिल जनता मूलत: भारतीय थी तथा श्रीलंका के पड़ोसी भारतीय प्रदेश तमिलनाडु की जनता की सहानुभूति व समर्थन इस संघर्ष को स्वाभाविक रूप से प्राप्त था। भारत के लिए न तो यह संभव था कि वह मूकदर्शक बनकर तमिल लोगों पर हो रहे दमन व उत्पीड़न को देखता रहे और न ही उसके हित में यह था कि गृहयुद्ध की विभीषिका श्रीलंका की एकता को छिन्न-भिन्न कर दे (वर्मा, 2010 : 418-419)।

तमिल हितों के साथ-साथ श्रीलंका की एकता की रक्षा के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने श्रीलंका के प्रश्न पर प्रभावी हस्तक्षेप किया तथा 29 जुलाई, 1987 ई. को भारत-श्रीलंका समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत की सेना शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से श्रीलंका पहुँची। राजीव-जयवर्द्धने समझौता असफल सिद्ध हुआ। इससे श्रीलंका में शांति की स्थापना तो नहीं हुई पर भारतीय सेना को दो वर्ष के अनावश्यक युद्ध में फँस जाना पड़ा। भारत-श्रीलंका के संबंधों में मधुरता के स्थान पर और अधिक कड़वाहट आ गई। 1990 ई. में भारत की सेना को श्रीलंका से वापस बुला लिया गया। इसकी कीमत राजीव गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लिट्टे के द्वारा उनकी हत्या करा दी गई।

1990 ई. के दशक के आरंभ से ही श्रीलंका के 'तमिल प्रश्न' पर भारत सरकार की सोच में परिवर्तन आने लगा था। एक नई सोच उत्पन्न होने लगी कि श्रीलंका का तमिल प्रश्न एक विदेशी मामला है तथा भारत को अपने को इससे अलग रखना चाहिए। इस सोच को आगे बढ़ाने का काम उस समय (1989-90) की सरकार के विदेशमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के द्वारा किया गया था। अत इसे 'गुजराल सिद्धांत' के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ एक ओर श्रीलंका के प्रति भारतीय सोच और नीति में परिवर्तन आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इस दशक में श्रीलंका की सरकार तथा लिट्टे के मध्य खूनी संघर्ष में तेजी आई। 1994 ई. में श्रीलंका के चुनाव में चंद्रिका कुमारतुंगे के दल को सफलता मिली। सत्ता में आते ही चंद्रिका ने तमिल प्रश्न के व्यावहारिक समाधान के लिए प्रयास आरंभ कर दिए (वर्मा, 2010 : 436-437)।

श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलीसरकार और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई, 1983 ई. से संघर्ष आरंभ हुआ। मई 2009 ई. में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया। लगभग 25 वर्षों

तक चले इस गृहयुद्ध में दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए और यह युद्ध द्वीपीय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हुआ। लिट्टे द्वारा अपनाई गई युद्ध-नीतियों के चलते 32 देशों ने इसे आतंकवादी गुटों की श्रेणी में रखा जिनमेंभारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघके बहुत से सदस्य राष्ट्र हैं। एक-चौथाई सदी तक चले इस जातीय संघर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 80,000 लोग मारे गए। तमिल ईलम / लिट्टे विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है, जो श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में दो दशकों से अधिक समय से सक्रिय था। इस संगठन को एक समय दुनिया के सबसे ताकतवर गुरिल्ला लड़ाकों में गिना जाता था, जिसपर भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी (1991), श्रीलंकाई राष्ट्रपति प्रेमदासा रनसिंघे (1993) सहित कई लोगों को मारने का आरोप था। भारत सहित कई देशों में यह एक प्रतिबंधित संगठन है। लिट्टे के प्रमुख संस्थापकवेलुपिल्लई प्रभाकरण थे, जिसे 18 मई, 2009 ई. को श्रीलंका सेना ने मार गिराने का दावा किया।

THE HINDU

India, Sri Lanka sign agreement

From K. K. Katyal

COLOMBO, July 29.

India and Sri Lanka today signed an agreement—described big and unusual by the Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi—that provides for a set mechanism to safeguard the interest of the Tamil minority, envisages a role for India in its implementation and most important of all, takes into account the security concerns of India in the region.

In all, seven out of 29 Ministers kept away from the functions connected with the agreement.

Delhi provides guarantee

At a simple but elegant ceremony in an amiable atmosphere, Mr. Gandhi and the Sri Lankan President, Mr. J. R. Jayewardene, appended their signatures to a six-page document, committing the two countries to a co-operative approach not only in regard to the limited issue of resolving the ethnic problem but also in a much wider concept. The vastness of its sweep and the boldness of its approach did not go unnoticed.

Particularly notable is the provision that the "Government of India will underwrite and guarantee" the accord and cooperate in the implementation of its provisions. India, for instance, could send a peace-keeping contingent at the invitation of Sri Lanka to guarantee and enforce the ceasefire. Then there is the omnibus provision that at Sri Lanka's request India would afford military assistance to enable it to implement the agreement.

As important as the agreement is its annexure and the letters exchanged by the Prime Minister and Mr. Jayewardene. Whether the contents of the letters have the same force and status as the provisions of the agreement remains unclear, despite a specific query on the subject at the press conference by the two leaders. However, there is no doubting the significance and far-reaching implications of the points agreed upon by them. All this shows the complete appreciation of India's security perceptions and takes care of the irritants that have arisen in the past—be that in regard to the use of the strategic Sri Lankan port of Trincomalee, the use of foreign military personnel in Sri Lanka or the use of the Sri Lankan broadcasting services by outside powers.

Here are some of the points listed by Mr. Gandhi in his letter of today to which Mr. Jayewardene replied to confirm that it "correctly sets out the understanding reached between us".

(1) The two leaders will reach an early understanding about the relevance and employment of foreign military and intelligence personnel with a view to ensuring that such presences will not prejudice Indo-Sri Lankan relations.

(2) Trincomalee or any other ports in Sri Lanka will not be made available for military use to any country in a manner prejudicial to India's interests.

(3) The work of restoring and operating the Trincomalee oil tank farm will be undertaken as a joint venture between India and Sri Lanka.

(4) Sri Lanka's agreements with foreign broadcasting organisations will be reviewed to ensure that facilities set up by them in Sri Lanka are used solely as public broadcasting facilities and not for any military or intelligence purposes.

(5) "In the same spirit", India will (a) deport all Sri Lankan citizens who are found to be engaging in terrorist activities or advocating separatism or secessionism and (b) provide training facilities and military supplies for Sri Lankan security forces.

The letters committed India and Sri Lanka to setting up a "joint consultative mechanism" to review continuously matters of "common concern" in the light of these objectives.

Under the agreement, hostilities are to cease within 48 hours, arms are to be surrendered by the militants, and the army is to return to barracks in camps as positioned on May 25 within the subsequent 72 hours.

The Tamil majority Northern and Eastern provinces will constitute one administrative unit, with one Council, one Governor, one Chief Minister and one Board of Ministers. There is an enabling provision for a referendum by the end of next year to decide on the continuity or otherwise of the links between the two provinces.

One of the prerequisites of the referendum is the return of normal conditions to enable persons, displaced as a result of the ethnic violence, to take part in the voting. There is a built-in element of delay. The Provincial Councils, the new unit for devolution of powers, will be constituted through elections by December 31 this year.

At a simple but elegant ceremony in an amiable atmosphere, Mr. Gandhi and the Sri Lankan President, Mr. J. R. Jayewardene, appended their signatures to a six-page document, committing the two countries to a co-operative approach not only in regard to the limited issue of resolving the ethnic problem but also in a much wider concept. The vastness of its sweep and the boldness of its approach did not go unnoticed.

The agreement, the letters exchanged by Mr. Gandhi and Mr. Jayewardene — and their responses at the press conference — reflected the joint resolve of the two countries to make a good job of the new approach, a dramatic, but welcome reversal of the trend of hostility. Even though the Sri Lankan Prime Minister, Mr. Premadasa, and at least two other Ministers boycotted the signing ceremony — as was the case earlier at the formal reception to Mr. Gandhi — Mr. Jayewardene appeared as enthusiastic about the agreement as Mr. Gandhi. And there was no dearth of rhetoric. As Mr. Gandhi said, at a reception by Mr. Jayewardene in his honour, "It is a momentous event in the history of our two countries. It heralds peace. It is a compact in the cause of brotherhood. It promises national reconciliation in Sri Lanka. It has created conditions for the return of the refugees. It has dispelled the clouds that had hovered over our relationship." "Every agreement", he said, "was an act of faith. To triumph needs unremitting toil and unflinching determination. In democracies, critics are often more vocal than supporters. It is up to us to defend this agreement and bring round its detractors".

Reagan hails accord

In a personal message to Mr. Gandhi the U.S. President, Ronald Reagan, hailed the India-Sri Lanka agreement with the hope that it would end the tragic ethnic conflict in the island nation.

Mr. Reagan particularly welcomed the commitment of both India and Sri Lanka to seeking of a peaceful solution to difficult problems, he praised the patience and persistence of the Prime Minister and his contribution to the joint efforts in search of an agreement.

With that India's stand secured the support of both the superpowers. The Soviet Union has already made known its solidarity, particularly when relief items were airdropped over Jaffna.

Text of agreement: Page 6

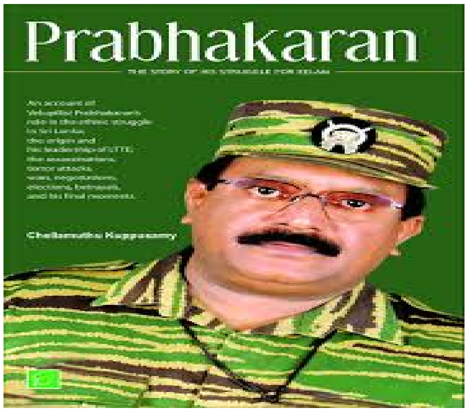

तमिल सैनिकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गार्ड आफ ऑनर के निरीक्षण के दौरान पर हस्ताक्षर के विरुद्ध हमला

लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन

सन् 2007 ई. में श्रीलंका सेना ने तमिल बाग़ियों के ख़िलाफ एक सशक्त अभियान शुरू किया। इसमें लिट्टे को छोड़कर आए कुछ बड़े नाम भी श्रीलंका सरकार से मिले हुए थे। पहले उत्तर में और फिर थोड़ा पूरब में सेना को सफलता मिली। मार्च 2009 ई. में सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ने लगी और लिट्टे के लड़ाके पीछे। पहले उत्तर की तरफ़ जाफना में सिंहली सेना का अधिकार हो गया। इससे और इससे पहले की सफलताओं से उत्साहित होकर पूरब की तरफ़ सेना का अभियान ज़ोरदार होता गया। सबसे आखिरी गढ़ मुलईतिवु के जंगल और उससे सटे मुलईतिवु कादलदलों से घिरा छोटा-सा प्रायद्वीप था जो उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित था। तीन ओर से पानी और एक तरफ़ से मिट्टी की बनाई दीवार के पार से सिंहली सेना द्वारा

बुरी तरह घिर जाने से लिट्टे मूक-सा हो गया था। 18 मई, 2009 ई. को प्रभाकरण के मारने के दावे के साथ ही इसका अस्तित्व खत्म हो गया है।

श्रीलंकाई सरकार, तमिल भाषा, संस्कृति और धर्म को मिटाने के अपने कार्यक्रम पर कथित तौर पर अभियान को चलाती रही है। उन्होनें श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा तमिल गाँवों के नाम सिंहली भाषा में बदल डालने के मामले में उनकी मदद माँगी। 89 गाँवों का नाम बदल दिया गया और 367 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। अकेले मुल्लैतिवु जिले में 148 छोटे और 13 मुख्य सेना शिविर बनाए गए हैं। अम्परिया जिले में 'पोत्थुविल' गाँव का नाम 'पोथुविला' कर दिया गया और 'थिरुकोवी' का नाम बदलकर 'श्रीकोविला' और 'थारावैकुलम' को 'थाराक्कुलम' के रूप में बदल दिया, जबकि 'वागरे' गाँव को 'वागरा' कर दिया। 'नीलावेली' बन गया 'निल्वैल्ला' और अलान्कुलम हो गया 'गेम्बुरुवेवा'। जाफना जिले में 'वाद्दु कोत्तई बन गया 'बत्ताकोते' और 'पेठुरुथोदुवा' हो गया 'पुरुथ्थिथ्ठुरै' और 'नगथीबा' का नाम बदल कर कर दिया 'नैनाथीवु' ।

2.1.3 सारांश

भारत का सबसे करीब का देश श्रीलंका दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध अनेक क्षेत्रों में रहे हैं। तमिल और सिंहली दोनों प्रजातियाँ भारत से इस द्वीप पर सैकड़ों वर्ष पहले गई थीं। आज तक दोनों प्रजातियों में यहाँ की मूल जाति होने का दावा करने की होड़ लगी हुई है। श्रीलंका भारत की स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद 1948 में स्वतंत्र हुआ। सिंहली मूल के लोग ओड़िशा के तटों से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आकर बस गए। ये लोग अधिकतर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और सिंहली भाषा बोलते थे। तमिलनाडु से आकर बसे तमिल द्रविड़ सभ्यता के थे और तमिल भाषा बोलते थे। कालांतर में ईसाई धर्म से प्रभावित लोग भी श्रीलंका में आकर बसते गए। अधिकतर सिंहली बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, जबकि तमिल हिंदू धर्म। तमिल उत्तरी श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में आकर बसे और सिंहली दक्षिण के क्षेत्रों में। आज श्रीलंका में सेना, स्वास्थ्य, राजनीति, शिक्षा, धार्मिक स्थलों, प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित संस्थानों आदि में भारतीय व्यापक रूप से काम करते देखे जा सकते हैं।

2.1.4. बोध प्रश्न

1. श्रीलंका का सामान्य परिचय देते हुए इसके इतिहास के बारे में बताइए।
2. श्रीलंका में भारतीय तमिलों के प्रवासन के इतिहास को विस्तार से बताइए।
3. श्रीलंका में दक्षिण भारतीयों के प्रवासन के संदर्भ कंगनी-मैस्त्री प्रणाली को समझाइए।
4. श्रीलंका की राजनैतिक व्यवस्था एवं तमिल समस्या को विस्तार से बताइए।
5. श्रीलंका भारतवंशीय तमिलों की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता पर एक लेख लिखिए।

2.1.5 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 1.वर्मा, दीनानाथ. (2010). अंतरराष्ट्रीय संबंध, नई दिल्ली : ज्ञानदा प्रकाशन।
2. यादव, आर.एस. (2013). भारत की विदेश नीति, दिल्ली पियर्सन।
3. Lal, Brij. V. (2007). The Encyclopedia of Indian Diaspora, ISBN 13 : 9780824831642, Page : 144-151, London : Oxford Univesity press.

4. जोशी, राम शरण एवं अन्य. (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
5. झा, डी.एन, श्रीमाली, के. मो. (1990). प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय।
6. India's Foreign Relation-2008 Documents, Bhasin, Awatar Singh, New Delhi : Public Diplomacy Division Ministry of External Affairs.
7. Wikipedia Sri Lanka

खंड -2 : समुद्रपारीय भारतीय डायस्पोरा समुदाय
इकाई-2 : प्रशांत क्षेत्र - न्यूजीलैंड

इकाई की रूपरेखा

2.2.01. उद्देश्य
2.2.02. प्रस्तावना
2.2.03. न्यूजीलैंड : एक दृष्टि
2.2.04. न्यूजीलैंड में भारतीयों का आगमन
2.2.05. न्यूजीलैंड में प्रमुख भारतीय मूल (न्यूजीलैंडर इंडियन) क्षेत्रवार प्रसिद्धि और उपलब्धियाँ
2.2.06. न्यूजीलैंडर भारतीयों की सामाजिक एवं सांगठनिक गतिशीलता
2.2.07. न्यूजीलैंडर भारतीयों की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिशीलता
2.2.08. न्यूजीलैंडर भारतीयों की राजनैतिक भागीदारी एवं गतिशीलता
2.2.09. सारांश
2.2.10. बोध प्रश्न
2.2.10. संदर्भ ग्रंथ सूची

2.2.01 उद्देश्य

1. न्यूजीलैंड के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2. न्यूजीलैंड में भारतीयों के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. न्यूजीलैंड के प्रमुख भारतीय एवं उनकी उपलब्धियों के बारे मेंजानना।
4. न्यूजीलैंड में भारतीयों की सामाजिक सांगठनिक गतिविधियों को जानना।
5. न्यूजीलैंड में भारतीयों की धार्मिक–सांस्कृतिक गतिशीलता को समझाना।
6. न्यूजीलैंड की राजनीति एवं प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को जानना।

2.2.02 प्रस्तावना

वर्तमान समय में न्यूजीलैंड में जो भारतीय समुदाय हैं उसके गठन में भारतीय मूल के कई धाराओं के लोगों की हिस्सेदारी है। इन धाराओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं : भारत से प्रत्यक्ष पहुँचने वाले, एंग्लो-इंडियन, फिजी से आने वाले इंडो-फीजियन। इन्हीं भारतीयों की पीढ़ियों के लोगों ने अपने कठिन परिश्रम से वाणिज्य-व्यापार, प्रशासन, कला, खेल और राजनीति में उच्च स्थान हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यूजीलैंड में भारतीयों के सामान्य जीवन का परिचय प्राप्ति के साथ उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता के उन पहलुओं को समझने का प्रयास किया जाएगा जिसके कारण आज उनकी पहचान न्यूजीलैंडर भारतीय के रूप में होती है।

2.2.03 न्यूजीलैंड : एक दृष्टि

न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के संस्थापक सदस्यों में एक और 1931 से राष्ट्रमंडल का सदस्य भी है। न्यूजीलैंड के ही सर डॉन मैकिनन, राष्ट्रमंडल के 2000-08 तक सेक्रेटरी जनरल रहे। न्यूजीलैंड मुख्यत् कई द्वीपों से बना है जिनमें प्रमुख हैं : उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप। इसके अलावा कई द्वीप है जो उपजाऊ हैं। न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया के 1600 कि.मी. पूर्व में है। वनौतू और टोंग अन्य पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड में बसने वाले प्रमुख नृजातीय जन समूह – न्यूजीलैंड, यूरोपियन, माओरी, चीनी, सामोन, भारतीय, ग्रीनलैंडर, सारडीनियन और लैटिन अमेरिकन क्रियोल हैं। 1907 में न्यूजीलैंड डोमिनियन बना और 1931 में वेस्ट मिनिस्टर का स्टैट्स प्राप्त किया।

जनसंख्या, 2017

कुल : 45,96817, पुरुष : 2258303 (49.1 प्रतिशत) महिला : 2338514 (50.9 प्रतिशत)।

कार्यालय की भाषा – अंग्रेजी, माओरी।

मुद्रा-न्यूजीलैंड डॉलर (NZ$)।

भौगोलिक क्षेत्र - 270,500 वर्ग की.मी.।

समुद्री सीमा - 15,130 किलो.मी.।

राजधानी – वेलिंगटन।

जनसंख्या घनत्व – 17/वर्ग कि. मी.।

जनसंख्या (नृजातीय) 2006 के अनुसार :

यूरोपियन मूल- 2,609,592 (65 प्रतिशत)।

पोलिनेशियन (माओरी)—565,329 (14 प्रतिशत)।

प्रशांत क्षेत्र के द्वीप से पोलिनेशीयन तक—265,974 (6.6 प्रतिशत)।
(जिसमें सामोआ 131,103)।
कूक द्वीप (56,895)।
टोंगा द्वीप (50,478)।
चीनी (139,728 (3.5 प्रतिशत)।
भारतीय (97,443 (2.4 प्रतिशत)।

न्यूजीलैंड का प्रमुख शहर और उसकी जनसंख्या

शहर	जनसंख्या
वेलिंगटन	190,065
ऑकलैंड	427,110
मानुकाउ	401,883
क्राइस्ट चर्च	353,349
हेमिल्टन	170,571
तौरंगा	120,414
डुनेदिन	112,032
वेलिंगटन	97,653
नेल्सन	60,561
नेपियर	58,221
रोटोरुआ	53,265
न्यू पोलीमाउथ	52,695
पोरिरुआ	51,537

धर्म के अनुसार जनसंख्या (2013) : क्रिश्चन- 60 प्रतिशत, इसके अंतर्गत- रोमन कैथोलिक- 12 प्रतिशत, एंग्लिकन– 11 प्रतिशत, सबाइटेरियन— 8 प्रतिशत, मेथोडिस्ट – 2 प्रतिशत, हिंदू 2 प्रतिशत बुद्धिस्ट- 1.4 प्रतिशत

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता:

1. एशिया–पेसिफिक इकोनोमिक कॉपरेशन।
2. ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट।
3. पेसिफिक कम्युनिटी।
4. पेसिफिक आइलैंड फोरम।
5. संयुक्त राष्ट्र संघ।
6. विश्व व्यापार संगठन।

2.2.04. न्यूजीलैंड में भारतीयों का आगमन

भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के समय कृषि के वाणिज्यीकरण, लगान की बढ़ोतरी और जोतों की बटाई के कारण भूमि की कमी आदि ग्रामीण स्तर पर होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति ख़राब होती गई और ऐसे ही हालात में अपने जीवन को चलाने एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु वे अपने देश से बाहर प्रवासित होने पर मजबूर हुए। ऐसे ही किसानों में शामिल थे- पंजाब के जाट, मुंबई और गुजरात के कोली (जो बाद में पटेल बन गए) जो न्यूजीलैंड की ओर प्रवासित हुए। 1853 ई. में भारत के गोवा से न्यूजीलैंड आने वाले एडवार्ड पीटर थे।

भारत की स्वतंत्रता के बाद वे आंग्लो-इंडियन जिनका नस्लीय भेदभाव के कारण इंग्लैंड में प्रवेश सम्मानजनक नहीं था, वे प्रवासित होकर आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में प्रथम आने वाले भारतीयों में पंजाबी और गुजराती थे। गुजराती, गुजरात के नवसारी और वाड़डोली गाँव से जबकि पंजाबी जालंधर और होशियारपुर जिले से थे। 1980 ई. के बाद फीजी से भारतीयों का आगमन बहुत अधिक संख्या में हुआ। भारतीयों का न्यूजीलैंड में पहला संपर्क यहाँ के मूल निवासी माओरी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज द्वारा लाए जाने के बाद हुआ। न्यूजीलैंड में भारतीय डायस्पोरा का जन्म दो पंजाबी भाइयों- वीर सिंह गिल और फूमन सिंह गिल के कारण संभव हुआ, जो 1890 ई. में आस्ट्रेलिया होते हुए न्यूजीलैंड पहुँचे थे। फूमन अंग्रेज नर्स से विवाह करके न्यूजीलैंड में बस गया। गुजरातियों का आगमन व्यापारिक रूप में 1903 ई. में हुआ। ये गुजराती व्यापारी नरोत्तम बारबर, केशव छिपा, गुलाब और माकन जीवन थे।

1899 ई. में 'इमिग्रेशन रेजिस्ट्रेशन एक्ट', न्यूजीलैंड में भारतीय एवं अन्य एशियाईयों के अप्रवासन को रोकने के लिए पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा न्यूजीलैंड में प्रवेश के लिए अंग्रेजी की जाँच परीक्षा पास करना आवश्यक बना दिया गया।

न्यूजीलैंड पहुँचने वाले गुजराती और पंजाबी समुदाय प्रारंभ में दुकानदारी तथा तरह-तरह के व्यापार में संलग्न थे। 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में पढ़े डॉ. बलदेव सिंह शारे, न्यूजीलैंड आए (1920) और यहीं बस गए। आज बहुत सारे सिख/पंजाबी न्यूजीलैंड में डेयरी व्यापार में संलग्न हैं।

1967 ई. और 1987 ई. के दौरान इंडो-फिजीयन को फिजी और न्यूजीलैंड के सरकार के बीच समझौता वार्ता के तहत कृषि, घरेलू, मजदूरी आदि के लिए न्यूजीलैंड में आने की अनुमति मिली। 1972 के बाद करीब 443 भारतीयों ने युगांडा से आकर न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी के रूप में शरण प्राप्त की। 1987 ई. के इमिग्रेशन एक्ट के तहत इंडो-फिजीयन को न्यूजीलैंड में प्रवेश मिला।

2016 के सेंसर के अनुसार, न्यूजीलैंड में भारतीयों की जनसंख्या में 48% की वृद्धि हुई, जबकि चीनी जनसंख्या में 16% प्रतिशत की वृद्धि हुई। इंडियन न्यूजीलैंडर (भारतीय मूल के लोग न्यूजीलैंड में) न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या का 4.04% (2015 के अनुसार)

न्यूजीलैंड में भारतीयों की जनसंख्या क्षेत्रवार		
क्रम सं	**क्षेत्र**	**जनसंख्या**
1	ऑकलैंड	146,500
2	वेलिंगटन	17,450
3	वाइकाटो	5,600
4	वे ऑफ प्लेंटी	4,352
5	केंटरबरी	3,560
6	मानाबातू वांगानूई	1,708
7	हवके’ज वे	1,450

भारतीयों के बीच प्रचलित भाषाएँ :- हिंदी, गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, मराठी, फिजी हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी। इंडो-फीजियन लोग फिजी हिंदी का प्रयोग करते हैं।

भारतीयों के धर्म :- हिंदू (53. प्रतिशत), सिर्ख(12.5 प्रतिशत), इस्लाम (10.8 प्रतिशत), क्रिश्चन, जोरास्ट्रियन, जैन और बौद्ध। न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या फिजी से आने वाले भारतीयों की है। न्यूजीलैंड में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ‘फिजी हिंदी’ की है। (जनगणना 2013)

न्यूजीलैंड में भारतीय धार्मिक पंथों से जुड़े संस्थाएँ:

हिंदू :

- सत्य साई सर्विस ऑर्गनाइजेशन
- सुब्रमनियम मंदिर
- भारतीय मंदिर
- महात्मा गांधी सेंटर
- श्री स्वामी नारायण मंदिर
- हरे कृष्णा मंदिर

सिख :

- पंजाबी एसोसिएशन
- न्यूजीलैंड सिख सोसाइटी ऑकलैंड शाखा

इस्लाम :

- इस्लामिक रिसोर्स सेंटर
- इस्लामिक सेंटर साऊथ ऑकलैंड
- इस्लामिक सेंटर और जामा मस्जिद
- रानाई मस्जिद

न्यूजीलैंड के बहुसांस्कृतिक एवं नृजातीय समाचारपत्र

- कोरियन पोस्ट, कोरियन टाइम्स और गुड्डे : कोरियन भाषा का समाचारपत्र
- पंजाबी हेराल्ड कुक पंजाब समाचार: पंजाबी भाषी समाचार पोर्टल

- इंडियन कमुनिटी समाचारपत्र

www.punjabiherald.co.nz

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੜੀ ਗਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 267 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ

–ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਕੀਕੁਈ ਤੱਕ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ

– ਪਾਪਾਕੁਰਾ, ਡਰੂਰੀ, ਪਾਇਰਾਟਾ ਅਤੇ ਪੁੱਕੀਕੁਈ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ 21000 ਨਵੇਂ ਘਰ

ਔਕਲੈਂਡ 6 ਅਗਸਤ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ)– ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਰੋਕੜੀ ਗਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਇਮਨ ਬ੍ਰਿਜਸ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ 267 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਕੀਕੁਈ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਰ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸਟਫੀਲਡ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਲਡ

Punjabi *Herald*

ONLINE PUNJABI NEWS WEBSITE

"ASSUME A VIRTUE, IF YOU HAVE IT NOT

2.2.05 न्यूजीलैंड में प्रमुख भारतीय मूल(न्यूजीलैंडर इंडियन) क्षेत्रवार प्रसिद्धि और उपलब्धियाँ

:

क्रम सं	नाम	प्रसिद्धि और उपलब्धियाँ क्षेत्र
1	सुखविंदर(सुखी) टर्नर	राजनीति एवं स्थानीय प्रशासन - मेयर, दुनेदीन (1995-2004)
2	आनंद सत्यानन्द	राजनीति और प्रशासन : वकील, न्यायाधीश, भारतीय मूल के पहले पूर्व गवर्नर-जनरल, नियुक्ति 23 अगस्त, 2006)
3	अर्जीत स्वर्ण सिंह	जिला न्यायाधीश
4	राजेन प्रसाद	प्रशासन : पूर्व रेस रिलेशन आयुक्त और परिवार आयुक्त, सांसद 2008 से
5	असरफ चौधरी	राजनीति : पूर्व सांसद (2002- 2011)
6	महेश बिंद्रा	राजनीति, सांसद
7	कंवल बक्शी	2008 से सांसद

8	रेवेका सिंह	मिडिया : न्यूजीलैंड टेलीविजन की समाचार प्रस्तोता, TV3 से संबंध
9	वनिता प्रसाद	मीडिया : मुख्य संवादाता।
10	रोहित कुनार हैपी	मिडिया : संपादक, भारत दर्शन हिंदी लिटरेरी मैगजीन।
11	आराधना पटेल	मनोरंजन : कलाकार
12	जैकोब राजन	नाट्य लेखक, कलाकार, प्रमुख कार्य 'कृष्णा की डायरी'
13	मेडेलिन सामी	फिजी भारतीय और आयरिश हेरिटेज से संबंधित कलाकार
14	शैलेश प्रजापति	कलाकार
15	दीपक नरसीभाई पटेल	खेल : क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए 37 टेस्ट और 75 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला।
16	जीतन पटेल	न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन बालर।
17	इश सोढ़ी	स्पिन बालर, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम
18	रॉय कृष्णा	फीजियन फुटबॉल खिलाड़ी जो वर्तमान में बेलिंगटन फ़िनी-टीम के लिए खेलते हैं।
19	जेलाल कल्याण जी नटाली	संपादक, व्यापारी, संगठनकर्ता

जेलाल कल्याणजी नटाली (1899-1993) :

जेलाल कल्याणजी नटाली, न्यूजीलैंडर भारतीय समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। वे प्रसिद्ध उद्यमी थे, जिन्होंने 'न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' के लिए काम किया और न्यूजीलैंड के साथ-साथ दक्षिण-अफ्रीका और फीजी में रहने वाले भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए रास्ते बताए।

इनका जन्म 1899 ई. में रंदर, सूरत, भारत में हुआ। उनके पिता धोबी थे जो नटाल प्रवासित होकर, नटाली उपनाम को अपना लिया, परंतु जेलाल अन्य गुजराती व्यापारिक समुदायों के साथ 1920 ई. में ऑकलैंड, न्यूजीलैंड आ पहुँचे। यहाँ वे स्थानीय भारतीय समुदाय के बीच सक्रिय हुए, क्योंकि भारत में उनकी अंग्रेजी में शिक्षा हुई थी और वे वहाँ क्लर्क का कार्य कर चुके थे।

1921 ई. में जेलाल **'आर्योदय'** नामक पत्रिका के संपादक बने। यह स्थानीय गुजराती समाचार पत्र था। 1923 ई. और 1950 ई. में 'ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन' के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। 'ऑकलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' के प्रेसीडेंट के रूप में (1939-40, 1948-51 और 1954-59) तक नटाली ने बहुत अवसरों पर विदेशों में बसने वाले भारतीय समुदाय के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 'व्हाइट न्यूजीलैंड लीग', न्यूजीलैंड की एशियाई अप्रवासन, भारतीय समुदाय के रोजगार और व्यापार के विरुद्ध अपनाई गई नीतियों का जमकर विरोध किया। नटाली ने भारतीय संस्कृति के रूढ़िवादी तत्वों की आलोचना करते हुए न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय को भी आधुनिक बनने की सलाह दी।

नटाली अपनाए गए देश के लिए देश भक्त भी रहे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपने प्रयास से तथा भारतीय समुदायों को अपील की कि अधिक-से-अधिक धन के द्वारा न्यूजीलैंड सरकार को दान देकर मदद करें। भारतीय समुदाय और माओरी एवं पकेहा समुदाय की मदद के लिए 1986 में उन्हें 'क्वींस सर्विस मेडल' से नवाजा गया। उनके कार्यों और योगदान के लिए 'न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' और 'ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन' ने उन्हें आजीवन सदस्यता प्रदान की।

नटाली ने अपने जीवन की शुरुआत रोटोरुआ में एक होटल से की। बाद में किंग कंट्री में जनरल स्टोर चलाई और भूमि के व्यापार से जुड़कर काफी समृद्ध हुए। काटे बिसले जोकि एक अंग्रेज अप्रवासित थी, से उन्होंने 1922 ई. में विवाह किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वे ऑकलैंड में बस गए। नटाली का नाम न्यूजीलैंड के करोड़पतियों में शुमार था। इनकी मृत्यु 1993 ई. में हुई। न्यूजीलैंडर भारतीय नटाली को अपना पथप्रदर्शक मानते हैं।

आनंद सत्यानंद– (जन्म 22 जुलाई, 1944 ई.) वे वकील, न्यायाधीश, न्यूजीलैंड के 19 वें गवर्नर और अंबडसमैन थे। वे वर्तमान में पपुआ, न्यू गिनी में होने वाले चुनाव के एक पर्यवेक्षक टीम के सदस्य हैं।

उनका जन्म 1944 में ऑकलैंड में एक इंडो-फिजीयन परिवार में हुआ। इनके दादा जी 1911 में भारत से फीजी आए और वे सरकारी अनुवादक का कार्य करते थे। इनके पिता डॉ. मुप्याला सत्यानंद 1927 में न्यूजीलैंड आए और माता सुवा से न्यूजीलैंड एक नर्स के रूप में आई। 1940 में इनकी शादी न्यूजीलैंड में हुई। सत्यानंद ने कानून पढ़ा, वकील, न्यायाधीश और अंबडसमैन का कार्य करते हुए 2006 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क की सलाह पर न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर्स्जनरल के साथ-साथ पहले रोमन केथोलिक गवर्नर-जनरल थे। उनका कार्यकाल न्यायधीश के रूप में (1982- 22 अगस्त, 2006 तक) तथा गवर्नर-जनरल के रूप में (23 अगस्त, 2006 से 2011 तक) रहा।

2.2.06. न्यूजीलैंडर भारतीयों की सामाजिक एवं सांगठनिक गतिशीलता:

भारतीयों के साथ न्यूजीलैंड में भेदभाव ने उन्हें समूह बनाने पर विवश किया। 1918 ई. में 'द ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना नस्लभेद का विरोध करने के लिए बनाया गया। इसी प्रकार 'द न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' का निर्माण 1927 ई. में 'व्हाइट न्यूजीलैंड लीग' के नस्लभेदी नीति और कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए किया गया। इंद्र सिंह रंधावा इसके पहले सचिव बने। इन भारतीय संगठनों ने भारतीय समुदाय को कठिन समय में सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग दिया। साथ ही चंदा संग्रह करके सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए भवनों का निर्माण किया। पुकेकोहे एसोसिएशन द्वारा 1953 में 'नेहरु हॉल' 1954 ई. में और वेलिंगटन के भारतीयों के द्वारा 1959 में 'भारत भवन' बनाया गया। इंडो-फिजीयन द्वारा अलग संगठन बनाया गया। इसका पहला उदाहरण है- 'इंडिया सन्मार्ग एक्य संगम' (TISI) ऑकलैंड में, 1889 'थिरी सुब्रमन्यार टेम्पल', 2002 में हरीश चंद्र कोविल, ऑकलैंड में बनाया गया। हरीश चंद्र कोविल हिंदुओं की अंत्येष्टि के लिए बना। जबकि अन्य इंडो-फिजीयन संगठन जिसमें अधिकांश दक्षिण भारतीय मूल के लोग हैं का मूल उद्देश्य, दक्षिण भारतीय तथा इंडो-फीजियन और भारतीय कला, संस्कृति, भाषा आदि को प्रोत्साहन देने का कार्य करना था। 'न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' के प्रथम प्रेसीडेंट सदानंद एन. महाराज थे।

1980 ई. के बाद फीजी से भारतवंशियों के न्यूजीलैंड में प्रवासन के बाद भारतीय समुदाय से संबंधित बहुत सारे संगठनों का जन्म हुआ। जिनमें कुछ प्रमुख हैं- 'न्यूजीलैंड तमिल सोसाइटी', 'न्यूजीलैंड तेलगू एसोसिएशन', 'फीजी भारतीय सतसंग मंडल', 'मराठी एसोसिएशन', 'न्यूजीलैंड कण्डा कुटा', 'गाँव ओवरसीज एसोसिएशन' न्यूजीलैंड तथा 'रामायण संस्था' आदि। उपरोक्त सभी संगठनों के द्वारा कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा कुछ नेटवर्क के रूप में फिजी से न्यूजीलैंड अप्रवासन को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं।

1970 के बाद न्यूजीलैंड की महिलाओं के कुछ प्रमुख संगठन अस्तित्व में आए, जिनमें कुछ प्रमुख हैं : 'महिला समाज ऑकलैंड, न्यूजीलैंड मातृ संगम, दक्षिण भारतीय महिला संगठन आदि। घरेलू हिंसा तथा अन्य प्रकार के महिलाओं से जुडी समस्याओं के लिए शक्ति एशियन ग्रुप, 1995 में बनाया गया।

उपरोक्त सभी संगठन भारतीय भाषाओँ, संस्कृति को संरक्षित करने के कार्य के साथ-साथ उसे प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं।

न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय का बहुप्रसिद्ध एवं बहुप्रतीक्षित वेबसाईट www.indiannewslink.co.n3 को 1999 में लॉन्च किया गया। गुजराती समाचार पत्र '**आर्योदय**', 1921 ई. तथा **'उदय'** 1933-35 ई. में प्रकाशित हुआ। 1950 ई. के दशक से हिंदी फ़िल्मों का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के सिनेमाघरों में प्रारंभ हुआ।

न्यूजीलैंड के भारतीय क्रिकेट और हॉकी के खेल में काफी रुचि लेते हैं। 1960 के दशक में 'न्यूजीलैंड भारतीय स्पोर्ट एसोसिएशन' बनाया गया। 1970 के दशक में 'महिला स्पोर्ट एसोसिएशन' बनाया गया। रमेश पटेल, मोहन पटेल और दीपक पटेल अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी रहे हैं।

2.2.07 न्यूजीलैंडर भारतीयों की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिशीलता :

भगवदगीता की कक्षाएँ 1926 ई. में वेलिंगटन तथा ऑकलैंड में 1935 में प्रारंभ हुआ। ऑकलैंड में 1964 में धार्मिक कर्मकांड तथा धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों के लिए 'संस्कार केंद्र' की स्थापना की गई। दीपावली, नवरात्रि गुजराती परिवारों के लिए जबकि बैसाखी, पंजाबी परिवारों के लिए महत्त्वपूर्ण पर्व हैं। पुराने भारतीय स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्म दिन सामूहिक रूप में मनाते थे। 1980 के बाद धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने के लिए मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। भूमंडलीकरण के बाद साधू-संन्यासी, योगियों आदि का न्यूजीलैंड में जाना प्रारंभ हुआ। 1990 ई. के दशक में महात्मा गांधी केंद्र, ऑकलैंड में राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया गया।

ऑकलैंड में अन्य धार्मिक स्थल हैं : भारतीय मंदिर (1993), कुरिंजी कुमारन मंदिर(1992), मुरुगन मंदिर(1995) आदि। धर्म से जुड़े कई संगठन जैसे- हिंदू काउन्सिल ऑफ न्यूजीलैंड, द न्यूजीलैंड हिंदू टेंपल सोसाइटी, द वैदिक ट्रस्ट ऑफ न्यूजीलैंड (आर्य समाज), श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी-नारायण संस्था, रामायण संस्था आदि। न्यूजीलैंड के भारतीय कई धार्मिक परिवारों से भी जुड़े हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। जिनमें प्रमुख हैं : सत्य साईं बाबा, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय परिवार, गायत्री परिवार, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसीयसनेस आदि। जनगणना 2001 के अनुसार, कुल भारतवंशियों में 32,964 को हिंदू के रूप में पहचाना गया।

1977 ई. में पहला गुरुद्वारा, बायकाटों (न्यूजीलैंड का सुदूर दक्षिणी भाग) में बना। 1984 ई. के बाद भारत में हुई सिख दंगों की घटना सिखों में धार्मिक एकता को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। 1987 ई. और 1989 ई. में अमृत संस्कार (खालसा में प्रवेश की क्रिया) न्यूजीलैंड में किया गया।

न्यूजीलैंड में भारतीय मुसलमान तथा इंडो-फिजीयन मुसलमानों की भी संख्या पर्याप्त है। मुसलमान गुजराती व्यापारी जैसे- खोजा, बोहरा, इस्माईल आदि न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में हैं। न्यूजीलैंड में गुजराती सुन्नी बोहरा मोहम्मद कारा, इस्माईल, भिकू, जोसेफ मूसा के वंशज माने जाते हैं। 1950 ई. में गुजराती मुसलमानों का संगम न्यूजीलैंड मुस्लिम एसोसिएशन तथा 1957 ई. में इस्लामिक सेंटर, ऑकलैंड में बना। 1980 ई. में ऑकलैंड में पहला मस्जिद बना। 1985 ई. में क्राइस्ट चर्च में बहुत सारे न्यूजीलैंडर भारतीय तथा न्यूजीलैंड आने वाले इंडो-फीजियन भारतीय इसाई भी हैं।

2.2.08. न्यूजीलैंडर भारतीयों की राजनैतिक भागीदारी एवं गतिशीलता

भारतीय न्यूजीलैंड में बहुसांस्कृतिक समाज में रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हैं। न्यूजीलैंड के लगभग सभी भारतीय लेबर पार्टी के समर्थक हैं। सुखी टर्नर, 1973 में न्यूजीलैंड आने वाली भारतीय थीं, जो 1992 में डुनेदीन की पहली भारतीय मूल की मेयर बनी। 2004 में सुखी टर्नर 'प्रवासी भारतीय सम्मान' पाने वाली न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की महिला बनी। 2004 में डॉ. अशरफ चौधरी न्यूजीलैंड संसद के पहले सांसद बने।

माओरी और पाकेहा न्यूजीलैंड के मूलनिवासी हैं। न्यूजीलैंड के माओरी एशियन और पेसिफिक आइसलैंडर की जनसंख्या यूरोपीय समुदाय की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

2001 में भारतीय लोग दूसरे बड़े नृजातीय समूह थे। न्यूजीलैंड के भारतवंशियों में धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिकता के मुद्दे पर तनाव देखने को मिल जाता है। न्यूजीलैंड का 'विल ऑफ राइट' (1990), धर्म के पालन और प्रसार, धार्मिक कृत्य की आजादी देता है, परंतु 2005 में सिख समुदाय द्वारा सार्वजनिक जगहों पर कृपाण रखने की जिद ने विवाद पैदा किया। न्यूजीलैंड के सभी भारतवंशी कई नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से मिलकर बने हैं और सबके अपने हित एक साथ रहने से टकराते हैं। सभी भारतीयों के बीच एकता बनाए रखने के लिए 'द न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' बनाया गया जो भारतीयों के सभी समूहों की स्वतंत्र पहचान के साथ एकता के लिए काम कर रहा है। इसकी एकता से संबंधित प्रयासों में प्रथम कार्य भारतीय त्योहारों को मनाना है। इसी कोशिश के फलस्वरूप 'द एशियन न्यूजीलैंड फाउनडेशन' दीवाली पर्व का प्रमुख स्पांसर बना। साथ ही भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों यथा : गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस आदि भी मनाया जाना प्रारंभ हुआ। न्यूजीलैंड में आने वाली इंडो-फिजीयन समुदाय की नई पीढ़ी अपने को भारतीय पहचान से जोड़ती है। इनकी पुरानी पीढ़ी न्यूजीलैंड में भी अपने घर की भाषा के रूप में 'फीजी हिंदी' ही बोलती है।

1984 से न्यूजीलैंड में भारतवंशीय अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा का ज्ञान देने के लिए ऑकलैंड के 'गांधी ग्रंथ गुजराती विद्यालय द्वारा 'संडे स्कूल' को स्थापित किया है।

न्यूजीलैंड के गोरे यूरोपीय लोगों का संगठन 'द व्हाईट न्यूजीलैंड लीग' के द्वारा भारतीय समुदाय के प्रति नस्लीय भेदभाव की गतिविधियों का इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया द्वितीय द्वारा भी विरोध किया गया। लीग की नस्लवादी गतिविधियों के विरोध में ही इंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व में 1926 ई. में 'न्यूजीलैंड इंडियन सेंट्रल एसोसिएशन' का गठन किया गया।

2.2.09 सारांश

अलग अलग काल और परिस्थितियों में न्यूजीलैंड पहुँचने वाले भारतीय मूल के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने विकास के साथ-साथ न्यूजीलैंड के बहुआयामी विकास में सक्रिय योगदान दिया है। उन्हीं प्रमुख भारतीयों में शामिल हैं आनंद सत्यानंद जिन्हें न्यूजीलैंड में भारतीय मूल का पहला गवर्नर जनरल बनने का मौका मिला। कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भारतीय बने। साथ ही फिजी में जब भारतीयों के समक्ष राजनीतिक और आर्थिक संकट उपस्थित हुआ तो न्यूजीलैंड ने उन सभी इंडो-फिजीयन लोगों का स्वागत किया, जो न्यूजीलैंड में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें विकसित होने का मौका दिया। इस के अध्ययन से न्यूजीलैंड में बसने वाले सभी भारतीय समुदाय जिसे 'न्यूजीलैंडर इंडियन' कहा जाता है, से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को समझने का मौका मिला।

2.2.10 बोध प्रश्न

1. न्यूजीलैंड का सामान्य परिचय दीजिए।
2. न्यूजीलैंड में भारतीयों के आगमन के बारे में बताइए।
3. न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दीजिए।
4. न्यूजीलैंड में भारतीयों की सामाजिक सांगठनिक गतिविधियों के बारे में समझाइए।
5. न्यूजीलैंड में भारतीयों की धार्मिक–सांस्कृतिक गतिशीलता को विस्तार से बताइएं।
6. न्यूजीलैंड की राजनीति एवं प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताइए।

2.2.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लाल बी.वी., रीव्स पी., और राय आर. (संपा.). (2006). द एनसॉयक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ISBN 9780824831642।
2. Leckie, J. V. 'They sleep standing up : Gujaratis in New Zealand 1945'. PhD thesis, Otago, 1981.
3. Mountjoy, L. 'An immigrant's tale'. New Zealand Listener. 18 June1988 : 87.
4. Tiwari, K. N., ed. Indians in New Zealand. Wellington, 1980.
5. Lecque, Jacqueline, December 2014, Anand Satyanand : A Prominent son of Indian Diaspora, *New Zealand Journal of Asian Studies*, 31-46.
6. New Zealand Wikipedia. For History, Climate.

खंड - 2 : समुद्रपारीय भारतीय डायस्पोरा समुदाय
इकाई-3: कैरेबियन क्षेत्र - गुयाना और सूरीनाम

इकाई की रूपरेखा

2.3.01. उद्देश्य

2.3.02. प्रस्तावना

2.3.03. गयाना/गुयाना : परिचय

2.3.03.01. गुयाना की जनांकिकी प्रोफाइल(इंडो-गायनिज संदर्भ), 2017

2.3.03.02. इंडो-गयानिज का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन

2.3.03.03. इंडो-गयानिज लोगों की भारत से अपेक्षाएँ

2.3.04. सूरीनाम : परिचय

2.3.04.01. सूरीनाम की जनांकिकी प्रोफाइल(इंडो-सूरीनामी संदर्भ), 2017

2.3.04.02. सूरीनाम में भारतीयों का आगमन : अनुबंधित श्रमिक रूप में

2.3.04.03 अनुबंध काल की समाप्ति और इंडोसूरीनामी डायस्पोरा के रूप में उद्भव

2.3.04.04. सूरीनामी भारतीय समुदाय की राजनैतिक गतिविधियाँ

2.3.04.05. इंडो-सूरीनामी : सामाजिक-सांस्कृतिक एवं भाषाई गतिशीलता

2.3.05. सारांश

2.3.06. बोध प्रश्न

2.3.07. संदर्भ ग्रंथ सूची

2.3.01. उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. गुयाना और सूरीनाम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2. गुयाना और सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. गुयाना के प्रमुख भारतवंशी एवं उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानना।
4. गुयाना में इंडो-गयानिज की सांस्कृतिक गतिविधियों को जानना।
5. सुरीनामी भारतीयों की सांस्कृतिक और भाषाई गतिशीलता को समझाना।
6. सूरीनाम की राजनीति एवं प्रशासन में भारतवंशी समुदाय की भागीदारी को जानना।

2.3.02. प्रस्तावना

कैरेबियन क्षेत्र के देशों में यूरोपीय शक्तियों के अधिकार के बाद गन्ने के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय किसानों, मजदूरों को अनुबंध पर पाँच साल के लिए ले जाया गया। इन भारतीयों ने अपने कड़े परिश्रम से इन देशों को समृद्ध किया और साथ ही अपने को मजदूरी की अवस्था से ऊपर उठाकर जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की। राजनीति के क्षेत्र में तो ये भारतवंशी उस देश के शीर्ष पर पहुँचे। इन देशों में इन्हें नस्लीय भेद भाव का भी सामना करना पड़ा। इन भेदभाव को सहते-झेलते हुए वे उन गंतव्य देश की समृद्धि के लिए कार्य करते रहे। प्रस्तुत अध्ययन में कैरेबियन क्षेत्र के (मुख्यतः गुयाना

और सूरीनाम) के भारतवंशियों की इन्हीं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों और उपलब्धियों की चर्चा की जाएगी।

कैरेबियन क्षेत्र : कैरेबियन क्षेत्र के देशों में प्रमुख है : कोलंबिया, कोस्टारीका, क्यूबा, गुयाना, जमैका, डोमनिक गणराज्य, निकारागुआ, पनामा, वेनेजुएला, सूरीनाम और त्रिनिदाद-टोबैगो आदि। प्रस्तुत अध्ययन में इस क्षेत्र की भारतीय जनसंख्या बहुल दो देशों : 1. गयाना/गुयाना एवं 2. सूरीनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

2.3.03. गयाना/गुयाना : परिचय

'गयाना' शब्द का अर्थ है- बहुजल स्रोतों की भूमि। यहाँ चार बड़ी नदियाँ हैं - एसिकीबो, डेमरारा, बर्बीस तथा कोरंटीन। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला है। गयाना की जलवायु समशीतोष्ण है और मुख्य पैदावार गन्ना और धान है। गयाना अमेरिका के दक्षिण में अटलांटिक महासागर की एक शाखा कैरेबीयाई सागर पर स्थित है इसलिए इसकी गिनती कैरेबीयाई देशों में भी होती है। (पुष्पिता, 2015 : 175) गयाना या गुयाना दक्षिणी अमरीका में एक देश है। इस का आधिकारिक नाम- 'कॉपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना' है। यह दक्षिण अमरीका के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ी जनसंख्या भारतीय लोगों की है। यहाँ भारतीय लोगों को अंग्रेजों के शासन काल में लाया गया। इस देश पर सबसे पहले हॉलैंड ने और फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया और इसका नाम 'ब्रिटिश गुयाना' रख दिया। गयाना को ब्रिटेन के 200 वर्षों के शासन से 26 मई, 1966 ई. को आजादी मिली और 23 फ़रवरी, 1970 ई. को यह गणराज्य बना। यहाँ की शासकीय भाषा अंग्रेज़ी है।

2.3.03.01. गुयाना की जनांकिकी प्रोफाइल (इंडो-गयानिज संदर्भ), 2017

जनसंख्या	735,909
नृजातीय जनसंख्या	**East Indian** 39.8%, **Black** (African) 29.3%, **mixed** 19.9%, **Amerindian** 10.5%, other 0.5% (includes Portuguese, Chinese, white) (2012 est.)
धार्मिक जनसंख्या	**Protestant** 34.8% (Pentecostal 22.8%, Seventh Day Adventist 5.4%, Anglican 5.2%, Methodist 1.4%), **Hindu** 24.8%, **Roman Catholic** 7.1%, **Muslim** 6.8%, Jehovah's Witness 1.3%, Rastafarian 0.5%, other Christian 20.8%, other 0.9%, none 3.1% (2012 est.)
भाषा	English (official), Guyanese Creole, Amerindian languages (including Caribbean and Arawak languages), Indian languages/Purania Hindi (including Caribbean Hindustani, a dialect of Hindi), Chinese (2014 est.)

Source: CIA World Fackbook, July 9, 2017

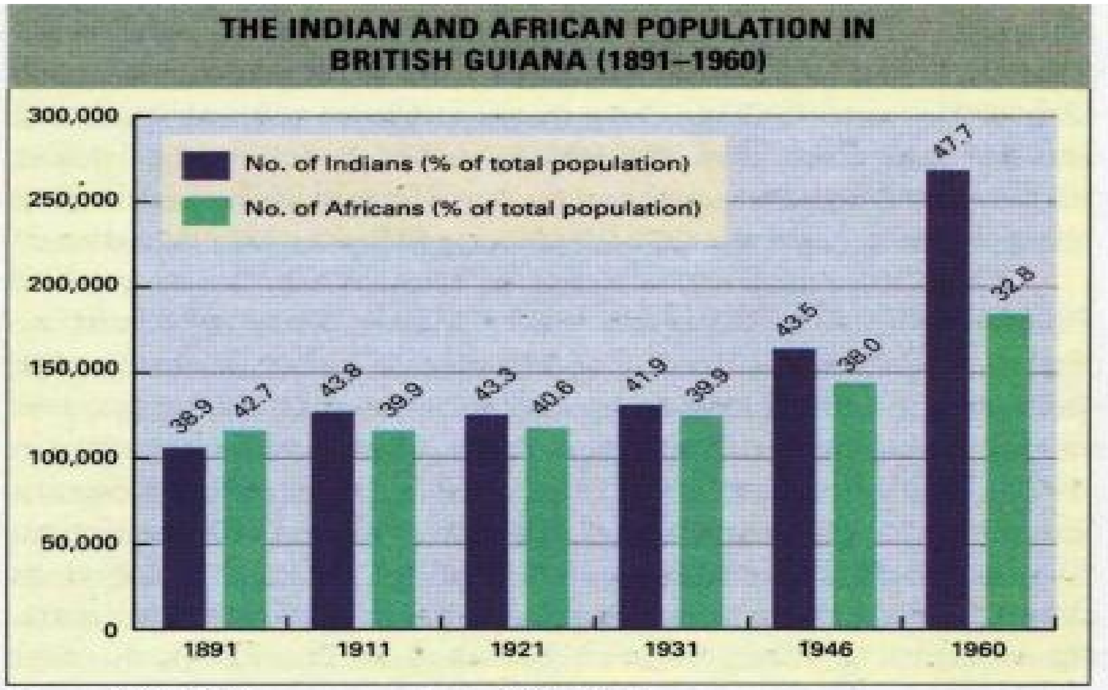

Source: British Guiana, census reports, 1891–1960.

गुयाना/गयाना, कैरेबियन देशों में त्रिनिदाद और टोबैगो तथा सूरीनाम के बाद चौथा देश है। यहाँ आने वाले अनुबंधित/ गिरमिटिया श्रमिकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एवं अन्य दक्षिणी राज्यों के लोग शामिल थे। 19वीं सदी तक ये इंडो-गयानिज श्रमिक केवल गन्ना के उत्पादन से जुड़े रहे, परंतु 1900 ई. के बाद जब इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, तब वे अन्य कार्यों से भी जुड़े और साथ-ही-साथ अपने बच्चों को शिक्षा देने को तत्पर हुए। आज ये इंडो-गयानिज अधिकांशत: चिकित्सा और क़ानूनी पढ़ाई में आगे बढ़े हुए हैं और गयाना के प्रशासन तथा राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचकर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जब 1834 ई. में गुलामी वर्जित की गई, अफ्रो-गुयानी लोगों ने वेतन के लिए कार्य करने से मना कर दिया। इससे कई बागान बंद हो गए। ब्रिटेन ने हज़ारों मजदूर भारत, पुर्तगाल, चीन तथा अपने अन्य उपनिवेशों से खेतों में काम करने के लिए, मज़दूर के रूप में गुयाना में लाए। अत: आधुनिक गुयाना की तादात ज्यादातर भारतीयों और अफ्रीकी लोगों से ही बनती है। गुयाना का आधुनिक इतिहास यहाँ अनुबंधित श्रमिक के रूप में लाए गए भारतीय मूल के लोगों से आरंभ होता है, क्योंकि गयाना को जब अंग्रेजों से 1966 ई. में स्वतंत्रता मिली, तो पहले प्रधानमंत्री छेदी जगन बने थे। बाद में उनकी पत्नी जेनट जगन भी गुयाना की प्रधानमंत्री बनी।

5 मई, 1838 ई. को बंधुआ मजदूरों की पहले खेप गुयाना पहुँची। बंधुआ मजदूरों को गुयाना लाने का कारोबार 1905 तक चलता रहा। इस अवधि में लगभग सवा दो लाख मजदूर भारत से गयाना लाए गए। 5 से 7 साल की मियाद पूरी होने पर 75 हजार लोग वापस भारत लौट गए। बाकि लोग गयाना में ही बस गए और स्वतंत्र किसान के रूप में रहने लगे, जिन्हें 'ईस्ट इंडियन' या 'इंडो गयानिज' के रूप में जाना जाता है।

गुयाना 1966 ई. में स्वतंत्र हुआ। ब्रिटेन 1950 ई. के आस-पास से ही गुयाना में नए संविधान लाकर प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा था। इसी नए संविधान के तहत 1953 ई. में गुयाना में पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में इंडोगयानिज मूल के डॉ. छेदी जगन के नेतृत्व में 'पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी' (PPP) की बड़ी जीत हुई और जगन को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, परंतु चार महीने के बाद ही छेदी जगन की सरकार को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। आरोप यह लगाया गया कि डॉ. जगन, गुयाना को समाजवादी खेमे में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। गुयाना में मुख्यत: दो राजनीतिक दल हैं। एक का नेतृत्व छेदी जगन, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी और दूसरे 'पीपुल्स नेशनल पार्टी' (PNP) का नेतृत्व अफ्रो-गयानिज नेता लाइदेन फ़ोबर्स सैंपसन बर्नहाम कर रहे थे, जिन्होंने जगन की पार्टी PPP को विखंडित कर नई पार्टी बनाई थी। गुयाना के स्वतंत्रता के समय (1964 से 1992) तक अफ्रो-गयानिज नेता बर्नहम ने सरकार बनाई। सैंपसन बर्नहाम ने अपनी पार्टी (PNP) का कई छोटे पार्टियों के साथ एलायंस करके 'यूनाइटेड फ्रंट पार्टी' (UFP) बनाई और लगातार सत्ता में बने रहे।

सैंपसन बर्नहाम की सरकार के दौरान इंडो-गयानिज के बुरे दिन थे। सत्ता के बहकावे में इंडो-गयानिज के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता। उन पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई। प्रशासन के उच्च पदों पर पहुँचने वाले इंडो-गयानिज की राह मुश्किल कर दी गई। इंडो-गयानिज द्वारा की जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया गया। इंडो-गयानिज का जीवन असुरक्षा और भय से ग्रस्त हो गया। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में गुयाना के इंडो-गयानिज बड़ी संख्या में कनाडा, अमेरिका की तरफ प्रवासित होने लगे। एक अनुमान के मुताबिक उत्तरी अमेरिका और कनाडा में गयाना से प्रवासित इंडो-गयानिज की संख्या करीब 400,000 तक पहुँच गई। गयाना में जो अफ्रीकी मूल के लोग थे, ब्रिटिश सरकार और ईसाई मिशनरी की प्रेरणा से अधिकांशत: ने क्रिश्चन धर्म को अपना लिया परंतु भारत के अधिकांश लोग हिंदू धर्म के प्रति अडिग थे। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत के समान गुयाना में भी 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति के तहत इंडो-गयानिज और अफ्रो- गयानिज के बीच भेदभाव पैदा किया।

गुयाना में इंडो-गयानिज के साथ इस प्रकार के नस्लवादी भेदभाव के कारण इंडो-गयानिज हाथ पर हाथ डालकर बैठे नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में परिश्रम करना प्रारंभ किए।

उन्होंने व्यापार, उद्योग, प्रशासन, कानून, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अपनी मेहनत से काफी प्रगति की। डॉ. मोहम्मद शहाबुद्दीन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने, डॉ. हेरी अन्नमुन्थोड़ो बड़े सर्जन बने। सर श्रीदथ रामफल ने राष्ट्रमंडल में 2 वर्ष तक महासचिव के रूप में सेवा दी। रोहन कन्हाई ने अपना नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया।

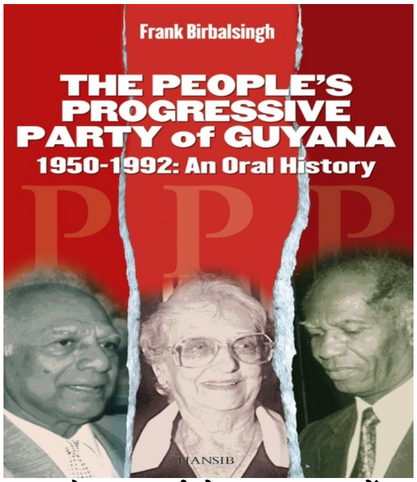

गुयाना की राजनीति में समय बदला और 1992 ई. के आम चुनाव में डॉ. छेदी जगन ने पुन: इंडो-गयानिज राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके चाहने वालों का मानना था कि गुयाना राष्ट्र के विकास और भलाई के लिए वे अपने प्राण से लगे थे। अपने शासन के दौरान उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य लागू किए। उन्होंने गुयाना के सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में सोचा। इसके साथ ही इंडो-गयानिज और इंडो-अफ्रीकी लोगों के बीच के खाई को कम करने के लिए उन्हें विकास में 'सहभागी लोकतंत्र' के तहत लाने के प्रयास किए। 1997 ई. में दुर्भाग्य से राष्ट्रपति रहते हुए छेदी जगन की मृत्यु हो गई। गुयाना के अगले आम चुनाव में 53% मत प्राप्त कर पी.पी.पी. ने चुनाव जीता और 37 वर्षीय भरत जगदेव (इंडो-गयानिज) राष्ट्रपति बनाए गए। जगदेव ने इस चुनाव में अफ्रो-गयानिज मूल के 72 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डेसमौण्ड होयते को बहुत बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव के बाद यह पुन: स्पष्ट हो गया कि गुयाना का समाज नस्लीय आधार पर बँटा हुआ है। जिसमें एक ओर इंडो-गयानिज तो दूसरी ओर अफ्रो-गयानिज हैं।

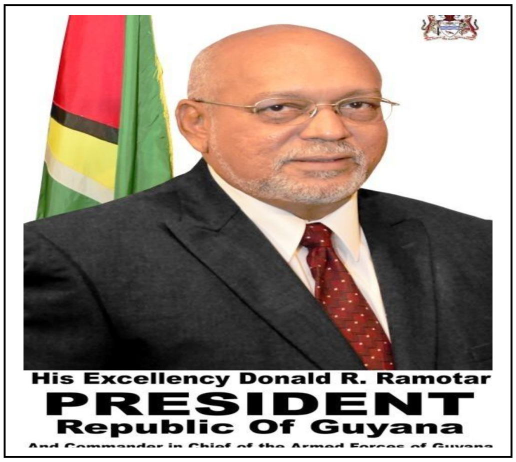

2.3.03.02. इंडो-गयानिज का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन

इंडो-गयानिज का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों के द्वारा दी गई लाख कठिनाइयों के बाद और बाद में अफ्रो-गयानिज राजनीतिक सत्ता द्वारा नस्लीय भेदभाव के बावजूद, इंडो-गयानिज मूल के लोगों ने गुयाना में अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा और उसका संवर्धन तरह-तरह के मंदिर, मस्जिद आदि को बनाकर किया। इंडो-गयानिज द्वारा पर्वों में होली, दिवाली को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। साथ ही मुस्लिन धर्म के पर्व भी मनाए जाते रहे हैं।

इंडो-गयानिज समाज के बहुत सारे परिवारों में हिंदी या उर्दू सीखने की ललक देखी गई। यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों की बहुत प्रसिद्धि है। यद्यपि प्राइवेट रेडियो स्टेशन गुयाना में नहीं हैं, बावजूद इसके गुयाना में इंडो-गयानिज लोगों के पास प्राइवेट टी.वी. चैनेल हैं जिनमें इंडो-गयानिज फ़िल्में, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुतायत में प्रसारित किए जाते हैं। इंडो-गयानिज समुदायों के आपसी सामुदायिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड के फ़िल्मी गाने और नृत्य का प्रदर्शन इनके आवश्यक अंग होते हैं। इंडो-गयानिज परिवार भारतीय संगीत, नृत्य अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। बहुत सारे खानपान का उपयोग किया जाता है जिनका मूल भारतीय है।

इंडो-गयानिज लोग मुख्यत: तीन धर्मों यथा हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चन के पर्वों का लुफ्त उठाते हैं। अंतर-धार्मिक विवाह तो होते हैं, परंतु यह आम नहीं हैं। हाल के वर्षों में बहुत सारे हिंदुओं ने क्रिश्चन धर्म को अपना लिया है। कुछ मुस्लिम या इंडो-गयानिज मूल के क्रिश्चन अपने को अपनी पहचान मुस्लिम या क्रिश्चन के रूप में कराते हैं न कि इंडो-गयानिज के रूप में। इसी धार्मिक अंतर या भारत में उनके क्षेत्र जहाँ से वे गए थे, के कारण, इंडो-गयानिज एक समुदाय के रूप में उतने मजबूत नहीं हैं।

GUYANA 1966 - 2016

Guyana Chronicle
THE NATION'S NEWSPAPER

CELEBRATING 20 YEARS IN GUYANA

No. 104614 SATURDAY, JULY 16, 2016 Price: $80 (VAT inclusive)

SISTERS RAPED

... beaten, thrown out of house; mother arrested Page 3

Bad roads, land allocation issues, public assistance Page 3

—Lindeners complain as Gov't looks to address concerns

Lands and Surveys Commission officials listen to residents' concerns during the Government's ministerial outreach to the mining community of Linden on Friday (Delano Williams photo)

Col will decide compensation for George family Page 2
— Colonel Algernon sworn in to investigate death of boys in Drop-in Centre

13 homeless in separate fires see stories on pages 9&15

'Putoo' put away for 11 years Page 5 *—for disfiguring schoolboy*

गुयाना के व्यापार पर इंडो-गयानिज लोगों का दबदबा है। गुयाना में उद्योग बहुत अधिक विकसित नहीं हैं। इसीलिए अनाज का उत्पादन महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। इंडो-गयानिज मूल के लोगों द्वारा ही कुछ छोटे उद्योग स्थापित किए गए हैं। चावल के उत्पादन में इंडो-गयानिज की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि इंडो-गयानिज काफी धनाढ्य हैं और प्रशासन में भी बड़े पदों पर है तथापि गयाना में अपनी जनसंख्या के अनुरूप शासन प्रशासन में नहीं हैं। गयाना में बहुत बड़ी संख्या में इंडो-गयानिज लोग चिकित्सा और कानून के क्षेत्र में हैं जहाँ उनकी प्रैक्टिस चलती है। मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा फीजी की तरह गयाना में भारत से आने वाले बहुत कम एन. आर. आइ. हैं। इनकी संख्या 100 के करीब होगी।

2.3.03.03. इंडो-गयानिज लोगों की भारत से अपेक्षाएँ

1. गुयाना के विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढाई और इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के साथ गयाना के विश्वविद्यालय का समझौता हो।
2. गुयाना के जार्जटाउन के 'संस्कृति केंद्र' में हिंदी और उर्दू शिक्षक का पद हो।
3. गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन के संस्कृति केंद्र में अधिक से अधिक परफार्मिंगआर्ट के शिक्षकों की भर्ती तथा उन्हें गुयाना में भेजने की व्यवस्था किया जाए, ताकि ये शिक्षक इंडो-गयानिज लोगों को भारतीय संगीत, नृत्य की शिक्षा दे सकें। साथ ही अतिरिक्त शिक्षक होने से जार्जटाउन के अलावा गुयाना के अन्य शहरों में भी सिखाने का कार्य कर पाएँगे।
4. संस्कृति केंद्र में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जो भारतीय योग, दर्शन और संस्कृति को पढ़ा सके।
5. संस्कृति केंद्र की पुस्तकालय को विस्तृत किया जाय तथा यहाँ भारतीय संगीत, नृत्य योग से संबंधित ऑडियो-वीडियो उपलब्ध हो सके।
6. गुयाना के विविध संगठनों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन आदि से संबंधित पुस्तकों का उपहार दिया जाना चाहिए।
7. भारतीय उच्च आयुक्त के माध्यम से गुयाना के इंडो-गयानिज सांस्कृतिक-धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक योगदान हो।
8. भारत में इंडो-गयानिज लोगों को चिकित्सा सेवा (किराया छोड़कर) की सुविधा जो सुविधा गयाना में उपलब्ध न हो।

9. PIO कार्ड की शुल्क में कमी हो।

10. भारत से कलाकार, अकादमिक, लेखक, विद्वानों आदि का गुयाना में यात्रा जिससे हमारी इंडो-गयानिज पीढ़ी भारतीय ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति को समझ सके।

2.3.04 सूरीनाम : परिचय

सूरीनाम आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जोकि दक्षिण अमरीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है, जिसे डच गुयाना के नाम से जाना जाता रहा था। सूरीनाम दक्षिण अमरीका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है। सूरीनाम की खोज स्पेन के अलोनसो फी. ओजेडा के द्वारा 1499 में किया गया। स्पेन ने 1533 में इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद इसके लिए यूरोपीय शक्तियों फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन में प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। 1866 ई. में इसे न्यू अंसटरडम के बदले डच को दे दिया गया। सूरीनाम को 25 नवंबर, 1975 ई. में आजादी मिली थी। इसकी राजधानी पारामारिबो है। पारामारिबो का अर्थ होता है- फूलों का शहर। यहाँ एक ही पेड़ की विभिन्न शाखाओं में कई रंगों और आकार के फूल खिलते हैं। यहाँ से करोड़ों डालर के फूल निर्यात किए जाते हैं। यूनेस्को ने इसे 'वर्ल्ड हेरिटेज सिटी' घोषित किया है। प्रशासनिक रूप से सूरीनाम को दस जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जानी वाली और राजकाज की भाषा डच है। इसके अलावा सरनन टोंगो यहाँ आम बोलचाल की भाषा है। जबकि सूरीनामी हिंदी/ सरनामी यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में जानी जाती है।

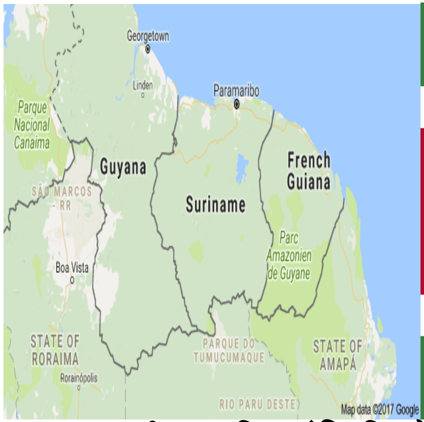

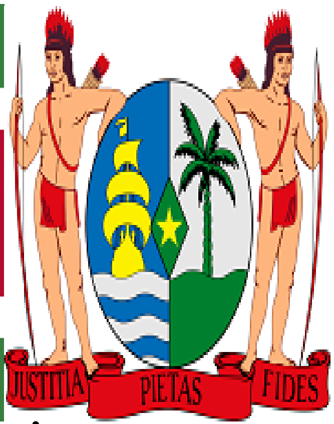

2.3.4.01. सूरीनाम की जनांकिकी प्रोफाइल (इंडो-सूरीनामी संदर्भ), 2017

जनसंख्या	585,824
नृजातीय जनसंख्या	**Hindustani** (also known locally as "East Indians"; their ancestors emigrated from northern India in the latter part of the 19th century) 27.4%, "**Maroon**" (their African ancestors were brought to the country in the 17th and 18th centuries as slaves and escaped to the interior) 21.7%, **Creole** (mixed white and black) 15.7%, **Javanese** 13.7%, **mixed** 13.4%, other 7.6%, **unspecified** 0.6% (2012 est.)
धार्मिक जनसंख्या	**Protestant** 23.6% (includes Evangelical 11.2%, Moravian

	11.2%, Reformed .7%, Lutheran .5%), **Hindu** 22.3%, **Roman Catholic** 21.6%, **Muslim** 13.8%, other **Christian** 3.2%, Winti 1.8%, Jehovah's Witness 1.2%, other 1.7%, none 7.5%, unspecified 3.2% (2012 est.)
भाषा	**Dutch** (official), **English** (widely spoken), **Sranang Tongo** (Surinamese, sometimes called Taki-Taki, is the native language of Creoles and much of the younger population and is lingua franca among others), **Caribbean Hindustani/Sarnami** (a dialect of Hindi), **Javanese**

Source : CIA World Fackbook, July 9, 2017

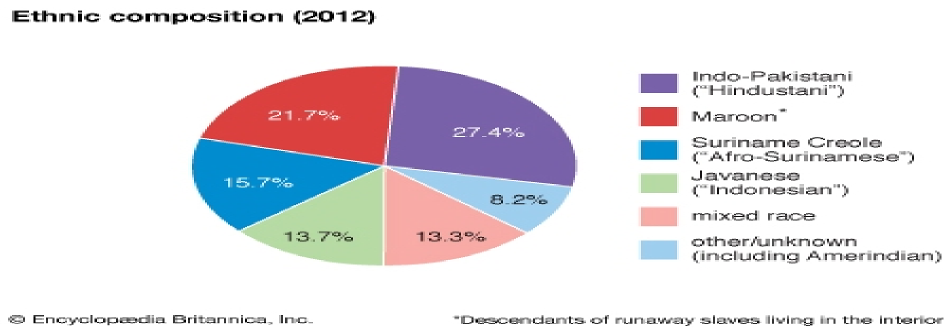

2.3.04.02 सूरीनाम में भारतीयों का आगमन : अनुबंधित श्रमिक रूप में

सूरीनाम में भारतीयों का सम्मिलन अनुबंधित श्रमिकों के रूप में हुआ जिनका धीरे-धीरे रूपांतरण इंडो-सूरीनामी मध्यवर्ग में हुआ। भारतीयों का रूपांतरण पहले किसान और बागान के मजदूर, व्यापारी, बुद्धिजीवी, सभी प्रकार के कार्यों में कार्यकुशलता प्राप्त करते हुए और अंततः सक्रिय राजनीति में भागीदारी प्रस्तुत कर भारतीय डायस्पोरा के लिए दूसरा अध्याय लिखा।

ब्रिटेन और फ्रांस की तरह, नीदरलैंड ने भी 1863 ई. में अपने यहाँ से दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। बहुत ना–नुकुर के बाद ब्रिटिश कॉलोनी ने भारत से 1870 ई. में भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को नियुक्त कर डच उपनिवेश में भेजने पर समझौता किया। इसके साथ ही डच उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश गिनिया में अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाले मजदूरों को आकर्षित करना भी प्रारंभ किया। अंत में 5 जून, 1873 को 'लालारुख' नामक समुद्री जहाज में कलकत्ता डिपो से लगभग तीन महीने की लंबी यात्रा के बाद 452 भारतीय अनुबंधित मजदूर पारामारिबो (सूरीनाम की राजधानी) पहुँचने में कामयाब हुए। इनमें अधिकांश की नियुक्ति उतर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के जिलों से की गई थी। इनमें से बहुतों को राम से जुड़े तीर्थ, श्रीराम के तीर्थ स्थल के नाम पर भी भरमाकर लाया गया, जो बाद में सूरीनाम बन गया था। 1873 ई. से 1916 ई. तक 64 जहाजों के द्वारा करीब 34,304 मजदूरों को सूरीनाम लाया गया। नीदरलैंड के एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड लाए गए कुल भारतीय अनुबंधित श्रमिकों में से केवल 11,512 ने ही अपने अनुबंध की समयावधि पूर्ण होने पर जाने की इच्छा जाहिर की।

2.3.4.03 अनुबंध काल की समाप्ति और इंडो-सूरीनामी डायस्पोरा के रूप में उद्भव

1885 ई. में अनुबंध की समय सीमा(5 वर्ष) समाप्ति पर वापस अपने वतन लौटने वाले मजदूरों को डच सरकार ने उसी उपनिवेश में बसने के लिए प्रोत्साहन देना आरंभ किया। लौटकर नहीं जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को राज्य संचालित बगानों में बिना शुल्क रहने की व्यवस्था तथा100 डच गिल्डर (डच मुद्रा) का बोनस देने की व्यवस्था की गई।

इस अवसर का लाभ उठाकर करीब 23,000 'हिंदुस्तानी' (सूरीनाम में रहने वाले भारतीयों को पुकारे जाने वाला नाम) ने सूरीनाम में सदा के लिए बसने का मन बना लिया। कुछ समय के बाद, भारतीयों ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के अलावा आर्थिक उपार्जन के अन्य साधन खोजना प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने पैसे जमा करके जमीन खरीदी और उस पर चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया। यद्यपि चावल का उत्पादन ये अनुबंधित भारतीय लोग अपने अनुबंध के काल से ही कर रहे थे। चावल का उत्पादन मुख्यत: सूरीनाम के पश्चिमी जिले निकेरी में किया जाता रहा था। यहाँ आज भी कई हिंदुस्तानी सूरीनामी के पास चावल उत्पादन के बड़े-बड़े फार्म हैं।

20वीं सदी के प्रारंभ से सूरीनामी हिंदुस्तानी अपने रोजगार के लिए व्यापार और यातायात के क्षेत्रों में कदम बढ़ाने लगे। इसी बीच क्रिश्चन मिशनरियों द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण भारतीय भी इनके संपर्क में आए। इस पश्चिमी शिक्षा के द्वारा वे अपने कौशल में वृद्धि कर समाज में उच्च स्थान को पा सकते थे, इस तरह की प्रेरणा सूरीनामी भारतीयों को हुई। वे अब अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर वे देश की नागरिक सेवा में आ सकते थे। डच उपनिवेशवादी शासकों ने ऐसी कानूनी व्यवस्था की थी कि डच कॉलोनी में रहने वाले और यहाँ जन्म लेने वाले स्वभावत: डच नागरिक होंगे। इसके बावजूद दो विश्व युद्धों तक कुछ ही दर्जन शिक्षक, पुलिस सेवा और सरकार के निचले स्तर पर भारतीय मूल के लोग आ पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय मूल के लोग डच विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में पढ़ लिखकर अपने घर पहुँचने लगे, जिनमें शामिल थे—चिकित्सक, कानूनी कार्यवाले, न्यायालय के न्यायाधीश, प्रशासन, बैंक, राजनयिक सेवा और राजनीति क्षेत्र आदि।

2.3.04.04. सूरीनामी भारतीय समुदाय की राजनैतिक गतिविधियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अन्य भागों की तरह ही कैरिबियाई क्षेत्र में भी राजनैतिक हलचल दिखी। 1946 में सूरीनामी भारतीय मूल के लोग और इंडोनेशिया के भारतवंशी जिन्हें स्थानीय तौर पर 'जावानीस' कहा जाता है, ने मिलकर एक संगठन 'Hindostans-Javanese-Centrale Raad' बनाया और इसके माध्यम से माँग की गई कि हिंदुत्व और इस्लाम के प्रति स्थानीय विद्यालयों में संवेदना का भाव रखा जाए। इसी के आधार पर जगरनाथ लछमन ने 'Hindustans-Javanese-Ploitieke Partij (HJPP)' बनाई और धार्मिक लाइन से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। 1949 ई. में HJPP ने सूरीनाम के कई हिंदूमुस्लिम दलों को संगठित करके Verenigde Hindostaanse Partij (संयुक्त हिंदुस्तानी दल) बनाकर प्रथम चुनाव लड़ा। इस दल को लछमन के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली। इस राजनैतिक सफलता के द्वारा मुस्लिम लोग अपने मृतकों को दफ़नाने के अधिकार को कानूनी जामा पहनाने में सफल रहे। साथ ही होली और ईद पर्व के अवसर को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करवाने में भी सफल हुए।

परंतु 1947 ई. के भारत-पाकिस्तान विभाजन का असर सूरीनाम की राजनीति पर भी देखने को मिला। हिंदू-मुस्लिम के बीच एकता में कमी और अफ्रो-सूरीनामी के उत्थान ने सूरीनामी राजनीति में

भारतीय मूल के लोगों के लिए मुश्किल समय ला दिया। 1950 ई. के बाद सूरीनाम की राजनीति में बहुत सारी हलचल देखी गई। सूरीनाम के दक्षिणी भाग के निकेरी जिले के नागरिक क्लेमंस विश्वामित्र सूरीनाम के कोलिनियल पार्लियामेंट के पहले सदस्य हुए और 1950 ई. तक इस देश की सेवा की। डच शासकों ने अपने सूरीनामी उपनिवेश को 1954 में आंतरिक स्वशासन देने के साथ ही 18 नवंबर 1975 ई. तक इसे स्वतंत्रता भी दे दी। इसी बीच सूरीनाम ने सैनिक तख्तापलट भी 5 वर्ष के लिए देखा। 1990 ई. के बाद आम चुनाव में रुनाल्दो रोनाल्ड वेनेतियाँ राष्ट्रपति बने, हिंदुस्तानी जुल्स रतनकोइमार अजोधिया, उपराष्ट्रपति बने।

जगरनाथ लछमन (1916-2001) –

Lachmon was a prominent politician and lawyer.

सूरीनाम में भारतीय मूल के सबसे प्रसिद्ध नेता थे जगरनाथ लछमन। इनका जन्म पश्चिमी सूरीनाम के निकेरी जिले में हुआ था। इनके माता-पिता उत्तरप्रदेश से अनुबंधित श्रमिक के रूप में आए थे। वे सूरीनामी कानून के बड़े जानकर और कानून के पेशे से जुड़ने वाले पहले भारतीय थे। 1940 ई. में राजनीति में आए और हिंदुस्तानी-जवानीज पोलिटिकल पार्टी (HJPP) बनाई। सूरीनाम की बहुत सारे दलों को मिलाकर VHP बनाई। सूरीनाम में 1980-87 ई. तक सैनिक तानाशाही रही। इसके बाद लछमन ने VHP और अफ्रो-सूरीनाम को मिलाया और वे नेता चुने गए। इनकी मृत्यु द हेग, नीदरलैंड में 2001 ई. में हुई। पचास वर्षों से सूरीनाम की शासन-सत्ता द्वारा भारतवंशियों के प्रतिनिधि सदस्य और अगुआ सभापति श्री जगन्नाथ लछमन का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वे सूरीनामी संसद के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे।

2.3.4.05. इंडो-सूरीनामी: सामाजिक-सांस्कृतिक एवं भाषाई गतिशीलता

सूरीनाम का समाज बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषिक है, जिसमें अलग-अलग जाति, नस्ल, भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति से ये गहरे रूप से जुड़े हैं। वे आज भी गीता, रामायण, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। गीता, रामायण, हनुमान चालीसा, कुरान हदीस, गंगा, गायत्री से ये अपने जीवन को गहरे रूप से जुड़ा मानते हैं।

सूरीनाम आने वाला भारतीय समुदाय मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, व बलिया जिलों और बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पटना और गया जिलों से था, जहाँ भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषाएँ बोली जाती हैं। सूरीनाम आने वाले अपनी-अपनी परंपराओं के साथ होली, दीपावली के त्योहार, अपने-अपने रीति-रिवाज और हर अवसर के गीत लाए थे। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद ये अपने साथ लाए रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते, आपस में मिल-बैठकर भजन करते, किस्से कहानियाँ कहते और लोकगीत गाते। अतः लोकगीत भी भाषा, धर्म व संस्कृति के प्रचार का माध्यम रहे और लोकगीत इन भारतीय प्रवासियों द्वारा लाई गई मौखिक परंपरा का एक हिस्सा थे। जैसे-जैसे सामाजिक चेतना जागृत हुई, गाने की टोलियाँ बनने लगीं, ये संगठित समूह अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों को मौखिक विरासत के रूप में सौंपा जाता रहा।

आजीविका और सुखमय जीवन की तलाश में 5 जून, 1873 ई. में जब हिंदुस्तान के लोग अनुबंधित/गिरमिट मजदूर के रूप में सूरीनाम पहुँचे, उस समय दैनिक जीवन के कष्ट, अपनी आकांक्षाओं के पूरे न होने का दर्द, परिवार से विछोह और निराशा से घिरे, दिन भर के कठिन श्रम से थके हारे भारतवंशी श्रमिकों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था; तब वह लोग संध्या के समय एक साथ मिल बैठ कर अपना दुख हलका करते थे, कुछ गा-बजा लेते थे, यह गाना बजाना क्लांत हृदयों के लिए औषधि का काम करता था। इस समय गाए गीत मुख्यतः बिरहा के गीत होते थे और खजड़ी पर गाए जाते थे। कभी रामायण पर चर्चा हो जाती थी, तो कभी किस्से कहानियों में कुछ समय व्यतीत किया जाता था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे इन लोगों का कुछ साहस बढ़ा, गीतों की ध्वनि व साज की आवाज बढ़ने लगी। भाषा, संस्कृति, संगीत के साथ भारतीय बॉलीवुड ने यहाँ अपना स्थान बनाया है।

विभिन्न अवसरों पर परपरंपरागत गीत गाए जाते हैं। आज तकनीकी विकास के दौर में यह परिवर्तन अवश्य आया है कि जो लोकगीत महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से गाए जाते थे अब अक्सर सीडी पर बजाए जाते हैं या फिर एक व्यावसायिक संगीत टोली को आमंत्रित कर मंचासीन कर दिया जाता है फिर भी लोकगीतों की परंपरा कायम है।

1975 ई. में नीदरलैंड से सूरीनाम की स्वतंत्रता के बाद करीब 300,000 युवा भारतवंशियों की पीढ़ी ने सूरीनाम की अंतस्नस्लीय तनाव के कारण नीदरलैंड में ही रहना पसंद किया। सूरीनाम के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। अनुच्छेद 7(6)के अनुसार माता-पिता अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। 1 जनवरी, 1975 ई. से सभी को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

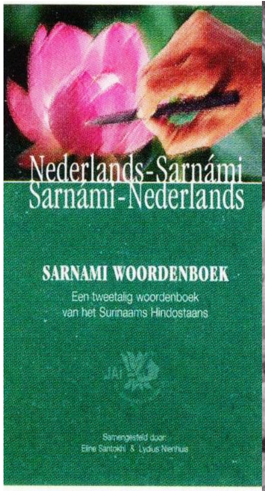

A Sarnami dictionary by Eline Santokhi and Lydius Nienhuis.

A Hindu wedding in Surinam, 1965.

No. 1. 61 ste Jaargang. Anno 1910

SURINAME.

Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad.

DINSDAG, 4 JANUARI.

Redacteur: R. J. van Ommeren.

Heilbot, Heilbot,

TRAM-STORE

सूरीनाम में 44 प्रतिशत सरकारी पाठशालाएँ हैं और 56 प्रतिशत स्वैच्छिक संस्थाओं की पाठशालाएँ हैं, जिनके अंतर्गत कैथोलिक, आर्यसमाजी और सनातनी संस्थाएँ आती हैं, जिनमें सरनामी, देवनागरी लिपि और हिंदी की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिनके अध्यापकों का संबंध सूरीनाम हिंदी परिषद से होता है, जिसके शिक्षण और प्रशिक्षण का काम 'सूरीनाम हिंदी परिषद' के द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न होता है। हिंदुस्तानियों की माँग पर हॉलैंड सरकार ने हिंदी स्कूल खुलवाए, जिन्हें 'कुली स्कूल' भी कहा गया। हिंदी पढ़ने-लिखने का एक कारण यह भी था कि सबको पढ़ने के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। मुंशी नाथूराम मास्टर द्वारा निर्मित हिंदी की पहली पुस्तक हॉलैंड सरकार के द्वारा निःशुल्क वितरित की गई थी।

सूरीनाम के हिंदुस्तानियों की संख्या 40 प्रतिशत के आसपास है। हिंदुस्तान से आए होने के कारण यह अपने को भारतवंशी कहलाने से अधिक हिंदुस्तानी कहलाए जाना पसंद करते हैं और अपनी संवाद भाषा को भी वे प्राय: हिंदुस्तानी कहते हैं। आधुनिक समय के भारतवंशी अपनी वाणी को सरनामी कहते हैं। सूरीनाम की लिपि रोमन या डच है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सरनामी और हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए सरनामी के प्रथम कवि जीत नाराइन हॉलैंड में चिकित्सा की नौकरी करते हुए द हॉग से 'सरनामी' नाम से पाँच वर्षों तक लगातार पत्रिका निकालते रहे। प्रो. पुष्पिता ने 'सूरीनाम हिंदी परिषद' संस्था के अंतर्गत 'विद्यानिवास साहित्य संस्था' का गठन किया। सरनामी, भोजपुरी से अलग, अवधी की आसपास की भाषा है। (अवस्थी, पुष्पिता : 2015)

मंदिरों, मस्जिदों, रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों तथा शादी-विवाह के अवसर पर मानक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सरनामी हिंदुस्तानी टी.वी. को दूरदर्शन ही कहते हैं। निमंत्रण को 'न्यौता' से पुकारते हैं। सर को वे आज भी 'मुंडी' कहते हैं, गला इनके लिए 'गटई' है और पैर को 'गोड़' कहते हैं। सूरीनाम की राष्ट्रभाषा और राजकाज की भाषा डच है। भारत सरकार ने 5 से 9 जून, 2003 को सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन इसी धरती पर संपन्न किया। जिसके सफलतापूर्वक आयोजन में भारतीय मूल की सूरीनामी हिंदी विद्वान एवं साहित्यकार प्रो पुष्पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सूरीनाम का कैरिफेस्टा महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महोत्सव है। सूरीनाम में आर्य समाज 1912 ई. में पहुँचा। 1929 ई. में सनातन धर्म की स्थापना हुई। सूरीनाम में पहुँचने वाले पहले मुसलमान पंजाब से थे। यहाँ मुसलमानों के दो समुदाय थे भारतीय मुसलमान और जवाजी मुसलमान। 1930 ई. में यहाँ अहमदिया आंदोलन पहुँचा।

2.3.05 सारांश

कैरेबीयाई क्षेत्र के देशों में भारतीयों को यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अनुबंधित श्रमिक बनाकर पाँच साल के लिए ले गए। अनुबंध की समयावधि के बाद बहुत सारे भारतीय वहीं (गयाना और सूरीनाम) देशों में बस गए। भारतीयों ने इन देशों में आते ही अपने परिश्रम से जीवन के सभी क्षेत्रों में

उपलब्धियाँ हासिल की। इससे इन देशों में समृद्धि तो आई ही साथ-ही-साथ इनकी अपनी भी उपलब्धियाँ बहुत रही। राजनीति के क्षेत्र में डॉ. छेदी जगन के साथ जेनेट जगन, अब्दुल कादिर, डॉनल्ड रामोतार, पीटर राम सरूप,श्रीदथ रामफल, ईद्वार्ड लख्खू जैसे भारतवंशी गयाना के प्रथम पंक्ति में खड़े होते हैं। रूपर्ट रामनारायण, शिवनारायण चंद्रपॉल, स्टीव मसीहा, नरसिंह देवनारायण, अब्दुल समद गयाना के विश्वस्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं।

उसी तरह से सूरीनाम में जगननाथ लछमन का कद भी सूरीनामी राजनीति में बहुत ऊँचा है। इसके अलावा सूरीनाम से डोनाल्ड रामोतार, आश्विन अधीन, रामसेवक शंकर, मो.नूरसलीम, जुल्स अजोधिया प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। रामदेव चौतेय प्रसिद्ध चटनी संगीतकार हैं। इन देशों के भारतवंशियों ने बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी भी दिए हैं। इन देशों में भारतीय साहित्य के रूप में सरनामी, पुरनिया हिंदी का विकास हिंदी के वैश्विक स्तर पर प्रसार का नमूना है।

2.3.06 बोध प्रश्न

1. गुयाना और सूरीनाम के बारे में सामान्य जानकारी दीजिए।
2. गुयाना और सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की परिस्थितियों और उनके संघर्ष के बारे में बताइए।
1. गुयाना के प्रमुख भारतवंशी एवं उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. गुयाना में इंडो-गयानिज की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को दूर देश में उन्हें किस प्रकार भारत से जोड़े रखा?
3. सुरीनामी भारतीयों की सांस्कृतिक और भाषाई गतिशीलता को समझाइए।
4. सूरीनाम की राजनीति एवं प्रशासन में भारतवंशीय समुदाय की भागीदारी और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बयाइए।

2.3.07. उपयोगी एवं संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Report of the High Level Committee on the Indian Diasporaa , 2003.
2. अवस्थी, पुष्पिता. 2015, भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति दिल्ली: *किताब घर प्रकाशन*.
3. ……..,2009, सूरीनाम, नई दल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट,
4. Lal, Brij. V. 2007, The Encyclopedia of Indian Diaspora, PP-287-305, London : Oxford University press.
5. जोशी, रामशरण एवं अन्य. 2014, भारतीय डायस्पोरा:विविध आयाम, नई दल्ली: राजकमल प्रकाशन.
6. wikipedia Guyana & Suriname.

खंड-3 : भारतीय डायस्पोरा का पहचान के लिए संघर्ष

इकाई -1 : महात्मा गांधी का समुद्रपारीय भारतीयों के मानवाधिकार के लिए संघर्ष में योगदान

इकाई की रूपरेखा

3.1.1. उद्देश्य
3.1.2. प्रस्तावना
3.1.3. भारतीयों का समुद्रपारीय प्रवासन
3.1.4. महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में
3.1.5. महात्मा गांघी का मॉरीशस प्रवास
3.1.6. महात्मा गांधी का फिजी पर प्रभाव
3.1.7. महात्मा गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका में
3.1.8. भारतवंशियों को मानवाधिकार से वंचित करने वाले कानून
3.1.9. महात्मा गांधी का 'खूनी कानून' के विरुद्ध सत्याग्रह
3.1.10. सारांश
3.1.11. बोध प्रश्न
3.1.12. संदर्भ एवं उपयोगी ग्रंथसूची

3.1.1. उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. समुद्रपारीय देशों में भारतीय डायस्पोरा द्वारा पहचान के लिए किए गए संघर्ष को समझाना।
2. समुद्रपारीय देशों में भारतीय डायस्पोरा द्वारा मानवाधिकार के लिए किए गए संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान को रेखांकित करना।

3.1.2. प्रस्तावना

आज विश्व में भारतीय डायस्पोरा कहीं तो बहुत मजबूत स्थिति में है तो कहीं अपनी मानवीय गरिमा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्षरत है। मॉरीशस में भारतीयों के हाथ में सत्ता है तो फिजी में ये सत्ता से बेदखल कर दिए गए हैं। औपनिवेशिक काल में इन भारतीयों का इन देशों में प्रवासन कई रूपों में जैसे– दास, सैनिक, सजायाफ्ता, अनुबंधित श्रमिक, व्यापारी आदि के रूप में हुआ, परंतु इन देशों के औपनिवेशिक शासकों द्वारा इनका काफी शोषण किया गया। मनुष्य होने के लिए एक आदमी को जो मानवाधिकार स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने चाहिए, उन्हें उनसे वंचित किया गया। इन्हीं परिस्थितियों में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका के लिए जाना होता है। उन्हें खुद औपनिवेशिक सत्ता द्वारा अपमानित होना पड़ा तब उनके द्वारा विदेशों में बसे लोगों के लिए सत्याग्रह और संघर्ष किया जाता है। इसी संघर्ष से प्रेरणा पाकर मॉरीशस में भारतीय संघर्ष के द्वारा सत्ता तक पहुँच गए। प्रस्तुत इकाई में समुद्रपारीय देशों में भारतीय डायस्पोरा द्वारा पहचान के लिए किए गए संघर्ष को समझते हुए महात्मा गांधी का इस संघर्ष में योगदान को समझने की कोशिश की जाएगी।

3.1.3. भारतीयों का समुद्रपारीय प्रवासन

आधुनिक काल में भारतीयों का समुद्रपारीय देशों के लिए प्रवासन मूलतः उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की देन थे। वर्ष 1833-34 में दास प्रथा समाप्त हो जाने के बाद उष्ण कटिबंधीय देशों में खेतों पर काम करने के लिए सस्ते मज़दूरों का मिलना कठिन हो गया था। डच और ब्रिटिश उपनिवेशों में कुशल श्रमिकों के अभाव में कृषि-केंद्रों (प्लांटेशनों) की संख्या घटने लगी। पराधीन भारत में अनुबंधित/शर्तबंदी श्रमिक/औपबंधिक श्रम प्रणाली (*इंडेंचर लेबर सिस्टम*) प्रवासन से संबंधित कानून वर्ष 1834 ई. में राजसम्मत (सरकारी स्तर पर मान्य) हो गया। कानून के आधार पर भारतीय श्रमिकों, किसानों को विश्व के कोने-कोने में भेजा गया। वर्ष 1838 ई. से लेकर वर्ष 1916 ई. तक लाखों भारतीय पुरुषों, महिलाओं को शर्तबंदी मज़दूर बनाकर मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, जमैका, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना, फ्रेंच गुयाना इत्यादि उपनिवेशों में भेजा गया। इन उपनिवेशों में गन्ना, कॉफ़ी, कपास, कोको, चावल के कुशल कृषि श्रमिकों की आवश्यकता थी। अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी गरीब भारतीय कृषि श्रमिकों को अच्छी जीविका और बेहतर रोज़गार के अवसर का लोभ देकर अपने उपनिवेशों में 'गिरमिटिया' (अनुबंधित श्रमिक) बनाकर भेजने लगे। गुलामी उन्मूलन के संबंध में इसी प्रकार के अधिनियम को फ्रांसीसी साम्राज्यने 1848 ई. और डच साम्राज्य ने 1863 ई. से अपने उपनिवेशों में लागू किया। 'इंडेंचर लेबर सिस्टम' पर काम करने वाली इतिहासकार मरीना कार्टर के अनुसार अनुबंधित प्रवासी वह व्यक्ति है, जिसने बागानों तक आवागमन पर हुए व्यय को स्वयं वहन नहीं किया है। एक बार अनुबंधित कर लिए जाने पर व्यक्ति के अनुबंध की अवधि में उसकी मज़दूरी दर, कार्य के घंटे, कार्य की प्रकृति, भोजन, आवास और चिकित्सा आदि के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था के अनुसार मालिकों और कामगारों के बीच का संबंध अधिनियमों के तहत संचालित होता था।

अनुबंधित श्रम व्यवस्था के अंतर्गत भारत से बड़े पैमाने पर समुद्रपारीय प्रवासन हुआ। इन्हीं प्रवासी भारतीयों की आगामी पीढ़ियों और उनके वंशजों द्वारा आधुनिक भारतीय डायस्पोरा का निर्माण हुआ। निम्नलिखित सारणी से अनुबंधित भारतीय श्रमिक प्रवासन और उससे निर्मित डायस्पोरा की स्थिति अधिक स्पष्ट होती है :-

अनुबंधित भारतीय और भारतीय जनसंख्या:

1980 और नवीनतम अनुमान

उपनिवेश/देश	***अवधि***	***अनुबंधित श्रमिक***	***1980 में भारतीयों की जनसंख्या***	***नवीनतम अनुमान 2007***
मॉरीशस	1834-1912	4,53,063	6,23,000	8,50,558
ब्रिटिश गयाना/गुयाना	1838-1917	2,38,909	4,24,400	3,84,547
नाताल (दक्षिण अफ़्रीका)	1860-1911	1,52,184	7,50,000	9,23,994
त्रिनिदाद	1845-1917	1,43,939	4,21,000	4,22,643
रीयूनियन	1829-1924	1,18,000	1,25,000	1,56,800

फ़िजी	1879-1916	60,969	3,00,700	3,43,584
गेदेल्यूप	1854-1885	42,326	23,165	40,000
केन्या और युगांडा	1895-1901	39,771	79,000	12,000
जमैका	1854-1885	36,420	50,300	61,500
डच गयाना/ सूरीनाम	1873-1916	34,000	1,24,900	1,74,190
मार्टिनीक्यू	1854-1889	25,509	16,450	14,000
सेशेल्स	1899-1916	6,319	उपलब्ध नहीं	5,000
सेंट ल्यूसिया	1858-1895	4,350	3,700	4,095
ग्रेनाडा	1856-1885	3,200	3,900	3,698
सेंट विंसेंट	1861-1880	2,472	5,000	7,088
अनुबंध से संबंधित देशों मे कुल संख्या		13,61,431	29,52,495	34,03,697
विदेशों में कुल भारतीय				1,70,00,000

स्रोत : कॉलिन क्लार्क आदि, साउथ एशियन ओवरसीज़ : माइग्रेशन एंड एथनिसिटी (कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990, पेज 9) | नवीनतम अनुमान के लिए CIA, द वर्ल्ड फ़ैक्टबुक 2007 (वाशिंगटन : सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी); http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Indian_population; http:// www.littleindia.com/ news/132/ ARTICLE/1346/2006-0-12.html ; तथा बृज वी. लाल, पीटर रीव्स एंड राजेश राय (संपा.). (2006). द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा; सिंगापुर : एडीशन्स डीडीयर मिलेट, इन एसोसिएशन विद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर।

भारतीय श्रमिकों के निर्यात के लिए डच एजेंटों ने कलकत्ता में अपना मुख्य केंद्र खोला। श्रमिकों की भर्ती के लिए अंग्रेज़ों ने गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बस्ती, फ़ैजाबाद और मथुरा में उपकेंद्र खोले। विश्व की अलग-अलग कॉलोनियों के लिए अलग-अलग भर्ती केंद्र थे। दूर-दूर से मज़दूरों को खोजकर लाने के लिए ‘सब एजेंट‘ बनाए गए। इन सब एजेंट के अंतर्गत अरकाटी (दलाल) काम करते थे। अरकाटी सीधे-सादे ग्रामीण लोगों को समझा-बुझाकर, छल-बल, धोखाधड़ी, डरा-धमका और फुसलाकर भर्ती करने लगे। इन दलालों को एक आदमी के लिए पाँच रूपए और एक महिला के लिए इससे भी अधिक कमीशन मिलता था। ऐसे श्रमिकों को विश्व की कई कॉलोनियों में भेजा गया। पाँच वर्ष के शर्तनामे के साथ अनंत त्रासदियों के लिए श्रमिकों को ‘जल जहाज़ों’ पर भर दिया जाता था। गंतव्य तक पहुँचने पर जल जहाज़ों द्वारा लाई गई श्रमिकों की खेप को छोटे-छोटे बैरकों (जिन्हें ’डिपो’ कहते थे) में रखा जाता था। यहाँ से ही इन श्रमिकों के काम का बँटवारा होता था। महीनों की त्रासदीपूर्ण यात्रा के बीच अपने परिवार और रिश्तेदारों से दूर इन श्रमिकों ने जहाज़ में ही बने नए रिश्ते और संबंधों में पारिवारिक सुख का अनुभव करना शुरू कर दिया। ये आपस में एक-दूसरे को ‘जहाज़ी भाई’ के नाम से संबोधित करते थे। जहाज़ियों के बीच यात्रा के दौरान जाति और धर्म जैसी विभाजक रेखा भी धूमिल पड़ गई थी। स्वदेश में जहाँ ये मानव समुदाय हिंदूमुसलमान, ब्राह्मण-शूद्र जैसी संकीर्ण व्यवस्था में विभक्त था, वहीं जहाज़ में वे इन सब से परे सिर्फ हिंदुस्तानी भाई थे। इस स्थिति में तीन से पाँच वर्ष के लिए विशेष दरों पर काम करने का अनुबंध एक अनिवार्य शर्त थी। इस अनुबंध की समाप्ति पर ये अनुबंधित श्रमिक वापस अपने देश लौटने को स्वतंत्र थे। दस वर्ष बाद उन्हें वापसी यात्रा के लिए विशेष भत्ता भी देय था। प्रवासन की यह प्रकिया वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक चली।

ये प्रवासी श्रमिक भारत के विभिन्न हिस्सों (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, दक्षिण भारत इत्यादि) से ले जाए जाते थे। उत्तर भारत के गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, दरभंगा, शाहाबाद, गया, सारन, भोजपुर, इलाहाबाद, बलिया, सुल्तानपुर, रीवां, फ़ैजाबाद इत्यादि प्रमुख क्षेत्र थे, जहाँ से बड़ी संख्या में श्रमिकों का प्रवासन विभिन्न उपनिवेशों के लिए होता था। दक्षिण भारत के प्रमुख भर्ती केंद्रों में तमिलभाषी क्षेत्र (त्रिचनापल्ली, मदुरै, सेलम और तंजौर इत्यादि) मुख्य थे। इसके साथ ही तेलुगुभाषी क्षेत्र (विज़ाग और वंजरन) भी उल्लेखनीय थे। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में अहमदनगर दक्षिण भारत का मुख्य भर्ती केंद्र था। उत्तर भारत के *'गिरमिटिया व्यवस्था '* की तरह ही दक्षिण भारत में श्रमिकों के विस्थापन की इस प्रक्रिया को *'कंगनी व्यवस्था'* के रूप में जाना जाता था। 'कंगनी व्यवस्था' के तहत ये श्रमिक मुख्यतः मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बर्मा इत्यादि देशों में भेजे गए। अंग्रेज़ी का 'कंगनी' शब्द मुख्यतः तमिल शब्द 'कनक्नी' का अपभ्रंश रूप है, जिसका वास्तविक अर्थ प्रबंधक या नियंत्रक होता है। इस व्यवस्था के तहत भर्ती करने वाले अधिकारी श्रमिकों को यात्रा और दैनिक खर्च के लिए कुछ अग्रिम राशि प्रदान करते थे। यह व्यवस्था मैस्त्री व्यवस्था के लगभग समान थी। मैस्त्री व्यवस्था में अनुबंध किसी निश्चित अवधि तक निर्धारित नहीं होता था। साथ ही इन श्रमिकों की भर्ती में दलालों की भूमिका नगण्य होती थी। श्रमिक कानूनी तौर पर स्वतंत्र होते थे। अनुबंध समाप्ति पर औपनिवेशिक सत्ताधारियों द्वारा इन श्रमिकों के स्थायी निवास के लिए इनको कृषि योग्य भूमि प्रदान करने का प्रावधान था।

3.1.4. महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश

1893 ई. में मोहनदास करमचंद गांधी एक वकील के रूप में एक वर्ष की करार और 105 पौंड की फीस पर हिंदुस्तान से दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुँचे। डरबन में गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला और प्रिटोरिया में गुजरात के ही मेमन व्यापारी तैयब हाजी खान अहमद की व्यापारिक फर्में थीं। दोनों व्यापारियों के बीच व्यापारिक मुकदमों से संबंधित नियुक्तअंग्रेज वकीलों, बैरिस्टरों को गुजराती करार को अंग्रेजी में निर्वचन के उद्देश्य से दादा अब्दुल्ला ने एम. के. गांधी को डरबन भेजा। मुकदमें के सिलसिले में रेल मार्ग से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय कड़ाके की ठंढ में आधी रात को मैरिसबर्ग स्टेशन पर गोरे रेलवे पुलिस के द्वारा नस्ल और रंगभेद की मानसिकता के कारण प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद गांधी को अपमानित करके और धक्के मारकर उनके समान को बाहर फेंक दिया गया। रातभर प्रतीक्षालय रूम में कांपते हुए एम. के. गांधी सोचते रहे कि "इस अपमान के कारण यहाँ से भाग जाना कायरता होगी। हाथ में लिया हुआ अपना काम मुझे पूरा करना ही चाहिए। व्यक्तिगत अपमान सहकर और मार खानी पड़े तो मार खाकर भी मुझे प्रिटोरिया पहुँचना ही चाहिए।" (गांधी, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास : 47) इस घटना से उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। गांधी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया।

1894 ई. 'नेटाल मर्क्युटी' अखबार में एक समाचार छपा, जिसमें नेटाल सरकार हिंदुस्तानियों को मताधिकार से वंचित करने वाली एक कानून पास करने वाली थी। कानून का विरोध करने के लिए दादा अब्दुल्ला सहित सभी हिंदुस्तानियों ने गांधी को नेटाल में रुकने के लिए आग्रह किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नेटाल के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत के लिए पंजीकृत करवाया। यह प्रवासन उनके आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। नेटाल में भारतीयों को संगठित करने, अपने अधिकार के प्रति सचेत रखने के लिए नेटाल के सभी भारतीय वर्गों के सहमति

और सहयोग से 1894 में 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' की स्थापना की, जिसके मंत्री एम. के. गांधी को बनाया गया। 1896 ई. के मध्य गांधी ने भारत लौटकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मानवाधिकार आंदोलन के लिए भारतीय नेताओं से समर्थन माँगा। इसी उद्देश्य से गांधी फिरोज शाह मेहता, बदरूद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रणाडे, लोकमान्य तिलक, प्रो. भंडारकर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भारत के बड़े नेताओं से मिले और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों की परिस्थिति से परिचय कराया। उसी वर्ष सपरिवार गांधी पुन दक्षिण अफ्रीका पहुँचे।

दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस, 1894, के संस्थापक सदस्य एवं मंत्री एम के. गाँधी

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को मानवाधिकारों से वंचित करने वाले ब्रिटिश सरकार के कानून , नीतियों के विरुद्ध गांधी ने आवाज उठाई और भारतीयों को संगठित कर निरंतर संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों जैसे- अनिवार्य पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, अंत:प्रांतीय अप्रवासन पर प्रतिबंध, बंधक मज़दूरों पर लगाए गए कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानूनों आदि के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1899 ई. में बोअर-युद्ध जो अंग्रेज़ और अफ्रीका में रहने वाले डच मूल के लोग जिन्हें बोअर कहा जाता था, के समय गांधी ने 'इंडिन ऐम्बुलेंस कोर' का गठन किया, जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा-कार्य किया और उसके बदले उन्हें 'बोअर-युद्ध पदक' प्रदान किया गया। बोअर युद्ध की समाप्ति के बाद 1901 ई. के अंत में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।

3.1.5. महात्मा गांधी का मॉरीशस प्रवास

1901 ई. में गांधी समुद्र मार्ग से भारत लौटते हुए 29 अक्टूबर को मॉरीशस गए। जहाज एस. एस. नौशेरा में खराबी आने और रसद के लिए मॉरीशस के पोर्ट लूई के बंदरगाह पर रुके। (रामशरण, 2004 : 106-07) वहाँ गांधी ने भारतीय गिरमिटिया मज़दूरों की दशा को समझा और वहाँ के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन लोगों को अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए सलाहें दी, जैसे : अपने बच्चों को शिक्षित करो और स्वस्थ रखो, उन्हें मॉरीशस की राजनीति में आने के लिए प्रेरित करो और प्रेरणा के लिए भारत पर निगाह रखो। मॉरीशस के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की बदहाली से चिंतित होकर वे डॉक्टर मणिलाल को 1907 ई. में मॉरीशस भेजा। मणिलाल,

गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारतीय सेवक समाज के एक युवा सदस्य थे। वे अदालतों में गिरमिटिया असहाय मजदूरों की नि:शुल्क पैरवी करते, कोठी-मालिकों की शोषण प्रवृत्ति का अपने लेखों द्वारा पर्दाफाश करते, धार्मिक विषयों पर चर्चा कर विभिन्न धर्मावलंबियों का मतभेद दूर करते, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में 'हिंदुस्तानी' दैनिक पत्र को निकालकर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित समाचारों को सरकार तक पहुँचाते और अपने लेखों द्वारा भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और भारतीय लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाते थे। भारतीयों में आत्मगौरव बढ़ाने के लिए 'यंग मेंस हिंदूएसोसिएशन' तथा 'आर्य समाज' जैसी संस्थाओं की स्थापना की। 1910 ई. और 1911 ई. के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मॉरीशस के भारतवंशियों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही, डॉक्टर मणिलाल दक्षिण अफ्रीका जाकर गांधी जी को मॉरीशस के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया करते थे। डॉक्टर मणिलाल के मॉरीशस में सत्याग्रह सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर दो भारतीयों ने सन् 1911 ई. में चुनाव लड़े। पंडित काशीनाथ और पं. रामावद्य उच्च शिक्षा के लिए भारत गए जबकि रामखेलावन बुधन बैरिस्टरी शिक्षा के लिए विलायत पहुँचे। इन्हीं से प्रेरित होकर मॉरीशस आर्य पत्रिका और ओरियण्टल गजट का निकलना संभव हो पाया। (रामशरण,1995 : 8, 2004 : 7) गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अनुयायियों में एक भारतीयवंशी मॉरीशसन् नागरिक थाम्बी नायडू था। उन्हीं के जरिए गांधी जी को मॉरीशस के बारे में भारतीयों के हालात के बारे में जानकारी हुई थी। गांधीजी, डॉक्टर मणिलाल जैसे भारतीयों की प्रेरणा के कारण मॉरीशस के राजनीतिक संघर्ष में भारतीय मूल के लोग आगे रहते हुए सत्ता तक पहुँच सके, जैसे- सर शिव सागर राम गुलाम मॉरीशस के प्रथम राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता हुए।

3.1.6. महात्मा गांधी का फिजी पर प्रभाव

सन् 1879 से ले कर सन् 1916 तक हजारों भारतीय गिरमिट की प्रथा के तहत फिजी द्वीप में गए। गिरमिट की अवधि को पूरी कर कितने ही भारतीय स्वदेश लौट आए, मगर इनमें से अधिकतर फिजी में ही रह कर स्वतंत्र रूप से खेती तथा व्यापार करने लगे। इनमें से अधिकांश अशिक्षित थे, फिर भी उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से फिजी के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में पूरा-पूरा हाथ बँटाया। आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए तथा भेदभावों का सामना करते हुए भी अपनी संतानों को शिक्षित करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। इन्हीं पूर्वजों की मेहनत और त्याग के फलस्वरूप फिजीद्वीप आज 'प्रशांत महासागर के स्वर्ग' के नाम से प्रसिद्ध है (सनाढ्य तोताराम, फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष, लाल ब्रिज. वी. 2012)। तोताराम सनाढ्य इन्हीं गिरमिटिया में से एक थे, जिन्हें भारत के फिरोजाबाद से फुसलाकर फिजी ले जाया गया। इन्होंने फिजी में दयनीय स्थिति में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए एम. के. गांधी को पत्र लिखा। इसी पत्र से प्रेरित होकर गांधी जी नेडॉक्टर मणिलाल (1912-20) और सी. एफ. एंड्रूज़(1916) को फिजी में काम रहे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों एवं अन्य भारतीयों की मदद के लिए फिजी भेजा। डॉक्टर मणिलाल ने फिजी में रहकर भारतीय के विरुद्ध चल रहे अदालती मुकदमें में भारतीयों का पक्ष रखा। फिजी में बसे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और अन्य भारतीयों को संगठित करने के लिए द्विभाषीय अखबार 'इंडियन सेटेलर' निकाला तथा 'इंडियन इम्पीरियल एसोसिएशन' नामक संगठन बनाया। (लाल ब्रिज. वी. 2007 : 370-382) इन्हीं संघर्षों और प्रेरणाओं के कारण महेंद्र चौधरी को फिजी का प्रधान मंत्री बनने का अवसर मिला जो भारतीय मूल के थे।

3.1.7. महात्मा गांधी पुनः दक्षिण अफ्रीका में

गांधी जी 1902 ई. में भारतवंशियों के बुलावे पर फिर से दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने ट्रांसवाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपने को पंजीकृत कराया और 'ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना की। 1904 ई. में जोहान्सबर्ग से नटाल के लिए जाते समय गांधी जी ने हेनरी पोलक द्वारा दी गई रस्किन की पुस्तक 'अण्टु दिस लास्ट' पढ़ी। गांधी जी को इस पुस्तक ने गहरे रूप से प्रभावित किया और गांधी ने इस पुस्तक का अनुवाद गुजराती में 'सर्वोदय' नाम से किया। 'सर्वोदय' सिद्धांतों पर अमल करने के प्रयत्न फलस्वरूप 'फीनिक्स फार्म' (1904) की स्थापना हुई। फीनिक्स फार्म से 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो पूर्णत: सहकारिता एवं श्रमदान के नियम पर संचालित होता था। गांधी जी के अनुसार, इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी भारतीय रहते हों, उन तक सत्याग्रह से संबंधित घटनाओं को पहुँचाना तथा सत्याग्रह की शिक्षा और सामुदायिक जीवन के प्रयोग की जानकारी दक्षिण अफ्रीका के अलग राज्यों में बसे भारतवंशियों को देना। गांधी ने आहार-विज्ञान एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर अनेक लेख गुजराती में लिखे, जो हिंदी में 'आरोग्य दर्शन' नामक पुस्तक में संकलित व प्रकाशित हुए। 1906 ई. में गांधी ने जुलू विद्रोह (जुलू अफ्रीकी मूल के लोग) के समय इंडियन स्ट्रेचर-बेअरर कोर की स्थापना की। सार्वजनिक सेवा और सत्याग्रह के लिए 1906 ई. में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निर्णय लिया।

एम. के. गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में

(नेटाल में सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए गांधी ने अरजी दिया जो विरोध के बाद स्वीकार हुआ। दक्षिण अफीका के सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृतहोने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर थे एम. के. गांधी)

3.1.8. भारतवंशियों को मानवाधिकार से वंचित करने वाले कानून

जुलू विद्रोह का दमन करने के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया गया। जनरल स्मट्स एवं अन्य दूसरे अधिकारियों का विचार था कि पाश्चात्य सभ्यता एवं भारतीय सभ्यता का मिश्रण एवं साथ-साथ विकास संभव नहीं है तथा पाश्चात्य सभ्यता के लिए भारतीय सभ्यता नुकसानदेह है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रंग-भेद नीति संबंधी कानून की कठोरता बढ़ती गई। जब कठोरतम कानून 'एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट' पारित हुआ तब मोहनदास करमचंद गांधी ने घोषणा कर दी कि ''हम इसका सामना करेंगे और इसके समक्ष झुकने से इनकार करेंगे।''

ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेश में ट्रांसवाल सरकार द्वारा 22 अगस्त 1906 ई. को एक कठोरतम शासनादेश जारी किया गया, जिसके प्रमुख नियम निम्नलिखित थे -

1. ट्रांसवाल में रहने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक भारतवंशी, स्त्री –पुरूष तथा 8 वर्ष की उम्र से अधिक के बच्चों को ठिकाना, उम्र, जाति का उल्लेख करते हुए अपना नाम एशियाटिक दफ्तर में लिखाकर परवाना प्राप्त करना होगा।
2. पुराने परवाने को एशियाटिक दफ्तर में अधिकारियों को वापस करना होगा।
3. नाम दर्ज करने वाले अधिकारी (रजिस्ट्रार) को अर्जी दाखिल करने वाले अर्जदार के शरीर पर कोई खास निशान हो तो उसे लिख लेना चाहिए।
4. अंगूठा तथा दूसरी अंगुलियों की छाप देनी होगी।
5. एक निश्चित अवधि के भीतर अपना नाम एशियाटिक दफ्तर रजिस्ट्रार के पास दर्ज करने की अर्जी नहीं देने पर ट्रांसवाल में निवास करने के अधिकार से वंचित होना होगा।
6. अर्जी न दाखिल करना कानून के अनुसार अपराध माना जाएगा।
7. अपराध के लिए जुर्माना किया जा सकता है तथा जेल की सजा हो सकती है और कोर्ट उचित समझे तो अपराधी को देश निकाला की सजा भी दे सकती है।
8. बच्चों की अर्जी माता-पिता को देना होगा। बच्चों को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना, अंगुलियों की छाप एवं निशानियों को देने की ज़िम्मेदारी माता-पिता की होगी।
9. माता–पिता को यह ज़िम्मेदारी नहीं निभाने पर सजा हो सकती है।
10. पुलिस अधिकारी द्वारा परवाना माँगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परवाना न प्रस्तुत करने पर अपराधी माना जाएगा और जुर्माना, कैद, देश निकाला आदि की सजा हो सकती है।

उपर्युक्त नियम के इस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि ''मैंने ऐसा विधान (नियम) कभी नहीं देखा जो किसी भी देश के स्वतंत्र व्यक्तियों के विरुद्ध निर्मित किया गया है। बोअर युद्ध में भारतीयों का सहयोग एवं सज्जनता के बदले यह कानून बनाया गया था, महात्मा गांधी ने इस कानून को 'खूनी कानून' कहा। यह कानून दक्षिण अफ्रीका में परिचय कराने के लिए 'खूनी कानून' के रूप में प्रचलित हो गया था। 'दि ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' की सदस्यता काफी बड़ी थी, किंतु महात्मा गांधी उन्हें संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। इस समय ट्रांसवाल में महात्मा गांधी ने 'पैसिव रेजिस्टेन्स एसोसिएशन' नामक एक नई संस्था बनाई। वे जानते थे कि यह संघर्ष दीर्घकालिक होगा। इसलिए उन्होंने कहा- ''मैं साहसपूर्वक एवं निश्चयपूर्वक यह घोषणा कर सकता हूँ कि जब तक अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अडिग मुट्ठी भर सच्चे लोग होंगे इस संघर्ष का केवल एक अंत हो सकता है और वह होगी विजय।

3.1.9. महात्मा गांधी का 'खूनी कानून' के विरुद्ध सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल उपनिवेश में 11 सितंबर, 1906 ई. को यहूदियों की एक नाटक शाला में भारतवंशियों की एक सभा हुई। इस सभा में ट्रांसवाल के भिन्न-भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सभा का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने तैयार किया था। उस नाटक शाला की सभा में इतनी भीड़ थी कि वहाँ पाँव रखने के लिए भी स्थान नहीं था। इस सभा के सभापति 'ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी थे। अब्दुल गनी सेठ ट्रांसवाल के बहुत ही पुराने निवासियों में से एक थे और वे मुहम्मद कासिम करीमुद्दीन नामक पेढ़ी (व्यापारिक प्रतिष्ठान) के साझेदार व्यापारी थे। वे इस पेढ़ी के जोहान्सबर्ग शाखा के व्यवस्थापक थे। इस सभा में विभिन्न प्रस्ताव पास हुए। महात्मा गांधी ने लिखा है कि इस सभा में सच्चा प्रस्ताव एक ही था, जिसका आशय, "ट्रांसवाल में 22 अगस्त, 1906 ई. में पारित बिल, जो एशियाटिक दफ्तर में प्रत्येक हिंदुस्तानियों का नाम दर्ज कराने से संबंधित थी, उसके विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद यदि वह धारा सभा में पास हो ही जाए तो हिंदुस्तानी उसके समक्ष हार न माने और हार न मानने के फलस्वरूप जो-जो दु:ख भोगने पड़े, उन सबको बहादुरी से सहन करें।'' इस विरोध एवं संघर्ष प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका समस्त वक्ताओं ने और हिंदुस्तानियों की भीड़ ने सहर्ष समर्थन किया।

इस सभा के समर्थक वक्ताओं में सेठ हाजी हवीब दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने निवासी एवं काफी अनुभवी थे, उनका भाषण काफी जोशीला था। उन्होंने कहा- "बिल के विरोध का प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मानकर पास करना चाहिए। हम नामर्द बनकर ऐसे कानून के समक्ष कभी न झुकें। इसलिए मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इस कानून के सामने मैं कभी सिर नहीं झुकाउँगा। मैं इस सभा में आए हुए सभी लोगों को यह सलाह देता हूँ कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएँ।" सेठ हाजी हवीब के भाषण में कसम की बातें आने से महात्मा गांधी चौंक गए। उन्हें स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी एवं हिंदुस्तानी जनता की ज़िम्मेदारी का आभास हुआ। उन्होंने लिखा है कि "ईश्वर या खुदा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा भंग करता है तब वह खुद ही नहीं शरमाता है, समाज से उसे धिक्कारा जाता है और वह पापी माना जाता है, इसलिए प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा पर अमल करने का प्रयास करता है।" अंत में महात्मा गांधी ने कहा, "यद्यपि हम सभी साथ मिलकर यह प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं। हम सभी अपनी–अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह समझकर स्वतंत्र रूप से प्रतिज्ञा लें और यह समझकर लें कि दूसरे लोग कुछ भी करें, हम तो मरते दम तक उसका पालन करेंगे।" इस प्रकार सभा में समस्त हिंदुस्तानियों ने महात्मा गांधी के बिल का विरोध करने का प्रस्ताव ध्यान पूर्वक सुना। अन्य भारतीयों ने भी सभा में अपने वक्तव्य दिए और सभी ने अपनी एवं श्रोताओं की ज़िम्मेदारी की चर्चा की।

अंत में सभापति श्री अब्दुल गनी सेठ खड़े हुए और उन्होंने सभा के समक्ष हिंदुस्तानियों के विरोधी बिल का विरोध करने एवं इसके खिलाफ संघर्ष करने संबंधी संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट किया। अंतिम क्षण में सभा में उपस्थित समस्त भारतवंशियों ने खड़े होकर हाथ ऊँचे करके और ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ली कि, ''बिल पास होकर यदि कानून का रूप ले ले तो भी हम उसके सामने सिर नहीं झुकाएँगे।'' इस प्रकार ट्रांसवाल में प्रस्तावित भारतवंशियों को एशियाटिक दफ्तर में अपना नाम दर्ज कराने की अनिवार्यता एवं ऐसा नहीं करने पर अपराधी के रूप में सजा संबंधी 'खूनी कानून' का सभा में उपस्थित समस्त हिंदुस्तानियों ने प्रतिज्ञा सहित विरोध किया, जिससे महात्मा गांधी का संघर्ष का उत्साह काफी बढ़ गया।

इस विरोध प्रस्ताव के स्वरूप को महात्मा गांधी ने प्रारंभ में ‘पैसिव रेजिस्टेन्स’ नाम दिया था। इस प्रस्ताव के आंदोलन का नाम ‘पैसिव रेजिस्टेन्स’ अंग्रेज़ी में होने से भारतवंशियों को समझने में कठिनाई महसूस हुई महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नाम प्रस्तावित करने के लिए ‘इंडियन ओपीनियम’ समाचार पत्र में विज्ञापन निकालकर भारतवंशियों को उपयुक्त नाम खोजने का अवसर प्रदान किया। मगनलाल गांधी ने इस आंदोलन का नाम ‘सदग्रह’ लिखकर भेजा, जिसमें महात्मा गांधी ने द ‘का’ ‘त’ करके उसमें य जोड़कर ‘सत्याग्रह’ नाम बनाया और ‘सत्याग्रह’ के नाम से दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों का अत्याचार एवं अन्याय के विरोध में संघर्ष प्रारंभ हो गया।

1907 ई. में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन चलाया और सार्वजनिक सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हुए वकालत छोड़ दी। सत्याग्रह आंदोलन के कारण उन्हें 10 जनवरी, 1908 ई. को दो महीने के कारावास की सजा दी गई। जनरल स्मट्स (सरकार) द्वारा समझौता वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया तथा समझौता होने पर गांधी को जेल से मुक्त कर दिया गया, किंतु प्रवासी भारतीय पठानों ने इस समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विश्वासघात माना और उन्होंने गांधी पर प्राणघातक हमला किया। भाग्य से गांधी बच गए, फिर भी उन्होंने हमलावरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की। जनरल स्मट्स द्वारा समझौते की शर्तों के साथ विश्वासघात करने के कारण गांधी ने पुन सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्हें दो महीने का कठोर कारावास दिया गया। कारावास की अवधि पूरी करने के एक माह के अंदर सत्याग्रह करने पर पुन: गिरफ्तार किया गया। इस बार गांधी को तीन माह की सजा दी गई।

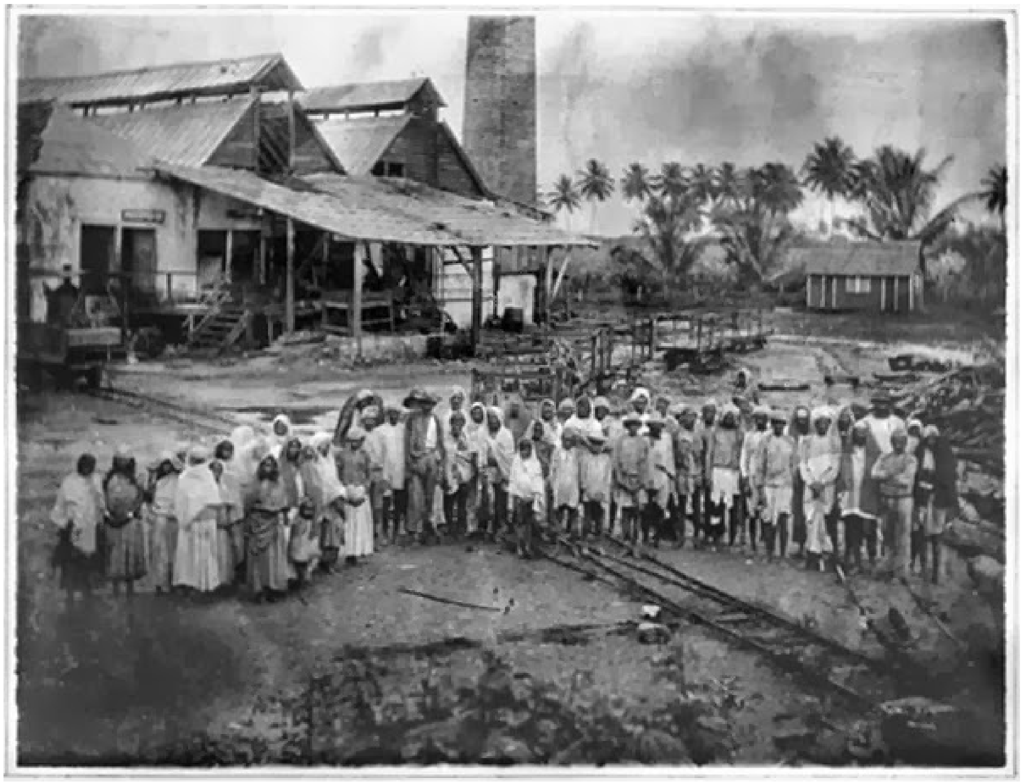

एम. के. गांधी सत्याग्रहियों के साथ

गांधी का सत्याग्रह के लिए लॉन्ग वॉक

भारतीय समस्याओं पर ब्रिटेन की सरकार से वार्ता करने के लिए गांधी शिष्टमंडल लेकर 1909 ई. में इंग्लैंड गए और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए वापस 'किल्डोनन कैसल' नामक जहाज़ से लौटते हुए अराजकतावादी विचारधारा रखने वाले हिंदुस्तानियों के शंका समाधान के लिए और अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखने के लिए बीज ग्रंथ के रूप में 'हिंद स्वराज' की रचना की। 30 मई, 1910 ई. को जोहान्सबर्ग के निकट सत्याग्रहियों के उपयोग के लिए जर्मनी मूल के अफ्रीकी नागरिक और गांधी के दोस्त कोलनबैक द्वारा 1100 एकड़ पर 'टालस्टाय फार्म' की स्थापना की गई। इस फार्म की महत्ता को बताते हुए खुद गांधी ने कहा- "सत्याग्रह के अंतिम युद्ध के लिए 'टालस्टाय फार्म' आध्यात्मिक शुद्धि और तपश्चर्या का स्थान सिद्ध हुआ।" गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले 22 अक्टूबर, 1912 ई. को दक्षिण अफ्रीका के नेटाल आए। गांधी जी ने नवंबर 1913 ई. में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा तीन पौंड के पोल-टैक्स को निरस्त न करने के विरोध में सत्याग्रह किया। गांधी ने 2023 पुरुषों, 127 स्त्रियों तथा 57 बालकों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। सरकार ने समझौता वार्ता के लिए उन्हें 18 दिसंबर को बिना शर्त रिहा कर दिया। जनरल स्मट्स के साथ हुए समझौते के कारण गांधी ने सत्यग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी के तहत भारतीयों को राहत देने वाले कानून (इंडियन्स रिलीफ बिल) को पारित किया गया।

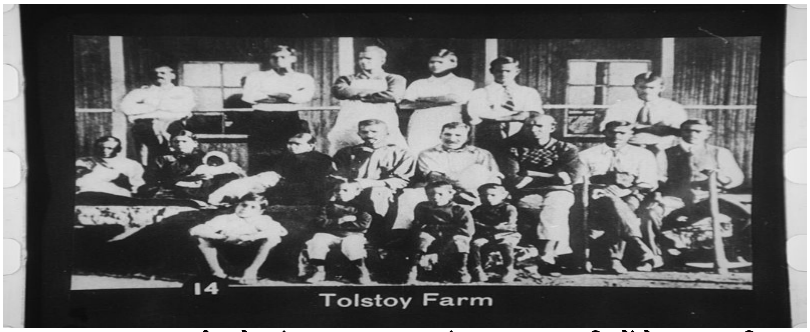

9 जनवरी, 1915 ई. को गांधी सपरिवार एवं कुछ सत्याग्रहियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के स्वदेश लौटने की याद में ही भारत सरकार ने 2003 से प्रतिवर्ष 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाना प्रारंभ किया है।

3.1.10. सारांश

महात्मा गांधी के शब्दों में "***अगर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई न लड़ी गई होती, तो आज न केवल दक्षिण अफ्रीका से, बल्कि सारे ब्रिटिश उपनिवेशों से हिंदुस्तानियों के पैर उखड़ जाते और उनकी खोज-खबर लेने वाला भी कोई न होता।".. (गांधी, 1924, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, पृ : 10)*** महात्मा गांधी के भारतवंशियों के मानवाधिकार के लिए संघर्ष के कारण ही आज भारतवंशी विश्व के कई देशों में राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए चलाए गए सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही महात्मा गांधी द्वारा संघर्ष के लिए प्रयुक्त तकनीक 'सत्याग्रह' का प्रयोग अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी नेल्सन मंडेला, आन सू की द्वारा किया गया।

3.1.11. बोध प्रश्न

1. गोरी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों को मानवाधिकार से वंचित करने वाले कौन-कौन से कानून को पारित किया?
2. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस प्रकार के अपमान सहने पड़े?
3. दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों को मानवाधिकार से वंचित करने वाले कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन-सा आंदोलन किया?
4. महात्मा गांधी का फ़िजी और मॉरीशस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा?

3.1.12. संदर्भ एवं उपयोगी ग्रंथ

1. सनाढ्य, तोताराम. (1972). फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष. वर्धा : हिंदी समय
2. गांधी, एम. के. (1949). हिन्द स्वराज. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर
3. गांधी, एम. के. (1957). सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, ISBN 9788172290504
4. गांधी, एम. के. (1968). दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, ISBN 8172291078
5. चंद्र, बिपन (1990). भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नई दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय।
6. रामशरण, प्रह्लाद. (1995). महात्मा गांधी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन मॉरीशस नई दिल्ली : स्टर्लिंग पब्लिशर्स लिमिटेड
7. रामशरण, प्रह्लाद. (2004). मॉरीशस का इतिहास. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, ISBN 8181431005
8. लाल बी. वी. रीव्स पी., और राय आर. (संपा.). (2006). द एनसॉयक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. ISBN 9780824831642.
9. Jain, P.C. (1999). Indians in South Africa. New Delhi, Kalinga Publication. 8185163102-X.

10. जोशी, आर. राय, राजीव. आर. आदि. (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन. ISBN 978-81-267-2611-0.

11. रिपोर्ट ऑफ दि हाई लेवल कमेटी ऑन दि इण्डियन डायस्पोरा, नई दिल्ली, (भारत सरकार) 8 जनवरी 2002 (दिसंबर 2001).

खंड-3 भारतीय डायस्पोरा का पहचान के लिए संघर्ष

इकाई – 2 दक्षिण अफ्रीका

इकाई की रूपरेखा

3.2.1. उद्देश्य
3.2.2. प्रस्तावना
3.2.3. दक्षिण अफ्रीका का परिचय
3.2.4. दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों का प्रवेश
3.2.5. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की भाषा
3.2.6. दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी
3.2.6.1. मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन
3.2.6.2. सर्वोदय का सिद्धांत और महात्मा गांधी का आश्रमी प्रयोग
3.2.6.3. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध)
3.2.6.4. महात्मा गांधी के अनुयायी भवानी दयाल संन्यासी दक्षिण अफ्रीका में
3.2.7. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन रोलीह्लला मंडेला पर महात्मा गांधी का प्रभाव
3.2.8. सारांश
3.2.9. बोध प्रश्न
3.2.10. संदर्भ ग्रंथ सूची

3.2.1. उद्देश्य

इस इकाई अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. दक्षिण अफ्रीका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रवासन के बारे में जानकारी देना
3. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह।
4. गांधी के बाद कार्य करने वाले भवानी दयाल संन्यासी के बारे में जानकारी देना।
5. दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला द्वारा किए गएसंघर्ष का अध्ययन करना।

3.2.2. प्रस्तावना

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की संख्या लाखों में है। सर्वप्रथम वर्ष 1653 में डच व्यापारियों द्वारा भारतीयों को वहाँ दास के रूप में बेचा गया। दास प्रथा के उन्मूलन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कृषि श्रमिकों के रूप में अधिक संख्या में भारतीय बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए। इसके अतिरिक्त गुजराती व्यापारियों का भी प्रवासन हुआ। वहाँ भारतीयों की अधिक संख्या और अच्छी स्थिति होने के बावजूद उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, जिसके लिए वर्ष 1893 में गांधी जी ने कड़ा संघर्ष किया। कालांतर में सत्ता हस्तांतरण के पश्चात् कूटनीतिक नीतियों के तहत सत्ताधिकारियों द्वारा वहाँ के कुछ सशक्त भारतीय समूहों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई गई। परिणामतः विद्रोह का तो दमन हो गया, परंतु भारतीयों की वास्तविक स्थिति यथावत रही। वर्तमान समय में भी भारतीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संघर्षरत हैं।

3.2.3. दक्षिण अफ्रीका का परिचय

दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएँ उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिंबाबे तथा उत्तर-पूर्व में मोज़ांबिक और स्वाज़ीलैंड के साथ लगती हैं, जबकि लेसूथो एक स्वतंत्र ऐसा देश है, जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। आधुनिक मानव की बसाहट दक्षिण अफ्रीका में एक लाख साल पुरानी है। यूरोपीय लोगों के आगमन के दौरान क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक स्थानीय लोग आदिवासी थे, जो अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से हजार साल पहले आए थे। 4-5वीं शताब्दी के दौरान बंतू भाषी आदिवासी दक्षिण की ओर बढ़े और दक्षिण अफ्रीका के वास्तविक निवासियों को विस्थापित करने के साथ-साथ उनके साथ शामिल भी हो गए। यूरोपीय लोगों के आगमन के दौरान झोसा और ज़ूलू दो बड़े समुदाय थे।

केप समुद्री मार्ग की खोज के करीबन डेढ़ शताब्दी बाद 1692 ई. में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस जगह पर खानपान केंद्र (रिफ्रेशमेंट सेंटर) की स्थापना की, जिसे आज केप टाउन के नाम से जाना जाता है। 1806 ई. में केप टाउन ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। 1820 ई. के दौरान बोअर (डच, फ्लेमिश, जर्मन और फ्रेंच सेटलर्स) और ब्रिटिश लोगों के देश के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में बसने के साथ ही यूरोपीय बसाहट में वृद्धि हुई। इसके साथ ही क्षेत्र पर कब्जे के लिए झोसा, जुलू और अफ्रीकन के बीच झड़प बढ़ती गई।

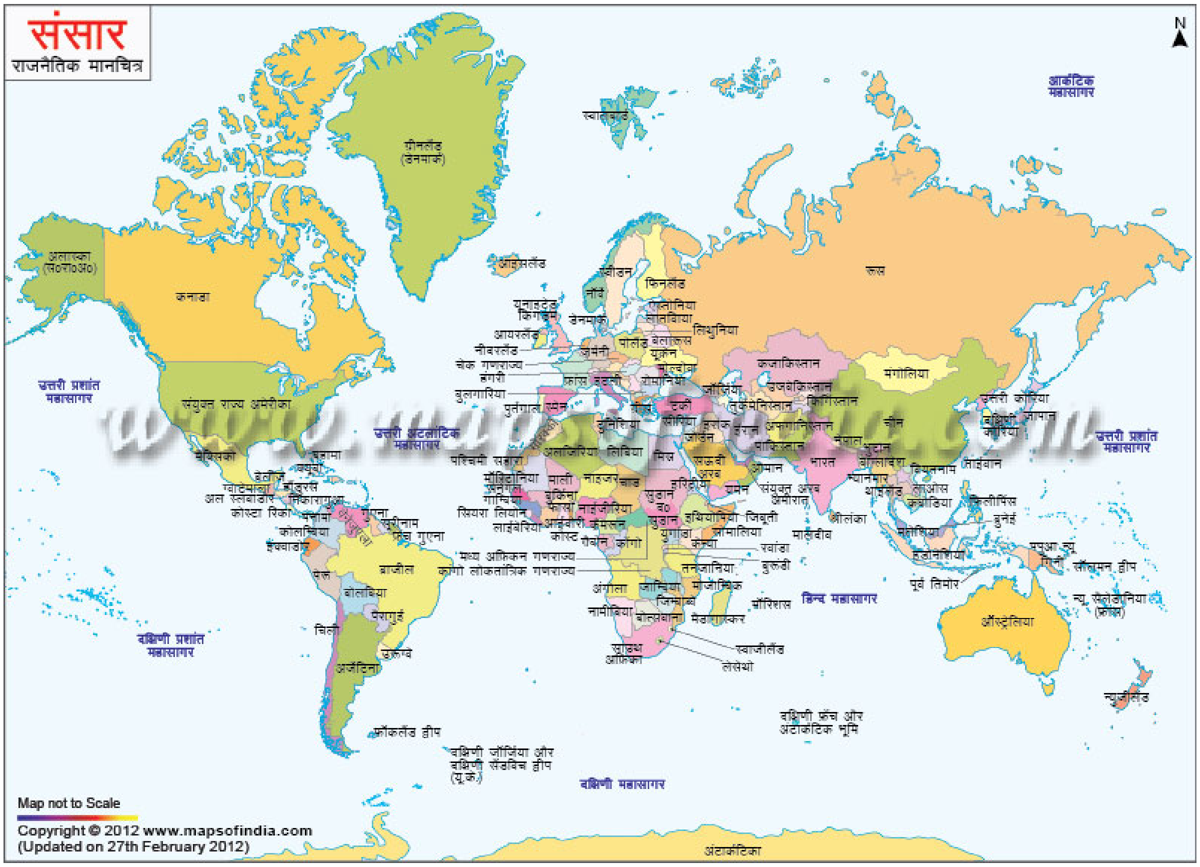

हीरा और बाद में सोने की खोज के साथ ही 19वीं शताब्दी में द्वंद्व शुरू हो गया, जिसे एंग्लो-बोअर युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्रिटिश ने बोअर पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन 1910 ई. में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश डोमिनियन के तौर पर सीमित स्वतंत्रता प्रदान की। 1961 ई. में दक्षिण अफ्रीका को गणराज्य का दर्जा मिला। देश के भीतर और बाहर विरोध के बावजूद सरकार ने रंगभेद की नीति को जारी रखा। 20 वीं शताब्दी में देश की दमनकारी नीतियों के विरोध में बहिष्कार करना शुरू किया। काले दक्षिण अफ्रीकी और उनके सहयोगियों के सालों के अंदरूनी विरोध, कार्रवाई और प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आखिरकार 1990 ई. में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वार्ता शुरू की, जिसकी परिणति भेदभाव वाली नीति के खत्म होने और 1994 ई. में लोकतांत्रिक चुनाव से हुई। देश फिर से राष्ट्रकुल देशों में शामिल हुआ।

दक्षिण अफ्रीका जातीय रूप से सबसे ज्यादा विविधताओं वाला देश है और यहाँ अफ्रीका के किसी भी देश से ज्यादा श्वेत रहते हैं। अफ्रीकी जनजातियों के अलावा यहाँ कई एशियाई देशों के लोग भी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भारत से आए लोगों की सँख्या है।

3.2.4. दक्षिण अफ्रीका में भारतवंशियों का प्रवेश

सर्वप्रथम 1653 ई. में भारतीय दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। 1653 ई. में जब डच व्यापारी स्वदेश वापस गए तो वे अपने साथ भारतीय एवं पूर्वी भारतीयों (दासों एवं गुलामों) को ले गए और उन्हें डच कॉलोनियों (उपनिवेशों) में दास एवं गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उस समय दासों का व्यापार होता था। गांधी जी ने लिखा है कि डच लोग गुलाम रखते थे, कुछ डच अपने जावा एवं पूर्वी भागों से गुलामों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के उस भाग में गए जिसे 'केप कॉलोनी' के नाम से जानते हैं। इनमें भारतीय एवं मलायी मुसलमान थे, जो गोरों की नौकरी एवं गुलामी करते थे।

1833 ई. में दास प्रथा की समाप्ति के बाद अफ्रीकी मूल के लोगों के द्वारा बागानों, खदानों एवं अन्य निर्माण कार्यों में काम करने से मना करने तथा मन से काम नहीं करने के कारण अंग्रेज़ों के उपनिवेश दक्षिण अफ्रीका के नटाल, ट्रांसवाल, प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग जैसे राज्यों में गन्ने, चाय, कॉफी, खदान के उत्पादन तथा संरनात्मक निर्माण कार्य (रेल, सड़क, भवन निर्माण) के लिए हजारों मज़दूरों की जरूरत थी। नटाल सरकार ने इसके लिए भारत सरकार (ब्रिटिश भारत) से मज़दूरों की माँग की। भारत सरकार ने नटाल की माँग स्वीकार की जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तानी मज़दूरों का पहला जहाज 16 नवंबर, 1860 ई. को नटाल पहुँचा। ये हिंदुस्तानी मज़दूर नटाल में 3 से 5 वर्ष के एग्रीमेंट पर ले जाए गए

जो अपने को 'गिरमिटिया' कहते थे। गिरमिटिया मज़दूरों को गोरे लोग अपमानित करने के लिए 'कुली' कहते थे, जैसे- कुली, कुली व्यापारी, कुली बैरिस्टर। कुली का अर्थ था बोझ ढोने वाले मज़दूर। इस प्रकार भारतीयों का दक्षिण अफ्रीका में बसने का सिलसिला ही शुरू हो गया। मज़दूर गए, तो पीछे-पीछे व्यापारी भी गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद वहीं बस गए थे। तत्कालीन एक अंग्रेज़ पदाधिकारी सर विलियम्स हंटर ने अफ्रीका पहुँचे हिंदुस्तानी मज़दूरों की स्थिति के अध्ययन करने के बाद पाया कि ये मज़दूर लगभग गुलामी की स्थिति में थे। महात्मा गांधी के अनुसार, जो जहाज इन मज़दूरों को हिंदुस्तान से दक्षिण अफ्रीका के नटाल ले गया वही जहाज मज़दूरों के साथ सत्याग्रह के महान वृक्ष का बीज भी नटाल ले गया। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में ज्यादातर तो अशिक्षित थे और जो थोड़ा-बहुत पढ़े-लिखे थे, उनका अंग्रेज़ी का ज्ञान नाममात्र का था। पैसेवाले धनी व्यापारी बस उतनी ही अंग्रेज़ी समझ-बोल लेते थे, जो व्यापार करने के लिए ज़रूरी था। भारतीयों के प्रति औपनिवेशिक शासकों की गोरी जाति, जातीय एवं नस्लीय भेदभाव बरतती थी। भारतीयों ने इस अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। कभी यदि उनके दिल में विरोध की भावना उठती भी, तो वे उसे दबा देते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर लौटे और दक्षिण अफ्रीका पहुँचने वाले मोहनदास करमचंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का आगमन (1860)

3.2.5. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की देशज भाषा

दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा तथा भारतीय भाषाओं के विभिन्न रूपों के सम्मिश्रण से जिस हिंदी भाषा का रूप उभरा, उसे नाताली हिंदी या कलकतिया बात कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीय मूल के लोगों के बीच बोली जाने वाली हिंदी की विशिष्टभाषिक शैली को नैताली नाम से संबोधित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका चार प्रांतों में बँटा हुआ है- नताल, केप, आरेंज फ्री स्टेट तथा ट्रांसवाल। दक्षिण अफ्रीका के महानगर डरबन में भारतीय मूल के निवासी सबसे अधिक हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली हिंदी जोकि भोजपुरी हिंदी का एक विशिष्ट रूप है भारतीयों के मध्य बोली जाती है, उसे नैताल में बोली जाने के कारण नैताली कहा जाता है। आज दक्षिण अफ्रीका में नैताली बोलने वाले

भारतीय मूल के लोग अधिक नहीं हैं। यही कारण है कि नैताली में साहित्य लेखन बहुत कम हो रहा है। वहाँ के लोकगीतों में नैताली का रूप आज देखने को मिलता है। लोकगीतों का एक विशिष्ट रूप जिसे 'चटनी' नाम से संबोधित किया जाता है, आजकल प्रतिष्ठित भारतीय समाज में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। विवाह के अवसरों पर आज इनकी माँग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पश्चिमी डिस्को की शैली में ढले ये नैताली लोकगीत आधुनिक फैशन के प्रतीक बन गए हैं। इन चटनी लोकगीतों ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक तथा भाषिक मूल की ओर भारतीयों को फिर से आकर्षित किया है। यह नैताली हिंदी ही है जो भारतीयों को उनके मूल भारत से तथा उनके कर्मक्षेत्र दक्षिण अफ्रीका से जोड़े हुए है।

नैताली हिंदी भाषा नमूना : *बागन का साहब - यू रास्कल, टुम काम छोड़ डेना चाहटा है। हम टुमारा बोटी बोटी काट डालेगा।*

गिरमिटिया श्रमिक - नाहीं साहेब.... हम काम छोड़ के कहाँ जाइब? दुई चार दिंनां का हमका छुटी देव।

3.2.6. दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी

3.2.6.1. मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन

मोहनदास करमचंद गांधी 1891 ई. में बैरिस्टर होकर भारत लौटे और अप्रैल 1893 ई. में 24 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान से एक वर्ष के करार और 105 पौंड की फीस पर मई में डरबन पहुँचे। डरबन में पोरबंदर, गुजरात के मेमन व्यापारी दादा अब्दुल्ला की व्यापारिक फर्म और प्रिटोरिया में पोरबंदर के ही मेमन व्यापारी तैयब हाजी खान अहमद की भी व्यापारिक फर्म थी। दोनों के बीच व्यापारिक विवाद से संबंधित मुकदमों के लिए उनके द्वारा नियुक्त अंग्रेज़ वकीलों, बैरिस्टरों को गुजराती करार को अंग्रेज़ी में समझाने के लिए एम. के. गांधी को दादा अब्दुल्ला की तरफ से एक वर्ष के करार और 105 पौंड की फीस पर अप्रैल 1893 ई. में डरबन भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले वे पहले भारतीय बैरिस्टर थे और पहले भारतीय जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त थी। मुकदमे के सिलसिले में रेल मार्ग से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय कड़ाके की ठंड में आधी रात को मैरिसबर्ग स्टेशन पर गोरे रेलवे पुलिस के द्वारा नस्ल और रंगभेद की मानसिकता के कारण प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद गांधी को अपमानित करके और धक्के मारकर उनके समान को बाहर फेंक दिया गया। रात भर प्रतीक्षालय रूम में काँपते हुए एम. के. गांधी सोचते रहे कि "इस अपमान के कारण यहाँ से भाग जाना कायरता होगी। हाथ में लिया हुआ अपना काम मुझे पूरा करना ही चाहिए। व्यक्तिगत अपमान सहकर और मार खानी पड़े तो मार खाकर भी मुझे प्रिटोरिया पहुँचना ही चाहिए।" इस घटना से उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। गांधी जी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया।

दादा अब्दुल्ला के कार्य की समाप्ति के बाद 1894 ई. में उन्होंने एम. के. गांधी की विदाई के अवसर पर एक समारोह किया। वहीं उनके हाथ 'नटाल मर्क्युटी' नामक अखबार लगी, जिसमें एक समाचार छपा था कि नटाल सरकार हिंदुस्तानियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक कानून पास करने वाली थी । इस कानून का विरोध करने के लिए सारे हिंदुस्तानियों ने गांधी को नटाल में रुकने के लिए आग्रह किया। नटाल में सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए गांधी ने अरजी दिया, जो विरोध के बाद स्वीकार हुआ। दक्षिण अफ्रीका के नटाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले वे पहले भारतीय थे। तब से गांधी 1914 ई. तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यह प्रवासन उनके आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। वे प्रवासी भारतीय समुदाय के

अग्रगण्य नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जून 1894 ई. में नटाल में भारतीयों को संगठित करने, अपने अधिकार के प्रति सचेत रखने के लिए नटाल के सभी भारतीय वर्गों के सहमति और सहयोग से 'नटाल इंडियन कांग्रेस' की स्थापना की, जिसका मंत्री एम. के. गांधी को बनाया गया। 1896 ई. के मध्य गांधी जी भारत लौटे। भारत आकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के आंदोलन के लिए भारतीय नेताओं से समर्थन माँगा। इसी उद्देश्य से वे बंबई में फिरोजशाह मेहता, बदरूद्दीन तैयबजी, महादेव गोविन्द रणाडे, पूना में लोकमान्य तिलक, प्रो. भंडारकर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेताओं से मिलकर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की स्थिति से परिचय कराया। उसी वर्ष वे अपने परिवार के साथ पुन: दक्षिण अफ्रीका पहुँचे।

गांधी जी निरंतर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मानवाधिकारों के लिए ब्रिटिश गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अफ्रीकी सरकार **अनिवार्य पंजीकरण तथा हस्तमुद्रण, अंत:प्रांतीय अप्रवासन पर प्रतिबंध, बंधक मज़दूरों पर लगाए गए कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानूनों** का डटकर विरोध किया। वहाँ उन्होंने 1899 में बोअर-युद्ध के समय 'इंडियन एबुलेंस कोर' का गठन किया जिसने युद्ध में उल्लेखनीय सेवा-कार्य किया और उसके बदले उन्हें 'बोअर-युद्ध पदक' प्रदान किया गया। बोअर युद्ध की समाप्ति के बाद 1901 ई. के अंत में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1902 ई. में गांधी जी को प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुन: दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे ट्रांसवाल के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और 'ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' की उन्होंने स्थापना की।

3.2.6.2. सर्वोदय का सिद्धांत और महात्मा गांधी का आश्रमी प्रयोग

1904 ई. जोहान्सबर्ग से नटाल के लिए जाते समय गांधी जी हेनरी पोलक द्वारा दी गई रस्किन की पुस्तक 'अण्टु दिस लास्ट' पढ़ी। गांधी जी को इस पुस्तक ने गहरे रूप से प्रभावित किया और गांधी ने इस पुस्तक का अनुवाद गुजराती में 'सर्वोदय' नाम से किया। गांधी जी के शब्दों में 'मैं सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार समझता हूँ:

1. सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है।
2. वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है।
3. सादा मेहनत - मज़दूरी का, किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली चीज मैं जानता था। दूसरी को मैं धुँधले रूप में देखता था। तीसरी का मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। 'सर्वोदय' ने मुझे दिये की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समाई हुई हैं। सवेरा हुआ और मैं इन सिद्धांतों पर अमल करने के प्रयत्न में लग गया। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप फीनिक्स फार्म (1904) की स्थापना हुई।

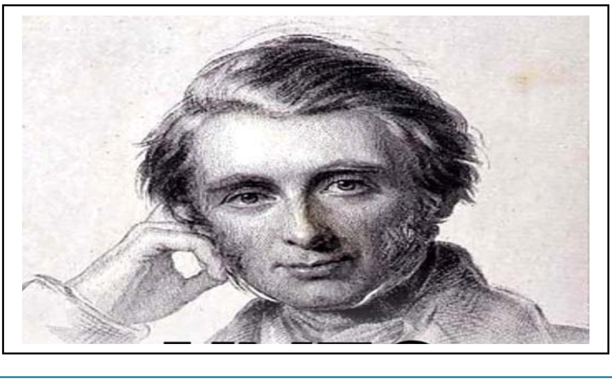

फीनिक्स फार्म से ही 1904 ई. में **'इंडियन ओपीनियन'** नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो पूर्णत: सहकारिता एवं श्रमदान के नियम पर संचालित होता था। उसी वर्ष गांधी जी ने आहारविज्ञान पर अनेक लेख गुजराती में लिखे, जो हिंदी में **'आरोग्य दर्शन'** नामक पुस्तक में संकलित व प्रकाशित हुए। 1906 ई. में गांधी जी ने जुलू-विद्रोह के समय 'इंडियन स्ट्रेचर-बेअरर कोर' की स्थापना की। उसी

Indian Opinion

PUBLISHED WEEKLY IN ENGLISH AND GUJARATI

DEBATE ON INDENTURED LABOUR

फीनिक्स फार्म फीनिक्स नामक पक्षी के नाम पर आधारित

वर्ष उन्होंने निर्विघ्न सेवा कार्य के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया।

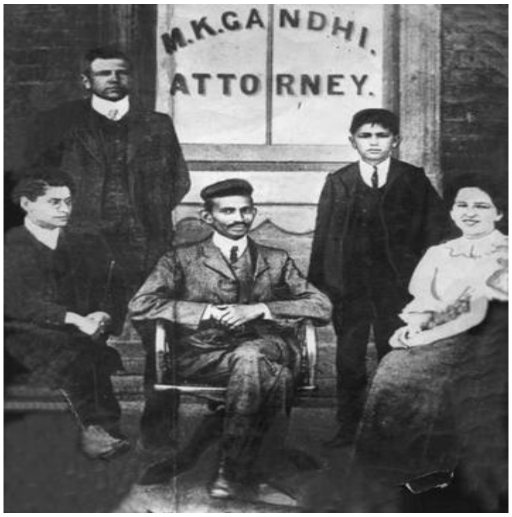

1

जोहान्सबर्ग के लॉ कार्यालय में, एम. के. गांधी (मध्य में), हेनरी पोलक (बाँए, गांधी के सहयोगी), सोजना श्लेसिन (दाँए, गांधी के सहयोगी) व अन्य

3.2.6.3. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध)

जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल एशियाटिक ला अमेन्डमेन्ट ओर्डिनेन्स के विरोध में भारतीयों की विशाल सभा आयोजित कर गांधी जी ने उनसे इस काले कानून के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध करने की शपथ दिलवाई। इस काले कानून को समाप्त करवाने से संबंधित वार्ता के लिए वे प्रतिनिधि मंडल लेकर इंग्लैंड भी गए और उपनिवेश मंत्री के सामने प्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अन्याय का विवरण प्रस्तुत किया। सरकार द्वारा बात नहीं मानने के कारण 1907 ई. में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन चलाया और सार्वजनिक सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हुए वकालत छोड़ दी। सत्याग्रह आंदोलन के

कारण उन्हें 10 जनवरी, 1908 ई. को दो महीने के कारावास की सजा दी गई। जनरल स्मट्स (सरकार द्वारा) समझौता वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया तथा समझौता होने पर गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया, किंतु प्रवासी भारतीय पठानों ने इस समझौते को भारतीय हितों के विरुद्ध विश्वासघात माना और उन्होंने गांधी जी पर प्राणघातक हमला किया। भाग्य से गांधी जी बच गए, फिर भी उन्होंने हमलावरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की। जनरल स्मट्स द्वारा समझौते की शर्तों के साथ विश्वासघात करने के कारण गांधी जी ने पुन: सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्हें दो महीने का कठोर कारावास दिया गया। कारावास की अवधि पूरी करने के एक माह के अंदर सत्याग्रह करने पर पुन: गिरफ्तार किया गया। इस बार गांधी जी को तीन माह की सजा दी गई।

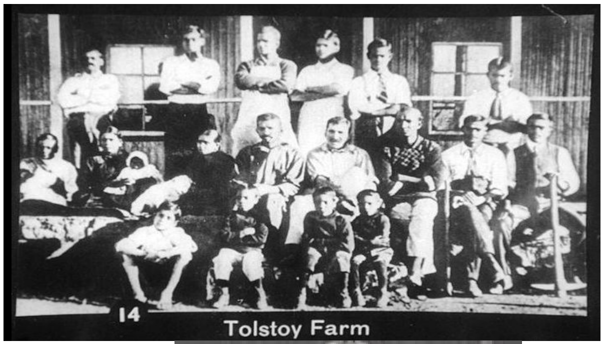

सत्याग्रही गांधी

1909 में गांधी जी पुन: शिष्टमंडल लेकर इंग्लैंड गए और वहाँ से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय हिंसक अराजकतावादियों के शंका समाधान और अपने दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नोत्तर के स्वरूप में जहाज में 'हिंद स्वराज' की रचना की। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग के निकट सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रहियों तथा उनके परिवारों को रखने के लिए **'टालस्टाय फार्म'** की स्थापना की। 'टालस्टाय फार्म' के लिए भूमि गांधी के जर्मन मूल के अफ्रीकी मित्र कोलेनवेक द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। नवंबर, 1913 ई. में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा तीन पौंड के पोल-टैक्स को निरस्त न करने के विरोध में सत्याग्रह किया। गांधी जी ने 2023 पुरूषों, 127 स्त्रियों तथा 57 बालकों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। सरकार ने

समझौता वार्ता के लिए उन्हें 18 दिसंबर को बिना शर्त रिहा कर दिया। जनरल स्मट्स के साथ हुए समझौते के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। वे इंग्लैंड गए और प्रथम विश्वयुद्ध के समय उन्होंने लंदन में इंडियन एम्बुलेंस कोर को संगठित किया।

9 जनवरी, 1915 ई. को गांधी जी सपरिवार एवं कुछ सत्याग्रहियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के स्वदेश लौटने की याद में ही भारत सरकार ने 2003 से प्रति वर्ष 9 जनवरी को 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाना प्रारंभ किया है।

3.2.6.4. महात्मा गांधी के अनुयायी भवानी दयाल संन्यासी दक्षिण अफ्रीका में

वी.डी संन्यासी, 'ट्रांसवाल इंडियन एसोसिएशन' के भूतपूर्व अध्यक्ष जरियाम सिंह के पुत्र थे। भवानी दयाल की प्रारंभिक शिक्षा जोहान्सबर्ग के संत साई पिरियन स्कूल और वेसलेमान मेथोडिस्ट स्कूल में हुई। 1904 ई. में, वे आगे की शिक्षा के लिए बिहार आ गए, जहाँ शिक्षा के बाद 1910 ई. में इनकी शादी जगरानी देवी के साथ हुई। 1912 ई. में दयाल अपनी पत्नी और एक पुत्र रामदत्त के साथ पुन: दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। एक साल के बाद मात्र 21 वर्ष के उम्र में जर्मीस्टन स्थित 'यंग मेन्स इंडिया एसोसिएशन' के अध्यक्ष चुने गए। 1893 ई. में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों के द्वारा न्यूकेसल में हड़ताल का आयोजन किया गया था। हड़ताल के कई संगठनकर्ताओं में भवानी दयाल भी एक थे। यह हड़ताल गांधी जी द्वारा चलाए गए विशाल सत्याग्रह के आंदोलन का एक हिस्सा के रूप में था। इस हड़ताल के दौरान भवानी दयाल, उनकी पत्नी जगरानी देवी और दो वर्षीय पुत्र रामदत्त को भी जेल हुई।

भवानी दयाल हिंदी भाषा में प्रवीण थे। उन्होंने अपने अल्पायु से ही पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ किया था। 1914 में दयाल ने 'इंडियन ओपिनियन' के हिंदी संस्करण का संपादन किया जो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। 1917-18 में 'धरम वीर' पत्र का संपादन किया। उन्होंने 1916 ई. और 1917 ई. में प्रथम और द्वितीय 'दक्षिण अफ्रीकन हिंदी लिटरेसी कॉन्फेरेन्स' लेडीस्मिथ और पिट्सवर्ग में सफलतापूर्वक आयोजित किया। 1922 में, डरबन में 'जगरानी प्रेस' की स्थापना की, जहाँ से साप्ताहिक पत्रिका हिंदी और अंग्रेज़ी में प्रकाशित होती थी। भवानी दयाल ने दक्षिण अफ्रीकन इंडियन कॉन्फरेन्स (SAJC) के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में 1919 ई. में अमृतसर और 1922 ई. में गया में भाग लिया। भवानी दयाल बाद के दिनों में आर्य समाज से जुड़ गए| आर्यसमाज के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में बसे गिरमिटिया मज़दूरों, छोटे भारतीय व्यापारियों, दुकानदारों को भारतीय संस्कृति, भाषा के माध्यम से आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया, जिसका प्रभाव दक्षिण अफ्रीका में आज भी देखा जा सकता है| भवानी दयाल ने गिरमिटिया मज़दूरों को भारत की संस्कृति से जोड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका का हिंदी रूप तथा भारतीयों के लिए लिंगुआ फ्रैंका के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया| दक्षिण अफीका में विकसित इसी हिंदी को बाद में नटाली हिंदी या कलकतिया बात भी कहा गया। भारतीयों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की तथा कई विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रेरणा बने। मानवता की सेवा के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 1927 में भवानी दयाल को संन्यासी नाम से नवाजा |

1929 में दयाल ने भारत में निवास के लिए दक्षिण अफ्रीका को छोड़ा। दयाल ने कई पत्रिकाएँ, पुस्तकें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं : *History of Passive Resistance in South Africa, My Experiences of South Africa, Story of my Prison-life, Biography of Mahatma Gandhi, Indian in Transvaal, Natalia Hindi, Vedic Religion and Aryan Culture,*

Education and Cultivator, The Vedic Prayer. 1932 में डरबन सरकार द्वारा एक सड़क का नाम 'दयाल सड़क' रखकर संन्यासी भवानी दयाल को सम्मानित किया।

3.2.7. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन रोलीह्लला मंडेला पर महात्मा गांधी का प्रभाव

(18 जुलाई 1919-5 दिसंबर 2013) दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोंतो वे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबेन द्वीप के कारागार में बिताए जहाँ उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 ई. में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए।संयुक्त राष्ट्रसंघने उनके जन्म दिन को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

प्रारंभिक जीवन

मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1919 को म्वेज़ो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका संघमें गेडला हेनरी म्फ़ाकेनिस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफ़ी नोसकेनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नोसकेनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी म्वेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उनके पिता ने इन्हें 'रोलीह्लला' प्रथम नाम दिया था, जिसका खोज़ा में अर्थ 'उपद्रवी' होता है। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1941 ई. में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहाँ इनकी मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और वॉल्टर एल्बरटाइन से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। जीवन-यापन के लिए वे एक कानूनी फ़र्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे-धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 ई. में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए जिसने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिल कर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 ई. में वे लीग के सचिव चुने गए। 1961 ई. में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया।5 अगस्त 1962 ई. को उन्हें मज़दूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई, 1964 ई. को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सज़ा के लिए उन्हें रॉबेन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फ़रवरी, 1990 ई. को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी।

1994 ई. में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62 प्रतिशत मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई, 1994 ई. को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 ई. में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जाँच के लिए कई संस्थाओं

की स्थापना की गई। 1997 ई. में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और दो वर्ष पश्चात् उन्होंने 1999 में कांग्रेस-अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत माना था और उनसे अहिंसा का पाठ सीखा था।

मंडेला ने तीन शादियाँ की, जिनसे उनकी छह संतानें हुई। उनके परिवार में 17 पोते-पोती थे। अक्टूबर 1944 ई. को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वॉल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मेडीकिजाला से हुई। 1998 ई. में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला

5 दिसंबर, 2013 ई. को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की हॉटन, जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जेकब ज़ूमा ने की।

दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से ‘राष्ट्रपिता’ मानते थे। उन्हें ‘लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक’ ‘राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता’ के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें **मदीबा** कह कर बुलाया जाता है जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान-सूचक शब्द है।

नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभाने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन (18 जुलाई) को 'मंडेला दिवस' घोषित किया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में तथा दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 1993 ई. में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप सेनोबेल शांति पुरस्कार, प्रेसीडेंट मेडल ऑफ़ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ़ लेनिन, भारत रत्न, निशान-ए–पाकिस्तान और 23 जुलाई, 2008 ई. को गांधी शांति पुरस्कार दिए गए।

3.2.8. सारांश

दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव एक मामले में अनोखा था। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि पाने के कारण गांधी जी ने कई चीजों को बतौर हक़ माँगा, जैसे- ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट, होटल में ठहरने के लिए कमरा। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उनके जेहन में बात बैठ गई थी कि वे ‘सभ्य’ (पाश्चात्य सभ्यता वाले) नहीं हैं, इसीलिए उनके साथ रंगभेद बरता जा रहा है, लेकिन गांधी जी के अनुभवों ने गांधी जी को और

बाकी भारतीयों को यह समझा दिया कि बात कुछ और ही है। वे समझ गए कि गोरी जाति हर हाल में अपनी जातीय संप्रभुता कायम रखना चाहती है। यदि यह बात न होती, तो गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता, क्योंकि गांधी जी तो पश्चिमी सभ्यता से पलकर आए थे|

चूँकि गांधी जी अकेले ही वहाँ ऐसे भारतीय थे जो उच्च थे, जो गोरे शासकों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे, जो कानून और शासन-प्रणाली की बारीकियों को समझ सकते थे, जो विरोध-पत्र लिख सकते थे और संगठन बनाना जानते थे, जो भारतीयों का उनके शासकों के आगे प्रतिनिधित्व कर सकते थे, इसलिए उनसे उम्र में कहीं बड़े और कहीं ज्यादा धनी व्यापारियों ने भी उन्हें अपना नेता माना। इसलिए रंगभेद के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन चलाने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर आ पड़ी|

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करने के दौरान महात्मा गांधी ने 'सत्याग्रह' जो सत्य, अहिंसा पर आधारित था, की खोज की तथा उसका सफल प्रयोग भी किया। बाद में इस सत्याग्रह का प्रयोग भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा स्थापित दोनों आश्रम सत्याग्रह के दौरान चलने वाले आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। बाद में दक्षिण अफ्रीका के आश्रमी प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर गांधी जी ने भारत में भी तीन आश्रमों के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के द्वारा प्रयुक्त 'सत्याग्रह' नामक औजार ने उन्हें मोहन से महात्मा बनाया। बाद में अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर अफ्रीका को उपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति दिलाई।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा भारतीयों के मानवाधिकार के अधिकार के लिए चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के कारण दक्षिण अफीका के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर रहने वाले भारतवंशियों को आत्मबल दिया और वे संघर्ष के द्वारा उन देशों में उच्च स्थान को पा सके। महात्मा गांधी के शब्दों में- "अगर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई न लड़ी गई होती, तो आज न केवल दक्षिण अफ्रीका से, बल्कि सारे ब्रिटिश उपनिवेशों से हिंदुस्तानियों के पैर उखड़ जाते और उनकी खोज-खबर लेने वाला भी कोई न होता।"

3.2.9. बोध प्रश्न

1. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का प्रवासन क्यों हुआ?

2. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के बीच प्रचलित देशज भाषा के बारे में बताएँ?

3. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने किन मुद्दों के लिए आंदोलन किया?

4. नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? विस्तार से बताएँ।

5. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के 'मोहन से महात्मा' बनने की यात्रा के बारे में सविस्तार बताएँ।

3.2.10. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सनाढ्य, तोताराम. (1972). फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष. वर्धा : हिंदी समय।
2. गांधी, एम.के. (1949). हिन्द स्वराज. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर।
3. गांधी, एम.के. (1957). सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, ISBN 9788172290504
4. गांधी, एम.के. (1968). दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, ISBN 8172291078

5. चंद्र, बिपन. (1990). भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नई दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, ।
6. रामशरण, प्रह्लाद. (1995). महात्मा गांधी एंड हिज इम्पैक्ट ऑन मारिशस. नई दिल्ली : स्टर्लिंग पब्लिशर्स लिमिटेड।
7. रामशरण, प्रह्लाद. (2004). मारिशस का इतिहास. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, ISBN 8181431005
8. लाल बी.वी., रीव्स पी., और राय आर. (संपा.). (2006). द एनसॉयक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ISBN 9780824831642
9. Jain, P.C. (1999). Indians in South Africa. New Delhi : Kalinga Publication, 8185163102-X.
10. जोशी, आर, राय, राजीव आर. आदि. (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, ISBN 978-81-267-2611-0
11. रिपोर्ट ऑफ दि हाई लेवल कमेटी ऑन दि इंडियन डायस्पोरा. नई दिल्ली : (भारत सरकार). 8 जनवरी 2002. (दिसंबर 2001)।

खंड-3 भारतीय डायस्पोरा का पहचान के लिए संघर्ष
इकाई-3 : मॉरीशस

इकाई की रूपरेखा

3.3.01. उद्देश्य
3.3.02. मॉरीशस : भौगोलिक परिचय
3.3.03. मॉरीशस की बसावट
3.3.04. औपनिवेशिक सत्ता
3.3.4.01. पुर्तगाली और डच आगमन
3.3.4.02. फ्रांसीसी उपनिवेश
3.3.4.03. अंग्रेजी उपनिवेश
3.3.05. गन्ने की खेती एवं महान प्रयोग
3.3.06. भारतीय श्रमिकों का आगमन
3.3.07. मॉरीशस की एथनिक संरचना
3.3.08. संघर्ष के विविध रूप
3.3.09. मॉरीशस और भारत-वंशियों के संघर्ष गाथा का कालक्रम
3.3.10. विवेचना
3.3.11. सारांश
3.3.12. शब्दावली
3.3.13. बोध प्रश्न
3.3.14. संदर्भ ग्रंथ सूची
3.3.15. गतिविधि

3.3.01. उद्देश्य

1. हिंद महासागर में मॉरीशस की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को जान सकेंगे।
2. मॉरीशस के अप्रवासन इतिहास एवं बसावट को समझ सकेंगे।
3. मॉरीशस के भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों की सरकार तक की यात्रा को रेखांकित कर सकेंगे।
4. मॉरीशस में भारत-वंशी समुदायों के पहचान के संघर्ष को समझ सकेंगे।

3.3.02. मॉरीशस : भौगोलिक परिचय

मॉरीशस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, "मॉरीशस को देख कर यह विचार आता है कि पहले मॉरीशस बना और फिर स्वर्ग और स्वर्ग, मॉरीशस की एक नकल मात्र है।" यह गणराज्य हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण-पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरीशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में सेंट ब्रेंडन, रॉड्रीगज़ और अगालेगा द्वीप भी

शामिल हैं। दक्षिण-पश्चिम में 200 किलोमीटर पर स्थित फ्रांसीसी रीयूनियन द्वीप और 570 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित रॉड्रीगज द्वीप के साथ मॉरीशस मस्कारेन द्वीप समूह का हिस्सा है।

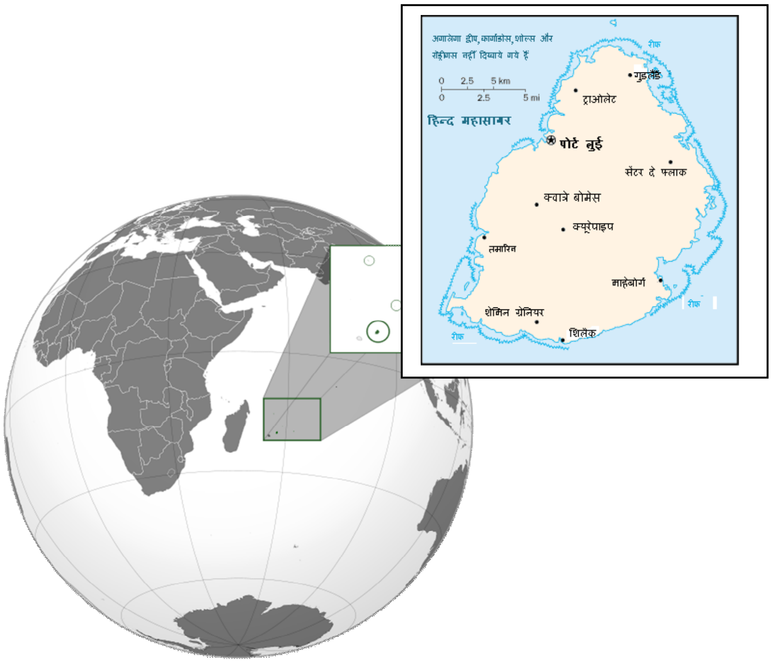

भौगोलिक रूप से इस द्वीपसमूह की श्रृंखला उन अंत:समुद्री ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण बनी हैं, जो अब सक्रिय नहीं हैं। यह ज्वालामुखीय विस्फोट अफ्रीकी प्लेट के रीयूनियन तप्तबिंदु के ऊपर सरकने के कारण हुए थे। मॉरीशस द्वीप एक केंद्रीय पठार के चारों ओर बना है, जिसकी उच्चतम चोटी पितोन डे ला पेतित रिवियेरे नोएरे 828 मीटर (2717 फुट) ऊँची है, जो मॉरीशस के दक्षिण में स्थित है। पठार के आसपास, मूल गर्त पहाड़ों से अलग दिखाई पड़ता है। स्थानीय जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जो दक्षिण-पूर्व की हवाओं द्वारा परिवर्तित होती है। यहाँ मई से नवंबर तक शुष्क सर्दियाँ पड़ती हैं और नवंबर से मई का मौसम उमस भरी गर्मी का होता है।

मॉरीशस द्वीप नौ जिलों में विभाजित है :

1. ब्लैक रिवर
2. फ्लाक़
3. ग्रांड पोर्ट
4. मोका
5. पैम्प्लेमूज़ेस
6. प्लाईनेस विल्हेम्स
7. पोर्ट लुई (राजधानी)
8. रिवियेरे दुरेम्पार्त

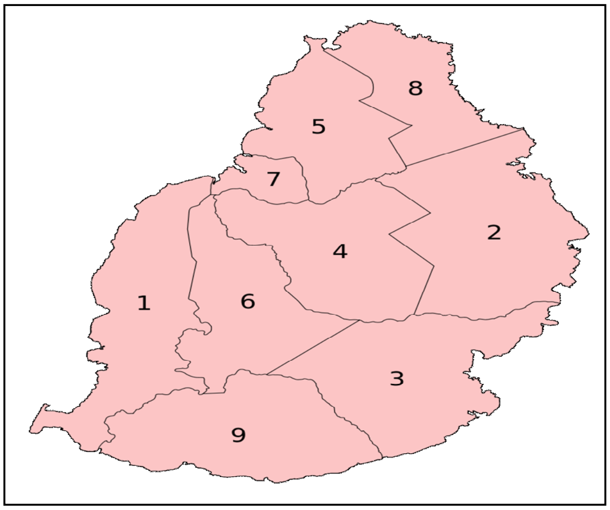

9. सवान्ने

हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीप मॉरीशस लगभग 400 वर्षों तक यूरोपीय औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहा है। 12 मार्च, 1968 ई. को यह स्वतंत्र होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का123 वाँ देश बना। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जिसके इतिहास को हालैंड, फ्रांस, अफ्रीका, इंग्लैंड, चीन और भारत से जोड़ा जा सकता है। मॉरीशस द्वीप की बसावट मूलतः डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी औपनिवेशिक सत्ता द्वारा अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए की गई थी।

3.3.03. मॉरीशस की बसावट

मॉरीशस की अनुमानित जनसंख्या दिसंबर, 2016 में 12,64,000 थी, जिसमें 637,032 स्त्रियाँ एवं 624,176 पुरुष सम्मिलित हैं। इनमें से मॉरीशस द्वीप की जनसंख्या 12,19,265, रोड्रिग्ज द्वीप की 41,669 एवं अगालेगा और ब्रेंडन द्वीप की जनसंख्या 274 है। 1972 की जनगणना के आँकड़ों में नृजातीय गणना संबंधी विवरण हटा लिए गए, इस कारण आधिकारिक तौर पर नृजातीय समूहों का विवरण नहीं उपलब्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म 51.9 प्रतिशत, ईसाई धर्म 31.4 प्रतिशत, इस्लाम 15.3 प्रतिशत एवं बौद्ध धर्म 0.4 प्रतिशत है।

3.3.04. औपनिवेशिक सत्ता

3.3.4.01. पुर्तगाली और डच आगमन

आज से करीब ढाई हजार साल पहले फिनीशियन नाविक अफ्रीका के पश्चिमोत्तर तटों की खोज करते हुए केप ऑफ़ गुड होप अंतरीप को पार करके हिंद महासागर से होते हुए लाल सागर में पहुँचे थे। पुराने डच नक्शों में अरबी-सूत्रों पर आधारित ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सातवीं शताब्दी से ही अरब नाविकों का आगमन हिंद महासागर में हो गया था। अरब के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने सन् 1153 ई. के एक नक़्शे में अफ्रीकी द्वीपों के नाम अंकित किए थे। इसी नक्शे पर आधारित कांटीनों के विश्व नक़्शे में मासकारेने के तीन द्वीपों के नाम अंकित हैं-मॉरीशस का-दीना अरोबी; रीनियन का-दीना मारग्रावीन और रोड्रीगज का-दीनामोराज।

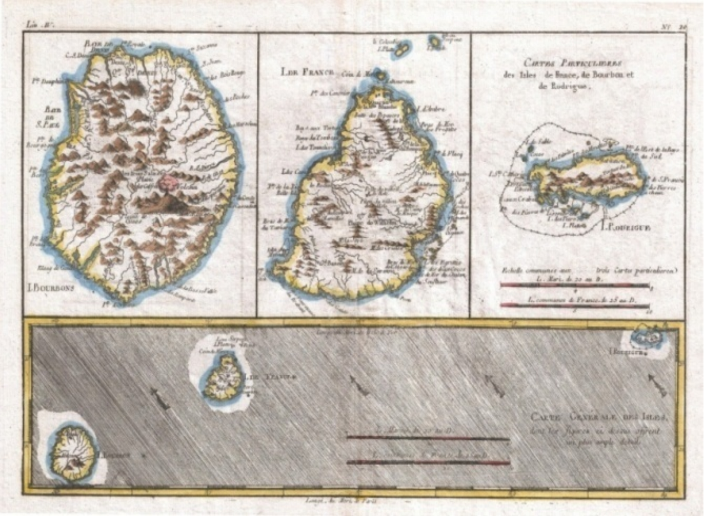

प्रख्यात पुर्तगाली नाविक वास्को-द-गामा 1498 ई. में केप ऑफ़ गुड होप से होकर भारत की ओर जा रहा था। उन्हीं दिनों पुर्तगालियों ने प्रथम बार मॉरीशस का दौरा किया था। अलबुकर्क ने डोमिंगो फर्नांडज को हिंद महासागर में अनेक बार साहसिक यात्रा पर भेजा। सन् 1510 ई. के ऐसे ही एक यात्रा के दौरान डोमिंगो फर्नांडज के जहाज ने मॉरीशस को छू लिया। उस समय की प्रथा के अनुसार जहाज के कप्तान ने अपने नाम के आधार पर ही द्वीप का नामकरण किया। इसी कारण इस द्वीप का पहला नाम 'डोमिंगो फर्नांडज' रखा गया था। पुर्तगालियों ने प्रवेश अवश्य किया था, परंतु इस द्वीप पर बसने का उनका कोई इरादा नहीं था। फिर भी केप ऑफ़ गुड होप (उत्तमाशा अंतरीप) और एशियाई तटों के मध्य स्थित मॉरीशस का इस्तेमाल वे अपने टूटे जहाजों की मरम्मत के लिए अथवा सिर्फ मीठा पानी के लिए करते थे।

डचों का आगमन

सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप की एक अन्य जाति- डच लोगों का प्रवेश हिंद महासागर में हुआ। उन्होंने सन् 1596 ई. में केप ऑफ़ गुड होप को पार किया और इंडोनेशिया की ओर बढ़कर वटेविया को अपना केंद्र बनाया था। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आदि देशों में अपनी व्यापारिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, डच कंपनी ने सन् 1595 ई. में आठ मालवाही जहाज पूर्वीय द्वीप समूह की ओर भेजे थे। यह बेड़ा दक्षिण के पास तितर-बितर हो गया था। इसी बिछड़े बेड़े के पाँच जहाज, कप्तान वाय ब्रांत वान वारविक की देख-रेख में हिंद महासागर के दक्षिण-पूर्व की ओर चले जा रहे थे। कप्तान को मालूम था, कुछ दूर जाने पर उन्हें मानसूनी हवाओं का लाभ होगा। परंतु इसी दिशा में जाते-जाते उनके जहाज पहली बार 1598 ई. में मॉरीशस द्वीप पर जा पहुँचे थे।

एक नए द्वीप की खोज की खुशी में कप्तान ने इसका नामकरण अपने देश के राजकुमार के नाम पर कर दिया। राजकुमार का नाम था 'मॉरिस-ऑफ़ नासो'। अत: द्वीप का दूसरा नाम 'मॉरीशस' तब से ही प्रचलित हुआ। गृह सरकार की उदासीनता, चूहों तथा मक्खियों के आतंक, असफल खेती तथा प्लेग के प्रकोप से तंग आकर सन् 1710 ई. में डच लोगों ने द्वीप छोड़ दिया। यहाँ केवल कुछ दास रह गए। इससे पूर्व भी 1658 ई. में तथा 1661 में स्थायी लाभ न होने की स्थिति में उन्होंने द्वीप को त्यागा था, परंतु इस बार वे इस द्वीप को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए।

3.3.4.02. फ्रांसीसी उपनिवेश

मॉरीशस में फ्रांसीसियों का आगमन डचों के जाने के लगभग 5 वर्षों बाद हुआ। फ्रांसीसी रीयूनियन द्वीप पर पहले से ही रह रहे थे। जिफ्रेंन,'ल सासेर' जहाज के कप्तान ने 20 सितंबर, सन् 1715 ई. को इसे अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने द्वीप का नाम बदलकर 'इल द फ्रांस' (फ्रांस का द्वीप) रखा। पाँच वर्ष तक यह द्वीप प्रायः जनशून्य ही रहा। 21 अक्टूबर, 1721 ई. को फ्रांसीसी पुनः द्वीप पर वापस आए। फ्रांस के राजा ने मॉरीशस के प्रथम गवर्नर के रूप में 'न्योंन' को नियुक्त किया तथा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों को यहाँ भेजा। गवर्नर ने इन्हीं कर्मचारियों के सहयोग से एक उच्च्च परिषद की स्थापना की, जिसके माध्यम से शासन प्रारंभ हो गया। न्योन ने 'व्ये-ग्रां-पोर' को अपनी राजधानी बनाया। न्योन के बाद 'ब्राउन' को गवर्नर बनाया गया। ये बहुत सदाचारी था। इसने मानवहित में कानून जारी किया जो इसके विरोध का कारण बना। तदुपरांत सन् 1726 से 1735 ई. तक मापें यहाँ का राज्यपाल रहा। उन्होंने द्वीप की राजधानी 'व्ये-ग्रां-पोर' से हटाकर, पोर्ट लुई को नई राजधानी बनाया। सन् 1730 में

द्वीप की आबादी 160 थी। एक गवर्नर, 30 फ्रेंच, 20 दास और प्रथम व द्वितीय रेजिमेंट के 53-53 स्वीट्ज सैनिक थे।

मॉरीशस पहले फ्रेंच इंडिया कंपनी के माध्यम से संचालित था, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही और सन् 1735 में द्वीप की देखरेख एक कुशल योद्धा एवं शासक 'महे द लाबोर्दोने' के हाथों में आ गई। इन्हें मॉरीशस में फ्रेंच शासन की पक्की नींव रखने का श्रेय प्राप्त है। सन् 1767 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2,50,000 रुपये में इल-द-फ्रांस (मॉरीशस) को फ्रांसीसी सरकार को बेच दिया। फ्रेंच इंडिया कंपनी की देखरेख में दे फोश बूशे अंतिम गवर्नर रहा।उस समय द्वीप की जनसंख्या लगभग 18000 थी, जिसमें 3 हजार यूरोपियन और 15 हजार काले दास थे। उस समय तक कोई 6400 बीघे जमीन पर खेती होती थी। बूशे के राज्यकाल में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य दुश्मनी पैदा हो गई। सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा मॉरीशस में पियरेप्वात्र प्रशासक नियुक्त हुए।

यूरोप के अधिकांश देशों को जीतकर नेपोलियन महान ने पूर्व के देशों को जीतने का स्वप्न देखना प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन भारत पर अधिकार बनाए रखने के लिए मॉरीशस की सामरिक उपयोगिता को समझता था। सन् 1805 ई. में ट्राफ़नगर की लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। हिंद महासागर के इलाके में भी अंग्रेजों ने सन्1809 ई. में रोड्रीगज और 1810 ई. में रीयूनियन पर अधिकार जमा लिया। अंग्रजों की इस सफलता के पीछे भी भारतीय सैनिकों का हाथ था। 20 अगस्त, सन् 1810 ई. को वीर योद्धा मोताई लोंग ने मैदान की ओर बढ़कर फ्रेंचों को हरा दिया। 3 दिसंबर, 1810 ई. को दोनों के मध्य समझौते की शर्तों के अनुसार-

1- सभी सिपाही अपने हथियार और सामान सहित अंग्रेजी व्यय पर फ्रांस चले जाएंगे।
2- किसी की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा।
3- दो वर्ष में जो जाना चाहे जा सकते हैं, वे अपने सामान भी लेकर जा सकते हैं।
4- फ्रांसीसी रीति, फ्रांसीसी भाषा, रोमन कैथोलिक चर्च ज्यों का त्यों बना रहेगा।

सन् 1815 ई. में पेरिस संधि द्वारा रीयूनियन द्वीप फ्रांस को दे दिया गया और इस प्रकार मॉरीशस अंग्रेजों के अधिकार में आ गया।

3.3.4.03. अंग्रेजी उपनिवेश

3 दिसंबर, 1810 ई. को अंग्रेज और फ्रेंच के मध्य हुए समझौते के आधार पर मॉरीशस अंग्रजों के अधिकार में आ गया और प्रथम गवर्नर फारकूहार नियुक्त हुए। इनका शासन काल सन् 1810 से 1823 ई. तक रहा। इसी बीच जनरल हाल, डालरिम पल और डार्लिंग ने सन् 1817 से 1820 ई. तक गवर्नर का पद संभाला था।

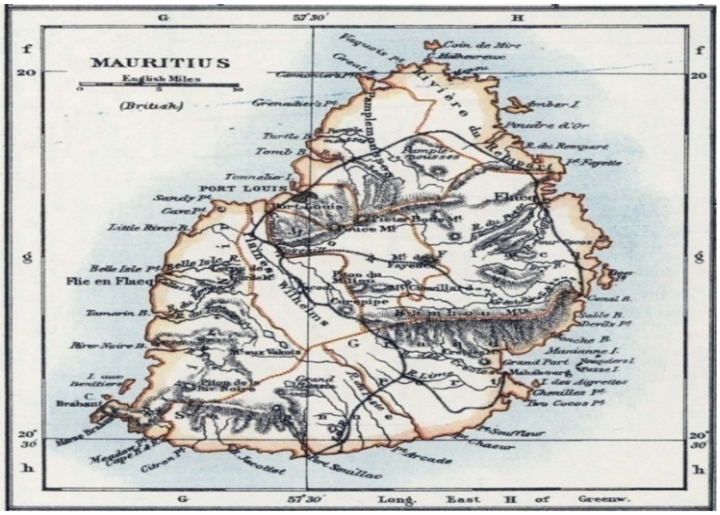

जिस समय मॉरीशस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ; उस समय मॉरीशस में सात हजार गोरे, साढ़े सात हजार स्वतंत्र दास, साठ हजार दास और छह हजार भारतीय (हिंदू और मुस्लिम) रहते थे। ये भारतीय घरेलू नौकर, मोची, सुनार आदि के रूप में कार्यरत थे। गवर्नर फारकूहार ने सबसे पहले द्वीप का नाम बदल कर पुनः मॉरीशस रख दिया। पोर्ट नापोलाओं को पोर्ट लुई और पोर्ट एंपेरियल को 'ग्रां पोर्ट' में परिवर्तित कर दिया। फारकूहार ने सन् 1810 ई. में द्वीप के सभी निवासियों से जार्ज तृतीय के राजभक्त होने की शपथ ली थी। गवर्नर फारकूहार ने 1816 ई. में भारतीय कैदियों की सहायता से द्वीप की अधिकांश सड़कों एवं दुर्ग का निर्माण कराया।

अंग्रेजी सत्ता के अधीन गन्ने की खेती के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। अंग्रेजों द्वारा गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसी जमींदारों को अन्य उपनिवेशों के समान सुविधाएँ देने के कारण चीनी का उत्पादन तेजी से बढ़ा। 1834 ई. में दास प्रथा की समाप्ति के कारण मजदूरों की कमी ने चीनी उद्योग के लिए संकट पैदा कर दिया था। इस समस्या के समाधान के लिए 1834 ई. में अंग्रेजों द्वारा एक महान प्रयोग का आरंभ किया गया।

3.3.05. गन्ने की खेती एवं महान प्रयोग

इंडेंचर का आरंभ बागान उपनिवेशों में हुई श्रम की कमी को पूरा करने के आरंभिक प्रयासों की विफलता के कारण हुआ और इसने सर्वप्रथम भारत की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1834 ई. से मॉरीशस में संविदा के तहत लाए गए 36 भारतीय धांगर श्रमिक सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। इस संविदा में यह निहित था कि श्रमिक प्लांटर के लिए कार्य करेगा अथवा किसी ऐसे ही व्यक्ति के लिए स्थानांतरित किया जा सकेगा, संविदा की अवधि पाँच वर्ष के लिए, पारिश्रमिक (रू. 10 प्रति माह), रसद सामग्री, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा एवं संविदा पूर्ण कर लिए जाने पर कलकत्ता हेतु मुफ्त वापसी की व्यवस्था की जानी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था एक विश्वव्यापी घटना थी। इसे मॉरीशस में ब्रिटिश लोगों द्वारा एक महान प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया गया। गुलामी प्रथा की समाप्ति के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता द्वारा इस महान प्रयोग के द्वारा गुलाम मजदूर की तुलना में स्वतंत्र मजदूर को बेहतर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत, चीन, अफ्रीका

एवं दक्षिण-पूर्व के देशों से बड़े पैमाने पर श्रम-आयातक उपनिवेशों के लिए मजदूरों का प्रवासन हुआ। मॉरीशस इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला देश बना एवं सफल सिद्ध होने पर इसे अन्य उपनिवेशों में भी अपनाया गया।

इंडेंचर की प्रकृति

19वीं शताब्दी के बागान श्रम आपूर्ति प्रणाली में इंडेंचर सिस्टम या शर्तबंदी व्यवस्था का विशेष स्थान था। इस व्यवस्था में 'इंडेचर' शब्द से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति अथवा संस्था के लिए निर्धारित अवधि तक कार्य करने के लिए एक लिखित संविदा को स्वीकार कर लेने से है। कार्टर के अनुसार 'इंडेंचर श्रमिक वह व्यक्ति था, जिसके द्वारा गंतव्य तक पहुँचने का मार्ग व्यय स्वयं न वहन किया हो'', बल्कि उसने निश्चित अवधि तक पूर्व निर्धारित वेतन पर कार्य करने एवं वापसी की शर्त के साथ अनुबंध कर किसी उपनिवेश तक जाने में यातायात सहायता प्राप्त की हो। बागान जीवन की यह अनिवार्यता थी कि इंडेचर अनुबंध श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की शर्तें नियंत्रित की जाती थी और साथ ही पारिश्रमिक दर, कार्य के घंटे, कार्य की प्रवृत्ति, रसद, आवास एवं चिकित्सा सहायता आदि जीवन दशा के सामान्य मानकों को निर्धारित भी करती थी।

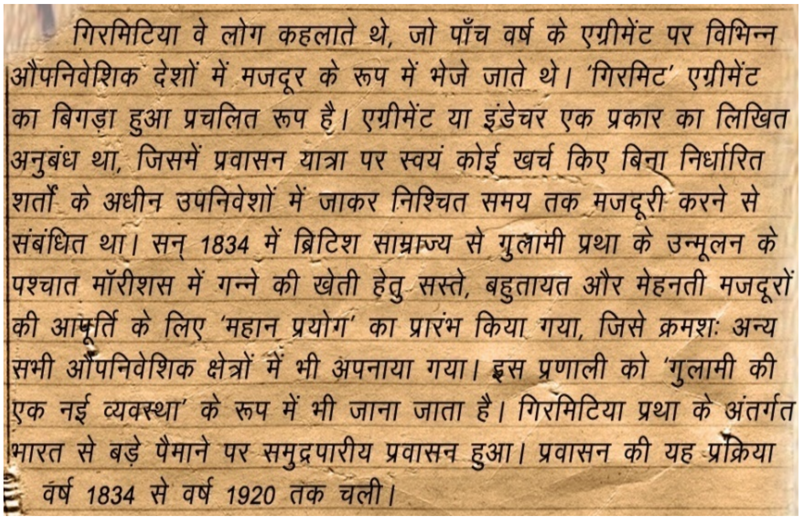
गिरमिटिया वे लोग कहलाते थे, जो पाँच वर्ष के एग्रीमेंट पर विभिन्न औपनिवेशिक देशों में मजदूर के रूप में भेजे जाते थे। 'गिरमिट' एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ प्रचलित रूप है। एग्रीमेंट या इंडेचर एक प्रकार का लिखित अनुबंध था, जिसमें प्रवासन यात्रा पर स्वयं कोई खर्च किए बिना निर्धारित शर्तों के अधीन उपनिवेशों में जाकर निश्चित समय तक मजदूरी करने से संबंधित था। सन् 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य से गुलामी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात मॉरीशस में गन्ने की खेती हेतु सस्ते, बहुतायत और मेहनती मजदूरों की आपूर्ति के लिए 'महान प्रयोग' का प्रारंभ किया गया, जिसे क्रमशः अन्य सभी औपनिवेशिक क्षेत्रों में भी अपनाया गया। इस प्रणाली को 'गुलामी की एक नई व्यवस्था' के रूप में भी जाना जाता है। गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत भारत से बड़े पैमाने पर समुद्रपारीय प्रवासन हुआ। प्रवासन की यह प्रक्रिया वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक चली।

यद्यपि इंडेंचर व्यवस्था श्रमिक एवं रोजगार प्रदाता के बीच एक संविदात्मक समझौते पर आधारित थी, फिर भी यह 17-18वीं शताब्दी के संविदात्मक श्रम के प्रचलित तरीकों से अलग प्रकृति की थी। अनुबंधित श्रमिक से संबंधित मालिक(Masters) एवं कार्मिकों (Servants) के बीच के संबंध विभिन्न उपनिवेशों में लागू विभिन अधिनियमों से शक्ति प्राप्त करती थी। इनमें पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों से जुड़े प्रावधान निहित थे। लेकिन वास्तविकता में इनके अंदर श्रमिकों द्वारा संविदा शर्तों को तोड़ने पर आपराधिक दंड देने का प्रावधान भी सम्मिलित कर दिया गया था। उदाहरण के लिए मॉरीशस में 1835 ई. के आर्डिनेंस संख्या 16 को अप्रेंटिस लोगों की 'कामचोरी' से निबटने एवं अनुबंधित श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।

संविदा के उल्लंघन को दंडनीय बनाया गया था इसके तहत किसी कार्मिक द्वारा बिना किसी उचित कारण के

- **क.** कार्य पर उपस्थित होने से इनकार करने या ध्यान न देने।
- **ख.** अनुपस्थित, आदेशों की अवज्ञा, अन्यमनस्कता, कर्तव्यों का उल्लंघन या सेवादाता के प्रति दुर्व्यवहार करने का दोषी पाए जाने।
- **ग.** संविदा समाप्त होने के पूर्व सेवा छोड़ने पर पारिश्रमिक जब्त किए जाने के साथ सश्रम कारावास का प्रावधान था।

3.3.06. भारतीय श्रमिकों का आगमन

1833 ई. में ब्रिटिश संसद ने प्रस्ताव पास कर उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत कर दिया। इसके 1 वर्ष पश्चात् सन् 1834 ई. में मॉरीशस के गुलामों को मुक्त कर दिया गया। इस समय यहाँ अफ्रीकी तथा मालागाशी गुलाम हजारों की संख्या में थे। मुक्त होते ही इन्होनें गन्ने के खेतों में काम करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने चीनी उद्योग के लिए संकट पैदा कर दिया। मजदूरों की कमी होने के बाद उनकी निगाह स्थापित उपनिवेशों पर गई। भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था और अंग्रेजों की निगाहें भारतीय मजदूरों पर पड़ी। ये मजदूर काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध थे तथा अन्य की अपेक्षा मेहनती भी थे। उन्हें विधिवत एक योजनानुसार अनुबंध के तहत अर्काटियों के माध्यम से मॉरीशस भेजने के लिए भर्ती किया गया। इसी तरह चीन व मलाया से भी मजदूरों को लाया गया। यहाँ पहले से अफ्रीकी तथा फ्रांसीसी नागरिक थे।

वर्ष	आगमन		वापसी	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1834-1840	24,442	961	10,092	61
1841-1850	79,863	13,827	25,131	2,359
1851-1860	35,860	48,193	35,542	6,654
1861-1870	51,898	19,409	22,891	6,775
1871-1880	25,818	12,011	19,662	558
1881-1890	13,354	5,824	13,568	3,936
1891-1900	5,954	2,240	7,743	1,163
1901-1910	8,847	3,298	3,342	1,563
1911-1920	-	-	1,680	618
योग	346,036	105,760	130,441	29,396

सन् 1834 से 1920 ई. तक मॉरीशस में साढ़े चार लाख भारतीय लाए गए। गुलामी युग की मनःस्थिति के चलते इन लोगों पर गोरे जमींदार अमानुषिक अत्याचार करते थे। कार्य की कठिन परिस्थिति एवं अत्याचारों से तंग आकर डेढ़ लाख से अधिक लोग इस अवधि में भारत वापस लौट गए।

सन् 1839 से 1856 ई. की अवधि में दो बार भारतीय इंडेंचर श्रमिकों की भर्ती अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई। मॉरीशस में उस समय चीनी कारखानों की संख्या 250 थी। मॉरीशस में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग के विस्तार के लिए प्रवासी भारतीय श्रमिकों की निरंतर भर्ती एवं आपूर्ति आवश्यक थी, इसीलिए पूंजीपति बागान मालिकों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता पर निरंतर दबाव बनाया गया। 31 जुलाई, 1917 ई. को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत से इंडेंचर श्रमिक भर्ती प्रथा समाप्त की गई।

3.3.07. मॉरीशस की एथनिक संरचना

लगभग 12 लाख की जनसंख्या वाले मॉरीशस में 33 प्रतिशत ईसाई हैं, जिनमें चीनी, क्रियोल, फ्रैंका-मारिशसी सम्मिलित किए जाते हैं। शेष 67 प्रतिशत भारतीय मूल के हैं। भारत-वंशी समुदायों में 50 प्रतिशत हिंदू और 17 प्रतिशत मुसलमान हैं। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी मॉरीशस एक जटिल समाज का संश्लिष्ट उदाहरण है, जहाँ रंग, नस्ल, संप्रदाय और अप्रवासन की पृष्ठभूमि आदि से जुड़े सूक्ष्म-घटक विभेदकारी कारकों के रूप में बने हुए हैं।

भारतीय-मॉरिशसी समुदाय एक समांग समूह न होकर क्षेत्रीय, जातिगत और धार्मिक आधारों पर बँटा हुआ है। सबसे बड़ा समूह उत्तर भारतीय हिंदुओं (मुख्यतः बिहारी) का है, जो मराज, बाबूजी, वैश और रविवेद आदि जातियों में विभक्त हैं। साथ ही हिंदुओं में तमिल, तेलुगू और मराठी अल्पसंख्यक भी हैं। संख्या की दृष्टि से अधिक होने के कारण बिहारी हिंदुओं का वर्चस्व बना हुआ है और स्वतंत्रता के बाद फ्रैंका-मारिशसी पाल बेरेंजे को छोड़कर सभी प्रधानमंत्री वैश्य हिंदू रहे हैं।

भारतीय-मॉरिशसी मुसलमान कलकतिया और अन्य छोटे समूहों- सूरती, बोहरा, खोजा, कोंक्कनी, अंजोवन आदि में बँटे हुए हैं। कोंकण के नाविक कोंक्कनी समूह को छोड़कर अधिकांश समूह अफगानिस्तान और मध्य-पूर्व से प्रवासित गुजराती मूल के हैं। अंजोवन समूह कोमोरोस से बहिष्कृत सुल्तान सईद अली के वंशज और अनुयायी हैं। ये सारे समूह पुनः शिया अल्पसंख्यक और सुन्नी बहुसंख्यक में विभक्त हैं।

मॉरीशस के सभी लोगों की बोल-चाल की भाषा (लिंगुआ फ्रैंका) क्रियोल है, जबकि अंग्रेजी और फ्रेंच मध्य वर्ग की भाषा है। गुजराती समूह द्वारा घरों में मातृभाषा के रूप में गुजराती आज भी प्रचलित है। कलकतिया मुसलमानों की पूर्वज भाषा उत्तर-भारतीय हिंदुओं की तरह भोजपुरी है, जो पुराने लोगों द्वारा आज भी बोली जाती है। मॉरीशस में एशियाई मूल की पूर्वज भाषाएँ (चीनी लोगों में मंदारिन, भारतीय-मारिशसी लोगों में उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगू और मराठी) पुनः प्रचलित की जा रही हैं और स्कूली शिक्षा एवं मीडिया में स्थान प्राप्त हो रहा है। शिक्षा एवं राजकाज का लिखित माध्यम अंग्रेजी है, जबकि आपसी संप्रेषण की भाषा क्रियोल या फ्रेंच है एवं मीडिया की भाषा के रूप में फ्रेंच प्रभावी है।

3.3.08. संघर्ष के विविध रूप

मॉरीशस की कुल जनसंख्या में भारतवंशियों की संख्या आधी से अधिक है। इतनी बड़ी भारतवंशी जनसंख्या का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे ज्यादा प्रवासन साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी दौर में अनुबंधित श्रमिकों के रूप में हुआ। प्रवासी भारतीय कामगारों का छोटा सा दल सबसे पहले 1834 ई. में मॉरीशस गया था। 1834 से 1920 ई. तक अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 लाख 60 हजार श्रमिक मॉरीशस गए । 5 साल की अवधि समाप्त करके 1 लाख 60 हजार

श्रमिक वापस लौट गए। शेष बचे भारतीय श्रमिकों ने मॉरीशस को ही अपनी मातृभूमि बना ली। इन उपनिवेशों में गन्ने के कृषि केंद्रों में इनसे काम लिया जाता था। यूरोपीय उपनिवेशीकरण का दौर 12 मार्च, 1968 ई. को समाप्त हुआ। इस नई शर्तबंदी प्रथा के अंतर्गत सन् 1834 ई. में 75 भारतीय मजदूर यहाँ लाए गए। इसके बाद मजदूरों को लाने की एक प्रथा-सी बन गई। यह सिलसिला 1920 ई. तक चलता रहा। इन प्रवासित मजदूरों के कल्पित स्वप्न अंधकार में विलीन हो गए। उन्हें यहाँ बहुत कष्ट साध्य जी वन व्यतीत करना पड़ा।

खेत बागान (इस्टेट कैंप) से संसद तक की यात्रा : भारतीय-मारिशसी लोगों का राजनैतिक उत्थान

उन्नीसवीं सदी के ग्रैंड मार्सलमेंट ने पहली पीढ़ी के प्रवासी भारतीय लोगों को मॉरीशस की बागान शक्ति-संरचना में स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप ये समृद्ध भू-स्वामी नए बसे भारत-वंशी गाँवों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक संरक्षक भी बने। इनकी जागरुकता के कारण मॉरीशस में शिक्षित एवं राजनैतिक रूप से सक्रिय भारत-वंशी समूहों का उदय हुआ। हालाँकि औपनिवेशिक मॉरीशस में भारतवंशी वाणिज्यिक समूहों द्वारा ही पहली बार राजनैतिक पद ग्रहण किए गए। पहली बार सन् 1827 ई. में अन्नासामी कोलोनियल कमेटी के सदस्य बने और मध्य 19वीं सदी में तमिल समुदाय के सिन्नताम्बू चेट्टियार एवं मुनीसामी मुदलियार डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य नामित किए गए। पिचेन, प्रगासा, रायप्पा एवं संदप्पा परिवार अर्जित संपत्ति के आधार पर 1850 ई. में निर्वाचक नामावली में स्थान पाने में सफल हुए। ज्ञानादिक्राएन अर्लंदा 1886 ई. में गवर्नमेंट कौंसिल के सदस्य नामित किए गए। गवर्नर पॉप हेनेसी द्वारा 1880 ई. में कई मुस्लिम सदस्यों को नामित किया गया। 1896 ई. एवं 1901 ई. के चुनाव में खड़े होने वाले कलकतिया मुसलमान अब्दुल्ला गुलाम दस्तगीर (उत्तरी भारत से आए भोजपुरी बोलने वाले लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त शब्द) पहले इंडो-मारिशसी बने। इस समय मात्र 400 भारत-वंशी निर्वाचक सूची में सम्मिलित थे। यद्यपि दस्तगीर निर्वाचित नहीं हो सके, लेकिन वे अपने समुदाय के अतिरिक्त वोट प्राप्त करने में सफल हुए। लश्कर समुदाय के एक मुसलमान डॉ. हसन साकिर सन् 1900 में पोर्ट लुई के म्युनिसिपल कौंसिलर के लिए चुनाव जीतने में सफल रहे।

> मॉरीशस उन भारतेतर देशों में से है, जहाँ सन् 1834 ई. से शर्तबंद प्रथा के अंतर्गत, जो दासत्व का दूसरा रूप था, भारतीयों को भेजा जाता रहा। इसके अंतर्गत सन् 1923 ई. तक चार लाख साठ हजार लोग आए और इसी अवधि में अपना पट्टा समाप्त करके 166 हजार लोग स्वदेश लौटे थे। इस हिसाब से शर्तबंद अप्रवासन की समाप्ति पर इस टापू पर तीन लाख चौवन हजार भारतीयों की संख्या होनी चाहिए थी, किंतु उस समय देश में कोई ढ़ाई लाख भारतीय मौजूद थे. ....क्या उन्हीं एक लाख भारतीयों के आत्मबलिदान की भित्ति पर उन्नीसवीं सदी के मॉरीशस का निर्माण नहीं हुआ?
>
> भारतवंशियों के आत्मबलिदान से मॉरीशस का काया-कल्प हुआ और जिसके परिश्रम से यह संसार के मानचित्र पर उभरा, उन्हीं भारतीयों की संतानों ने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अपने राजनीतिक अधिकारों को पहचान कर संघर्ष किया था और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मॉरीशस को स्वतंत्र करके अपने नेतृत्व का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आधी शताब्दी पहले जिस वर्ग में नेताओं का अभाव खटकता था, उसी वर्ग से तीन प्रधानमंत्री, चार गवर्नर जनरल, तीन राष्ट्रपति, एवं दर्जनों सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के निदेशक .....बनकर आज चमक रहे हैं। यही नहीं, इसी वर्ग की एक संतान सर शिवसागर रामगुलाम को मॉरीशस के राष्ट्रपिता होने का गौरव प्राप्त है।
>
> -प्रह्लाद रामशरण, मॉरीशस के इतिहासकार

1901 ई. में महात्मा गांधी का अल्पसमय के लिए मॉरीशस आगमन हुआ। प्रवासी भारतवंशियों की सहायता के लिए 1907 ई. में इनके द्वारा मणिलाल डॉक्टर को मॉरीशस भेजा गया। यहाँ उन्हें भारतीयों की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ। उन्होंने अप्रवासी मजदूरों को संबोधित किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने आर्य समाज का सहारा लिया। मणिलाल डॉक्टर ने भारत-वंशी समुदायों को राजनैतिक रूप से संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। मणिलालजी आर्य समाजी तो नहीं थे, पर इन्होंने यह अनुभव किया कि प्रवासियों का उद्धार आर्य समाज जैसी शक्तिशाली संस्था ही कर सकती है। आर्य समाज की स्थापना ने प्रवासित भारतीयों के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि सन् 1898 ई. में भोलानाथ नामक बंगाली ने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रंथ की एक प्रति खेमलता को दिया। इस पुस्तक ने मॉरीशस में आर्य समाज का सूत्रपात करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के प्रारंभ से ही आर्य समाज का आंदोलन अंकुरित हो रहा था। 1903 ई. में आर्य समाज की स्थापना द्वीप के प्रसिद्ध शहर क्युर्पीप में हुई। मणिलाल डॉक्टर ने हिंदू युवा संघ की नींव रखी, निर्विवाद रूप से मॉरीशस की स्वतंत्रता हेतु यह सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आंदोलन के रूप में प्रथम प्रयास था। इसी तरह अन्य संस्थाओं जैसे- हिंदी प्रचारिणी सभा, आर्य महिला महामंडल, सनातन धर्म सभा, आर्य प्रतिनिधि सभा, हिंदू महासभा, कबीरपंथी, गहलौत राजपूत सभा, गीता प्रचारक महामंडल आदि ने मॉरीशस की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उपरोक्त सभी संस्थाओं की स्थापना से लेकर कार्यों के क्रियान्वयन तक में भारतीयों की प्रमुख भूमिका रही है। मणिलाल ने हिंदुस्तानी समाचार पत्र आरंभ किया एवं 1911 ई. में भारत वापस आने से पूर्व अनेक मुकदमों में भारत-वंशी लोगों की पैरवी की।

1920 ई. तक शर्तबंद श्रमिकों (इंडेंचर) में अनेक हिंदू बुद्धिजीवी उठ खड़े हुए और इन प्रवासी लोगों के हितों को आवाज देने लगे। अप्रवासी रेल मजदूर के पुत्र रामखेलावन बुधन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे और 1921 ई. के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। चुनाव में पराजित होने के बाद भी सन् 1921 से 1926 ई. की अवधि के लिए मॉरीशस के भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉ. हसन साकिर के साथ उन्हें भी गवर्नर द्वारा नामित किया गया। एक अन्य अप्रवासी श्रमिक के पुत्र बुधन लाला भी राजनीति में उतरे और 1911 ई. के चुनाव में उन्हें एक श्वेत द्वारा पराजित होना पड़ा। भारतवंशियों ने फ्रांस के पक्षधर उभरते रेट्रोसेसनिस्ट आंदोलन का विरोध करना आरंभ कर दिया, लेकिन जातिगत वैमनस्य के चलते यह विरोध कमजोर बना रहा। 1926 ई. के आम चुनाव में बिहारी मूल के राजकुमार गजाधर और लाला एल. यूनियन मरिसेने के बैनर तले चुनाव जीतने में सफल रहे।

इसी समय हिंदू एवं मुसलमान समुदायों के राजनैतिक गतिविधि का एक नया युग आरंभ होता है। इस अवधि में भारत से स्थानीय ब्राह्मण पुरोहितों एवं अन्य धर्म प्रचारकों का आगमन होता है। 1930 ई. की आर्थिक मंदी ने श्रमिक वर्गों को उग्र करने में मुख्य भूमिका निभाई। श्रमिक संघों(ट्रेड यूनियन) का गठन हुआ एवं 1936 में डॉ. मारिश कीरे द्वारा मजदूर दल (लेबर पार्टी) बनाई गई। 1935 में अनुबंधित श्रमिकों (इंडेंचर्ड) के आगमन की शताब्दी समारोह के आयोजनों ने भारतीय समुदायों को लामबंद करने में सफलता हासिल की। सन् 1940 में बासदेव बिसुनदयाल ने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। 1947 ई. में लागू किए गए नए संविधान के अनुसार सभी साक्षर स्त्री एवं पुरुषों को मत देने का अधिकार दे दिया गया। भारत-वंशी मतदाताओं की संख्या अचानक 10,000 से बढ़कर 70,000 हो गई। विधान परिषद के 1948 ई. के चुनावों को भारतीय-मॉरिशसी लोगों को गतिशील करने में महत्वपूर्ण माना गया। ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण अनेक सीटों पर इन्हें

भारी सफलता मिली और मुसलमान उम्मीदवार पराजित हुए। इसने मुस्लिम अल्पसंख्यक स्थिति को पहली बार राजनैतिक रूप से प्रदर्शित किया।

ब्रिटेन प्रशिक्षित भारतीय-मॉरिशसी डॉ. शिवसागर रामगुलाम के नेतृत्व में सन् 1959 में कोमिते दी एक्शन मुसुलमान(CAM) ने मजदूर दल (लेबर पार्टी) के साथ गठबंधन कर स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में चुनाव में भाग लिया। इस चुनाव में सुकदेव बिसुनदयाल के नेतृत्व में स्वतंत्र फ़ॉरवर्ड ब्लाक ने भी चुनावों में भाग लिया। पारती मौरिशिएन ने स्वंत्रता के विरोध में चुनाव में भाग लिया। इन चुनावों में मजदूर दल ने भारी सफलता प्राप्त की और 1961 में दल के नेता चीफ मिनिस्टर बनाए गए। तीन वर्षों बाद मंत्रीमंडल व्यवस्था लागू होने पर रामगुलाम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए।1960 के दशक में ही गाईतेन दुवाल के नेतृत्व में पारती मौरिशिएन सोशल डेमोक्रेट (PMSD) का उभार हुआ। इनके द्वारा हिंदू बहुसंख्यक प्रभुत्व के भय को हथियार बनाने की एथनिक रणनीति अपनाते हुए क्रियोल समुदाय को एकजुट करने का प्रयास किया गया। ये ब्रिटिश राजसत्ता से जुड़े रहने के पक्षधर थे। सन् 1963 का चुनाव सांप्रदायिक उन्माद एवं हिंसाग्रस्त रहा।

इस अवधि में मॉरीशस में निरंतर बढ़ते एथनिक तनाव की पृष्ठभूमि में लंदन में अनेक संवैधानिक सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने यह लगातार माँग रखी कि अल्पसंख्यक समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। 1965 ई. के अंतिम संवैधानिक सम्मेलन में बेस्ट लूजर प्रणाली को अपनाते हुए अल्पसंख्यक सीटें सुनिश्चित की गईं। इसी समय एक गुप्त समझौते के तहत चागोस द्वीप समूह के आस-पास ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी (BIOT) सृजित किया गया एवं ब्रिटिश लोगों द्वारा दियागो गार्सिया को सैन्य प्रयोजनों हेतु अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया। वास्तव में सन् 1967 का चुनाव मॉरीशस की स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार से जनमत संग्रह था। मुस्लिम मत विभाजित था। इसके कुछ समूह स्वतंत्रतावादी दलों के समर्थक थे और कुछ PMSD और फारवर्ड ब्लाक के। चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ स्वतंत्रता दल विजयी हुआ। हालाँकि 1967 में पोर्ट लुई में नस्लीय हिंसा भड़क उठी, जो धीरे–धीरे पूरे द्वीप में फैल गई। मॉरीशस में भारतीय परिधान पहने जाने की अनिवार्यता संबंधीPMSD द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के कारण अल्पसंख्यक समूह के लोग आस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा प्रवासित होने लगे। इस प्रकार भारतीय-मारिशसी चुनाव में भले ही जीत गए, लेकिन उनकी आगे की राह अत्यंत कठिन थी, क्योंकि नए बेस्ट लूजर व्यवस्था में उम्मीदवारों की एथनिक पहचान को सार्वजनिक किए जाने संबंधी संवैधानिक प्रावधानों ने सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दे दिया।

अल्पसंख्यक प्रबंधन: स्वतंत्र मॉरीशस की राजनीति

12 मार्च, 1968 ई. को मॉरीशस कामनवेल्थ के अंतर्गत स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। नए प्रधानमंत्री रामगुलाम ने फेबियन समाजवाद को अपनाते हुए कल्याणकारी राज्य एवं मुफ्त शिक्षा व्यवस्था लागू किया। बहु-नृजातीय समाज के विभिन्न घटकों एवं उनके हितों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। स्वतंत्र मॉरीशस में प्रतिभा के स्थान पर जातीयता को प्रधानता देते हुए प्रभावी सरकार चलाना एक जटिल चुनौती बनी रही।

मॉरीशस में एथनिक राजनीति और भ्रष्टाचार के कारण निरंतर बढ़ते असंतोष की पृष्ठभूमि में खुले तौर पर संप्रदायवाद विरोधी प्लेटफार्म क्लब डेस एटुडिएंट्स मिलिटेंट्स का गठन हुआ, जो आगे चलकर

युवा फ्रैंका-मॉरिशसी पाल रेमंड बेरेंजे के नेतृत्व में मूवमेंट मिलिटेंट मरिशिएन (MMM) में परिवर्तित हो गया। एम. एम. एम. के सुधारवादी विचारों से मॉरीशस की युवा एवं कार्यशील वर्ग दोनों प्रभावित थे। इस दल ने ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर 1971 ई. में मॉरीशस के सबसे बड़े हड़ताल का आरंभ किया। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना एवं पर्यटन उद्योग ने मॉरीशस की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में सहायता की। हालाँकि, 1976 ई. के चुनाव में अल्पसंख्यकों ने एम. एम. एम. का पूर्ण समर्थन किया और एक राष्ट्रीय अभिमत भी उभरने लगा, लेकिन एम. एम. एम. ने भी चुनावी प्रत्याशी खड़ा करने में निर्वाचन क्षेत्र की एथनिक संरचना को ध्यान में रखा। इस प्रकार इस दल ने भी मुख्यतः मॉरीशस की स्वतंत्रता के बाद से प्रचलित राजनैतिक समीकरणों को ही अपना लिया।

1980 ई. में आर्थिक संकट ने बेरोजगारी में तेजी से बढ़ोत्तरी की और मॉरीशस रुपये के अवमूल्यन ने लोगों की क्रय शक्ति को कम कर दिया। 1982 ई. के चुनाव में एम. एम. एम. ने अलग हुए हिंदू धड़े के साथ मिलकर पारती सोशलिस्ते मॉरिशिएन (पी. एस. एम.) बैनर तले भाग लिया। इस दल ने अप्रत्याशित सफलता अर्जित करते हुए 60-0 से जीत प्राप्त की और अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री बने एवं पाल बेरेंजे को वित्त मंत्री का पद भार दिया गया। बहुत जल्दी ही पाल बेरेंजे और पी. एस. एम. के हरीश बुधू के बीच मतभेद सामने आने लगे, साथ ही नीतियों को लेकर एम. एम. एम. में आंतरिक असहमति प्रकट होने लगी। अंततः दल के विभाजन के कारण 1983 में सरकार भंग हो गई। मुस्लिम और क्रियोल बेरेंजे के समर्थक बने रहे, जबकि हिंदू गुट जगन्नाथ समर्थक रहा। जगन्नाथ द्वारा मूवमेंट सोशलिस्ते मॉरिशिएन (एम. एस. एम.) का गठन किया गया और इस दल ने मजदूर दल एवं पी . एम. डी. एस. के साथ गठबंधन कर लिया। जगन्नाथ के नेतृत्व में इस दल ने बेरेंजे को पराजित कर चुनाव में जीत हासिल की। 1987 ई. में एम. एस. एम. गठबंधन ने पुनः जीत हासिल की, लेकिन अल्पसंख्यक असंतोष ने फुटबाल (अधिकांश टीमें एथनिक आधार पर गठित) के मैचों में हिंसात्मक रूप ले लिया। क्रियोल बहुसंख्यक पार्टी पी. एम. एस. डी. सत्ता से अलग हो गई। बेहतर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए जगन्नाथ अपने पुराने दल की ओर लौट गए और एम. एम. एम. के साथ गठबंधन कर 1991 ई. में चुनाव में जीत हासिल की। 12 मार्च, 1991 ई. को मॉरीशस एक गणतंत्र बन गया। पूर्व मजदूर दल के तमिल राजनेता सर वीरासामी रिंगाडू प्रथम राष्ट्रपति बने। सन् 1992 में एम. एम. एम. के एक मुस्लिम नेता कस्साम उत्तीम को राष्ट्रपति बनाया गया। इसी अवधि में इस्लामिक पार्टी इज्बुल्लाह गठित की गई। इस दल द्वारा सन् 1995 में बेस्ट लूजर पद्धति के तहत पहली बार विधान सभा के लिए एक सीट पर जीत हासिल की गई। तेरह वर्ष से निरंतर सत्ता में बने रहने के बाद 1995 ई. में जगन्नाथ का एम. एस. एम. दल मजदूर एवं एम. एम. एम. के गठबंधन के हाथों 60-0 से पराजित हो गई और मजदूर दल के नवीन रामगुलाम प्रधानमंत्री बने।

फरवरी, 1999 ई. में लोकप्रिय रास्ताफ्रियन गायक काया के पुलिस अभिरक्षा में निधन हो जाने के बाद मॉरीशस में भारी हिंसात्मक उपद्रव हुए। इस क्रियोल समर्थित आंदोलन के विरोध में युवा हिंदुओं ने भी उग्र हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लिया। जिसके फलस्वरूप असुरक्षा और मायूसी का वातावरण बन गया। एम. एम. एम. के पाल बेरेंजे और एम. एस. एम. के जगन्नाथ के बीच सत्ता की साझेदारी हेतु नया फार्मूला तैयार किया गया। इस संयुक्त दल ने 2000 ई. के चुनावों में सफलता प्राप्त की। एथनिक गतिरोध को तोड़ने के लिए गैर-हिंदू को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति हुई। इस दल से यह अपेक्षित था कि राजनीति में एथनिक तत्वों की अपेक्षा बुद्धिजीवी समूह को स्थान दिया जाए। मॉरीशस की राजनीति का यह एक लक्ष्य है, जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। गैर-सांप्रदायिक प्लेटफार्म

बनाने के सतत प्रयासों बाद भी राजनीति और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों का सांप्रदायीकरण आज भी प्रभावी है।

3.3.09. मॉरीशस और भारत-वंशियों के संघर्ष गाथा का कालक्रम

1834	भारतीय अनुबंधित श्रमिकों का प्रथम आगमन
1846	भारतीय अनुबंधित श्रमिकों का आगमन बंद/जाँच के लिए आंडरसन कमीशन की नियुक्ति
1848	भारतीय मजदूरों का आगमन पुनः जारी
1853	भारी संख्या में भारतीय मजदूरों का आगमन
1871	भारतीय मजदूरों की याचिका गवर्नर गार्डन के समक्ष प्रस्तुत
1872	भारतीयों की स्थिति पर जाँच के लिए कमीशन का आगमन
1880	स्वतंत्र भारतीय छोटे किसान बनने लगे
1895	प्रथम बार भारतीयों ने पोर्ट लुई नगर पालिका चुनाव में भाग लिया महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की सूचना मॉरीशस के समाचार पत्रों में छपी
1896	प्रथम बार भारतीय छात्र को विलायत की छात्रवृत्ति प्राप्त प्रथम बार पोर्ट लुई नगर पालिका चुनाव में डा. होसेन साकिर की विजय
1897	डरबन में गांधी पर प्रहार पर मॉरीशस के समाचार पत्रों में बड़े लेख छपे
1899	धनपत लाल प्रथम भारतीय वकील बने
1900	डॉ. शिवसागर रामगुलाम का जन्म
1901	महात्मा गांधी का 18 दिवसीय मॉरीशस प्रवास
1906	प्रथम बार समाचार पत्रों में आर्य समाज का उल्लेख
1907	मगनलाल मणिलाल डॉक्टर का आगमन
1909	मणिलाल डॉक्टर द्वारा 'हिंदुस्तानी' का प्रकाशन
1909	भारतीयों की स्थिति की जाँच के लिए रायल कमीशन
1911	मणिलाल डॉक्टर द्वारा मॉरीशस में आर्य समाज की स्थापना
1912	स्वामी मंगलानंद पुरी और पं. आत्माराम का आगमन
1915	प्रथम भारतीय बैरिस्टर आर. के. बुधन का आगमन पं. काशीनाथ कीरटो का वैदिक धर्म प्रचारक के रूप में आगमन
1924	भारतीय अप्रवासन संबंधी समस्याओं की जांच के लिए कुंवर महाराज सिंह का आगमन
1925	हिंदू महासभा की स्थापना
1926	प्रथम बार दो भारतीय धनपत लाल और राजकुमार गजाधर चुनाव में निर्वाचित
1935	डॉ. शिवसागर रामगुलाम का स्वदेश आगमन भारतीय अप्रवासी आगमन का शताब्दी समारोह
1936	डॉ. कीरे और पं. सहदेव द्वारा मजदूर संघ की स्थापना
1937	जमींदारों एवं भारतीय मजदूरों के बीच भयंकर अशांति, चार मजदूरों की हत्या हूपर जाँच कमीशन का गठन
1938	डॉ. शिवसागर रामगुलाम भारतीय प्रजा के सांसदों, लीडरों एवं समाज सेवकों के साथ गवर्नर से मिले
1939	स्वामी घनानंद का आगमन

	रामकृष्ण मिशन की स्थापना
1940	डॉ. शिवसागर रामगुलाम सरकारी परिषद में मनोनीत
1943	जमींदारों एवं भारतीय मजदूरों के बीच पुनः अशांति अन्य मजदूरों के साथ अंजलि देवी का बलिदान
1947	मॉरीशस का नया संविधान लागू
1948	प्रथम बार सार्वजनिक चुनाव में 11 भारतीय निर्वाचित
1950	भारतीय गणराज्य समारोह सार्वजनिक रूप से संपन्न
1953	सार्वजनिक चुनाव में मजदूर दल की जीत
1954	अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर बहस
1957	नवीन संविधान के अनुसार देश को 20 क्षेत्रों में विभाजित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि की व्यवस्था
1959	व्यस्क मताधिकार के आधार पर सार्वजनिक चुनाव
1963	सार्वजनिक चुनाव में लेबर दल की विजय पार्ची मोरिस्यें के आंदोलन का जोर
1965	सांप्रदायिक झगड़े की शुरुआत
1967	सार्वजानिक चुनाव में मजदूर दल, मुस्लिम एक्शन कमेटी एवं स्वराज्य अग्रगामी दल में समझौता स्वतंत्रता दल की स्थापना चुनाव में दल की भारी जीत सांप्रदायिक झगड़े में दर्जनों लोग मारे गए
1968	12 मार्च को मॉरीशस स्वतंत्र डॉ. शिवसागर रामगुलाम स्वतंत्र मॉरीशस के प्रथम प्रधानमंत्री बने
1969	पार्ची मोरिस्यें एवं मजदूर दल की मिली-जुली सरकार वामपंथी दल एम. एम. एम. का गठन
1970	एम. एम. एम. के उम्मीदवार देव विरास्वामी की उपचुनाव में जीत
1971	एम. एम. एम. द्वारा गठित श्रमिक संघों की लंबी हड़ताल
1978	सार्वजनिक चुनाव में एम. एम. एम. की भारी जीत
1977	पार्ची मोरिस्यें एवं मजदूर दल की मिली-जुली सरकार
	मजदूर दल में मतभेद पी.एस.एम. का जन्म
1982	एम. एम. एम. एवं पी.एस.एम. के समस्त उम्मीदवारों की जीत पार्ची मोरिस्यें एवं मजदूर दल की करारी हार एम. एम. एम. एवं पी. एस. एम. द्वारा प्रथम समाजवादी सरकार का गठन
1983	एम. एम. एम. एवं पी. एस. एम. के आठ मंत्रियों के त्यागपत्र से अनिश्चितता अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा नए दल एम. एस. एम. का गठन एम. एस. एम., पार्ची मोरिस्यें एवं मजदूर दल में चुनावी समझौता, चुनाव में भारी जीत
1987	एम. एस. एम., मजदूर दल एवं पी . एम. एस. डी. के गठबंधन दल की चुनाव में जीत

1988	पी. एम. एस. डी. सरकार से अलग
1991	एम. एस. एम. और एम. एम. एम. गठबंधन की चुनाव में जीत
1995	मजदूर दल और एम. एम. एम. के गठबंधन की 60-0 से चुनाव में जीत डॉ. नवीन रामगुलाम प्रधानमंत्री
2000	एम. एस. एम. और एम. एम. एम. गठबंधन की चुनाव में जीत सर अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री बाद में पोल रेमो बेरांजे प्रधानमंत्री और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ राष्ट्रपति

3.3.10. विवेचना

मॉरीशस के भारत-वंशी आज देश के अन्य एथनिक समुदायों फ्रांको-मारिशिसी, क्रियोल, अफ्रीकी और चीनी समुदायों के बीच सह-अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुए हैं। यद्यपि आज मॉरीशस के भारतीय मूल के लोग संख्या के बल पर राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने में सफल हुए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के शक्ति केंद्र के रूप में उनका रूपांतरण प्रक्रियाधीन है। मॉरीशस की अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वाणिज्यिक व्यापार से 19वीं शताब्दी में बागान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई, जिसका क्रमिक रूप से 20वीं सदी में औद्योगीकरण हुआ। मॉरीशस के अधिकांश लोग आज भी इस अर्थव्यवस्था के निचले पायदान पर हैं। कुछ भारतवंशी लोगों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए उच्च नौकरशाही एवं विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अपनी पैठ बना ली है, फिर भी अधिकतर लोग आज भी खेती एवं लघु कृषि में लगे हुए हैं।

3.3.11. सारांश

मॉरीशस हिंद महासागर में अफ्रीका तट से करीब 2500 मील दूर बसा एक छोटा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग साढ़े 13 लाख है और इसमें भारतवंशियों की जनसंख्या आधी से अधिक है। मॉरीशस में भारत-वंशियों की इतनी बड़ी जनसंख्या औपनिवेशिक तंत्र द्वारा संचालित एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे अधिक संख्या में प्रवासन साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी दौर में इंडेंचर मजदूरों के रूप में हुआ। भारत से इन मजदूरों का विदेश गमन अधिकांशतः औपनिवेशिक अर्थतंत्र के दुष्चक्र एवं नीतियों के परिणामस्वरूप हुआ। प्रवासी भारतीय कामगारों का छोटा-सा दल सबसे पहले सन् 1834 ई. में मॉरीशस गया । 1834 से 1920 ई. तक गिरमिट प्रथा के अंतर्गत चार लाख साठ हजार कामगार मॉरीशस गए और 5 साल की अवधि समाप्त करके एक लाख साठ हजार लोग लौट आए। शेष बचे अनुबंधित श्रमिकों ने मॉरीशस को ही अपनी मातृभूमि बना ली। इन उपनिवेशों में गन्ने के खेत-बागानों में इनसे काम लिया जाता था। तत्कालीन परिस्थितियों में इनके अधिकारों एवं कष्टों से मुक्ति दिलाने में अनेक व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने सक्रिय योगदान दिया है और इन्हीं के प्रोत्साहन से मॉरीशस में इन भारतीय प्रवासी श्रमिक आज श्रमिक परिस्थिति से ऊपर उठकर शासन सत्ता के गलियारे तक पहुँचने में सफल हुए हैं।

3.3.12. शब्दावली

1. **पुराना डायस्पोरा (**Old Diaspora)
   जो लोग भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विदेश गए उन्हें *'पुराना डायस्पोरा'* कहा जाता है। भारतीय डायस्पोरा का एक बड़ा भाग पुराने डायस्पोरा से बना हुआ है। इन लोगों ने मलेशिया, मॉरीशस , त्रिनिदाद और टोबैगो, फ़िजी, गयाना और सूरीनाम जैसे देशों में पलायन किया।
2. **गिरमिटिया**
   गिरमिट शब्द अंग्रेज़ी के `एग्रीमेंट' शब्द का अपभ्रंश रूप है। जिस कागज़ पर अँगूठे का निशान लगवाकर हर साल हज़ारों मज़दूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, उसे मज़दूर और मालिक 'गिरमिट' कहते थे। इस दस्तावेज़ के आधार पर मज़दूर गिरमिटिया कहलाता था।
3. **कुली (**Coolie)
   ऐतिहासिक रूप से कुली एक एशियाई गुलाम को कहा जाता था, जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप, चीन, फ़िलीपींस और इंडोनेशिया के होते थे। यह शब्द औपनिवेशिक शासकों द्वारा इन गुलामों को संबोधित करने के लिए दिया गया था।
4. **क्रियोल भाषा**
   क्रियोल या खिचड़ी भाषा, वो स्थिर भाषा होती है, जिसका प्रादुर्भाव विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से होता है। उदाहरण के तौर पर मॉरीशस में क्रियोल भाषा फ्रेंच और भोजपुरी भाषाओं का मिश्रण है।

5. **नृजातीय (**Ethnic)
   एथनिक शब्द एक विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक पहचान का द्योतक है, जो दो या दो से अधिक समूहों को सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर पृथक करता है। ये सांस्कृतिक तत्व भाषा, वेश-भूषा, धर्म, खान-पान और अन्य पहलुओं से निर्मित होते हैं।
6. **औपबंधिक श्रम प्रणाली (**Indenture Labour System)
   इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों से औपनिवेशिक शासकों द्वारा एक विशेष अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत मज़दूरों को दूसरे देशों में ले जाया जाता था , जो औपनिवेशिक शासकों के अधीन थे।

3.3.13. बोध प्रश्न

प्रश्न 01 : मॉरीशस में यूरोपीय समूहों के आगमन का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन हैं?

(क) पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज
(ख) डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली
(ग) फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज
(घ) अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली

प्रश्न 02 : मॉरीशस में लेबर पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं?

(क) बासदेव बिसुनदयाल
(ख) डॉ. मारिश कीरे और पं. सहदेव
(ग) शिव सागर रामगुलाम
(घ) बासदेव बिसुनदयाल

प्रश्न 03 : मॉरीशस कब स्वतंत्र हुआ?

(क) 12 मार्च, 1968 ई.
(ख) 12 मार्च, 1958 ई.
(ग) 12 मार्च, 1948 ई.
(घ) 12 मार्च, 1978 ई.

प्रश्न 04 : मॉरीशस के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है?

(क) मणिलाल डॉक्टर
(ख) शिव सागर रामगुलाम
(ग) पाल बेरांजे
(घ) बासदेव बिसुनदयाल

प्रश्न 05 : भारतीय अप्रवासी आगमन का शताब्दी समारोह कब मनाया गया?

(क) 1933
(ख) 1934
(ग) 1935
(घ) 1936

प्रश्न 06 : गिरमिटिया प्रवासन से आप क्या समझते हैं?

प्रश्न 07 : मॉरीशस में भारत-वंशियों को एकजुट करने में मणिलाल डॉक्टर की क्या भूमिका थी?

प्रश्न 08 : मॉरीशस में भारत-वंशियों की राजनैतिक गतिविधियों का रेखांकन कीजिए।

3.3.14. संदर्भ ग्रंथ सूची

- ❖ रामशरण, प्रह्लाद. (1995). *मॉरीशस : भारतीय संस्कृति का हरावल दस्ता*. नई दिल्ली, आत्माराम एंड संस।
- ❖ सिंह, के हजारी. (1976). *मॉरीशस में भारतीयों का इतिहास*. नई दिल्ली, दी मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड।
- ❖ रामशरण, प्रह्लाद. (2004). *मॉरीशस का इतिहास*. नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।
- ❖ हीरामन, राज. (2009). *मोहनदास की नजरों में मॉरीशस भी था*. नई दिल्ली, स्टार पब्लिकेशन्स।
- ❖ Ramsurrun, Prahlad. (2013). *Hindu Mauritius.* New Delhi, Star Publication Pvt. Ltd.
- ❖ रामशरण, प्रहलाद. (1988). *मॉरीशस : हिंद महासागर में नवोदित राष्ट्र*. नई दिल्ली, राजपाल एंड संस
- ❖ पीरथुम, सतिनंद एंड पीरथुम, सत्येंद्र. (2012, नवम्बर 2). एन अनटोल्ड स्टोरी : द अराइवल आफ इंडियन इनडेनचर्ड लेबर इन मॉरीशस बिटवीन 1826 एंड 1834. मॉरीशस, अप्रवासी घाट ट्रस्ट।
- ❖ पीरथुम, सतिनंद एंड पीरथुम, सत्येंद्र. (2013, नवम्बर 2). दे कम टू मॉरीशस शोर्स : द एक्सपीरीएंसेज आफ़ फ्री आर नान-इनडेनचर्ड इंडियन इमिग्रंट्स इन नाइनटीन्थ सेंचुरी मॉरीशस मॉरीशस, अप्रवासी घाट ट्रस्ट।

❖ लाल, बृज वी. (2006). द एनसाइक्लोपिडिया आफ द इंडियन डायस्पोरा. सिंगापुर, पेरिस एडिशंस।

❖ **Seetha, Krish.** (2010). *'OUR STRUGGLE' Mauritius: an Exploration of Colonial Legacies on an 'Island Paradise'*. Shima: *The International Journal of Research into Island culture* volume-4.

3.3.15. गतिविधि

1. इंटरनेट पर उपलब्ध मॉरीशस के भारत-वंशी समूहों के ब्लॉगों पर उपलब्ध सूचनाओं का संकलन कीजिए।
2. स्वतंत्रता के पश्चात् मॉरीशस के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नामों की सूची तैयार कीजिए।
3. पब्लिक डिप्लोमेसी अनुभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित वृत्तचित्र Bridging Worlds: From Girmitya to Government - The Journey of Indians in Mauritius का अवलोकन कीजिए।
   https://www.youtube.com/watch?v=pGqFZLM2lDI&t=91s

खंड-3 : भारतीय डायस्पोरा का पहचान के लिए संघर्ष
इकाई-4 : फिजी

इकाई की रूपरेखा

3.4.01. उद्देश्य
3.4.02. प्रस्तावना
3.4.03. फिजी का परिचय
3.4.04. फिजी का भौगोलिक परिदृश्य
3.4.05. फिजी की राजनैतिक व्यवस्था एवं तख्तापलट (इंडो-फिजियन संदर्भ)
3.4.06. फिजी की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता (इंडो-फीजियन संदर्भ)
3.4.07. फिजी में प्रकाशित प्रिंट मीडिया
3.4.08. फिजी में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले नेता
3.4.09. फिजी में इंडो फिजीयन/भारतीय डायस्पोरा का पहचान निर्माण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व
3.4.10. सारांश
3.4.11. बोध प्रश्न
3.4.12. संदर्भ ग्रंथ सूची

3.4.01. उद्देश्य

1. फिजी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना।
2. फिजी के भौगोलिक परिदृश्य को समझना।
3. फिजी की राजनैतिक व्यवस्था एवं तख्तापलट (इंडो-फीजियन संदर्भ) को जानना।
4. फिजी की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता (इंडो-फीजियन संदर्भ) को जानना।
5. फिजी में प्रकाशित प्रिंट मीडिया के बारे जानना।
6. फिजी में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले प्रमुख नेताओं के बारे में जानना।
7. फिजी में इंडो-फिजीयन/भारतीय डायस्पोरा का पहचान निर्माण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानना।

3.4.02. प्रस्तावना

फिजी प्रशांत महासागर में एक ऐसा देश है जहाँ अनुबंधित/गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए भारतीय अपनी कठोर परिश्रम और लगन से मजदूर से राज सत्ता तक पहुँच जाते हैं। बाद में यहाँ की राजनीतिक उथल-पुथल में इंडो भारतीय प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी को अपदस्त कर दिया जाता है और यहाँ नस्लीय भेद भाव के कारण भारी संख्या में इंडो फीजियन को फिजी छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। प्रस्तुत अध्याय फिजी गए भारतीयों के पहचान के लिए किए गए इन्हीं संघर्षों और उनकी उपलब्धियों के बारे में समझने की कोशिश है।

3.4.03. फिजी का परिचय

फिजी जो कि आधिकारिक रूप से **फिजी द्वीप समूह गणराज्य** के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है। यह न्यूज़ीलैण्ड के उत्तरी आईलैण्ड से करीब 2000 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित है। इसके समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा और दक्षिण में तुवालु हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेजी अन्वेशनकर्ताओं ने फिजी की खोज की। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज एवं जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े स्रोत हैं। यहाँ की मुद्रा फिजी डॉलर है।

फिजी के मूल निवासी पोलिनेशियाई और मेलानेशिया लोगों का मिश्रण है, जो सदियों पहले दक्षिण प्रशांत के मूल स्थान से यहाँ आये थे। 1879 से 1916 ई. के बीच ब्रिटिश 61000 अनुबंधित/गिरमिटिया मजदूरों को भारत से यहाँ गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए थे। इसके बाद 1920 ई. और 1930 ई. के दशक में हजारों भारतीय स्वेच्छा से यहाँ आए। आज यही इंडो-फीजियन/भारतीय फिजी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। फिजी के मूल निवासी (मुख्यतः काईबीती) पूरे देश में रहते हैं, जबकि भारतीय मूल के फिजी नागरिक दोनों प्रमुख द्वीपों के शहरी क्षेत्रों और गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास रहते हैं। भारतीय फ़ीजियों में 77 प्रतिशत हिंदू, 16 प्रतिशत मुस्लिम, 6 प्रतिशत ईसाई के साथ कुछ सिख भी हैं।

फिजी की नृजातीय जनसंख्या में 1946 से 2007 के बीच बदलाव

जनगणना वर्ष	**फीजियन (%)**	**इंडो-फीजियन(%)**	**अन्य (%)**
1946	45.4	46.4	8.1
1956	42.8	49.0	8.2
1966	42.4	50.5	7.1
1976	44.2	49.8	6.0
1986	46.0	48.7	5.3
1996	50.8	43.7	5.5
2007	56.8	37.5	5.7

स्रोत : Fiji Bureau of Statics, March2008.

Ethnic composition (2007)

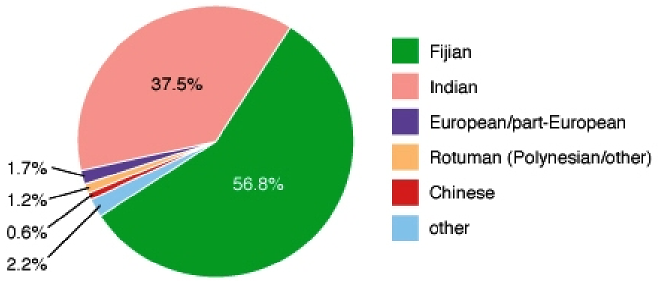

© Encyclopædia Britannica, Inc.

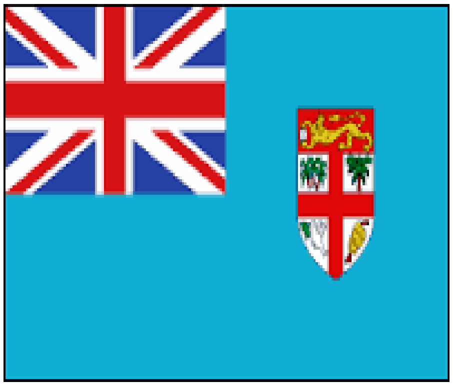

3.4.04. फिजी का भौगोलिक परिदृश्य

फिजी के अधिकांश द्वीप 15 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुए ज्वालामुखीय गतिविधियों से गठित हुआ है। इस देश के द्वीपसमूह में कुल 322 द्वीप हैं, जिनमें से 106 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 500 अति छोटे द्वीप हैं जो कुल मिला कर 18,300 वर्ग किमी के क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। द्वीपसमूह के दो प्रमुख द्वीपविती लेवु और वनुआ लेवु हैं जिन पर देश की लगभग 87 प्रतिशत आबादी निवास करती है और जो उष्णकटिबंधीय वनों से आच्छादित हैं। राजधानी सुवा विती

लेवु में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में शामिल हैं : नांदी-अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लटौका-एक बडी चीनी मिल और समुद्री-पत्तन यहाँ स्थित है।

वनुआ लेवु द्वीप के मुख्य शहरों में लाबासा और सावुसावु प्रमुख है। अन्य द्वीपों या द्वीप समूहों में शामिल हैं तावेउनी और कंदावु जो क्रमशः तीसरा और चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा मामानुका समूह (नांदी से थोडा बाहर) और यसावा समूह लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में है, लोमाईविती समूह, सुवा से बाहर है और दूरस्थ लाउ समूह रोटुमा, द्वीपसमूह के उत्तर में कुछ 500 किलोमीटर (310 मील) की दूरी पर स्थित है और इसे फिजी में एक विशेष प्रशासनिक दर्जा हासिल है। फिजी का निकटतम पड़ोसी टोंगा है।

फिजीद्वीप का मुख्य द्वीप विती लेवु के नाम से जाना जाता है और इसी नाम का उच्चारण इनके पड़ोसी द्वीप टोंगा के निवासी 'फिसी' के रूप में करते थे जिसके कारण इसका नाम फिजी पड़ा है। यूरोपीय लोगों को फिजीवासियों के बारे में सर्वप्रथम कैप्टन कुक के महासागरीय अभियानों के दौरान उनके दल के सदस्य रहे लेखकों के लेखों के द्वारा पता चला। यह लेखक फिजीवासियों से पहले पहल टोंगा द्वीप पर मिले थे। इन लेखों में फिजी के मूल निवासियों को दुर्जेय योद्धा और क्रूर आदमखोरों के रूप में वर्णित किया गया था। साथ ही उन्हें प्रशांत क्षेत्र में श्रेष्ठ वाहिकाओं (पोतों) के निर्माता, लेकिन औसत नाविक के रूप में भी दर्शाया गया है। वे अपने घर को विती कहते थे, लेकिन टोंगाओं ने इसे फिसी कहा और कैप्टन कुक ने जो एक विदेशी थे इसका उच्चारण फिजी किया और अब इन द्वीपों के नाम को इसी नाम से जाना जाता है।

फिजी के पहले निवासियों का आगमन यूरोपीय अन्वेषकों से बहुत पहले ही हो गया था जो कि 17 वीं शताब्दी में फिजी आए थे। मिट्टी के बर्तनों की खुदाई से पता चलता है कि 1000 ई. पू के आस-पास भी फिजी में निवासी रहा करते थे, हालाँकि अभी भी उनके फिजी प्रवास के विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। डच अन्वेषक हाबिल टैस्मान सन् 1643 ई. में जब दक्षिणी महाद्वीप की तलाश में निकले थे तब उन्होंने फिजी का दौरा किया था। उन्नीसवीं सदी तक यूरोपीय स्थायी रूप से द्वीप पर नहीं बसे थे।

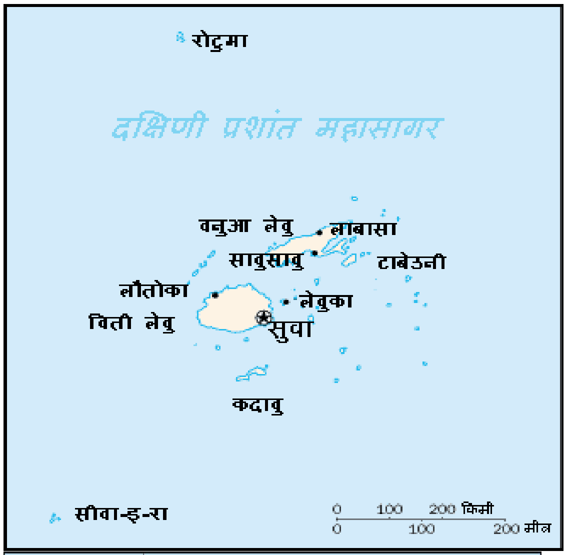

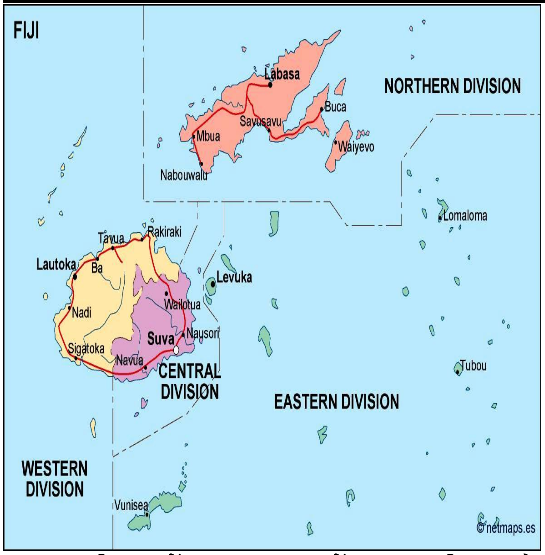

फिजी में प्रचुर मात्रा में वन, खनिज और मत्स्य संसाधन हैं, जिसके कारण यह प्रशांत महासागरीय द्वीप क्षेत्र की तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिजी ने 1960 ई. व 1970 ई. के दशक में तेजी से वृद्धि की, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया, 1987 के तख्तापलट ने तो इसे और मंदा कर दिया। तख्तापलट के बाद के वर्षों में आर्थिक उदारीकरण के चलते कपड़ा उद्योग का विकास बड़ी तेज गति से हुआ है। साथ ही चीनी उद्योग से जुड़ी जमीन के पट्टों की अनिश्चितता के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था ने अपनी वृद्धि दर कायम रखी है। गन्ना किसानों के पट्टों की अवधि समाप्त हो जाने से चीनी के उत्पादन में रियायती मूल्य के बावजूद गिरावट आई है। चीनी के लिए यूरोपीय संघ द्वारा सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और सबसे अधिक लाभान्वित होने वालों में मॉरीशस के बाद फिजी दूसरे स्थान पर है। शहरीकरण और सेवा क्षेत्र के विस्तार ने, हाल के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान किया है। तेजी से बढ़ रहा चीनी का निर्यात और पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत हैं। फिजी राजस्व के लिए पर्यटन पर निर्भर है। चीनी प्रसंस्करण सारी औद्योगिक गतिविधियों का एक तिहाई आर्थिक स्रोत बनता है। लंबे समय की समस्याओं में कम निवेश और अनिश्चित संपदा का अधिकार शामिल है।

3.4.05. फिजी की राजनैतिक व्यवस्था एवं तख्तापलट (इंडो-फीजियन संदर्भ) :

फिजी की राजनीति आम तौर पर एक संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य के दायरे में काम करती है। इसके तहत प्रधानमंत्री, सरकार का मुखिया और राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है। देश में बहुदलीय प्रणाली है। कार्यकारी शक्तियों का प्रयोगाधिकार सरकार के पास है। विधायी शक्तियाँ सरकार और संसद दोनों में निहित है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है।

आजादी के बाद से अब तक फिजी में चार तख्तापलट हो चुके हैं, दो 1987 ई. में, एक 2000 ई. में और एक 2006 ई. के अंत में। 1987 ई. के बाद से सेना या तो शासन में है या उसका प्रभाव निर्वाचित सरकारों पर पूरा है।

1874 ई. में ब्रिटेन ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया। ब्रिटिश लोग भारतीय मजदूरों को अनुबंध पर यहाँ गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए। 1970 ई. में इस देश को ब्रिटेन ने स्वतंत्रता दी। 1981 ई. में स्वर्गीय इंदिरा जी भी फिजी की यात्रा पर गई थीं। 1987 ई. में देश का लोकतांत्रिक शासन दो सैन्य विद्रोहों से बाधित हुआ, क्योंकि पहले तख्तापलट में ऐसा माना गया कि तत्कालीन सरकार में भारतीय फ़ीजियों का प्रभुत्व था तथा दूसरे में ब्रिटिश राजशाही और गवर्नर जनरल की जगह एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। इसके बाद देश का नाम परिवर्तित करके 'फिजी गणराज्य' कर दिया गया (1997 ई. में इसे बदलकर **फिजी द्वीप समूह गणराज्य** कर दिया गया)। इस तख्तापलट के कारण भारतीयों ने बडी संख्या में देश छोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप लानेशियन्स का बहुमत हो गया।

Fiji coup 'was God's plan'

By John Andrews in Auckland

RABUKA NO OTHER WAY

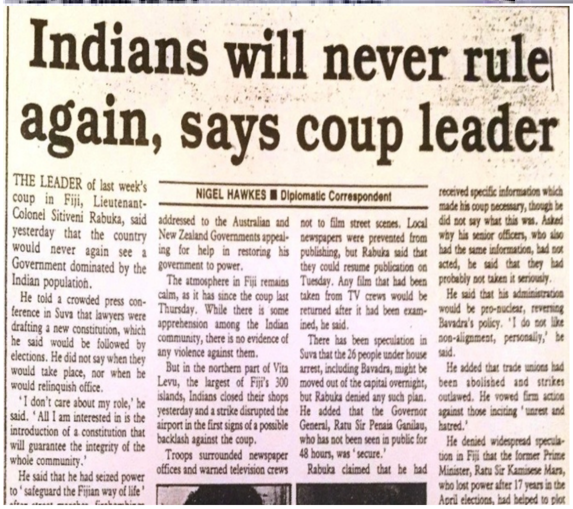

Indians will never rule again, says coup leader

NIGEL HAWKES ■ Diplomatic Correspondent

THE LEADER of last week's coup in Fiji, Lieutenant-Colonel Sitiveni Rabuka, said yesterday that the country would never again see a Government dominated by the Indian population.

He told a crowded press conference in Suva that lawyers were drafting a new constitution, which he said would be followed by elections. He did not say when they would take place, nor when he would relinquish office.

'I don't care about my role,' he said. 'All I am interested in is the introduction of a constitution that will guarantee the integrity of the whole community.'

He said that he had seized power to 'safeguard the Fijian way of life'

addressed to the Australian and New Zealand Governments appealing for help in restoring his government to power.

The atmosphere in Fiji remains calm, as it has since the coup last Thursday. While there is some apprehension among the Indian community, there is no evidence of any violence against them.

But in the northern part of Vita Levu, the largest of Fiji's 300 islands, Indians closed their shops yesterday and a strike disrupted the airport in the first signs of a possible backlash against the coup.

Troops surrounded newspaper offices and warned television crews not to film street scenes. Local newspapers were prevented from publishing, but Rabuka said that they could resume publication on Tuesday. Any film that had been taken from TV crews would be returned after it had been examined, he said.

There has been speculation in Suva that the 26 people under house arrest, including Bavadra, might be moved out of the capital overnight, but Rabuka denied any such plan. He added that the Governor General, Ratu Sir Penaia Ganilau, who has not been seen in public for 48 hours, was 'secure.'

Rabuka claimed that he had received specific information which made his coup necessary, though he did not say what this was. Asked why his senior officers, who also had the same information, had not acted, he said that they had probably not taken it seriously.

He said that his administration would be pro-nuclear, reversing Bavadra's policy. 'I do not like non-alignment, personally,' he said.

He added that trade unions had been abolished and strikes outlawed. He vowed firm action against those inciting 'unrest and hatred.'

He denied widespread speculation in Fiji that the former Prime Minister, Ratu Sir Kamisese Mara, who lost power after 17 years in the April elections, had helped to plot

1990 ई. में नए संविधान के द्वारा राजनैतिक व्यवस्था में मूल फिजी लोगों के वर्चस्व को स्थापित किया गया। रंगभेद विरोधी समूह (GARD) का गठन एक तरफा थोपे गए संविधान का विरोध करने और 1970 ई. के संविधान की बहाली के लिए किया गया। 1987 ई. के तख्तापलट को अन्जाम देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सितिवेनी रेबूका नए संविधान के तहत हुए चुनाव के बाद 1992 ई. में प्रधानमंत्री बने। तीन साल बाद, सितिवेनी रेबूका ने संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप 1997 ई. में एक नया संविधान अस्तित्व में आया। साथ ही इस संविधान को फिजी भारतीय/ इंडो-फीजियन और फिजी मूलवासी समुदायों के नेताओं का समर्थन भी मिला। फिजी को एक बार फिर से राष्ट्रमंडल के एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति मिल गई।

नई सहस्राब्दी में देश ने फिर से एक तख्तापलट देखा। इस तख्तापलट में जॉर्ज स्पीट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंडो-फीजियन **प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी** की सरकार को उखाड़ फेंका जो 1997 ई. के संविधान के बाद निर्वाचित हुई थी। कमोडोर फ्रैंक बैनीमरामा ने राष्ट्रपति मारा के इस्तीफे जो संभवतः मजबूरी में दिया गया था, के बाद कार्यकारी शक्ति ग्रहण कर ली। सन् 2000 में सुवा की बैरकों में हुऐ दो सैनिक विद्रोहों ने फिजी को हिला कर रख दिया, जब विद्रोही सैनिकों ने शहर में हुड़दंग मचा दिया। उच्च न्यायालय ने संविधान की बहाली का आदेश दिया और सितंबर 2001 ई. में लोकतंत्र को बहाल करने के

लिए आम चुनाव आयोजित किए, जो अंतरिम प्रधानमंत्रीलेसीनिया करासे की सोकोसोको दुआवाता नी लेवेनिवानुआ पार्टी ने जीते।

सन् 2005 में, बहुत विवादों के बीच, करासे सरकार ने एकता आयोग बनाने का एक प्रस्ताव रखा जिसके अंतर्गत सन् 2000 के तख्तापलट के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के साथ इसके उत्तरदायी लोगों के लिए माफी की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव का सेना और विशेष रूप से सेना के कमांडर फ्रैंक बैनीमरामा ने पुरजोर विरोध किया। फ्रैंक बैनीमरामा ने आलोचकों के साथ सहमति जताई कि वर्तमान सरकार के समर्थकों जिन्होंने तख्तापलट में एक निर्णायक भूमिका निभाई, को क्षमा दान देना अनुचित है। उन्होंने सरकार पर अपने हमले मई से जुलाई तक लगातार जारी रखे, जिसके कारण उनके संबंध सरकार से जो पहले से तनावपूर्ण थे और तनावपूर्ण हो गए। नवंबर 2006 के अंत और दिसंबर 2006 के शुरू में तख्तापलट के लिए बैनीमरामा मुख्य रूप से उत्तरदायी था। बैनीमरामा ने अपनी माँगों की सूची करासे सरकार को सौंप दी जिसके बाद करासे सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आई जिसमें 2000 में तख्तापलट के प्रयास में शामिल लोगों को क्षमादान देने की पेशकश की गई थी। उसने करासे को 4 दिसंबर तक इन माँगों को स्वीकार करने या अपने पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेंटम दे दिया। करासे ने माँगों को स्वीकार करने या इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति **रातु जोसेफा इलोइलो**, ने बैनीमरामा से मुलाकात के बाद संसद भंग करने के एक कानूनी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए।

3.4.06. फिजी की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता (इंडो-फीजियन संदर्भ)

फिजी की समृद्ध संस्कृति स्वदेशी, भारतीय, चीनी और यूरोपीय परंपरा का मिश्रण है। संस्कृति अनेक पहलुओं से मिलकर बनी है, जिनमें सामाजिक व्यवस्था, परंपरा, भाषा, भोजन, वेशभूषा, विश्वास प्रणाली, वास्तुकला, कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और खेल आदि शामिल हैं। आबादी का अधिकांश फीजियन मूल की संस्कृति से प्रेरित है और इसका दर्शन दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। फीजियन संस्कृति पर भारतीय और चीनी संस्कृति के साथ ही यूरोपीय संस्कृति का भी काफी प्रभाव है। इन सभ्यताओं के मिश्रण ने फिजी की संस्कृति को एक अद्वितीय और राष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए फिजी वासी साथ मिलकर भारतीय रीति रिवाजों को संजोये फिजी में मनोरंजन का कार्यक्रम करते हैं जिससे वहाँ पर अपनी संस्कृति की पहचान बनी रहे। भारत और फिजी गणराज्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। 14 मई, 1879 को भारत

से पहली बार गिरमिटिया श्रमिकों के साथ 'लेओनिडास' जहाज फिजी के समुद्रतट पर पहुँचा। बाद में भारत से अधिक जहाजों के आगमन के साथ उनकी संख्या में वृद्धि हुई। करारबद्ध कुली प्रथा 1916 ई. में समाप्त हो गई थी। इस प्रकार 1879 से 1916 तक कुल 37 वर्षों तक भारत से मजदूरों का आयात जारी रहा, जिन्हें 'गिरमिटिया मजदूर' भी कहा जाता था। 37वर्षों में भारत से कुल 87 जहाजी यात्राओं द्वारा कुल 60553 करारबद्ध मजदूर फिजी आए थे। फिजी जाने वाले इन मजदूरों में अधिकाशत : बिहार, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी संयुक्त प्रांत, पंजाब तथा मद्रास के निवासी होते थे। इन मजदूरों में यद्यपि अधिकांशत: पिछड़ी और दलित जातियों जैसे- अहीर, चमार, कहार, कोइरी, कुम्हार, कुर्मी, लोध और तेली जाति के लोग थे, परंतु ब्राह्मणों और राजपूतों जैसी सवर्ण जातियों के लोगों की संख्या भी बहुत कम नहीं थी।

इन श्रमिकों की संतान जो अब पाँचवी पीढ़ी है, जनसंख्या का लगभग 38 प्रतिशत है और देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की उपस्थिति से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बहुत योगदान मिला है।

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आई. सी. सी.), सुवा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेश में 1972 ई. में स्थापित पहला सांस्कृतिक केंद्र था। आई.सी.सी., सुवा कर्नाटक स्वर संगीत, कथक और भरतनाट्यम् नृत्य, भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र – सस्वर तबला, हारमोनियम, योग और हिंदी में पाठ्यक्रम संचालित करता है। आई. सी. सी. उपकेंद्र, लौतोका भरतनाट्यम नृत्य, भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र – सस्वर तबला/ हारमोनियम और योग में पाठ्यक्रम संचालित करता है। सभी विषयों का संचालन शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत - तीन समूहों में प्रत्येक मानकीकृत पाठ्यक्रम के साथ, अंशकालिक स्थानीय शिक्षकों द्वारा किया जाता है। सभी कक्षाएँ नि:शुल्क हैं।

आई.सी.सी. नियमित कक्षाओं की गतिविधियों के साथ-साथ, सांस्कृतिक संध्या, प्रदर्शनियों, फिल्म शो, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। आई. सी. सी., सुवा भारतीय संस्कृति और विरासत के पहलुओं पर व्याख्यान एवं प्रदर्शन के साथ ही पुस्तकों एवं संगीत वाद्य यंत्रों का उपहार देने जैसी सेवा की गतिविधियाँ भी चलाता है।

फिजी के भारतवंशी आज भी अपने धर्म को लेकर जागरूक हैं। फिजी वासी होने के बावजूद भी सभी भारतवंशी अपने-अपने धर्म को अपनाए हुए हैं और इस तरह की ख़बरों को वहाँ का अख़बार विशेषकर शांतिदूत बहुत ही तवज्जो के साथ प्रकाशित करता है। फिजी में पहुँचे अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम भी फहराए। मॉरीशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहाँ भारतीय मूल के नागरिक वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद 'प्रधानमंत्री' तक पहुँचे। फिजी में भारतीय और वहाँ के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा हैं। भारतीय घरों में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ आम तौर पर सुने जा सकते हैं। अन्य देशों की तरह भव्यता एवं वैभव का प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। इस त्यौहार को धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में भी मनाया जाता है।

भारत के समान ही फिजी में हिंदू, सिख, आर्यसमाजी, मुस्लिम, कबीरपंथी आदि हैं, उनके संगठन और धार्मिक स्थल हैं एवं इनकी सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियाँ भी होती रहती है। इन इंडो-फ़िजियन लोगों की ये धार्मिक गतिविधियाँ एवं उनके साथ संलग्नता उन्हें समुद्रपारीय देशों में धार्मिक पहचान देते हुए उन्हें अपने मूलदेश से जोड़ने का कार्य करती है। फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में

भारतीय तौर-तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। भारत की कई आध्यात्मिक-सामाजिक संस्थाओं की वहाँ सक्रिय शाखाएँ हैं। आर्य समाज का यहाँ के भारतीय जनजीवन में अभूतपूर्व योगदान है। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएँ यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। सन् 1904 से यहाँ आर्य समाज अपने विभिन्न आयोजनों द्वारा भारतीयता की अलख जगाए हुए है। वैदिक तौर-तरीकों से यहाँ के प्रत्येक संस्कार संपन्न किए जाते हैं। फिजी की कुल आबादी का38 प्रतिशत भारतीय समुदाय है। फिजी में आप भारत के साक्षात दर्शन कर सकते हैं।

KABIR SAT DHARAM PARCHARAK MAHA SABHA OF FIJI
18 VIRIA ROAD, VATUWAQA, SUVA , FIJI.
TELEPHONE: 679 3385 300
CELL: 679 9779775
EMAIL:fijikabir@gmail.com
SKYPE ADDRESS: kabir.fiji

FIJI MUSLIM LEAGUE
BA JAMI MOSQUE

ARYA PRATINIDHI SABHA OF FIJI
2007 ARYA CONVENTION & 90th ANNUAL GENERAL MEE
VENUE: DAV GIRLS COLLEGE DATE 21-24 JUNE 200
THEME: STRIVING FOR A BETTER FIJI.
HOST: SAMABULA ARYA SAMAJ

ARYA PRATINIDHI SABHA OF FIJI
EST.1918
HEADQUARTERS
• ADMINISTRATION
• PUSTAKALAYA LIBRARY
• BOOK CENTRE

यहाँ अंग्रेजी, फिजी हिंदी आदि कई भाषाएँ बोली एवं प्रयोग में लाई जाती है। फिजी में बोली जाने वाली हिंदी अवधी भाषा का ही स्वरूप है। फिजी में अवध क्षेत्र का बहुत प्रभाव है, वहाँ रामायण का बोली में भी बहुत प्रभाव है। अवध में प्रयुक्त शब्दावली आज भी ज्यों की त्यों यहाँ प्रचलित है, जैसे सब्जी पेठा/सीताफल को कोहड़ा, पूड़ी को सोहारी, पैर को गोड़ आदि कहा जाता है। इसका मूल कारण वहाँ भारतीय अनुबंधित/ गिरमिटिया लोग भारत के मुख्यतः अवध क्षेत्र के थे। राष्ट्रकवि पंडित कमला प्रसाद मिश्र, हिंदी सेवी व मंत्री स्व श्री विवेकानंद शर्मा, प्रो० सत्येन्द्र नंदन आदि सभी की जड़ें भारतीय अवध क्षेत्र में है। इनके पूर्वज फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जनपदों से गए थे। इसी कारण यहाँ की भाषा अवधी के रूप में विकसित हुई है और आज स्थानीय प्रभाव के कारण जिसे फिजी हिंदी कहते हैं।

फिजी हिंदी फिजी में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। इसे **फ़िजियन हिंदी** या **फ़िजियन हिंदुस्तानी** भी कहते हैं। यह फिजी की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह अधिकांशतः भारतीय मूल के फिजी लोगों द्वारा बोली जाती है। फिजी हिंदी देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों में लिखी जाती है। यह मुख्य रूप से अवधी और हिंदी की अन्य बोलियों से व्युत्पन्न है जिसमें अन्य भारतीय भाषाओं का भी समावेश है। इसमें फिजी और अंग्रेजी से बड़ी संख्या में शब्द उधार लिए गए हैं। फिजी हिंदी में बड़ी संख्या में ऐसे अनूठे शब्द भी हैं, जो फिजी में रह रहे भारतीयों के नए माहौल में ढलने के लिए जरूरी थे। फिजी भारतीयों की पहली पीढ़ी, जिसने इस भाषा को बोलचाल के रूप में अपनाया इसे 'फिजीबात' कहते थे। भाषाविदों के हाल के अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि फिजी हिंदी भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा पर आधारित एक विशिष्ट भाषा है, जिसमें फिजी के अनुकूल विशेष व्याकरण और शब्दावली है। आज फिजी में कई हिंदी लेखकों की फिजी हिंदी में साहित्यिक रचनाएँ निरंतर प्रकाशित हो रही है। प्रो. सुब्रमनी (डउका पुरान), प्रो. रेमण्ड पिल्लई(अधूरे सपने), प्रो. ब्रिज विलास लाल, श्री महेंद्र चंद्र शर्मा 'विनोद' तथा बाबूराम शर्मा ने फिजी हिंदी को साहित्यिक गौरव प्रदान किया है।

मनोरंजन के क्षेत्र में चटनी संगीत, भारतीय फिल्मों के अलावा इंडो फिजीयन विमल रेड्डी और सतीश राय द्वारा निर्मित फ़िल्में महत्वपूर्ण हैं। विमल रेड्डी ने हाई तो सुवा, अधुरा सपना, धार-परदेश जैसी फ़िल्में फिजी हिंदी भाषा में बनाई। सतीश राय फ़िल्मकार, निर्देशक और टी. वी. निर्माता हैं। सतीश राय की मनोरंजन के क्षेत्र में 'इन एक्साइल एट होम-ए फिजी इंडियन स्टोरी', एक पल, रिया, स्वर्ग से उडान, ख्यायिशें हजार मंजिल कहाँ, मिलाप, सहारा, स्पाईस ऑफ लाइफ (टी. वी. कार्यक्रम) आदि प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।

3.4.07. फिजी में प्रकाशित प्रिंट मीडिया

समाचार पत्रों के नाम	संपादक के नाम	वर्ष
द संडे टाइम	महेंद्र मोती भाई पटेल	1869
इंडियन सेटलर्स	मणिलाल डॉक्टर	1917
द फिजी समाचार	बाबु राम सिंह	1923
शांतिदूत	श्री गुरूदयाल शर्मा, वर्तमान में नीलम कुमार, राकेश कुमार	1935
तारा	ज्ञानी दास	1941
डेली पोस्ट	तनिएला बोलेया	1987

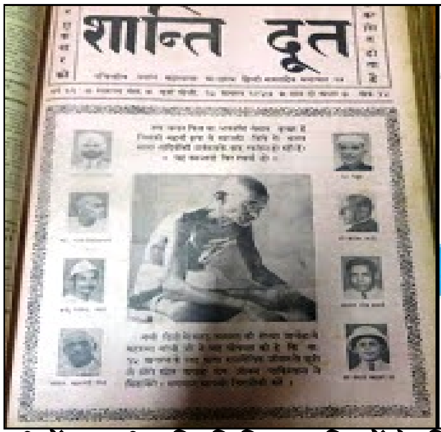

3.4.08. फिजी में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले नेता

महात्मा गांधी जी की सलाह पर फिजी में आकर भारतीय अनुबंधित/गिरमिटिया श्रमिकों के बीच उनके साथ हो रहे अन्याय, मानवाधिकारों के हनन के लिए आवाज उठाना, भारतीयों को संगठित करना और उनके अंदर सांस्कृतिक राजनीतिक जागृति के लिए कार्य करने वालों में प्रमुख नाम मणिलाल डॉक्टर और सी. एफ. एंड्रयूज का है।

मणिलाल डॉक्टर

मणिलाल डॉक्टर का जन्म 28 जुलाई, 1881 ई. को बड़ौदा, गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम मणिलाल मगनलाल शाह था। उन्होंने एम.ए. 1904 में बंबई विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद वे 1905 में बार-एट-ला के छात्र के रूप में लंदन चले गए। वहाँ 'भारतीय समाजशात्री' के रूप में उन्हें होम रुल सोसाइटी का एक सक्रिय सदस्य बना दिया गया। 1906 ई. में मणिलाल की मुलाकात एम. के. गांधी से हुई। उन्होंने फिजी में काम कर रहे गिरमिट मजदूरों की दुर्दशा के बारे में मणिलाल को बताया और ब्रिटिश सत्ता से भारतीय मजदूरों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मणिलाल डॉ. को मॉरिशस से फिजी भेजा।

मणिलाल ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका में संघर्षरत महात्मा गांधी तथा फिजी के तोताराम सनाढ्या, बाबूराम सिंग, राम रूप और जे. पी. महाराज के पत्र-व्यवहार को पढ़कर 1912 ई. में फिजी जाना निश्चित किया था। इस पत्र व्यवहार में गांधी जी से अंग्रेजी में शिक्षित तथा वकील व्यक्ति को फिजी भेजने का अनुरोध किया गया था। मणिलाल फिजी में पहली बार मासिक रूप से प्रकाशित होने वाले भारतीय जनरल 'इंडियन सेटलर्स' के अंग्रेजी प्रकोष्ठ के संपादक थे। इसका प्रकाशन 1917 ई. में प्रारंभ हुआ था परंतु कोष की कमी के कारण कुछ समय बाद ही इसका प्रकाशन बंद हो गया था। 1911 ई. में स्थापित 'ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजी' का नाम बदलकर 'इंडियन इम्पीरियल एसोसिएशन ऑफ फिजी' करने का श्रेय मणिलाल को ही दिया जाता था।

फीजियाई-भारतीयों में राजनीतिक सक्रियता का युग 1911 ई. में प्रारंभ हुआ, जब ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन (बाद में, इंडियन इम्पीरियल एसोसिएशन) की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक मणिलाल 1912 ई. में, जे. पी. महाराज, पीटर ग्रांट और पंडित तोताराम सनाढ्य के निवेदन पर फिजी आए थे।

सी. एफ. एन्ड्रयूज : रेवरेंड चार्ल्स फ्रीयर एन्ड्रयूज (सी. एफ. एन्ड्रयूज) का जन्म ब्रिटेन में 12 फरवरी, 1871 ई. को हुआ था। वे महात्मा गांधी के अभिन्न मित्र थे। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी आप भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में समय-समय पर 'मैंचेस्टर गार्जियन', 'द हिंदू', 'माडर्न रिव्यू', 'द नैटाल आबजर्वर', और 'द टोरोंटो स्टार' में आलेख लिखते रहे। महात्मा गांधी की सलाह पर एंड्रयूज 1915 और 1917 में फीज़ी की परिस्थितियों का विश्लेषण करने फिज़ी गए थे। 1936 में जब वे आस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की यात्रा पर थे तो उन्हें फिजी आमंत्रित किया गया व वे पुन: फिज़ी गए। एंड्रयूज ने शोषित भारतीय अनुबंधित/गिरमिटिया श्रमिकों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अंतत: उन्हें सफलता मिली। फिजी में ही उन्हें सबसे पहले दीनबंधु के संबोधन से अलंकृत किया गया था। वहाँ से भारत लौटकर

दीनबंधु एंड्रयूज ने अपना संपूर्ण जीवन श्रमिकों केकल्याण के लिए समर्पित कर दिया। फीज़ी के बंधुआ मज़दूरों को मुक्ति दिलाने व उनका जीवन बेहतर बनाने के प्रयास के लिए 'एंड्रयूज की भूमिका सदैव याद की जाएगी। व्यक्तिगत स्तर पर सी. एफ. एंड्रयूज ने करारबद्ध कुली प्रथा की समाप्ति के लिए सबसे अधिक सराहनीय प्रयास किया था। मैकनील-चिमन लाल की रिपोर्ट से वे भारतीय जो इस प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे, संतुष्ट नहीं थे। अततत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिंग की अनुमति से सी. एफ. एंड्रयूज और डब्ल्यू.डब्ल्यू. पियर्सन ने 1915 में फिजी की प्रथम यात्रा की, जो पूरी तरह से अशासकीय थी। इनकी रिपोर्ट ने फिजी की औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के विरुद्ध एक दमदार आरोप पत्र का रूप धारण कर लिया था। इसी रिपोर्ट के द्वारा लार्ड हार्डिंग करारबद्ध कुली प्रथा को समाप्त करने के लिए गृह सरकार की स्वीकृति लेने में सफल हुए थे।

फरवरी 1916 ई. को सी. एफ. एंड्रयूज व पियरसन की 'फिज़ी गिरमिटिया श्रम रिपोर्ट' (Indentured Labour In Fiji) जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के पश्चात् ही गिरमिटियों की ओर अनेक

संस्थाओं और सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ व गिरमिटिया श्रमिकों को मुक्ति मिल पाई थी। इस संदर्भ में एंड्रयूज के व्यक्तिगत प्रयास सराहनीय रहे। 5 अप्रैल, 1940 ई. को कलकत्ता में एंड्रयूज का निधन हो गया।

3.4.09. फिजी में इंडो-फिजीयन/भारतीय डायस्पोरा का पहचान निर्माण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व

तत्कालीन गवर्नर सर आर्थर हेमिल्टन गार्डन ने भारत से शर्तबंद मजदूरों के मानव-व्यापार के नवीन अध्याय की शुरुआत की जिसके फलस्वरूप 1879 ई. में 'लेओनीदास' नामक जहाज में पहला दल उतारा गया। सन् 1916 ई. तक प्रतिवर्ष यह क्रम जारी रहा। अड़तीस वर्षों में लगभग 61,000 हिंदुस्तानी मजदूर एग्रीमेंट (समझौते) गिरमिटिया कानून के तहत फिजी पहुँचे, जिसमें 10 से 15 प्रतिशत के आस-पास भारत वापस आ गए। इन्हीं भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया कहा गया। इन भारतवंशियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं : बाबा रामचंद्र उर्फ़ श्रीधर बलवंत जोधपुरकर, तोताराम सनाढ्य, महेंद्र चौधरी, अयोध्या प्रसाद शर्मा, सरदार श्री रामउग्रहजी, श्री सुरेंद्र प्रसाद, बैरिस्टर जय राम रेड्डी, जोगिंदर सिंह कंवलआदि।

बाबा रामचंद्र : बाबा रामचंद्र का जन्म 1864 ई. में, बंबई प्रेसिडेंसी (अब महाराष्ट्र) में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पुराना नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर था। 1904 ई. में तेरह साल के उम्र से ही वे घर-द्वार छोड़कर भ्रमण पर चले गए। अठारह वर्ष की उम्र में अनुबंध श्रमिक प्रणाली के तहत कृषक श्रमिक बनकर फिजी चले गए। फिजी जाने के लिए इन्होंने अपने ब्राह्मण पहचान को छुपाया और अपना नाम बदलकर रामचंद्र राव कर लिया, क्योंकि उस समय अनुबंध श्रमिक के लिए ब्राह्मण जाति के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था।

बाबा रामचंद्र फिजी में करीब तेरह वर्ष तक (श्रीधर बलवंत जोधपुरकर) अलग-अलग रूपों में रहे। इन्होंने भारतीय अनुबंध श्रमिकों, औपनिवेशिक सत्ता द्वारा कृषकों के साथ अमानवीय व्यवहार तथा शोषण के विरोध में आंदोलन किया। इसी दौरान बाबा रामचंद्र मणिलाल डॉक्टर के संपर्क में आए। मणिलाल डॉक्टर गांधी जी के शिष्य थे तथा आर्य समाज के माध्यम से भारतीय गिरमिटिया मज़दूरों के शोषण के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। मज़दूरों को एकीकृत कर उन्हें शिक्षित किया। बाबा ने भी, भारतीय गिरमिटिया मज़दूरों को शोषण के खिलाफ संगठित करने के लिए धार्मिक संगठनों, संस्थाओं, मिथकों, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया। इसके लिए बाबा ने फिजी में रामलीला का मंचन किया और करवाया। रामलीला के मंचन के कारण फिजी के भारतीय समुदाय के बीच एकता का सूत्रपात हुआ। बाबा अपने साथ रामायण लेकर चलते थे। रामायण पर व्याख्यान भी देते थे। लोगों को बताते थे कि हमारे शोषक शासक रावन के समान हैं और राम ने सभी को एकत्रित करके जिस प्रकार रावण का नाश करके विजय पाई है, उसी प्रकार हम भी औपनिवेशिक शोषकों का नाश करेगें। बाबा ने औपनिवेशिक शोषकों के शोषण से संबंधित एक आलेख बड़ी कठिनाई से लिखा और छिपाकर भारत भेजा जो भारत में कलकत्ता से छपने वाली अखबार 'भारत मित्र' में प्रकाशित हुआ। इस आलेख से औपनिवेशिक शोषकों के कान खड़े हो गए और बाबा को अपनी गिरफ्त में लेने की तैयारी करने लगे। इसी बीच बाबा ने अपने मित्रों की सलाह पर 1916 ई. में फिजी छोड़ दिया और भारत आ गए।

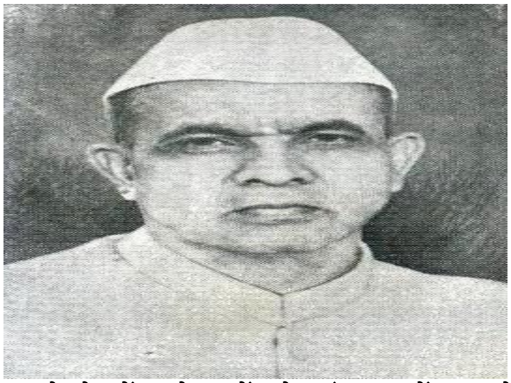

भारत में बाबा एक साधू के वेष में अयोध्या में बसे, परंतु बाद में भारत के किसानों की समस्या से वे आहत हुए और किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे। भारतीय किसानों का शोषण जमींदार, तालुकदार और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के सहारे करते थे। ब्रिटिश राज के किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए बाबा ने 1920-21 ई. में 'अवध किसान सभा' का गठन किया। इस सभा की सहायता एवं समर्थन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व जवाहर लाल नेहरु से भी बाबा ने संपर्क किया। 'अवध किसान सभा' की मुख्य माँग थी- मालगुजारी में कमी, बेगारी प्रथा की समाप्ति, शोषक भू-स्वामी का सामाजिक बहिष्कार आदि। बहुत जगह पर बड़े भूस्वामियों का धोबियों, नाइयों ने बहिष्कार किया। प्रारंभिक समय में किसानों के मुद्दे पर बाबा को जवाहर लाल नेहरु तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेताओं का साथ एवं समर्थन मिला परंतु बाद के दिनों में बाबा के किसान आंदोलन का मार्ग हिंसक हो गया। इस कारण बाबा को बाद के दिनों में न ही नेहरु और न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही साथ मिला।

तोताराम सनाढ्य : तोताराम सनाढ्य का जन्म 1876 ई. में हिरन गाँव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तोताराम सनाढ्य हिरन गाँव की पाठशाला के तीसरे दर्जे में प. कल्याण प्रसाद के पास पढ़ते थे। 1887 ई. में उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की दशा अत्यंत दयनीय रही, जिससे तोताराम 1893 ई. में घर छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकल गए। तोताराम को हिंदुस्तान से फिजी गिरमिटिया श्रमिक बनाकर और धोखे से 23 मई, 1893 ई. को फिजी ले जाया गया। उनसे 5 वर्ष तक बंधुआ मज़दूर के रूप में काम कराया गया, किंतु वे अपने अधिकारों के लिए निडर होकर संघर्ष करते रहे। करार की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने एक छोटे किसान और पुजारी का जीवन शुरू किया और उसके साथ-साथ अपना अधिकांश समय उन लोगों की सहायता में लगे रहे जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ काम कर रहे थे।

वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय नेताओं के संपर्क में रहे और भारत से अधिक संख्या में शिक्षक, वकील, कार्यकर्ता आदि भेजने का अनुरोध किया, ताकि फिजी के भारतीय लोगों की दुर्दशा को कम किया जा सके। 21 वर्ष तक फिजी प्रवास में पहले गिरमिटिया के रूप में मजदूरी की फिर किसान बने और बाद में कथावाचक। विवाह अनुबंधित श्रमिक की बेटी से किया, 1914 में पत्नी और सासू माँ के साथ भारत लौटे। भारत में गांधी जी के आश्रम में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया।

फिजी प्रवास के अनुभवों को एकत्रित कर **'फिजीद्वीप में मेरे इक्कीस वर्ष'** नाम से एक पुस्तक लिखी। वे अपनी आत्मकथा पुस्तक 'फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष' में चर्चा करते हैं कि 28 मई, 1893 को फिजी के नौसोरी प्लांटेशन के बैरक निवास में पहुँचे, जहाँ वे 141 अनुबंधित भारतीय मजदूरों के लिए बने एक कतार वाले घरों में रहते थे। प्रत्येक बैरक में 24 कमरे थे प्रत्येक कमरा 12 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा (3.66 मीटर x 2.44 मीटर) था, कमरे में तीन लोग एक साथ रहते थे। अगर पत्नी साथ में हो तो एक रूम परिवार के लिए तथा और एक बच्चा रहने पर भी एक रूम। इस तरह एक कतार में 1500 औरत और मर्द रहते थे। फिजी में कोलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी में काम करते थे।

फिजी की अनुबंधित मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने में इस पुस्तक में वर्णित अनुभव बहुत सहायक सिद्ध हुए। इस पुस्तक को भारती भवन द्वारा प्रकाशित कराकर भवन की ख्याति को बढ़ाया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद कराकरदीनबंधु सी. एफ. एंड्रयूज फिजी ले गए।

महेंद्र चौधरी

महेंद्र चौधरी के दादा 1912 ई. में भारत से फिजी गए थे। वहाँ गन्ने के खेत में उन्होंने मज़दूरी की। 1999 ई. में पहली बार महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री बने। फिजी में वे भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। मूलत: भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के निवासी रहे महेंद्र चौधरी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। बहुजमाल पार गाँव में रही अपनी बहन से मिलने वे 1997 में वहाँ गए थे।

फिजी में सत्तापलट के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी इस पूरे प्रकरण से बड़े ही परिपक्वता से निपटे। दो महीनों तक बंधक बनाकर रखे जाने के बावजूद उनके मन में बंधककर्त्ताओं के लिए द्वेष की कोई भावना नहीं दिखती। फिजी के बागी नेता जार्ज स्पेट ने महेंद्र चौधरी को बंदूक के दम पर कब्ज़े में रखा, लेकिन इस दौरान चौधरी का सत्ता में वापस आने का इरादा लगातार बुलंद होता रहा। भारतीय मूल के फिजी के इस पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने फिजी के भविष्य को संवारने का एक सपना देखा है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि उसे पूरा करने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया। हालाँकि वो मानते हैं कि इसके बावजूद वे फिजी के लोगों की सेवा में समर्पित रहेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब चौधरी के खिलाफ सत्तापलट की कोशिश हुई| 1987 में फिजी की सरकार का तख्ता पलटा गया। इस सरकार में ज्यादातर भारतीय मूल के लोग थे। तब चौधरी वित्त मंत्री थे। उसी समय उन्हें कुछ समय तक कैद भी कर लिया गया था।

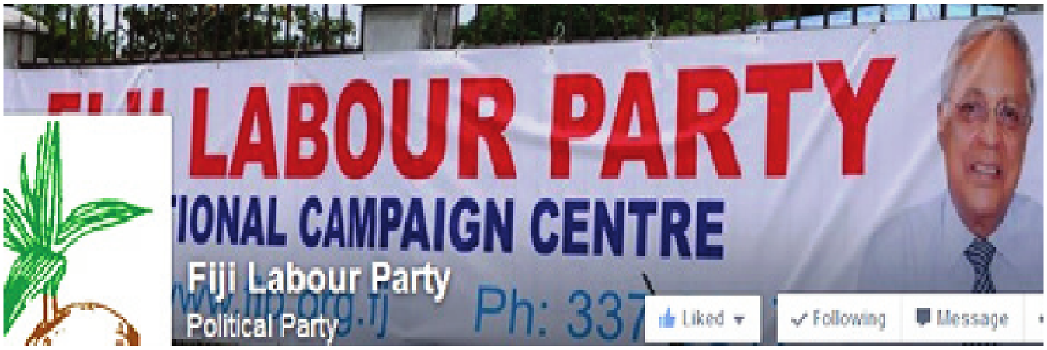

एक ऑडिटर के तौर पर काम करने वाले चौधरी ने फिजी में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाने के लिए काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने फिजी में करों की वसूली शुरू की। कई सालों से ये वसूल नहीं किए गए थे। फिजी की घटनाओं के बाद महेंद्र चौधरी फिजी के भारतीय बहुल निवासियों की आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। फिजी की 44 प्रतिशत जनता चौधरी में एक ऐसे राजनेता को देखती है जो प्रजातंत्र और क़ानून व्यवस्था के प्रति समर्पित है। शायद यही वो कारण है जिससे महेंद्र चौधरी अपनी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। चौधरी मानते हैं कि फिजी में प्रजातंत्र की स्थापना के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करना फिजी में अराजकता को बढ़ावा देने वाली बात होगी और ये उनके उसूलों के विरुद्ध है।

जोगिन्दर सिंह कंवल : फिजी में हिंदी लेखन के भीष्म पितामह हैं। 88 वर्ष की आयु में चहल-पहल, महत्वाकांक्षाओं से दूर पहाड़ियों में साहित्य साधना में विलीन हैं। जीवन के इस लंबी दौड़-धूप और यात्रा में उन्होंने अपनी मुस्कान नहीं खोई है, साहित्यकारों को सामान्य रूप से मिलने वाली सांसारिक असफलताओं के कारण उनमें कोई कटुता नहीं आई, उदासीनता और निराशा तो उनसे कोसों दूर हैं।

उनकी पहली पुस्तक 'मेरा देश मेरी धरती' 1947 में प्रकाशित हुई थी। वे 40 वर्ष से निरंतर साधनारत हैं।

3.4.10. सारांश

फिजी में मारीशस की तरह ही भारतीय गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए और अपनी मेहनत, लगन से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। फिजी के भारत वंशियों ने राजनीति, प्रशासन, साहित्य, अर्थव्यवस्था, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में काफी उन्नति प्राप्त की है। इंडो भारतीयों की इसी बहुआयामी कामयाबी ने फीजियन मूल वासी के मन में ईर्ष्या के बीज को पनपने का मौका दिया। परिणामस्वरूप फिजी में भारतीय मूल के पहले प्रधान मंत्री का तख्तापलट किया गया और नस्लभेदी नीति को अपनाया गया। इन्हीं परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में इंडो-भारतीयों को दूसरे देशों में शरण लेना पड़ा। इसके कारण एक समय फिजी में सबसे बड़ी संख्या (46.4%) में रहने वाले भारतवंशी आज अल्पसंख्यक(37.8%) हैं। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतवंशी अपनी ऊर्जा को फिजी के नवनिर्माण में लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं।

3.4.11. बोध प्रश्न

1. फिजी का भौगोलिक परिदृश्य एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए।
2. फिजी की राजनीतक तख्तापलट (इंडो-फीजियन संदर्भ) के कारणों को स्पष्ट करें।
3. फिजी की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशिलता (इंडो-फीजियन संदर्भ) के बारे में विस्तार से बताइए।
4. फिजी में प्रकाशित प्रिंट मीडिया ने भारतीयता को बनाए रखने में किस प्रकार मदद किया है?
5. फिजी में भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के लिए कार्य करने वाले प्रमुख नेताओं के बारे में विस्तार से बताइए।
6. फिजी में इंडो फिजीयन/भारतीय डायस्पोरा का पहचान निर्माण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत जानकारी दें।

3.4.12. संदर्भ ग्रंथ सूची

- J. Siegel, 1985 . Plantation Languages in Fiji*, Australian National University.*
- R. F. Moag 1977. Fiji Hindi : A basic course and reference grammar*, Australian National University.*
- अवस्थी, पुष्पिता. 2015. भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति दिल्ली : *किताब घर प्रकाशन।*
- डॉ. शालिनी, 2014. फ़ीज़ी : अप्रवासी भारतीयों का नस्लीय रूपांतरण. नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान।
- Lal, Brij. V. 2007, The Encyclopedia of Indian Diaspora, ISBN 13: 9780824831642, PP-370-382, London : Oxford Univesity press.
- जोशी, राम शरण एवं अन्य. (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
- Fiji Wikipedia.

खंड-4 : भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति : इतिहास व वर्तमान

इकाई-1 : स्वतंत्रतापूर्व: भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव की ऐतिहासिक यात्रा (1834 से 1947)

इकाई की रूपरेखा

4.1.1. उद्देश्य
4.1.2. प्रस्तावना
4.1.3. भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण लोग एवं संस्थाएँ
4.1.3.1. महात्मा गांधी
4.1.3.2. मणिलाल डॉक्टर
4.1.3.3. तोताराम सनाढ्य
4.1.3.4. गोपालकृष्ण गोखले
4.1.3.5. प्रवासी भारतीयों की समस्या और कमीशन की नियुक्ति
4.1.3.6. सी. एफ. एंड्रयूज
4.1.3.7. पंडित मदनमोहन मालवीय
4.1.3.8. जवाहरलाल नेहरु
4.1.4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवासी भारतीयों के लिए प्रयास
4.1.5. सारांश
4.1.6. बोध प्रश्न
4.1.7. संदर्भ ग्रंथ सूची

4.1.1. उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप जान सकेंगे :

1. स्वतंत्रतापूर्वभारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव की ऐतिहासिक यात्रा।
2. स्वतंत्रतापूर्वभारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव में महात्मा गांधी के संघर्ष को जानना।
3. भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव में मणिलाल डॉक्टर, तोताराम सनाढ्य, दीनबंधु एंड्रयूज, पंडित मदनमोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरु के योगदान को समझाना।
4. भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल को जानना।

4.1.2. प्रस्तावना

डायस्पोरा और भारतीय डायस्पोरा का अर्थ और अभिप्राय : सामान्यत: डायस्पोरा शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, जो एक ही ऐतिहासिक और नृजातीय पृष्ठभूमि के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य एक होते हुए भी समूहों के रूप में विभिन्न देशों और महाद्विपों में बसे हुए हैं। मौलिक रूप से इस शब्द का प्रयोग ई.पू. 586 में बेबिलियोना से यहूदी लोगों के निष्कासन तथा फिलिस्तीन के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में उनके बिखरे हुए समुदाय के भावनात्मक जुड़ाव को समझाने के लिए किया गया है। वैश्विक स्तर पर फैले ऐसे लोगों में शामिल हैं : आर्मेनियाई, ग्रीक, अफ्रीकी, चायनीज, लेबनानी, बाल्टिक, जर्मन, नाइजीरिया, यूरोपियन, आयरलैंड, तिब्बती, अफगानी, बंगलादेशी आदि के साथ-साथ भारतीय। इन्हें भारतीय डायस्पोरा/ प्रवासी भारतीय कहा जाता है। (यू.एन

2015) की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 मिलियन से अधिक भारतीय लोग 200 से अधिक देशों में फैले हुए हैं।

1834 ई. में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता की प्रथा समाप्त होने से ही भारतीयों को झूठे लालच, आश्वासन व डराकर विदेशों में जाने हेतु तैयार किया गया, ताकि विविध जलवायु वाले प्रदेशों में फैले हुए उनके साम्राज्य के खाली भू को विकसित किया जा सके तथा उन्हें उद्योगों के लिए कच्चे माल मिल सके। इस संदर्भ में काम करने वालों के साथ न्यूनतम वेतन पर पाँच साल हेतु एक अनुबंध (इन्डेचर सिस्टम) किया गया, जिसे अनुबंधित श्रमिक प्रणाली/ गिरमिटिया श्रमिक प्रणाली कहा गया । इस व्यवस्था के अंतर्गत काफी मजदूरों को इंग्लैंड, फ्रांस व डच के उपनिवेशों में मॉरीशस, युगांडा, जंजीबार, तंगायनीका, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, वेस्ट इंडीज, गुयाना, त्रिनिडाड, टाबैगो, सूरीनाम आदि क्षेत्रों में भेजा गया। इनमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ थे तथा आर्थिक रूप से समाज के निम्न वर्ग से संबंधितथे। बाद में जब ये लोग अपने परिश्रम से कुछ खुशहाल बने तो वहाँ पर रहने वाले या उस देश के नागरिकों की नस्लीय भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा।

भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए कांग्रेस तथा कुछ स्वतंत्र जाँच समितियाँ बनाई गई। महात्मा गांधी ने अनुबंधित/गिरमिटिया श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी, गोपालकृष्ण गोखले, मणिलाल डॉक्टर, दीनबंधु एंड्रूज, तोताराम सनाढ्य, मदनमोहन मालवीय जैसे भारतीय राजनैतिक नेतृत्व के संघर्षों के बाद वह अनुबंधित व्यवस्था 1917 ई. में समाप्त कर दी गई। इन देशों में रह रहे भारतीयों को ही भारतवंशी, पुराना भारतीय डायस्पोरा या भारतीय मूल के लोग (Persons of Indian Origin PIO) कहा जाता है। भारत उस समय चूँकि ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए औपनिवेशिक काल में भारत से समुद्रपारीय देशों में प्रवासित होने वाले भारतीयों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई सीधा प्रयास या हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, बल्कि भारतीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर सकते थे, राजनैतिक दल स्वतंत्र जाँच कर सकते थे और बाद में भारत के स्वतंत्रता के बाद इन्हीं आंदोलनों, सत्याग्रहों, जाँच प्रतिवेदनों सार रूप में हमारे विदेश नीति तथा विदेश में बस गए भारतवंशियों के साथ संबंधको बनाने में किया गया। इसीलिए औपनिवेशिक काल में भारतीय नेतृत्व द्वारा अनुबंधित श्रमिकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए किए गए इन्हीं प्रयासों को प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन किया जाएगा।

4.1.3. भारतीय डायस्पोरा नीति के उद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण लोग एवं संस्थाएँ

4.1.3.1. महात्मा गांधी

एम.के. गांधी को दादा अब्दुल्लाह की तरफ से एक वर्ष के करार पर अप्रैल 1893 ई. में दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए। केस के सिलसिले में रेल मार्ग से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय कड़ाके की ठंढ में आधी रात को मैरिसबर्ग स्टेशन पर गोरे रेलवे पुलिस के द्वारा नस्ल और रंगभेद की मानसिकता के कारण प्रथम श्रेणी की टिकट के बावजूद गांधी को अपमानित करके और धक्के मारकर उनके समान को बाहर फेंक दिया गया। इस घटना से उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। गांधी ने उस दिन से दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार के दमन एवं भेदभाव का विरोध प्रारंभ कर दिया। प्रवासी भारतीयों को संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया।

नेटाल सरकार हिंदुस्तानियों को मताधिकार से वंचित करने वाली एक कानून पास करने वाली थी। जून 1894 ई. में नेटाल में भारतीयों को संगठित करने, अपने अधिकार के प्रति सचेत रखने के लिए नेटाल के सभी भारतीय वर्गों के सहमति और सहयोग से 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' की स्थापना की, जिसके मंत्री एम.के. गांधी को बनाया गया। भारत आकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के आंदोलन के लिए भारतीय नेताओं से समर्थन माँगा। इसी उद्देश्य से वे बंबई में फिरोज शाह मेहता, बदरूद्दीन तैयबजी, महादेव गोविन्द रणाडे, पूना में लोकमान्य तिलक, प्रो. भांडारकर, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेताओं से मिलकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति से परिचय कराया।

गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के मानवाधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निरंतर संघर्षरत रहे। उन्होंने अनिवार्य पंजीकरण तथा हस्त मुद्रण, अंतःप्रांतीय अप्रवासन पर प्रतिबंध, बंधक मज़दूरों पर लगाए गए कर तथा ईसाई विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों को अमान्य ठहराने वाले कानूनों आदि का डटकर विरोध किया । 1901 ई. में गांधी समुद्र मार्ग से भारत लौटते हुए 29 अक्टूबर को मॉरीशस गए। वहाँ के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन लोगों को अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए सलाहें दी जैसे :- अपने बच्चों को शिक्षित करो और स्वस्थ्य रखो, उन्हें मॉरीशस की राजनीति में आने के लिए प्रेरित करो और प्रेरणा के लिए भारत पर निगाह रखो।

सन् 1879 से लेकर सन 1916 तक हजारों भारतीय गिरमिट की प्रथा के तहत फिजी द्वीप में गए। तोताराम सनाढ्य इन्हीं गिरमिटिया में से एक थे, जिन्हें भारत के फिरोजाबाद से फुसलाकर फिजी ले जाया गया। इन्होंने फिजी में दयनीय स्थिति में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए एम.के. गांधी को पत्र लिखा। इसी पत्र से प्रेरित होकर गांधीजी ने मणिलाल डॉक्टर (1912-20), सी.एफ. एंड्रयूज(1916) को फिजी में काम रहे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों एवं अन्य भारतीयों की मदद के लिए फिजी भेजा। मणिलाल डॉक्टर ने फिजी में रहकर भारतीय के विरुद्ध चल रहे अदालती मुकदमें में भारतीयों के पक्ष को रखा। फिजी में बसे भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और अन्य भारतीयों को संगठित करने के लिए द्विभाषीय अखबार 'इंडियन सेटेलर' निकाला तथा 'इंडियन इम्पीरियल एसोसिएशन' नामक संगठन बनाया। (लाल ब्रिज. वी. 2007 : 370-382) इन्हीं संघर्षों और प्रेरणाओं के कारण महेंद्र चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला जो भारतीय मूल के थे।

1902 ई. में गांधी जी को प्रवासी भारतीयों के निमंत्रण पर पुन: दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वे ट्रांसवाल के सर्वोच्य न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और 'ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' की उन्होंने स्थापना की। 1904 ई. में 'फीनिक्स फार्म' की स्थापना हुई।' फिनिक्स फार्म से 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, पत्र का मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी भारतीय रहते हों उन तक सत्याग्रह से संबंधित घटनाओं को पहुँचाना, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय को सत्याग्रह की तालीम देना।

जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल एशियाटिक ला अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के विरोध में भारतीयों की विशाल सभा आयोजित कर गांधी ने उनसे इस काले कानून के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध (बाद में सत्याग्रह) करने की शपथ दिलवाई। 1907 ई. में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन चलाया और सार्वजनिक सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हुए वकालत छोड़ दी। सत्याग्रह आंदोलन के कारण उन्हें 10 जनवरी, 1908 को दो महीने के कारावास की सजा दी गई। जनरल स्मट्स को सरकार द्वारा समझौता वार्ता के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया तथा समझौता होने पर गांधी को जेल से मुक्त कर दिया गया।

गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे सत्याग्रह को अपना नैतिक समर्थन देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले 22 अक्टूबर, 1912 ई. को दक्षिण अफ्रीका के नेटाल आए। नवंबर 1913 ई. में दक्षिण अफ्रीका की संघीय सरकार द्वारा तीन पौंड के पोल-टैक्स को निरस्त न करने के विरोध में सत्याग्रह किया। गांधी ने 2023 पुरूषों, 127 स्त्रियों तथा 57 बालकों के जुलूस का नेतृत्व करते हुए ट्रांसवाल में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। सरकार ने समझौता वार्ता के लिए उन्हें 18 दिसंबर को बिना शर्त रिहा कर दिया। जनरल स्मट्स के साथ हुए समझौते के कारण गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया। इसी के तहत भारतीयों को राहत देने वाले कानून (इंडियन्स रिलीफ बिल) को पारित किया जाता है।

9 जनवरी, 1915 ई. को गांधी सपरिवार एवं कुछ सत्याग्रहियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के स्वदेश लौटने की याद में ही भारत सरकार ने 2003 से प्रतिवर्ष 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाना प्रारंभ किया है।

4.1.3.2. मणिलाल डॉक्टर

मॉरीशस के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की बदहाली से चिंतित होकर महात्मा गांधी ने मणिलाल डॉक्टर को 1907 ई. में मॉरीशस भेजा। वे अदालतों में गिरमिटिया असहाय मजदूरों की नि:शुल्क पैरवी करते, कोठी-मालिकों की शोषण प्रवृति का अपने लेखों द्वारा पर्दा-फाश करते, धार्मिक विषयों पर चर्चा कर विभिन्न धर्मावलंबियों का मतभेद दूर करते, अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी में 'हिंदुस्तानी' दैनिक पत्र को निकालकर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित समाचारों को सरकार तक पहुँचाते और अपने लेखों द्वारा भारतीय गिरमिटिया मजदूरों और भारतीय लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाते थे। भारतीयों में आत्मगौरव बढ़ाने के लिए 'योग मेंस हिंदू एसोसिएशन' तथा 'आर्य समाज' जैसी संस्थाओं की स्थापना की। 1910 और 1911 ई. के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मॉरीशस के भारतवंशियों का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही, मणिलाल डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका जाकर गांधी जी को मॉरीशस के भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का विवरण दिया करते थे। मणिलाल डॉक्टर के मॉरीशस में सत्याग्रह सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर दो भारतीयों ने सन् 1911 ईसवी में चुनाव लड़े, पंडित काशीनाथ और पं. रामावद्य उच्च शिक्षा के लिए भारत गए जबकि रामखेलावन बुधन बैरिस्टरी शिक्षा के लिए विलायत पहुँचे। गांधीजी, मणिलाल डॉक्टर जैसे भारतीयों की प्रेरणा के कारण मॉरीशस के राजनैतिक संघर्ष में भारतीय मूल के लोग आगे रहते हुए सत्ता तक पहुँच सके जैसे :- सर शिव सागर राम गुलाम मॉरीशस के प्रथम राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता हुए।

4.1.3.3. तोताराम सनाढ्य

तोताराम सनाढ्य जी फिजी के बंधुआ मजदूर थे। उनको भारत से अरकाटी लोग बहला फुसलाकर फिजी में गन्ने के बागानों में काम करने के लिए ले गए। उन्होंने फिजी में रहते हुए कई प्रकार के कष्ट सहे। इसके अलावा उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद भी उन्होंने प्रवासी भारतवासियों की अनेक प्रकार से मदद भी की और उनके मुक्ति के लिए प्रयत्न भी किए। उन्होंने बेगुनाह भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों से रक्षा करने के लिए किसी बैरिस्टर को भेजने की प्रार्थना करते हुए गांधी जी को पत्र लिखा। उन्होंने अपने अनुभवों को 'फिजीद्वीप में मेरे 21 वर्ष' पुस्तक में लिखा और वे महात्मा गांधी के संपर्क में भी बने रहे। इस पुस्तक का गिरमिटिया प्रथा के उन्मूलन में बहुत बड़ा योगदान है।

4.1.3.4. गोपालकृष्ण गोखले

गांधी जी के कहने पर दक्षिण अफ्रीका में गोखले 1911 ई. में आए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका आकर नेटाल, जोहान्सबर्ग, डरबन तथा ट्रांसवाल की यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने भारतीयों की दुर्गति को अपनी आँखों से देखा। राजर्षि गोखले ने इस प्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव रखते हुए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में कहा था :

"सरकार कुछ भी कहे, इस देश में सब यह समझते हैं कि यह प्रथा सरकार की सहमति और भागीदारी के बिना कभी की समाप्त हो गई होती। इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से गिरमिट मजदूर जाते हैं, भारत को इस अपमान का भागीदार क्यों बनाया जा रहा है ? भारत की अंतरात्मा दुर्भाग्य से बहुत दिनों से सो रही थी। अब उसे इस समस्या की विराटता का अनुभव हुआ है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह अपने को अभिव्यक्त किए बिना चैन नहीं लेगी। मैं सरकार से कहूँगा कि हमारी भावनाओं की अवहेलना न करे।" (गोपालकृष्ण गोखले, 4 मार्च, 1912 भारत की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल *में भाषण)*

गोखले का यह प्रस्ताव ऐतिहासिक माना जाता है और इसे गोपाल कृष्ण गोखले की भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण देन माना जाता है।

4.1.3.5. प्रवासी भारतीयों की समस्या और कमीशन की नियुक्ति

1913 ई. में भारतवर्ष से एक कमीशन नियुक्त हुआ, सरकार ने इस कमीशन में दो आदमी नियुक्त किए थे, एक मकनील साहब और दूसरे श्रीयुत चिम्मनलाल जी। जिन-जिन कोठियों में कमीशन गया वहाँ बागान मालिकों के सामने ही भारतीय श्रमिकों से प्रश्न किए गए। अत्याचारी के सामने उसके विरुद्ध गवाही देना बहुत ही कठिन काम है। यह काम और भी कठिन हो जाता है, जब पाँच वर्ष उस अत्याचारी के नीचे और काम करना हो। कमीशन के सदस्य नोकोमोदी भी गए थे, जहाँ से कि वाइनी वकासी नामक कोठी एक मील थी। इसी कोठी में कुंती नामक चमारिन रहती है। कमीशन के सदस्यों ने कुंती से पूछताछ करने का कष्ट ही नहीं उठाया।

4.1.3.6. सी. एफ. एंड्रयूज

महात्मा गांधी की सलाह पर एंड्रयूज 1915, 1917 ई. में फिज़ी की परिस्थितियों का विश्लेषण करने फिज़ी गए थे। 1936 ई. में जब वे आस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की यात्रा पर थे तब उन्हें फिजी आमंत्रित किया गया और वे पुन: फिजी गए। एंड्रयूज ने शोषित भारतीय अनुबंधित/गिरमिटिया श्रमिकों की मुक्ति के लिए संघर्ष किया और अंतत उन्हें सफलता मिली। फिजी में ही उन्हें सबसे पहले दीनबंधु के संबोधन से अलंकृत किया गया था। वहाँ से भारत लौटकर दीनबंधु एंड्रयूज ने अपना संपूर्ण जीवन श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। फिजी के बंधुआ मज़दूरों को मुक्ति दिलाने व उनका जीवन बेहतर बनाने के प्रयास के लिए 'एंड्रयूज' की भूमिका सदैव याद की जाएगी।

फरवरी 1916 ई. को सी. एफ. एंड्रयूज व पियरसन की 'फिजी गिरमिटिया श्रम रिपोर्ट' (Indentured Labour In Fiji) जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के पश्चात् ही गिरमिटियों की ओर अनेक संस्थाओं और सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ व गिरमिटिया श्रमिकों को मुक्ति मिल पाई थी। इस संदर्भ में एंड्रयूज के व्यक्तिगत प्रयास सराहनीय रहे।

4.1.3.7. पंडित मदनमोहन मालवीय

पं. मदन मोहन मालवीय ने 20 मार्च, 1916 ई. में गिरमिट प्रथा समाप्त करने से संबंधितप्रस्ताव इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में रखा। उन्होंने अरकाटियों द्वारा भोले–भाले भारतीयों को धोखा से फसाने के साथ अन्यायपूर्ण अनुबंध/ एग्रीमेंट होने की बात की। मालवीय जी ने 23 सितंबर, 1916 ई. को पत्र के माध्यम से अपनी माँग को दोहराया। इस बीच गिरमिटिया-प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए संपूर्ण भारत में प्रचार अभियान की शुरुआत की गई तथा प्रवासन की खामियों को जनता के सामने लाया गया। 15 नवंबर, 1916 ई. को भारी जनदबावों के मध्य प्रस्ताव को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया, जो 18 नवंबर, 1916 ई. को प्रकाशित हुआ। 16 जनवरी, 1917 ई. को ब्रिटिश सरकार ने चेम्सफोर्ड को पत्र के माध्यम से आदेश दिया कि नए विकल्प की खोज न होने तक बागान-मालिकों को परेशान न किया जाए। 17 जनवरी को चेम्सफोर्ड ने मालवीय जी के प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया तथा 7 फरवरी, 1917 ई. को सदन में मालवीय जी को संतुष्ट करते हुए भाषण दिया कि ‘सरकार को उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए पर्याप्त समय चाहिए।’ सदन में नए विकल्प के परामर्श स्वरूप अधिकतर प्रांतीय सरकारों द्वारा गिरमिटिया-प्रवासन को पूर्णतया बंद करने की बात सामने आई। 1917 ई. के शुरुआती महीनों में प्रस्ताव को ख़ारिज करने के विरोध में प्रमुख स्थानों पर जन-सभाएँ हुई तथा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं (भारत-मित्र, अभ्युदय, स्वराज्य, भारतीय लोग, एड्वोकेड आदि) में लेख लिखे गए। इस समय गांधी जी ने संपूर्ण भारत में आंदोलन करने का विचार दिया। 09 फरवरी, 1917 को एक आम जनसभा में 31 मई, 1917 ई. तक इस प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध करने का प्रस्ताव पास कर लिया गया तथा इसके विरुद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई। मार्च, 1917 ई. को सदन की बैठक में असंतुष्ट भारतीयों संतोष देते हुए चेम्सफोर्ड ने प्रवासन के प्रति असंतोष को बताया तथा बिना विकल्प के तत्काल गिरमिटिया-प्रवासन को प्रतिबंधितकर लार्ड हार्डिंग के अधूरे कार्य को पूरा किया। 12 अप्रैल, 1917 ई. को ‘गिरमिटिया-प्रवासन को प्रतिबंधित’ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 जनवरी, 1920 ई. तक भारत से पूर्णतया प्रवासन-प्रक्रिया को रोक दिया गया।

4.1.3.8. जवाहरलाल नेहरु

भारत की विदेश नीति को आकार देने वाले जवाहरलाल नेहरु 1930 ई. तक कांग्रेस में इस मुददे पर अलग राय रखते थे। नेहरु इस बात से परिचित थे कि विदेशों में रह रहे भारतीय और वहाँ के स्थानीय लोगों के हितों में टकराव की स्थिति बन सकती है। 1927 ई. में उन्होंने ‘भारत की विदेश नीति’ (A foreign Policy of India) नामक शीर्षक से नीति पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने पहली बार विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति कांग्रेस की नीति को स्पष्ट किया। इसमें उन्होंने यह भी उदधृत किया कि भारत अपने डायस्पोरा से किस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है और भारतीय डायस्पोरा को किस प्रकार की अपेक्षा भारत से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने लिए किसी विशेष स्थान, स्तर और सहूलियतों की माँग नहीं करनी चाहिए। इसी बीच 1929 ई. में कांग्रेस ने एक विदेशी विभाग स्थापित किया जिसका उद्देश्य था भारत का विदेश तथा वहाँ बसे लोगों के बीच संवाद स्थापित करना। जवारलाल नेहरु इसके प्रभारी बनाए गए।

इसके साथ ही भारत की आम पहचान की भावना से अलग पहचान बनाने के लिए 1940 और 1950 ई. के दशक में उन्होंने एशियाई मामलों में भारत की भागीदारी को प्रेरित किया। भारत अपने आप

को विदेश नीति में बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखना चाहता था। एशियाई सम्मेलन की शिखर बैठक जो इंडोनेशिया और बांडुंग में हुई, जिसमें उन्होने अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के साथ अफ्रीका और एशिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों और स्थानीय निवासियों के बीच टकराव न हो सके, ऐसी इच्छा जाहिर की।

1939 ई. में अपने संदेश में नेहरु ने कहा –"आज भारत कमजोर है और इसलिए वह विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए अधिक कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह उन्हें भूल गया है। विदेशों में रह रहे भारतीयों की बेइज्जती, भारत की बेइज्जती और दु:ख है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब भारत ऐसे लोगों को संरक्षण और न्याय दे पाएगा। नेहरु की नीतियों की यह द्वंद्वात्मकता और कांग्रेस में मौजूद दो धाराएँ (संरक्षणवादी और प्रगतिशील) हमें भारत की भारतीय डायस्पोरा के प्रति नीतियों में आ रहे बदलाव और निरंतरता को समझने में मदद करती है।

18 मार्च, 1946 ई. में नेहरु ने सिंगापुर की ऐतिहासिक यात्रा की। वहाँ उन्होंने 10,000 से अधिक भारतीयों की भीड़ को संबोधित करते हुए वादा किया था कि भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत ही फैसला करेगा कि जो भारतीय नागरिक हैं यदि वे विदेशों में बसना चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं, ये उन्हें ही फैसला करना होगा। उनके लिए भारत में हमेशा द्वार खुला होगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के मुद्दे को 2 सितंबर, 1946 ई. में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र मंडल के समक्ष उन्होंने एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

4.1.4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवासी भारतीयों के लिए प्रयास

औपनिवेशिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही महात्मा गांधी ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं के प्रति अपनी संवेदना और चिंता व्यक्त की। कांग्रेस के नेताओं के कार्यों एवं प्रयासों से ही प्रवासी भारतीयों के प्रति प्रवासी नीतियों का उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

कांग्रेस के सदस्य विभिन्न उपनिवेशों में जाकर प्रवासी भारतीयों के लिए कार्य किया और विश्व मंच के साथ-साथ कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में प्रवासी भारतीयों के समस्या से जुड़े मुद्दे को उठाया। कांग्रेस के सत्र और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

कांग्रेस सत्र: वर्ष और स्थान	**प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुददे**
1896, कोलकाता	दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीय और यूरोपीय आबादी के बीच अपमानजनक भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया।
1902, अमहदाबाद	ब्रिटिश उपनिवेशों की साम्राज्यवादी भावनाओं का प्रवासी भारतीयों की खराब स्थिति को संज्ञान में लिया गया।
1903, मद्रास	दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में रहने वाले भारतीयों की अमानवीय कड़ी मेहनत के बारे में दुःख व्यक्त किया गया।
1905, बनारस	अनुबंध श्रमिक उत्प्रवासन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा।
1906, कलकत्ता	प्रवासी भारतीयों के स्थितियों पर गहरा अफ़सोस और क्रोध दर्ज किया गया था।
1910, इलाहबाद	ट्रांसवाल में जो हिन्दू, मुसलमान, पारसी और इसाई भारतीय थे, उनकी

	गहन देशभक्ति, साहस और आत्मबलिदान की सराहना की गई।
1911, कोलकाता और 1912, बंकिपोर	इस साल के सत्रों में भी प्रवासी भारतीयों के प्रश्नों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके साथ मजबूत एकता दिखाई गई।
1913, कराची	कराची सत्र में अफ्रीका के नेताओं ने गांधी और उनके सहकर्मियों द्वारा वीरतापूर्ण संघर्ष की प्रशंसा की और इनकी सहायता के लिए देश के लोगों को धन मुहैया कराने की अपील की गई।
1915, मुंबई	प्रवासी भारतीयों की किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक गुलामी को अस्वीकार की बात कही गई।
1916, लखनऊ	प्रवासी भारतीयों की मुद्दों की चर्चा की गई।
1918, बंबई (विशेष सत्र)	कॉलोनियों में भारतीयों की स्थिति पर विचार एक मुख्य मुद्दा था।

कांग्रेस के अन्य नेताओं का भारतीय श्रमिकों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए विभिन्न साम्राज्यवादी उपनिवेशों में विभिन्न प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :-

उपनिवेशों में कांग्रेस द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधि मंडल

मुख्य प्रतिनिधि	**उपनिवेश**	**वर्ष**	**उद्देश्य**
गोपाल कृष्ण गोखले	दक्षिण अफ्रीका	1910-1911	दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के साथ प्रवासी भारतीयों के सवाल पर चर्चा।
सी. ऍफ़. एंड्रयूज एवं डब्ल्यू. डब्ल्यू. पियर्सन	दक्षिण अफ्रीका एवं फिजी	1916	प्रवासी भारतीयों के श्रम की स्थितियों की जाँच करने के लिए महात्मा गांधी और गोखले की प्रेरणा से भेजे गए।
सी. ऍफ़. एंड्रयूज एवं बनारसीदास चतुर्वेदी	मलया एवं सीलोन	1923	प्रवासी भारतीयों का आवर्जन और उनकी बीमारियों की स्थिति की जाँच करने के लिए।
एम. ए. अरूलानंदम, ए. वी. डियास, पेरिया सुंदरम, एल. मुथुकृष्णा	सीलोन	1923	भारतीय मजदूरों के जीवन के शर्तों की जाँच और उनकी स्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया।
सरोजिनी नायडू एवं ज़ोर्ज जोजेफ़	केन्या	1923	प्रवासी भारतीयों स्थितियों का अध्ययन कर तथा संघर्ष में मदद करने का प्रयास किया गया।
श्रीधर गणेश एवं बनारसीदास चतुर्वेदी	केन्या	1924	भारतीय मजदूरों की बसने की स्थितियों का पता लगाना।
सी.ऍफ़. एंड्रयूज	जंजीबार	1934	भारतीय मजदूरों के बसने के स्थिति का अध्ययन।

जवाहर लाल नेहरु	सीलोन	1939	कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से सामंजस्य और समस्या निपटान करने की कोशिश की गई।
जवाहरलाल नेहरु, सी. राजगोपालाचारी ए. आर्यनायकम, जी. रामचंद्रन	सीलोन	1939	सीलोन में भारतीयों से जुड़े विवाद को जाँच करके उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया गया।

4.1.5. सारांश

प्रवासी भारतीयों का स्वभूमि के प्रति जुड़ाव रखने के लिए भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रवासी नीति की पहल की थी। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनो में प्रवासी भारतीयों के लिए प्रस्ताव लाए गए और पारित भी हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरु जी ने 1927 ई. में 'भारत का विदेश नीति (A Foreign Policy of India) शीर्षक नीति पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने पहली बार विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति कांग्रेस की नीति को स्पष्ट किया। स्वतंत्रता के बाद पंडितनेहरु के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रवासी भारतीयों के प्रति सिर्फ भावनात्मक लगाव रहा क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्षों में अपनी घरेलू समस्याओं से ही जूझ रहा था। नेहरु की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और अहस्तक्षेप की नीति शामिल थी, जिसके कारण समुद्रपारीय देशों में बसे भारतीयों की समस्याओं के साथ नेहरु ने सक्रिय असहाचर्य (Active Disassociation) की नीति अपनाई। मतलब भारतवंशीय मुद्दों को लेकर नेहरु संजीदा तो थे, पर भारत की आतंरिक परिस्थिति के कारण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से अपने को अलग रखा।

प्रस्तुत अध्ययन की इकाई में भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय डायस्पोरा के लिए किन-किन महत्वपूर्ण लोगों और संगठनों के संघर्ष के कारण भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की भारतीय डायस्पोरा नीति का प्रारूप तय करने में मदद मिली, उन सबके प्रयासों के बारे में अध्ययन किया गया।

4.1.6. बोध प्रश्न

1. स्वतंत्रता पूर्व भारत की डायस्पोरा नीति के विकास में महात्मा गांधी के संघर्ष ने किस प्रकार योगदान दिया?
2. स्वतंत्रता पूर्व भारत की डायस्पोरा नीति के विकास में मणिलाल डाक्टर के योगदान की चर्चा कीजिए।
3. गोपाल कृष्ण गोखले और मदनमोहन मालवीय द्वारा भारतीय डायस्पोरा नीति और भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में रखे गए प्रस्तावों के बारे में बताइए।
4. स्वतंत्रता पूर्व प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए।
5. स्वतंत्रता पूर्व भारत की डायस्पोरा नीति के विकास में जवाहरलाल नेहरु के योगदान की चर्चा कीजिए।

4.1.7. संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सनाढ्य, तोताराम. (1972). फिजीद्वीप में 21 वर्ष. हिंदी समय. वर्धा : हिंदी समय।
2. गांधी, एम.के. (1968). दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास. अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशक मंदिर।
3. राय, अजित कुमार. (2015). गिरमिटिया मजदूरों का प्रवासन (ब्रिटिश गयाना के संदर्भ में). दिल्ली : यश पब्लिकेशन्स,
4. जोशी, रामशरण. राय, राजीव रंजन. चंद्रायन. प्रकाश. खत्री, प्रशांत (संपा.). (2014). भारतीय डायस्पोरा : विविध आयाम, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
5. गुप्ता, मुन्नालाल. राय, राजीव रंजन. (अक्टूबर-दिसम्बर, 2015). महात्मा गांधी और गिरमिटिया. अनुसृजन, वर्धा : म.गां.अ.हि.वि.।
6. Andrews C.F. and W.W. Pearson. Report on Indentured Labour in Fiji : An Independent Enquiry, Allahabad, 1916.
7. www.bhu.ac.in/..../speeches/457266On-the-Abolition-of-the-Indentured-Labour.pdf
8. Lord, Hardinge : my Indian years 1910-1916, London, (1948)p.91.
9. Cumpston, I.M. (1956). A survey of Indian immigration to British tropical colonies to 1910. Population Studies, 10(2½) 158-165.
10. Kumar, A. (2014). Indian Nationalists and the End of Indentured Emigration.
11. Ray, K.A. (1980). The abolition of indentured emigration and the politics of Indian nationalism, 1894-1917.
12. Bilimoria, P. (2016). Totaram Sandhya's experience of racism in early white Australia (a transcreated narrative). Nidan: International Journal for Inian Studies, 1(1), 8-23.

खंड-4 भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति: इतिहास व वर्तमान

इकाई-2 स्वतंत्रता के आरंभिक दशक : (1947 से 1990 के पूर्व)

इकाई की रूपरेखा

4.2.1. उद्देश्य
4.2.2. प्रस्तावना
4.2.3.जवाहरलाल नेहरु का युग और भारतीय डायस्पोरा नीति
4.2.4. लाल बहादुर शास्त्री का युग
4.2.5. श्रीमती इंदिरा गांधी का युग
4.2.6. राजीव गांधी का युग
4.2.7. सारांश
4.2.8. बोध प्रश्न
4.2.9. संदर्भ ग्रंथ सूची

4.2.1. उद्देश्य

इस इकाई अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. भारतीय स्वतंत्रता के बाद जवाहलाल नेहरु युग मेंभारतीयडायस्पोरानीति की जानकारी।
2. लालबहादुर शास्त्री युग में भारतीय डायस्पोरानीतिकी जानकारी।
3. इंदिरा गाँधी युग में भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति के बारे में जानकारी।
4. भारतीयडायस्पोरानीति के विकास में राजीव गाँधी युग में हुए विकास की जानकारी।

4.2.2. प्रस्तावना

भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत की सरकार ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वह समुद्रपारीय देशों में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों की हानि पर आवाज उठा सके या न्याय दिलाने में मदद कर सके। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु की प्राथमिकता एफ्रोएशियाई देशों में बाहरी हस्तक्षेप से अपने को दूर रखना था क्योंकि शीत युद्धकाल में दो ध्रुवीय विश्व (पूँजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत रूस) के बीच में एफ्रोएशियाई देशों के बीच एकता महत्वपूर्ण थी। इस कारण 1950-60 के दशकों में भारतीय डायस्पोरा के साथ भारत की कोई खास पहल नहीं रही। नेहरु के बाद जैसे-जैसे एक ओर भारत की स्थिति मजबूत होती गयी वैसे-वैसे भारतीय नेतृत्व विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़े मुद्दों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाती गई। अपने डायस्पोरा के प्रति भारत की यह संवेदना भारत की केवल उदारता और कर्तव्यों के प्रति जागृति नहीं थी बल्कि वैश्विक परिस्थतियों की माँग भी थी । प्रस्तुत अध्ययन इकाई में भारतीय स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों (1947 से 1990 के पूर्व) में भारतीय राज्य और तत्कालीन नेतृत्व के द्वारा वैश्विक स्तर पर फैले भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय नीतियों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, आदि का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत इकाई में किया जाएगा ।

4.2.3. जवाहरलाल नेहरु का युग और भारतीय डायस्पोरा नीति

1947 में भारतीय स्वाधीनता पश्चात जवाहरलाल नेहरु देश के करीब 16 साल प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री रहे। इसलिए प्रवासी भारतीयों के प्रति नेहरु की दृष्टिकोण और विदेश नीति के तत्वों को समझा जा सकता है। तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति और गुटनिरपेक्षता की अवधारणाओं से प्रेरित होने के कारण वे अफ्रीकी और एशियाई देशों में बसे भारतीयों के मामले में पहल को उन देशों के आंतरिक मामलों में दखल मानते थे। उन्हें डर था उनकी इस पहल से कहीं अफ्रोएशियाई एकता पर संकट न पैदा हो जाए। संविधान सभा में प्रवासी भारतीयों के विषय पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरु ने 4 दिसंबर, 1947 को स्पष्ट रूप से कहा था : 'अतीत में ब्रिटिश उपनिवेशों और अधिकृत देशों में भारत-निवासी व्यापारी, व्यवसायी,श्रमिक और शर्तबंद मजदूर आदि अनेक रूपों में गए हैं। भारतीयों के उन समुद्रपारीय प्रदेश में जा बसने का इतिहास,उनमें से छोटे से छोटे व्यक्ति का भी इतिहास, एक आश्चर्यकारी कथा की भाँति पढ़ा जाता है। ये भारतीय किस प्रकार विदेशों में गए? एक स्वतंत्र देश के नागरिक न होते हुए भी, सभी संभावित असुविधाओं के बीच काम करते हुए भी, वे जहाँ कहीं गए, वहाँ उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की। उन्होंने अपने लिए और जिस देश को अपनाया उसके लिए कठिन परिश्रम किया, और जिस देश में पहुँचे उसे लाभ पहुँचाया।'

'यह एक आश्चर्यकारक कहानी है और ऐसी बात है जिस पर की भारत को गर्व हो सकता है और क्या में यह बताऊँ की उन गरीब शर्तबंद मजदूरों ने जो की विषम परिस्थितियों में बहार गए, अपने श्रम से किस प्रकार क्रमश; उन्नति की? यह भी सत्य है की भारत एक ऐसा देश है जिसमें, बावजूद अनेक कमियों व अन्य ऐसी ही अपार शक्ति है, और जहाँ के लोग विदेशों में फैल सकते हैं। फैलते हैं और हम अपनी संख्या के कारण जिस का हम वहन विकास करते हैं, दूसरों पर छा जाते है। जहाँ एक और हम स्पष्टत: विदेश स्थित या प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए कृत-संकल्प हैं, वहीं दूसरी और हम उन निहित स्वार्थो की रक्षा नहीं कर सकते, जो की उन देशों के हितों के (जहाँ भी वे हों) विरोधी हों। यह एक बड़ी कठिनाई है। फिर भी सभी न्याय हितों की रक्षा करने के लिए, जो भी हम से हो सकेगा, हम करेंगें।'

इसके साथ ही अफ्रीका में बसे भारतीयों और अन्य स्थानों की स्थिति पर विचार रखते हुए नेहरु अपने इन्ही विचारों को 8 मार्च 1948 में संविधान सभा को विस्तृत रूप में संबोधित करते हुए कहा -'*ये भारतीय जो विदेशों में हैं,ये क्या हैं? क्या ये भारत के नागरिक हैं, क्या ये भारत के नागरिक होने वाले हैं या नहीं? अगर ये नागरिक नहीं होने वाले तो इनमें हमारी रूचि केवल सांस्कृतिक और मानवता के दृष्टिकोण से होगी, राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं। या तो उन्हें दूसरें देशों में मताधिकार मिल जाए, या फिर मताधिकार से वंचित भारतीय होने के नाते उनके साथ विदेशी मनुष्यों जैसा अनुकूल व्यवहार किया जाए।*'

भारतीय प्रवासियों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा– '*आप लोग दूसरे देशों के नागरिकों के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रख सकते हैं तो आपको भारत वापस आ जाना चाहिए और विदेश में भारत का नाम खराब नहीं करना चाहिए।*'

नेहरु का यह स्पष्ट रूप से मानना था कि यदि भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को संरक्षण और सहायता प्रदान करती है तो यह भारतीयों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। परिस्थितिवश वे व्यक्तिगत और गैर–सरकारी स्तर पर उनसे संबंध रखने के खिलाफ नहीं थे।भारत की तत्कालीन कमजोर परिस्थिति के कारण भारत सरकार अपने डायस्पोरा के लिए सदभावना के सिवाय

और कुछ नहीं कर पाई। राजनीतिक विज्ञान में नेहरु की यह नीति भारतीय डायस्पोरा के संदर्भ में सक्रीय असहाचर्य (active disassociation) कही जा सकती है।

नेहरु शासन काल में भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में प्रवासी भारतीयों के निष्कासन की समस्या निर्माण सामने आई। श्रीलंका में चाय, रबर और काफी के खेतो में सस्ते दामों पर कार्य करने के लिए दक्षिण भारत से भारतीय मजदूरों को कंगनी मेस्त्री व्यवस्था के तहत ले जाया गया था जो बाद वहीं बस गए। श्रीलंका की स्वतंत्रता के समय भारतीयों की संख्या 1,50,000 थी। श्रीलंका के स्वतंत्रता पूर्व इन लोगों को वहाँ ब्रिटिश नागरिक के रूप में समान अधिकार प्राप्त थे, परंतु स्वतंत्रता पश्चात श्रीलंका में भारतीयों के निष्कासन की समस्या उठ खड़ी हुई। श्रीलंका में एक विचार प्रचलित हुआ कि ये भारतीय मूल के लोग श्रीलंका की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करते हैं अतः इन्हें वापस भारत चले जाना चाहिए। ऐसे ही परिस्थिति में अधिकांश भारतीयों को भारत भेजने के प्रयत्न में श्रीलंका की सरकार करने लगी। इसके तहत श्रीलंका सरकार नें पहले प्रयास के तहत यह किया कि '1948 में सीलोन नागरिकता अधिनियम तथा 1949 में सीलोन संसदीय अधिनियम पारित' करके भारत के मूल निवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया।' इसके बाद भारतीय नागरिकों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने हेतु इस प्रकार का प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो गया कि उसके माता-पिता श्रीलंका में ही जन्मे हैं। इसके साथ ही 1939 से लगातार श्रीलंका निवास का भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रखा गया। इन सभी प्रयत्नों के मूल में श्रीलंका का यह उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भारतीय मूल के निवासी श्रीलंका छोड़कर चले जाएँ।

पंडित जवाहरलाल नेहरु ने श्रीलंका में प्रवासी भारतीयों के प्रति अपनाई सक्रिय अलगाव की नीति से अलग हटकर जून 1953 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री डढले सेनानायके से वार्ता की, परंतु श्रीलंका प्रधानमंत्री के हठ के कारण कोई ठोस उपाय या समझौता नहीं हो पाया। इस समस्या के सिलसिले में नेहरु के लगातार प्रयास चलते रहे। जनवरी 1954 में जान कोटेवाला को समस्या पर बात करने हेतु दिल्ली आमंत्रित किया गया। प्रवासियों के संबंधमें नेहरु और कोटेवाला के बीच समझौता हुआ। 1956 ई. में आर.डी.भंडारनायके की सरकार आई। उनका रवैया भारत के प्रति मित्रता पूर्ण रहा। प्रवासियों के समस्या के प्रति नेहरु और भंडारनायके के बीच भी वार्ता हुई, परंतु कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया।

लक्ष्मीमल सिंघवी जी 1962 में तीसरी लोकसभा के निर्दलीय सदस्य चुने गए थे, उस समय उन्होंने प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु के समक्ष प्रवासी भारतीयों के प्रश्नों को रखा। नेहरु ने अपनाए सक्रिय अलगाव के नीति के कारण नेहरु उस समय डायस्पोरा के लिए कुछ नहीं कर सके। उसी दौरान डॉ. सिंघवी ने प्रवासी भारतीयों के लिए एक नए शब्द का निर्माण किया जो अनेक लोगों को प्रिय और रुचिकर प्रतीत हुआ। प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में वह शब्द था 'भारतवंशी'भारतवंशी एक विलक्षण शब्द है,क्योंकि यह शब्द वंश को किसी जाति या परिवार से नहीं जोड़ता बल्कि वह देश के विराट परिवार का परिचायक है।

1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय नेहरु विदेशी भारतीयों के प्रति दोहरी वफादारी की बात करते हैं। पूर्वी अफ्रीका में बसे भारतीय लोगों से भारत की सुरक्षा बढ़ाने में योगदान का स्वागत तथा अन्य किसी भी प्रकार के मदद की उनसे आशा करते हैं। इससे सबंधित प्रश्न जब नेहरु से पूछा गया तो उन्होंने कहा –*'प्रवासी भारतीयों की दोहरी निष्ठा है, एक मेज़बान देश के प्रति जहाँ वो रह रहे हैं और एक स्वभूमि के प्रति।'* नेहरु की भारतीय डायस्पोरा के प्रति नीति से स्पष्ट होता है किस्वतंत्रता पूर्व प्रवासी

भारतीयों के लिए जो दृष्टिकोण था वह स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तत्कालीन परिस्थितिवश के कारण वैसा नहीं रहा। परंतु श्रीलंका के भारतीयों के प्रति उनका नजरिया अधिक सक्रियता का था।

4.2.4. लाल बहादुर शास्त्री का युग

नेहरु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने शासनकाल में डायस्पोरा नीति में नीतिगत बदलाव किए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में श्रीलंका में भारतीय तमिल प्रवासियों की समस्या जो नेहरु काल के समय से चल रही थी उस समस्या ने और उग्र रूप धारण किया था।

शास्त्री श्रीलंका में तमिलों के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडारनायकेके साथ 29 अक्टूबर,1964 को एक समझौते की पहलकी । इस समझौते के अनुसार, 9 लाख 75 हजार राज्यविहीन तमिल लोगों में से 3 लाख लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 5 लाख 25 हजार लोगों को अपने स्वाभाविक विकसित भारतीय परिवारों के साथ भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी और डेढ़ लाख लोगों का निर्णय भविष्य में होने वाले समझौतों पर निर्भर करेगा। भारत में नागरिकता प्राप्त व्यक्ति धीरे-धीरे पंद्रह वर्षो में किस्तों में भारत आएँगे।

इस समझौते के बाद अगले दो दशकों तक भारत–श्रीलंका संबंध सामान्यतः ठीक रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तमिल प्रवासियों के संदर्भ में जो समझौतें के लिए प्रयास किए वह काफी हद तक महत्त्वपूर्ण साबित हुए।

4.2.5. श्रीमती इंदिरा गांधीका युग

1966 मेंइंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। नेहरु काल की तुलना में इस काल में प्रवासी भारतीयों के लिए डायस्पोरा नीति अधिक सक्रीय हुई दिखती है । श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति प्रवासी भारतीयों के प्रति प्रोत्साहन वाली की थी। हालाँकि उन्होंने अक्सर विशिष्ट व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय मूल के हिंदुजा जैसे भारतीय व्यापार समूहों के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में उनको शामिल किया था।इंदिरा गांधी के शासन में नेहरुवादी आदर्शवाद से भारत की विदेश नीति एक परिवर्तन के बावजूद डायस्पोरा नीति की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया ।

1950 और 1960 के दशक मेंकई अफ्रीकी देशों ने उपनिवेशी सत्ता से स्वतंत्रता हासिल की थी। इंदिरा गांधी को इन देशों के राजनीतिक और आर्थिक महत्व का एहसास हुआ। इंदिरा गांधी ने एफ्रो-एशियाई देशों के बीच एकता और सहयोग को मजबूत करने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ भारत के पड़ोसी देशों और गिरमिटिया देशों का दौरा किया। इन दौरों से उन्होंने विदेशों में भारत की एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की। इसी के तहत भारतीय डायस्पोरा से मिलना भी एक अहम मुद्दा था। 1964 में जब अफ्रीकी देशों का दौरा किया और वहाँ इस बात पर जोर दिया कि भारतीय डायस्पोरा को उन देशों के समाजों में अपना योगदान देना चाहिए, जहाँ जाकर वेबस गए हैं। इसके साथ-साथ वह भारतीय लोगों और उनके नेताओं से मिलीं । उन्होंने प्रवासित भारतीय लोंगो को *'भारत के राजदूत '* की संज्ञा देते हुए कहा कि आप प्रवासी भारतीयों के कारण ही विदेशों में हमारी इतनी अच्छी छवि का निर्माण हुआ है ।

इंदिरा गांधी के समय में भी श्रीलंका में तमिल प्रवासियों की समस्या जारी थी और इससे पूर्व जो प्रयास किए गए उन प्रयासों से पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए। तमिल प्रवासियों की समस्या को हल करने के लिए दिसम्बर 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डडले सेनानायके ने भारत की यात्रा की। सेना नायके ने भारतीय प्रवासियों के समस्याओं पर श्रीमती इंदिरा गांधी से विचार विमर्श किया। श्रीमती भण्डारनायके सरकारने भारत सरकार को 15 जून

1970 को आश्वासन दिया कि श्रीलंका सरकार शास्त्री–नायके समझौते की शर्तों को पूर्ण करने का प्रयास करेगी। प्रवासी तमिल समस्या को हल करने के लिए 27 अप्रैल,1973 श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की यात्रा की। श्रीमती गांधी ने श्रीमती भंडारनायके के साथ वार्तालाप किया दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच के वार्तालाप से संयुक्त विज्ञप्ति जारी किया ।

मॉरिशस को लघु भारत के रूप में जाना जाता है, जहाँ प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 9 लाख से ज्यादा है। 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मॉरीशस की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान श्रीमती गांधी ने भारतीय डायस्पोरा से भेंट की तथा उन्होंने मॉरिशस में 3 जून 1970 को महात्मा गांधी संस्थान की आधारशिला रखी। इसी यात्रा के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने मॉरिशस के प्रसिद्ध आप्रवासी घाट को भेंट दी। यह घाट मॉरिशस और भारत के बीच का ऐतिहासिक मिल का पत्थर है।1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मॉरिशस की एक बार फिर दूसरी यात्रा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी संस्थान का उदघाटन करना था। 9 सितंबर 1976 को श्रीमती गांधी और सर शिवसागर रामगुलाम जी ने महात्मा गांधी संस्थान का उदघाटन किया। श्रीमती गांधी ने उदघाटन भाषण–*'इस संस्थान का नामकरण बहुत उचित और प्रसन्नतादायक है क्योंकि महात्मा गांधी के महत्व को आगामी वर्षो में उत्तरोत्तर अधिकाधिक समझा जाएगा। यह संस्थान भारत और मॉरिशस के बीच मित्रता का स्थायी और भावनात्मक प्रतीक है। इससे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे महात्मा गांधी के संक्षिप्त प्रवास के बारे में जानकारी मिली थी। स्वयं मॉरिशस की तरह महात्मा गांधी दो महाद्वीपों के बीच संबंध-सेतु थे।'*

फीजी प्रशांत द्वीप समूहों में से एक छोटा सा द्वीप है जहाँ भारतीयों की आबादी वहाँ की जनसँख्या में करीब 37% प्रतिशत है। फीजी 10 अक्टूम्बर 1970 को स्वतंत्र हुआ। भारतीय समुदाय को भारत के साथ जोड़ने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने ई स. 1981 में फीजी की दो दिवसीय यात्रा की। उस समय फीजी की अध्यक्षता में रुतु सर कमसिज मारिया थी और उनकी सत्तारूढ़ गठबंधन के सरकार में ज्यादातर भारतीय,अल्पसंख्यक और स्वदेशी फीजी के लोग थे।श्रीमती गांधी के इस यात्रा के दो मुख्य उद्देश्य थे 1) फीजी के भारतीय मूल के लोगों से सीधा संपर्क बनाना तथा उनको दू देश में और प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देना था, क्योंकि फीजी में भारतीय समुदाय का एक दल राजनीति में भी सक्रीय रूप से उभरने की कोशिश में था । 2) दूसरा उद्देश्य यह था कि दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीप समूह में फीजी ही ऐसा द्वीप समूह था जिसने ब्रिटिश उपनिवेश से एक बहुजातीय लोकतंत्र के लिए सुचारू परिवर्तन की सराहना की। इस यात्रा के दौरान श्रीमती गांधी ने भारतीय मूल के लोगों को कहा कि – *'विवाहित बेटियों के लिए मेरे ह्रदय में वैसी ही संवेदना है, जैसी की एक माँ के ह्रदय में दूर ससुराल में बैठी अपनी बेटी के लिए होती है।'*

श्रीमती गांधी ने अपने शासन काल के दौरान गिरमिटिया देशों में त्रिनिदाद और टोबागो तथा ब्रिटिश गुयाना की भी यात्रा की। इसके साथ ही वे दक्षिण एशियाई देशों- मलेशिया, बर्मा और सीलोन में भी गई। इन देशों के दौरे करने का उनका मकसद राजनीतिक के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों से मिलना भी था। उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को विदेशों में भारत की अच्छी साख बनाने के साधन के रूप में देखा। इसी समय पूर्वी अफ्रीका के केन्या देश में अफ्रिकीकरण की नीति की शुरुआत हुई, जिसके तहत वहाँ की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में अफ्रीकी मूल को प्राथमिकता देने प्रारंभ हुए।उस समय काफी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहाँ रह रहे थे। 1972 में ईदी अमिन ने युगांडा में रहने वाले भारतीयों 90 दिनों में यूगांडा छोड़ने का आदेश दिया। उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने किसी भी प्रकार की प्रभावी मदद की पेशकश नहीं की ।

इस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी की डायस्पोरा नीति को देखा जाए तो नेहरु के दृष्टिकोण से भिन्न थी हालाँकि उन्होंने नेहरु के नीति को आगे बढ़ाया परंतु उनका डायस्पोरा समर्थक दृष्टिकोण था। इसलिए वह भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों को भारत बुलाना चाहती थी लेकिन परिस्थितिवश उन्होंने संकटकालीन स्थिति में भारतीय मूल के लोगों के तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। भारत ने डायस्पोरा से दूरी बनाके रखी। साथ ही पूर्वी अफ्रीका में आए भारतीय लोगों पर सकंट के समय कोई विशेष पहल नहीं किया गया जसके कारण बहुत सारे सफल भारतीय लोग भारत न आकर अन्य देशों में प्रवासित हो गए।

इस तरह श्रीमती गांधी के शासन में डायस्पोरा नीति का मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि भारतीय डायस्पोरा की समस्याओं के प्रति भारत सरकार चिंतित थी नेहरु के सक्रिय असाहचर्य (active disassociation) की नीति से श्रीमती गांधी का दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न था।

4.2.6. राजीव गांधी का युग

राजीव गांधी समय में प्रवासी नीतियों को नेहरु और इंदिरा गांधी के नीतियों से भिन्न रूप में देखा गया। वह अपने पूर्ववर्ती नेताओं के समय से चली आ रही भारतीय डायस्पोरा नीति को काफी हद तक बदलना चाहते थे ताकि कूटनीतिक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हो सके। राजीव गांधी पहले प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए थे उनको भारत बुलाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए आवाहन किया। इसी नीति के तहत उन्होंने अमेरिका में बसे भारतीय मूल के सैम पित्रोदा को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उनको भारत में दूरसंचार के आधुनिकीकरण का काम सौंपा गया था। भारतीय और विदेश में बसे भारतीय लोगों को एक दूसरों को समझने के प्रयास में उन्होंने अपने शासन काल में विदेशी प्रभाग में एक अलग मंत्रालय (The Indianooverseas department of India) का गठन किया और जिसका अध्यक्ष 1984 में सैम पित्रोदा को बनाया। राजीव गांधी जी ने 1985 में अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाना तथा भारतीय प्रतिभा जो अमेरिका में जा बसे हैं, उन्हें भारत के नवनिर्माण के लिए अपनी प्रतिभा का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना।

राजीव गांधी के शासनकाल में डायस्पोरा नीति के 'नये युग' की शुरुआत हुई राजीव गांधी सरकार के समय डायस्पोरा नीति का पहला परीक्षण 1987 में देखने को आया जब उन्होंने फीजी के भारतीय संकट में सहायता पेशकश की। सितिवेनी रबाका ने भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की बहुसंख्यक फीजी सरकार का तख्तापलट कर दिया गया। राजीव गांधी ने इसकी कड़ी आलोचना की और फीजी के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। परिणामस्वरूप फीजी को राष्ट्रमंडल से निष्कासित कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ में फीजीके मुद्दे को उठाया।

इस समय श्रीलंका में प्रवासी भारतीय तमिल समस्या ने उग्र रूप धारण किया। श्रीलंकन सिंहली और भारतीय तमिल समुदाय के बीच श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा था। भारतीय तमिलों के प्रश्न पर पूरी तरह से समाधान के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा की। 30 जुलाई 1987 को कोलंबो में शांतिपूर्ण समझौता किया। इस समझौते के द्वारा श्रीलंका सरकार तमिल बुद्ध भारतीयों को अधिकाधिक स्वायत अधिकार देने के लिए राजी हो गई।

4.2.7. सारांश

भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य अलग-अलग काल में और अलग-अलग कारणों से विदेशों में बस गए भारतीयों के बारे में स्वतंत्र राज्य / देश के रूप में सोचना प्रारंभ किया। पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरु भारतीय डायस्पोरा के लिए चिंतित तो थे, परंतु अपने देश आंतरिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण और वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध की परिस्थिति के कारण अपने डायस्पोरा के समस्याओं के लिए वे पूरी तरह कोशिश नहीं कर सके। नेहरु की नीति को रजनीतिक वैज्ञानिकों ने सक्रीय असह्चर्य के रूप में देखा। इंदिरा गाँधी के समय भारत की परिस्थिति थोड़ी ठीक हुई। इस कारण इनके काल में भारतीय राज अपने डायस्पोरा के लिए नेहरु की तुलना में अधिक सक्रिय नजर आती है। प्रधान मंत्री राजीव गाँधी का युग भारतीय डायस्पोरा नीति के लिए 'नए युग' की शुरुआत मानी जा सकती है क्योंकि इस युग में पहली बार विदेशों में जा बसे प्रतिभाशाली भारतीयों से अपील की गयी कि वे भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। परिणामस्वरूप भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सैम पित्रोदा जैसे लोग भारत आये और भारत में सूचना क्रांति के युग में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों से वैश्वीकरण युग के पूर्व भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति लगातार प्रगतिशील नजर आती है। इन नीतियों में प्रगतिशीलता भारत की कुछ अपनी मजबूत होती स्थिति के कारण है तो कुछ वैश्विक परिस्थिति और अपनी आवश्यताओं से प्रेरित।

4.2.8. बोध प्रश्न

1. जवाहलाल नेहरु युग में भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज की नीतिके बारे में विस्तार से बताइएं।
2. लालबहादुर शास्त्री युग में भारतीय डायस्पोरानीति के बारे में बताइएं।
5. इंदिरा गाँधी युग में भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति और इंदिरा गाँधी के प्रयासों की चर्चा करें।
6. भारतीय डायस्पोरा नीति के विकास में राजीव गाँधी युग को नया युग क्यों कहा जाता है ? विस्तार से बताएं।

4.2.9. संदर्भग्रंथसूची

1. THE HISTORY OF THE CONGRESS (PDF) PRINTED AT THE LAW PRINTING HOUSE,MOUNT ROAD, MADRAS.

1. J. Nehru, 'A Foreign Policy of India', In Selected Works of Jawaharlal Nehru, (Ed). S. Gopal, NaiDelhi: OrientLongman Volume 3.
2. स्वाधीनता और उसके बाद , जवाहरलाल नेहरु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन सि.1946 से मई 1949 तक) प्रकाशन विभाग सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय.
3. इंदिरा गांधी चुने हुए भाषण और लेख (खंड-3),(सितम्बर 1972-मार्च 1977) नई दिल्ली., प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

4. Rajiv Gandhi, Selected Speeches and Writing. Indians Abroad.
5. (31October1984-31 December 1985) Publication Division Ministry of Information and Broadcasting
6. यादव,आर.एस., (2013), भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, पियर्सन
7. कुमार,पवन,(2009),भारत की विदेश नीति.,नई दिल्ली.,ओमेगा पब्लिकेशन.
8. विदेश मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, http://www.mea.gov.in

खंड-4 : भारतीय डायस्पोरा के प्रति भारतीय राज्य की नीति : इतिहास और वर्तमान
इकाई-4 : प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और भारतीय डायस्पोरा

इकाई की रूपरेखा

4.4.01. उद्देश्य
4.4.02. प्रस्तावना
4.4.03. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट
4.4.04. मंत्रालय का गठन
4.4.05. मंत्रालय के कार्य
4.4.06. डायस्पोरा जुड़ाव
4.4.07. प्रवासी कल्याण
4.4.07.01. उत्प्रवासी संरक्षण
4.4.07.02. विदेशी सरकारों से समझौता ज्ञापन
4.4.07.03. संकटकालीन कार्य : यमन संकट और ऑपरेशन राहत
4.4.08. सारांश
4.4.09. शब्दावली
4.4.10. बोधप्रश्न
4.4.11. संदर्भ एवं उपयोगी ग्रंथ
4.4.12. गतिविधियाँ

4.4.01 उद्देश्य

1. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के गठन की पृष्ठभूमि से परिचित हो सकेगें।
2. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के उद्देश्य एवं कार्यों से परिचित हो सकेगें।
3. भारतीय डायस्पोरा का भारतभूमि से जुड़ाव के लिए संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से परिचित हो सकेगें।
4. विदेशों में कार्यरत भारतीय समूहों के हितों एवं कल्याण के बारे में भारत सरकार की नीतियों को जान पाएँगे।

4.4.02. प्रस्तावना

डायस्पोरा समुदायों और इनकी स्वभूमि (होमलैंड) के बीच नाभि-नाल का संबंध है। आर्थिक विकास के साथ-साथ मेजबान और गृह-राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बनाने में भी डायस्पोरा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई राष्ट्रों की विदेश नीति उनके विश्व भर में फैले डायस्पोरा पर निर्भर करती है। तीव्र और सस्ते संचार माध्यमों के कारण आज वैश्विक स्तर पर विभिन्न डायस्पोरा एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं और संपर्क स्थापित कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्रांति और वैश्विक मीडिया की उपस्थिति के कारण आज डायस्पोरा और राष्ट्र के बीच परस्पर संवाद की स्थिति बन सकी है। वैश्वीकरण के प्रभावों के कारण डायस्पोरा मेजबान और गृह राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरने लगा है। इसने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया है, जहाँ समुदाय अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक

ज़रूरतों की पूर्ति के लिए राष्ट्र की सीमाओं के परे जाने का प्रयास करते हैं। आज विकासशील देश भी अपने विकास की योजनाओं में इनकी प्रभावी भूमिका को पहचान कर पारदेशीय डायस्पोरा समुदायों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कई अपने डायस्पोरा का उपयोग एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं।

विश्व में भारतीय डायस्पोरा का एक विशिष्ट स्थान है। संख्या की दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा समूह भारतीय डायस्पोरा द्वारा निर्मित किया जाता है। संख्या में यह 2.5 करोड़ से अधिक है और लगभग 196 देशों में फैला हुआ है। इसमें भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय, दोनों शामिल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय डायस्पोरा और उनकी समस्याओं के प्रति भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन देखा जा सकता है। भारतीय डायस्पोरा के प्रति प्रारंभिक सक्रिय अलगाव (एक्टिव डिसएसोसिएशन) की नीति अग्र-सक्रिय साहचर्य (प्रो-एक्टिव एसोसिएशन) नीति में बदल गई। नरसिम्हा राव सरकार की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अप्रवासी भारतीयों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने, नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और भारतीय बैंकों में बचत को जमा करने के लिए प्रोत्साहनस्वरूप अनेक रियायतें दी गईं। आर्थिक रूप से भारत की दिलचस्पी उस डायस्पोरा के प्रति है, जो स्वतंत्रता के पश्चात् अधिकांशतः विकसित देशों के लिए प्रवासित हुआ। इस कारण, अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई) औपनिवेशिक काल के अनुबंधित श्रमिक, व्यापारिक और स्वतंत्र प्रवासियों के रूप में नए देशवासियों की बजाय मात्र अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने गए 'नए डायस्पोरा' का पर्यायवाची बन गया। पूर्व प्रवासित समूह अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के प्रति ज्यादा स्थिरचित्त नहीं था। पुराने डायस्पोरा के प्रति दृष्टिकोण मुख्यत: सांस्कृतिक, पैबंदनुमा और कृपा के रूप में था, जबकि भारत का नया सरोकार अधिकांशतः आर्थिक और राजनीतिक है।

4.4.03. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट

भारतीय मूल के लोगों एवं अनिवासी भारतीय लोगों के अपने बसावट के देशों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया गया कि वे लोग भारत के विकास में योगदान करने के साथ-साथ भारत और इन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही भारत सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय समूहों के हितों एवं कल्याण की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। इन स्थितियों में भारत से इनके जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रियाओं एवं नियमों को स्पष्ट करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा डॉ. **लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में** भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति का गठन 18 अगस्त, 2001 ई. को किया गया और इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 180 दिनों का समय दिया गया था। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2001 को प्रस्तुत की गई।

सिंघवी समिति द्वारा अपने प्रत्यावेदन में प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के संबंध में शुरुआत करने की संस्तुतियाँ की गई जिनमें सम्मिलित हैं :

- **(i)** पी. आई. ओ. कार्ड स्कीम में सुधार।
- **(ii)** प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना (इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे)।
- **(iii)** प्रवासी भारतीय सम्मान (महत्वपूर्ण पी. आई. ओ. तथा एन. आर. आई. लोगों के लिए) का प्रारंभ किया जाना।

पाँच खंडों एवं 38 अध्यायों में विभक्त इस रिपोर्ट में उपरोक्त संस्तुतियों के अलावा हवाई अड्डों पर पी. आई. ओ. काउंटर की स्थापना, एन. आर. आई/ पी. आई. ओ. से विवाहित महिलाओं के कल्याण तथा विदेशों में भारतीय श्रमिकों की समस्याओं आदि अन्य मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें संस्कृति, आर्थिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मीडिया शीर्षक के अंतर्गत विषयवार संस्तुतियाँ की गई

4.4.04. मंत्रालय का गठन

आरंभ में इस मंत्रालय का गठन मई, 2004 में अनिवासी भारतीय मामले Ministry of Non-Resident Indians' Affairs के नाम से किया गया। सितंबर, 2004 में इसका नाम बदल कर प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) कर दिया गया। मूलतः मंत्रालय का स्वरूप सेवा प्रदाता का है। यह मंत्रालय विदेशों में रहने वाले भारत-वंशियों से जुड़ी सभी सूचनाओं, भागीदारियों एवं सहूलियतों की देखभाल करने के लिए गठित किया गया है।

क्र. सं.	**मंत्री का नाम**	**कार्यकाल**	
1	जगदीश टाइटलर	22.05.2004	10.8.2005
2	रिक्त (प्रधानमंत्री के अधीन)	10.08.2005	18.11.2005
3	ऑस्कर फर्नांडीज	18.11.2005	29.01.2006
4	वायलार रवि	29.01.2006	26.05.2014
5	सुषमा स्वराज	26.05.2014	07.01.2016

मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में विलय

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में कर दिया गया। भारतीय डायस्पोरा को भारत के करीब लाने के उद्देश्यों को और अधिक प्रतिबद्ध तरीके से लागू करने के लिए इन दोनों मंत्रालयों को मिलाने का निर्णय लिया गया। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अधिकांश नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाओं एवं पहलों का क्रियान्वयन विदेशों में भारतीय दूतावासों/वाणिज्यिक दूतावासों के माध्यम से ही किया जा सकता था। विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों से जुड़े मुद्दे, उनके कल्याण और संरक्षण में भी विदेश मंत्रालय एवं भारतीय मिशनों की भूमिका प्रभावी होती है। इस प्रकार भारतीय डायस्पोरा एवं प्रवासी भारतीय लोगों से जुड़े मुद्दों को विदेश मंत्रालय द्वारा अधिक दक्षता से हल किया जा सकता है।

अन्य विभागों को सौंपे गए विशिष्ट मुद्दों को छोड़कर, समुद्रपारीय भारतीय लोगों (जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति PIOs एवं अनिवासी भारतीय NRIs सम्मिलित हैं) से संबंधित सभी मुद्दोंकी जिम्मेदारी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई थी। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय इन मुद्दों को 2004 से निपटा रहा था, लेकिन मंत्रालय के विदेश मंत्रालय एवं दूतावासों पर निर्भरता एवं भूमिकाओं में दोहराव के कारण मंत्रालय की अधिकांश नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाओं एवं पहलों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। साथ ही मंत्रालय के छोटे आकार के कारण सौंपे गए उद्देश्यों को पूरा करने लायक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण दोनों मंत्रालयों के विलय से भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों की समस्याओं के समाधान के प्रयासों में और अधिक गहराई आने के साथ-साथ संसाधनों को और बेहतर तरीके एवं दक्ष तरीके से प्रयोग में लाया जा

सकता है। इस आधार पर 7 जनवरी, 2016 ई. को इस मंत्रालय का विलय विदेश मंत्रालय में कर दिया गया।

4.4.05. मंत्रालय के कार्य

विदेश मंत्रालय का यह डिवीजन विदेशों में बसे बहुसंख्यक भारतीय नागरिकों के लिए समर्पित है। वर्तमान दशाओं में उभरते एक सीमाविहीन विश्व में यह अनुभाग भारतीय डायस्पोरा समुदाय को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए सक्रिय है। इसका गठन एक 'सेवा' अनुभाग के रूप में किया गया है। यह प्रवासी भारतीयों (भारतीय मूल के व्यक्ति *पीआईओ* और अनिवासी भारतीय *एनआरआई*) से संबंधित सभी मामलों की जानकारी, भागीदारी और सुविधा प्रदान करता है।

यह अनुभाग वर्तमान में प्रवासी भारतीय लोगों को निम्नलिखित चार प्रकार की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं :

- डायस्पोरा सेवाएँ Diaspora Services
- वित्तीय सेवाएँ Financial Services
- उत्प्रवास सेवाएँ Emigration Services
- प्रबंधन सेवाएँ Management Services

मंत्रालय का लोगो

प्रथम दो अनुभागों के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। उत्प्रवासी महासंरक्षक (The Protector General of Emigrants (PGoE)) विदेशी रोजगार सेवा (Overseas Employment Services) अनुभाग के प्रमुख होते हैं। सामाजिक सेवा एवं प्रबंधन सेवा अनुभाग उपसचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। आरंभ से यह प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है, लेकिन इसे वर्ष 2016 से द्विवार्षिक कर दिया गया। इसी आयोजन के साथ प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया जाता है।

यह अनुभाग विदेश में बसे भारतवंशी समूहों के बीच नेटवर्क के विकास एवं भारतीय डायस्पोरा के बीच पारस्परिक साझेदारी के निर्माण के उद्देश्य से गठित किया गया है। प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के साथ-साथ यह अनुभाग व्यापार और निवेश, उत्प्रवास, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डायस्पोरा के साथ विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है।

4.4.06. डायस्पोरा जुड़ाव

प्रवासी भारतीय दिवस

9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने का आरंभ 2003 ई. से हुआ। सिंघवी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की दिशा में यह पहला कदम था। 9 जनवरी, 1915 ई. को गांधीजी, जिन्हें पहला प्रवासी भारतीय माना जाता है, दो दशकों बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, जहाँ उन्होंने भारतीय लोगों की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व किया था। इस प्रवासी भारतीय दिवस का

जनवरी में मनाए जाने का प्रतीकात्मक महत्व भी है। 9 जनवरी को विदेशों में बसे भारतीयों के प्रतिनिधि (भारतीय मूल के लोग और अनिवासी भारतीय लोग) एक साथ एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर भारत सरकार नई नीतिगत घोषणाओं के साथ-साथ उच्च स्तर के लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित करती है। यह विश्व के अन्य भागों में आयोजित विविध क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनों को संपुष्ट भी करती है।

भारतीय डायस्पोरा के संबंध में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस (2005) के अवसर पर दिया गया भाषण महत्वपूर्ण था- *"यदि आज कोई साम्राज्य है, जहाँ वास्तव में सूर्य अस्त नहीं होता है, तो वह हमारे मन का साम्राज्य, भारत माता के बच्चों का साम्राज्य है, जो आज एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और वास्तव में अंटार्कटिक के बर्फीले बियावान में रहते हैं। आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महामहिम जूल्स रतनकुमार अजोधिया, सुदूर सूरीनाम के उपराष्ट्रपति हैं, जो तक़रीबन गोलार्द्ध भर की दूरी पर स्थित है? फिर भी एक भावना है, जो हम सबको एक सूत्र में बांधती है वह है 'भारतीयता' की भावना।"*

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (पी. बी. एस. ए.)

यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशन के साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) अथवा भारतीय मूल के लोगों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने या ऐसा कोई संगठन/संस्थान गठित किए जाने और चलाए जाने पर प्रदान किया जाता है, जिससे उनके आवासीय देश में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई हो।

पी. आई. ओ. कार्ड

सिंघवी समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन (पीआईओ) कार्ड व्यवस्था की घोषणा की, जिसके अनुसार भारतीय मूल के लोगों को विदेशी व्यक्तियों की तुलना में अत्यधिक सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अनुसार 1000 यू. एस. डॉलर के भुगतान पर उन्हें बीस वर्षों के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। केवल कृषि भूमि खरीदने के अधिकार को छोड़कर पीआईओ कार्डधारकों को भारतीय नागरिक की ही भाँति लगभग सभी वाणिज्यिक अधिकार उपलब्ध हैं। यह भारत में वीज़ा-मुक्त प्रवेश सुविधा उपलब्ध कराता है। इन कार्डधारकों को केवल वोट डालने के अधिकार को छोड़कर अप्रवासी भारतीयों की भाँति अधिकांश अधिकार उपलब्ध हैं। डायस्पोरा, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और विकसित देशों में रहने वाले लोगों की 'दोहरी नागरिकता' संबंधी लंबे और निरंतर माँग के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने'ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया' स्कीम प्रारंभ की। जनवरी 2006 ई. के हैदराबाद प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रथम ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (ओ. सी. आई.) कार्ड जारी किया गया। यह दोहरी नागरिकता कार्ड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर दोहरी नागरिकता वाले सभी देशों के नागरिकों को यह उपलब्ध है।

ओवरसीज़ इंडियन फ़ैसिलिटेशन सेंटर

भारत सरकार द्वारा ओवरसीज़ इंडियन फ़ैसिलिटेशन सेंटर (ओ. आई. एफ. सी.) प्रारंभ किया गया। विदेशी भारतीयों को निवेश में सहायता करने के लिए यह एकल खिड़की व्यवस्था है। यह 'डायस्पोरा नॉलेज नेटवर्क' (डी के एन) भी स्थापित करना चाहती है, जो 'ज्ञान डायस्पोरा' की भाँति काम करे तथा इसके ज्ञान-संसाधन को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ार्म द्वारा प्रयोग में लाया जा

सके। डायस्पोरा नॉलेज नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य हैं : बुद्धि न्यास (ब्रेन ट्रस्ट) या बुद्धि चक्रण (ब्रेन सर्कुलेशन) पर आधारित एक सतत विकास संस्थान का गठन, जिसकी सहायता से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्मेषी परियोजनाओं को आकार दिया जा सके और पारदेशीय भारतीय समुदाय की भागीदारी से बाज़ार आधारित उपायों के लिए योग्य सहयोगियों को खोजा जा सके।

'भारत को जानो' कार्यक्रम

नो इंडिया प्रोग्राम (के. आई. पी.) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा की युवा पीढ़ी को भारत से निकट तौर पर जोड़ना है। यह भारतीय मूल के छात्रों और युवा विशेषज्ञों को एक विशेष प्रकार का मंच उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपने दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और अनुभवों को आपस में बाँट सकें और समकालीन भारत से नज़दीकी संबंध स्थापित कर सकें। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित यह तीन सप्ताह का पूर्णकालिक और समग्र अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसे राज्य सरकारों के सहयोग तथा नेहरु युवा केंद्र और कंफ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (सी. आई. आई.) द्वारा संचालन एवं प्रचलनात्मक समर्थन (लोजिस्टिक सपोर्ट) से कार्यान्वित किया जा रहा है।

डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एस. पी. डी. सी.) को अकादमिक वर्ष 2006-07 में प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशों में बसे भारतीय लोगों के बच्चों के लिए सुगम बनाना और भारत को उच्च शिक्षा के केंद्रों के रूप में प्रचारित करना है। इस कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय मूल (पीआईओ)/अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) के छात्रों को इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मानविकी, कला, वाणिज्य, प्रबंधन, पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए $ 3,600 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लैंगिक मुद्दे

इस मंत्रालय ने अन्य देशों में विभिन्न स्थितियों में कार्य के लिए जाने वाली भारतीय महिलाओं के कल्याण और सुख-सुविधाओं के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अनिवासी (एन.आर.आई.) पतियों द्वारा धोखाग्रस्त/परित्यक्त भारतीय महिलाओं के सूचित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय ने इस प्रकार की महिलाओं के लिए वैधानिक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना का आरंभ किया है। इसके द्वारा विभिन्न अंतर-मंत्रालय बैठकों, संगोष्ठियों और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए हैं। इन महिलाओं की समस्याओं के निराकरण में सहायता के लिए विदेशी भारतीय महिला संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

मूल की खोज (ट्रेसिंग द रूट्स)

मंत्रालय ने अक्टूबर 2008 ई. में 'ट्रेसिंग द रूट्स' कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय भारतीय मूल के लोगोंको भारत में उनके पूर्वजों के मूल को खोजने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस उद्देश्य के लिए 'इंडी रूट्स' नामक संस्था से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय मूल के जो लोग भारत में अपने पूर्वजों की खोज करने के इच्छुक हैं इस कार्यक्रम की मदद लेते हैं।

इसके अतिरिक्त अपनाए गए अन्य नीतिगत उपायों में अप्रवासी भारतीय लोगों द्वारा भारत में विविध जनकल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए *इंडिया डेवलपमेंट फ़ाउंडेशन*की स्थापना, एनआर आई/पीआईओ विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय डायस्पोरा की युवा पीढ़ी को

भारत से नज़दीकी संबंध बनाने के उद्देश्य से '*इंटर्नशिप प्रोग्राम फ़ॉर डायस्पोरा यूथ*' आदि निर्मित किए गए हैं। साथ-ही-साथ, मंत्रालय महत्वपूर्ण अखिल भारतीय युवा संगठनों जैसेनेहरु युवा केंद्र संगठन(एन. वाई. के. एस.) के संसाधनों का लाभ लेना चाहती है, जिससे डायस्पोरा युवाओं को भारत की विकासात्मक गतिविधियाँ और उनकी उत्पत्ति के मूल देश की सांस्कृतिक, भावनात्मक और विशेषज्ञता के क्षेत्रों से अर्थपूर्ण तरीके से जोड़कर संबंधों को और मज़बूती प्रदान किया जा सके।

4.4.07. प्रवासी कल्याण

भारत सरकार ने खाड़ी देशों में प्रवासित श्रमिकों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ पिछले एक दशक के दौरान में किया है हमारे शोध के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवासन हो रहा है, वह सभी देश ई. सी. आर. (ECR) पासपोर्ट की श्रेणी में आते हैं। खाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत 17 देश आते हैं। इन सभी देशों के लिए, ई. सी. आर. पासपोर्ट धारक जो भारतीय श्रमिक हैं, वहाँ मौजूद हैं या जा रहे हैं उन्हें इन सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।

इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन स्कीम से लेकर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाएँ सम्मिलित हैं। इन योजनाओं में प्रवासी भारतीय बीमा योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना और प्रवासियों तथा उनके परिजनों की विशेष सहूलियतों के लिए एक (24 x 7 x 365) हेल्पलाइन न. 1800113090 की सुविधा टोल फ्री मुहैया करायी गई है।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (Pravasi Bhartiy Bima Yojna) :

प्रवासी भारतीय बीमा योजना ई. सी. आर. (ECR) पासपोर्ट श्रेणी में श्रम कार्यों के लिए जा रहे सभी उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए अनिवार्य हैं। प्रवासी भारतीय बीमा योजना की शुरुआत 2003 ई. में भारत के प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना में बीमा जोखिम कवर रूपया 10 लाख है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

ई. सी. आर. श्रेणी के 17 देशों में कार्यरत श्रमिकों के लिए इस सामाजिक सुरक्षा योजना को 4 जनवरी, 2012 ई. से लागू किया गया है। स्वैच्छिक भागीदारी वाली इस योजना के माध्यम से कामगारों को निम्नलिखित मामलों में मदद मिलती है-

1. अपनी वापसी और भारत में पुनर्वास के लिए बचत,
2. अपने वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए,
3. किसी दुर्घटना या प्राकृतिक रूप से मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा सुरक्षा।

प्रवासी कौशल विकास योजना

प्रवासी कौशल विकास योजना को हाल ही में 2 जुलाई, 2016 ई. को विदेश मंत्रालय ने उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता (MOUs) पर हस्ताक्षर कर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से अपेक्षित कौशल एवं युवा वैश्विक मानकों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रमाण प्रदान करना है। यह पहल उचित कौशल की कमी के कारण विदेशी नियोक्ताओं के हाथों उनके शोषण को रोकने के लिए किया जा रहा है।

इसके लिए विदेश मंत्रालय ने प्रवासित होने से पहले अभिविन्यास प्रशिक्षण (Pre-Departure Orientation Training) कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत गंतव्य देश की स्थानीय संस्कृति, भाषा, कार्य संस्कृति, साथ-ही-साथ प्रासंगिक कौशल का ज्ञान भी दिया जाएगा।

प्रवासी भारतीय मंत्रालय की टोल फ्री हेल्पलाइन नं.- 1800113090

विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों की प्रमुख परेशानी विदेशों में रोजगार, भर्ती एजेंसियों और आव्रजन प्रक्रियाओं के बारे में प्रामाणिक एवं समय पर सूचना तक पहुँच बनाने की होती है। इन सूचनाओं के अभाव में यह बिचौलियों पर निर्भर होते हैं और शोषण का शिकार बन जाते हैं। इस परेशानी से उबरने के लिए मंत्रालय ने 'विदेश कामगार संसाधन केंद्र' की स्थापना की है, इसके माध्यम से आव्रजन के इच्छुक लोगों, विदेश में काम कर रहे श्रमिकों और उनके परिजनों को सूचना और सहायता दी जाती है। इस केंद्र का मुफ्त टेलीफोन नंबर **1800113090** सप्ताह के सातों दिन काम करता है और इससे प्रवासी श्रमिक और उनके परिजन आवश्यकता के अनुसार जानकारी ले सकते हैं।

प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र आवश्यकता आधारित जानकारी प्रदान करने के लिए **11 भाषाओं** ***(अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ओड़िया)*** में 24 घंटे **(24 x 7 x 365)** एक हेल्पलाइन संचालित करता है जिसका टोल फ्री नंबर भारत में **1800113090** और विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रवासियों के लिए **+91-124-2341002** है। पंजीकरण, शिकायतों के निवारण और उनकी मॉनिटरिंग के लिए एकल बिंदु संसाधन के रूप में भी यह केंद्र कार्य करता है। प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र को कोच्चि, हैदराबाद और गुड़गांव में प्रवासी संसाधन केंद्रों के साथ जोड़ा गया है। प्रवासी संसाधन केंद्र संभावित प्रवासियों को जानकारीमुहैया करवाते हैं, जो वैध प्रवास और प्रवास के दौरान ध्यान देने योग्य सावधानियों, नियोक्ता एजेंटों और सेवा प्रदाताओं की अवस्थिति से संबंधित होती हैं। प्रदान की गई सेवाओं पर ये केंद्र फीडबैक भी प्राप्त करते हैं और मंत्रालय द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार जागरूकता अभियान भी चलाते हैं।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष

प्रवासी मंत्रालय ने सभी इमीग्रेशन क्लीयरेंस की आवश्यकता (ECR) श्रेणी के देशों के भारतीय मिशनों की इच्छानुसार 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' (ICWF) की स्थापना की है। इससे भारतीय मिशन प्रवासी भारतीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर किए जाने वाले आकस्मिक व्यय को पूरा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय सभी 17 'इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायार्ड' (ECR) देशों में भारतीय मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वे मेजबान देशों में संकट में फँसे श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर सकें।

4.4.07.01. उत्प्रवासी संरक्षण

भारत से हर वर्ष अनेक लोग विदेशों में रोजगार के प्रयोजनों के लिए प्रस्थान करते हैं। इनमें से लगभग 7-8 लाख उत्प्रवासी उन देशों में जाते हैं, जिन्हें उत्प्रवास जाँच आवश्यक (ई. सी. आर.) देशों के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये देश हैं : अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्तअरब अमीरात और यमन।

पिछले वर्ष 2016 के दौरान ईसीआर श्रेणी के व्यक्तियों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (इमीग्रेशन क्लियरेंस) का विवरण निम्नानुसार है :

अफगानिस्तान	0 %	कुवैत	09 %	कतर	08%
बहरीन	2 %	लेबनान	0 %	सऊदी अरब	43%
इंडोनेशिया	0 %	लीबिया	0 %	सूडान	0 %
इराक	0 %	मलेशिया	03 %	थाईलैंड	0 %
जॉडर्न	0 %	ओमान	10 %	संयुक्त अरब अमीरात	25 %

इन उत्प्रवासियों में से बहुत से लोग कम पढ़े-लिखे और अर्ध-कुशल या अकुशल होते हैं; उनके पासपोर्ट पर एक 'उत्प्रवास जाँच आवश्यक' की पट्टी चिपकाकर उन्हें पासपोर्ट जारी किया जाता है। रोजगार के लिए यात्रा करने से पूर्व, उन्हें 'उत्प्रवासी संरक्षक' के कार्यालयों में से किसी एक से उत्प्रवास क्लीयरेंस प्राप्त करना आवश्यक है। उत्प्रवास मंजूरी एक सुरक्षा उपाय है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उसे विदेशों में ठगा नहीं जाएगा और इसे वेतन की पेशकश की पुष्टि करने, रोजगार अनुबंध की शर्तों, विदेशी नियोक्ता की साख और प्रवासी बीमा योजना के माध्यम से बीमा की पुष्टि करने के बाद जारी किया जाता है। उत्प्रवास मंजूरी दस उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों- चंड़ीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्ची, कोलकाता, मुंबई, रायबरेली, और तिरुवनंतपुरम द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।

विदेशों में रोजगार, विशेष रूप से कम शिक्षित अंत्यावसायी सुरक्षा को विनियमित करने के लिए, उत्प्रवास जाँच आवश्यक प्रक्रिया को 'ई-माइग्रेट' नामक अनूठी कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह प्रणाली विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना, गृह मंत्रालय के अप्रवासन ब्यूरो एवं दूसरी ओर 18 ई. सी. आर. देशों में स्थित भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ताओं एवं पंजीकृत भर्ती एजेंटों के साथ जुड़ा हुआ है। यह भारतीय कामगारों के संभावित शोषण के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय है।

ई-माइग्रेट प्रणाली उत्प्रवासी महासंरक्षक के नियंत्रण में कार्य करती है, जो विदेशी नियोजन हेतु विदेश जाने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए उत्प्रवासी अधिनियम, 1983 ई. के अंतर्गत शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रवासी कार्य मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय के विलय के बाद, विदेश मंत्रालय का प्रवासी रोजगार प्रभाग ई. सी. एन. आर. देशों में संकट में पड़े प्रवासी भारतीयों और गैर- ई. सी. आर. पासपोर्ट धारकों की सहायता के लिए उन तक मदद पहुँचा रहा है। यह अनुभाग भारत के विभिन्न राज्यों में संचालित अवैध भर्ती गतिविधियों के खिलाफ राज्य सरकारों की मदद से उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही भी करता है।

उत्प्रवासी महासंरक्षक

विदेश मंत्रालय में उत्प्रवासी महासंरक्षक, रोजगार के प्रयोजनों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी है। पीजीई विदेशी जनशक्ति निर्यात व्यापार के लिए भर्ती एजेंटों (आरए) को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर. सी.) जारी करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी भी हैं।

इनके द्वारा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग किया जाता है :

- उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 11 और 12 के अंतगर्त पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने का अधिकार और अधिनियम की धारा-13 के अंतगर्त उसे नवीनीकृत करने का अधिकार।

- अधिनियम की धारा-14 के अंतगर्त पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित, रद्द और ख़ारिज करने का अधिकार।
- अधिनियम के अध्याय चतुर्थ की धारा 15-(2) के अंतगर्त विदेशी नियोक्ता (एफ. ई.) और परियोजना निर्यातक (पी. ई.) को परमिट जारी करने का धिकार।
- अधिनियम की धारा-24 और 25 के अंतगर्त सीबीआई या राज्य पुलिस विभाग को अपराधों और दंड के लिए अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार।
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतगर्त सीमा शुल्क के एक अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों की तरह तलाशी लेने, जब्त करने और व्यक्तियों/वाहन, आदि को गिरफ्तार करने का अधिकार।
- भर्ती एजेंटों को किसी भी रिटर्न, रिकार्ड या रजिस्टर जमा करने के लिए आदेश देने और अधिनियम की धारा 36 के अंतगर्त उनकी जाँच के साथ-साथ भर्ती एजेंटों के कायार्लय का निरीक्षण करने का अधिकार।
- अधिनियम की धारा-37 के अंतगर्त सिविल कोर्ट की शक्ति।
- अधिनियम की धारा-3 (4) के अंतगर्त किसी भी उत्प्रवासी संरक्षक को आवंटित सभी या किसी भी कार्य के निष्पादन करने का अधिकार।

उपरोक्त सभी कार्य में पीजीई को 10 क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिन्हें उत्प्रवासी संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है।

प्रवासी रोजगार डिवीजन के ओर्गानोग्राम

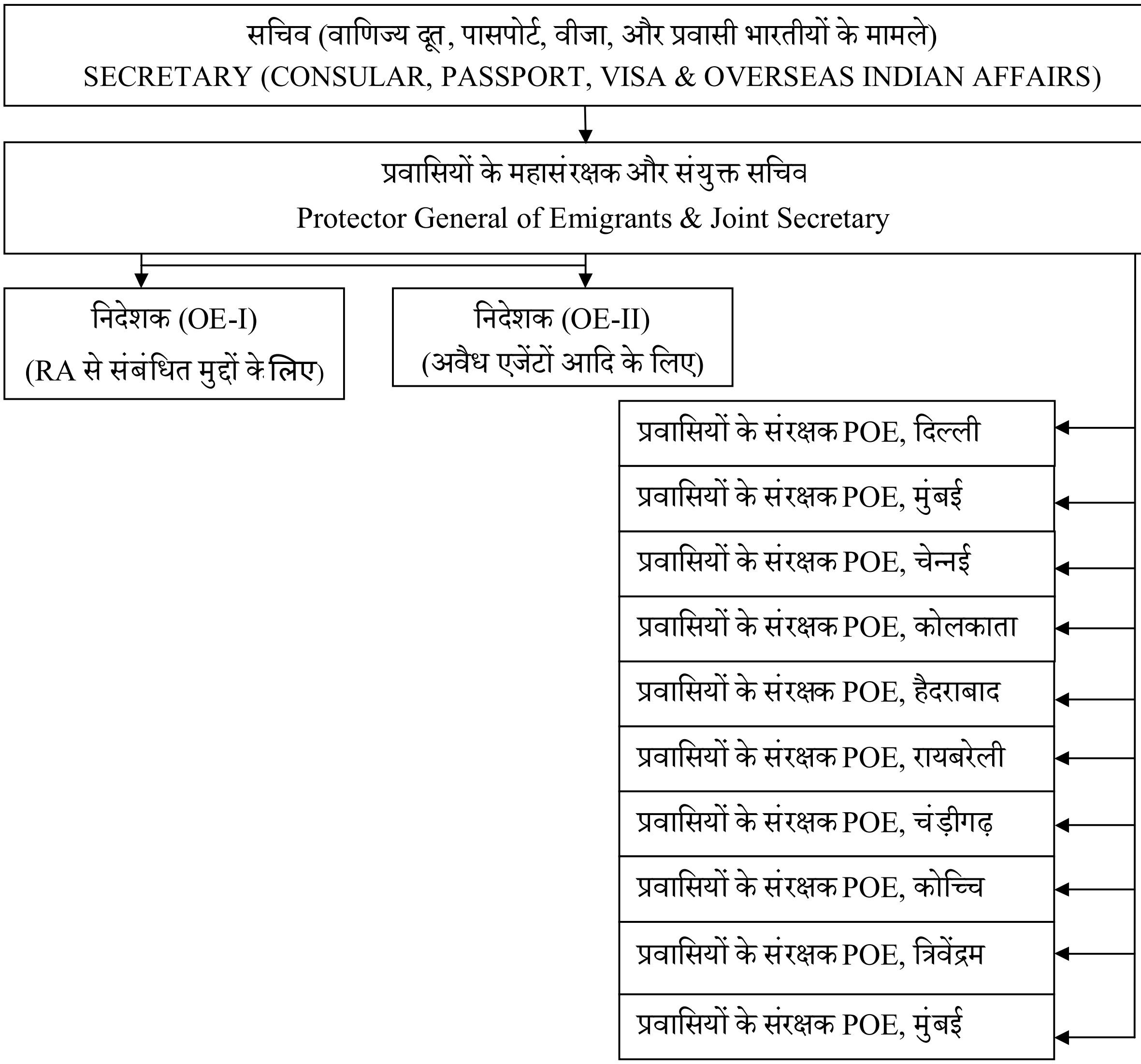

4.4.07.02. विदेशी सरकारों से समझौता ज्ञापन

विदेशों में संविदा श्रमिक के रूप में प्रवासी भारतीय कामगार वहाँ की व्यवस्था से जुड़ते हैं, काम करते हैं और वहाँ से लगातार भारत के लिए धन भेजते हैं। इनके काम करने की दशाओं, काम के घंटे, वेतन, आवास, चिकित्सा सुविधा, पंजीकृत एजेंट की नियुक्ति और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ जैसे- बीमा योजना, पेंशन योजना को लेकर सरकार स्वयं और मेजबान देशों के साथ मिलकर एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करती है और इन देशों के साथ सहमति पत्रों (MOUs) पर हस्ताक्षर कर इन प्रवासी श्रमिकों की सहूलियतों पर चर्चा कर इनको नीतिगत आधार प्रदान करती है।

वर्षवार होने वाले सहमति समझौते

वर्ष 2004 में अपने गठन के बाद प्रवासी भारतीय मंत्रालय ने उन सभी देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने के ठोस प्रयास किए हैं, जहाँ भारतीय श्रमिक काम करने के लिए जाते हैं। इन सहमति-पत्रों (MOUs) में संबंधित सरकारों की भारतीय श्रमिकों के बेहतर संरक्षण एवं कल्याण की

प्रतिबद्धता होती है। सहमति-पत्रों पर संयुक्त अरब अमीरात (यू. ए. ई.) के साथ दिसंबर 2006 ई. में, कतर के साथ अप्रैल 2007 ई. में, कुवैत के साथ अप्रैल 2007 ई. में, ओमान के साथ नवंबर 2008 ई. में और बहरीन के साथ जून 2009 ई. में हस्ताक्षर किए गए।

भारत और कतर के बीच 20 नवंबर, 2007 ई. को मौजूदा श्रम समझौते के अलावा एक अतिरिक्त समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त अरब अमीरात के साथ सितंबर 2011 ई. में एक संशोधित सहमति-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। सउदी अरब में भारी मात्रा में भारतीय श्रमिकों की संख्या को देखते हुए प्रवासी भारतीय मंत्रालय और सउदी अरब के श्रम मंत्रालय के बीच 2 जून, 2014 ई. को 'घरेलू सेवा कामगार सहयोग समझौता' किया गया जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं-

1. रोजगार के अवसर बढ़ाने और कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति।
2. संगठित क्षेत्र में संबद्ध देश कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए उपाय करेगा।
3. विदेशी नियोक्ता भारतीय कामगारों को भर्ती करते समय व्यापक प्रक्रिया अपनाएगा।
4. रोजगार और भर्ती के नियम दोनों देशों के कानूनों से पुष्ट होंगे।
5. सहमति-पत्रों (MOUs) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और श्रम समस्याओं का द्विपक्षीय समाधान तलाशने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।

सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के साथ समूह की पहले दौर की बैठक हो चुकी है। संयुक्त कार्य समूह की दूसरे और तीसरे दौर की बातचीत कुवैत के साथ फरवरी 2010 ई. और जनवरी 2012 ई. में एक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुकी है। संयुक्त कार्य समूह ने ओमान के साथ जून 2010, मई 2011 और सितंबर 2012 ई. में बैठक की। कतर के साथ समूह की दूसरी बैठक 2013 ई. में आयोजित की गई।

भारत और खाड़ी देशों के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठकें और वर्षवार होने वाले सहमति समझौते

देश	वर्षवार होने वाले सहमति समझौते (MOUs)
1. संयुक्त अरब अमीरात	दिसंबर, 2006 (2011 में संशोधित)
2. कतर	अप्रैल 2007 एवं नवंबर 2013
3. कुवैत	अप्रैल 2007; फरवरी 2010; जनवरी 2012
4. ओमान	नवंबर 2008; जून 2010; मई 2011; सितंबर 2012
5. बहरीन	जून 2009
6. सउदी अरब	जून 2014 'घरेलू सेवा कामगार सहयोग समझौता'

4.4.07.03. संकटकालीन कार्य : यमन संकट और ऑपरेशन राहत

वर्ष 2015 में सऊदी अरब एवं सहयोगी देशों द्वारा यमन में सैन्य अभियान आरंभ कर दिया गया। इसके फलस्वरूप वहाँ वर्क परमिट पर कार्यरत भारतीय नागरिक संकटपूर्ण स्थिति में फँस गए। भारतीय एवं अन्य विदेशी नागरिकों को बचाने के उद्देश्य से ऑपरेशन राहत आरंभ किया गया। समुद्री रास्ते से अदन पोर्ट के माध्यम से 1 अप्रैल, 2015 ई. को बचाव अभियान एवं साना एयरपोर्ट से भारतीय वायु सेना एवं एयर इंडिया द्वारा 03 अप्रैल, 2015 ई. को बचाव अभियान चलाया गया।

ऑपरेशन	मानवीय सहायता	
मुख्य सहभागी	भारतीय सशस्त्र सेना एवं विदेश मंत्रालय	
नेतृत्व	जनरल वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त)	
उद्देश्य	यमन से भारतीय नागरिकों की वापसी	
अवधि	01.04.4.04.02015-11.04.4.04.02015	
कार्य दल	भारतीय सशस्त्र सेना एवं एयर इंडिया	
परिणाम	5600 (4640 भारतीय और 960 विदेशी नागरिक) से अधिक लोगों को संकटपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकाला गया।	

4.4.08. सारांश

भारत सरकार द्वारा डायस्पोरा के साथ संबंधों का विकास करना वैश्क्कि प्रचलन के अनुरूप ही है। प्रवासियों के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में हाल के वर्षों में मूलभूत परिवर्तन आया है। प्रवासियों को अब मात्र आर्थिक शरणार्थियों के रूप में नहीं देखा जा रहा है। आज विदेश में बसे भारतीय इन देशों, विशेषकर विकसित देशों में अनेक उल्लेखनीय सफलताएँ और उपलब्धियाँ अर्जित कर चुके हैं। इस कारण से आज वे देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं। यद्यपि 25 मिलियन भारतीय मूल के लोग भारत की कुल जनसंख्या के मात्र 2 प्रतिशत ही हैं, फिर भी उनका अनुमानित सामूहिक संसाधन व्यापक है। डायस्पोरा ने इन वर्षों में अधिक महत्व अर्जित किया है। ज्यादा समृद्ध अप्रवासी भारतीय समुदायों ने उल्लेखनीय राजनीतिक प्रभाव निर्मित किया है और इस कारण वे स्वदेश के लिए अधिक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभर रहे हैं। एक विकासशील और उभरते भारत के लिए विश्व में स्थान निर्मित करने के लिए डायस्पोरा जुड़ाव तथा संबंध निर्मित करना आवश्यक है। भारत की डायस्पोरा एवं उत्प्रवासन नीति के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय डायस्पोरा को रणनीतिक संसाधन के रूप में समझे। इसके लिए आवश्यक है कि भारत के वैश्विक डायस्पोरा के प्रति इस प्रकार की नीतियाँ और उपकरण तैयार किए जाएँ, जो वैश्विक सद्भावना और प्रत्यक्षता को बढ़ावा दें।

4.4.09. शब्दावली

1. **स्वभूमि की ओर झुकाव** (Homeland Orientation)- डायस्पोरा को परिभाषित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रायः यह देखा गया है कि डायस्पोरा में अपनी स्वभूमि की ओर तीव्र झुकाव होता है।
2. **पुराना डायस्पोरा** (Old Diaspora)- जो लोग भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विदेश गए उन्हें '*पुराना डायस्पोरा*' कहा जा सकता है। भारतीय डायस्पोरा का एक बड़ा भाग पुराने डायस्पोरा से बना हुआ

है। इन लोगों ने मलेशिया, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, फ़िजी, गुयाना और सूरीनाम जैसे देशों में पलायन किया।

3. **नया डायस्पोरा** (New Diaspora)- भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश जाने वाले लोगों को '*नया डायस्पोरा*' की श्रेणी में डाला जा सकता है। इन लोगों का पलायन मुख्य रूप से विदेशों में उपलब्ध नए आर्थिक अवसरों के परिप्रेक्ष्य में हुआ और यह मुख्यतः यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के देशों में प्रवासित हुए।
4. **भारतीय मूल के लोग** (Persons of Indian Origin)**-** इसका अर्थ उन भारतीयों से होता है, जिन्होंने नए राष्ट्र (जहाँ वे भारत से पलायन करके बसे हैं) की राष्ट्रीयता अपना ली है। इस श्रेणी के अंतर्गत पुराना और नया डायस्पोरा दोनों ही आते हैं।
5. **अनिवासी भारतीय** (Non Resident Indian)**-** यह ऐसे भारतीय हैं, जो लंबे समय से विदेशों में रह रहे हैं, परंतु उनके पास उस देश की नागरिकता नहीं है। इनके पास पासपोर्ट भी भारतीय ही होता है।
6. **ओवरसीज़ इंडियन फेसिलिटेशन सेंटर** (Overseas Indian Facilitation Center)- इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
7. **भारत को जानो कार्यक्रम** (Know India Program)- नो इंडिया प्रोग्राम (के. आई. पी.) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारतीय डायस्पोरा की युवा पीढ़ी को भारत से नज़दीकी तौर पर जोड़ना है। यह भारतीय मूल के छात्रों और युवा विशेषज्ञों को एक विशेष प्रकार का मंच उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपने दृष्टिकोण, आकांक्षाओं एवं अनुभवों को आपस में बाँट सकें और समकालीन भारत से नज़दीकी संबंध स्थापित कर सकें।
8. **डायस्पोरा नॉलेज नेटवर्क** (Diaspora Knowledge Network)**-** इसके अंतर्गत भारतीय डायस्पोरा को भारतीय विकास के साथ जोड़ने का प्रयास सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से किया जाता है। यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसकी चर्चा 2006 ई. में शुरू हुई थी और आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और आधुनिक संचार माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल से यह सच होता साबित हो रहा है।

4.4.10. बोधप्रश्न

प्रश्न 01 : पी. आई. ओ. का विस्तारित नाम है –

(क) परसन ऑफ इंडियन ऑरिजन
(ख) पीपुल ऑफ इंडियन ऑरिजन
(ग) पीपुल ऑफ इंडियन ओवरसीज
(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 02 : भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा के संबंध में नीतिगत सुझावों के लिए किस समिति का गठन किया था?

(क) लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति
(ख) नरेश चंद्र समिति
(ग) सच्चर समिति

(घ) श्रीकृष्ण समिति

प्रश्न 03 : ट्रेसिंग द रूट्स कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई–

(क) 2005 ई.
(ख) 2006 ई.
(ग) 2007 ई.
(घ) 2008 ई.

प्रश्न 04 : विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय कार्य अनुभाग द्वारा 24 भाषाओं में संचालित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित में से कौन है?

(क) 1800113090
(ख) 1800130905
(ग) 1800115090
(घ) 1800114080

प्रश्न 05 : पी. आई. ओ. कार्ड से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न 06 : प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के प्रतीकात्मक महत्व को स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न 07 : प्रवासी कौशल विकास योजना का विवरण दीजिए।
प्रश्न 08 : 'भारत को जानो' कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
प्रश्न 09 : प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश प्रशिक्षण क्या होता है?

4.4.11. संदर्भ एवं उपयोगी ग्रंथ

- जोशी, राम शरण एवं अन्य (संपादित). 2014. '**भारतीय डायस्पोरा के विविध आयाम**'. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली. ISBN 978-81-267-2611-0।
- सी. भट्ट, '*इंडिया एंड द इंडियन डायस्पोरा- ए पॉलिसी इस्यू*', हैदराबाद : डिर्पाटमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 1998।
- वी. मोहाहिर, 'इंडिया राइजिंग : द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन एक्सिलरेटिंग इंडियाज ट्रांजिशन एज ए ग्लोबल पॉवर', प्रवासी भारतीय दिवस-यूरोप, 19 सितंबर, 2009, http://indiawijzer.nl
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, *रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा*, नई दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 2001, http://www.indiandiaspora.nic.in
- http://www.mea.gov.in/overseas-indian-affairs.htm

4.4.12. गतिविधियाँ

1. विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से सूचनाएँ संकलित कर प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं की तालिका तैयार कीजिए।
2. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रवासियों से संबंधित समाचारों का संकलन कीजिए।

3. विदेशों में कार्यरत भारतीय लोगों की सहायता के लिए यू-ट्यूब पर उपलब्ध लघु विज्ञापन फिल्मों का अवलोकन कीजिए।
4. फिल्म 'एयरलिफ्ट' को देखकर इसके कथानक का संक्षिप्त विवरण तैयार कीजिए।